NEXT IAS

THE CRUX

जनवरी अंक; 2025

मुख्य संपादक

बी. सिंह (Ex. IES)

CMD, NEXT IAS & MADE EASY Group

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

Corporate Office: 44-A/4, Kalu Sarai, New Delhi-110016

Visit us at: www.madeeasypublications.org

☎ 011-45124660, 8860378007

E-mail: infomep@madeeasy.in

© Copyright 2025

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect policy or position of CURRENT AFFAIRS Magazine or MADE EASY Publications. They should be understood as the personal opinions of the author/authors. The MADE EASY assumes no responsibility for views and opinions expressed nor does it vouch for any claims made in the advertisements published in the Magazine. While painstaking effort has been made to ensure the accuracy and authenticity of the informations published in the Magazine, neither Publisher, Editor or any of its employee does not accept any claim for compensation, if any data is wrong, abbreviated, cancelled, omitted or inserted incorrect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher.

1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक यूपीएससी से संबंधित प्रासंगिक समसामयिकी का संकलन

विषयसूची

कवर स्टोरी

76वाँ गणतंत्र दिवस 4

भारत-इंडोनेशिया संबंध 6

नीति आयोग के 10 वर्ष 8

सिंधु जल संधि विवादों के लिए तटस्थ विशेषज्ञ 10

विशेष लेख

भारत का लोकपाल 12

भारतीय प्रवासी समुदाय 15

वन पारिस्थितिकी तंत्र का हरित GDP से संबद्धन 17

भारतीय रुपये का मूल्यह्रास 19

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर ILO रिपोर्ट 20

वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 22

कीटनाशक विषाक्तता और विनियमन 24

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) 26

उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों पर दक्कन ज्वालामुखी का प्रभाव 27

जीनोम इंडिया परियोजना पूर्ण हुई 28

नैनोपोर प्रौद्योगिकी 29

सुप्रीम कोर्ट ने 6 महानगरों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 30

रानी वेलु नाच्चियार 31

गुरु गोबिंद सिंह की 358वीं जयंती 33

Disclaimer:
MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

विषयसूची | संक्षिप्त लेख

1 राजव्यवस्था एवं शासन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अंतर्गत अनुपस्थित अभियुक्त का परीक्षण....34
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152....34
BNSS की धारा 479....34
कोई भी व्यक्ति उचित मुआवजे के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय....35
ब्लड मनी....35
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डोमिसाइल आधारित पीजी मेडिकल प्रवेश को असंवैधानिक घोषित....35
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 (प्रारूप)....36
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)....37
व्हिप प्रणाली....37
उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश....37
राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण....38
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0....39
एंटिटी लॉकर....39
क्रॉसपैथी....40
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना के 10 वर्ष....40
उजाला योजना के 10 वर्ष....41
2025 में बच्चों के लिए संभावनाएँ: बच्चों के भविष्य हेतु लोचशील व्यवस्था का निर्माण....41
भारतपोल पोर्टल....42
भाषिनी परियोजना....42
वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024....43
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में विलंब की आलोचना....44

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारतीय परमाणु समझौते पर प्रतिबंधों में ढील....45
भारत और अमेरिका इंटरऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेंगे....45
डेटा एंबेसी....46
भारत बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र पैनल में शामिल हुआ....46
भारत-सिंगापुर संबंध: 60 वर्ष का सफर....46
इंटरपोल द्वारा सिल्वर नोटिस जारी किया गया....47

3 अर्थव्यवस्था

भारतीय तंबाकू बोर्ड....48
बिजनेस रेडी (B-READY) 2024 रिपोर्ट....48
पिग बुचरिंग स्कैम....49
रमेश चंद समिति....49
ग्रामीण गरीबी में कमी: SBI रिसर्च....49
जम्मू रेलवे डिवीजन....50
देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर....50
Z-मोड़ टनल....50
रोजगार का भविष्य रिपोर्ट, 2025....51
भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (ICEGATE)....52
फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम (FTI-TTP)....52
ब्याज समतुल्यीकरण योजना....53
प्रतिभूति लेनदेन कर....53
डायमंड इम्प्रेस्ट प्राधिकार (DIA) योजना....54
वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ (GEP) रिपोर्ट, 2025....54
ISNR और INR कनेक्ट परियोजनाएँ....55
विभेदक मूल्य निर्धारण....56
वर्ष 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत (GI) टैग....57
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड....57

4 पर्यावरण

भारत द्वारा UNFCCC को चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत....59
भारत की प्रथम 'तटीय-जलचर पक्षी जनगणना'....60
ब्लू फ्लैग प्रमाणन....60
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)....60
कश्मीर के चिनार वृक्ष....61
विश्व के मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहर....61
अमूर फाल्कन....61
हिमालयन आइबेक्स....62
यूट्रिकुलरिया....62

5 भूगोल

त्रिनिदाद और टोबैगो....63
वेम्बनाड झील....63
मेक्सिको की खाड़ी....64
इक्वाडोर....64
सोपस्टोन खनन....64
कोंकण क्षेत्र में अवस्थित साडा....65
डिएगो गार्सिया....65
नैवाशा झील....66
कुर्दिस्तान क्षेत्र....67

6 आंतरिक सुरक्षा

नौसेना दो प्रमुख युद्धपोत और एक पनडुब्बी को शामिल करेगी....68
INSV तारिणी की पॉइंट नीमो से यात्रा....68
भारत रणभूमि दर्शन पहल....68
नाग MK-2 एंटी-टैंक मिसाइल....69
भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल....69
प्रलय मिसाइल का गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शन....69
अभ्यास ला पेरोस....69

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

गूगल का क्वांटम प्रोसेसर 'विलो'....70
मिथाइलकोबालामिन....70
ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस....70
ट्विगस्टैट्स....71
इसरो का फसल से संबंधित अनुप्रयोग....71
IndiaAI मिशन....71
स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स....72
टाइडल टेल....72
परमाणु ऊर्जा आयोग....72
वैश्विक साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण 2025: विश्व आर्थिक मंच....73
नाभिकीय संलयन: ITER....73
गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS)....73
भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली-रोबोटिक प्रणाली....74
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्चपैड....74
डार्क ऑक्सीजन....75
टी सेल-आधारित डेंगू वैक्सीन 'PRAHR'....75
औद्योगिक डाई रोडामाइन-बी....75
चीनी AI असिस्टेंट डीपसीक....76
स्टारगेट प्रोजेक्ट....76
स्टोव लाइटर में पीजोइलेक्ट्रिसिटी की भूमिका....76
ISRO के श्रीहरिकोटा से 100वाँ ऐतिहासिक प्रक्षेपण....77

8 समाज

हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट....78
राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन....79

9 संस्कृति एवं इतिहास

सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती....80
शीतकालीन चार धाम....81
मकरविलक्कु महोत्सव....81
मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा....82
संपूर्ण भारत में फसल उत्सव....82
स्वामी विवेकानंद की जयंती....84
कोणार्क सूर्य मंदिर....85
रत्नागिरी बौद्ध उत्खनन....85
लेज़िम नृत्य....86
लाला लाजपत राय....87

10 विविध

पंचप्रण....89
डॉ. राजगोपाल चिदंबरम....89
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024....89
शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) रिपोर्ट....90
जसप्रीत बुमराह ICC पुरुष खिलाड़ी, 2024 के रूप में नामित....90

11 डेटा पुनर्कथन (Data Recap)

....91
स्वयं परीक्षण....92

76वाँ गणतंत्र दिवस

हाल ही में भारत ने अपना 76वाँ गणतंत्र दिवस 'स्वर्णिम भारत: विरासत एवं विकास' विषय के साथ मनाया, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे।

परिचय

- **पृष्ठभूमि:**
  - 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसने देश को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य में आधिकारिक परिवर्तन को मान्यता प्रदान की।
  - यह दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की परिणति और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित संवैधानिक शासन की स्थापना का प्रतीक है।
- **संविधान का आत्मार्पण**
  - भारत की संविधान सभा ने लगभग तीन वर्षों के विचार-विमर्श के पश्चात् 26 नवंबर, 1949 को संविधान को आत्मार्पित किया।
  - हालाँकि, 1930 के पूर्ण स्वराज संकल्प का सम्मान करने के लिए 26 जनवरी को अधिनियमन की तिथि के रूप में चुना गया था, जिस दिन पहली बार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की इच्छा की घोषणा की गयी थी।
- **पूर्ण स्वराज घोषणा (1930)**
  - 19 दिसंबर, 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) का प्रस्ताव पारित किया गया।
  - इसके पश्चात् 26 जनवरी, 1930 को कांग्रेस ने एक सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें भारतीयों से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था।
  - 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को प्रतिवर्ष "स्वतंत्रता दिवस" के रूप में मनाया जाता था, जो भारत की पूर्ण संप्रभुता की आकांक्षा का प्रतीक था।
  - इस ऐतिहासिक महत्त्व ने 26 जनवरी को 1950 में भारत को गणराज्य घोषित करने के लिए आदर्श तिथि बना दिया।

झंडा फहराना बनाम ध्वजारोहण: गणतंत्र दिवस बनाम स्वतंत्रता दिवस

- **गणतंत्र दिवस (26 जनवरी):**
  - भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
  - ध्वज को खंभे के शीर्ष पर बाँधा जाता है और नीचे की ओर खुला रखा जाता है, जो भारत की स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थिति को प्रदर्शित करता है।
- **स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त):**
  - प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं।
  - झंडे को नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है, जो ब्रिटिश शासन के पश्चात् भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने का प्रतीक है।

76वें गणतंत्र दिवस की मुख्य बातें

- **पद्म पुरस्कार:** पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री सहित कुल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए।
  - **पद्म विभूषण:** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मान।
  - **पद्म भूषण:** उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा को मान्यता प्रदान करने हेतु।
  - **पद्मश्री:** किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा हेतु प्रदत्त।
  - **पदानुक्रम:** पद्म विभूषण > पद्म भूषण > पद्म श्री।
  - इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है।
- **वीरता पुरस्कार और रक्षा अलंकरण**
  - राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और CAPF के 93 कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए।
  - इनमें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, बार टू सेना पदक, सेना पदक, नौसेना पदक एवं वायु सेना पदक शामिल थे।
  - वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है।

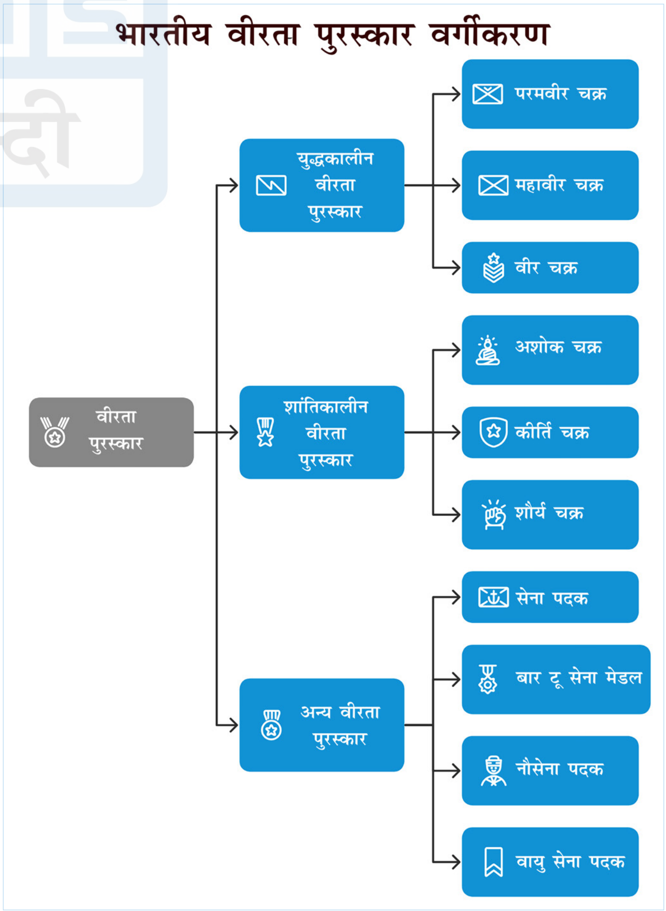

2025 गणतंत्र दिवस की झाँकी की मुख्य विशेषताएँ

- **त्रि-सेवा झाँकी (पहली बार):** पहली बार प्रदर्शित की गई, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना के के मध्य सामंजस्य को प्रदर्शित किया गया।
  - **विषय:** 'सशक्त और सुरक्षित भारत'।
- DRDO **की झाँकी:**
  - **विषय:** 'रक्षा कवच-बहु-क्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध बहु-स्तरीय सुरक्षा'।

झाँकी हेतु चयन प्रक्रिया

- **आवेदन प्रक्रिया:** प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश (UTs) और केंद्रीय मंत्रालय/विभाग रक्षा मंत्रालय (MoD) को अपनी झाँकी के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।
  - कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला एवं नृत्यकला के पेशेवरों से बनी विशेषज्ञों की एक समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है।
- **चयन प्रक्रिया (चरणबद्ध दृष्टिकोण)**
  - **चरण 1:** प्रारंभिक प्रस्ताव और डिजाइन मूल्यांकन
    - समिति प्रत्येक प्रस्ताव के अवधारणा नोट और डिजाइन स्केच/ब्लूप्रिंट की समीक्षा करती है।
    - यह डिजाइन को उत्कृष्ट बनाने या व्यापक विषय के साथ संरेखण हेतु संशोधनों का सुझाव दे सकती है।
  - **चरण 2:** 3D मॉडल मूल्यांकन
    - शॉर्टलिस्ट की गई प्रविष्टियाँ अगले चरण में प्रवेश करती हैं, जहाँ वे अपनी प्रस्तावित झाँकी के 3D मॉडल प्रस्तुत करते हैं।
    - समिति दृश्य अपील, संरचनात्मक व्यवहार्यता और विषयगत प्रतिनिधित्व के लिए इन मॉडलों का मूल्यांकन करती है।
    - समिति के पास झाँकी चयन पर अंतिम अधिकार है (सामान्यत: प्रत्येक वर्ष लगभग 15 झाँकियाँ चुनी जाती हैं)।

झाँकियाँ (16 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

- **आंध्र प्रदेश:** एटिकोप्पका बोम्मलु (पर्यावरण अनुकूल काष्ठ खिलौने)।
- **बिहार:** स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास (नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध विरासत)।
- **चंडीगढ़:** विरासत, नवाचार एवं स्थिरता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण (फिल्म निर्माण पर ध्यान केंद्रित)।
- **दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव:** दमन एवियरी बर्ड पार्क और खुखरी मेमोरियल (भारतीय नौसेना के बहादुर नाविकों को श्रद्धांजलि।
- **दिल्ली:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
- **गोवा:** सांस्कृतिक विरासत (दिविजा महोत्सव और कावी कला)।
- **गुजरात:** स्वर्णिम भारत : विरासत एवं विकास (किरीट तोरण और C-295 परिवहन विमान इकाई)।
- **हरियाणा:** भगवद् गीता और भगवान कृष्ण की शिक्षाएँ।
- **कर्नाटक:** लक्कुंडी: शैल शिल्प का उद्गम स्थल (जैन विरासत, चालुक्य-युग के मंदिर)।
- **मध्य प्रदेश:** कुनो राष्ट्रीय उद्यान - चीतों की भूमि।
- **पंजाब:** ज्ञान एवं बौद्धिकता की भूमि।
- **त्रिपुरा:** शाश्वत श्रद्धा: 14 देवताओं की पूजा - खर्ची पूजा।
- **उत्तर प्रदेश:** महाकुंभ 2025: स्वर्णिम भारत-विरासत एवं विकास (महाकुंभ मेला, त्रिवेणी संगम)।
- **उत्तराखंड:** सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल।
- **पश्चिम बंगाल:** लक्ष्मीर भंडार और लोक प्रसार प्रकल्प (महिला सशक्तीकरण एवं आत्मनिर्भरता)।

विजेता राज्य की झाँकी

- **प्रथम स्थान:** उत्तर प्रदेश (महाकुंभ 2025 - आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत)।
- **दूसरा स्थान:** त्रिपुरा (खर्ची पूजा - 14 देवताओं की पूजा)
- **तीसरा स्थान:** आंध्र प्रदेश (एटिकोप्पाका काष्ठ खिलौने - हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना)।

सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियाँ

- **सेवाएँ:** जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी।
- CAPF **और सहायक बल:** दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ता

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सर्वश्रेष्ठ झाँकी

- **विजेता:** जनजातीय कार्य मंत्रालय (विषय: जनजातीय गौरव वर्ष)।
- भगवान **बिरसा मुंडा** की 150वीं जयंती पर सम्मान प्रदान किया गया।
- इसमें एक भव्य साल वृक्ष को दर्शाया गया, जो आदिवासी शक्ति एवं स्थायित्व का प्रतीक है।
- **विषय:** 'जल, जंगल, जमीन' – आदिवासियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण कार्य पर प्रकाश डाला गया।

बीटिंग रिट्रीट समारोह

- **अवलोकन:**
  - प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को विजय चौक, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है।
  - भारत के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं, जिनका आगमन स्वयं के अंगरक्षकों द्वारा संरक्षित घुड़सवार सेना इकाई के साथ होता है।
- **ऐतिहासिक उत्पत्ति:**
  - इस समारोह का आरंभ 1950 के दशक के प्रारंभ में हुई थी, जिसकी संकल्पना भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने की थी।
  - इसे सामूहिक बैंड की विशेषता वाले एक अद्वितीय सैन्य प्रदर्शन के रूप में विकसित किया गया था।
- **यह परंपरा सदियों पुरानी सैन्य प्रथा पर आधारित है, जहाँ:**
  - सूर्यास्त के समय, सैनिक लड़ाई को बंद कर देते थे, अपने हथियार रख देते थे और युद्ध मैदान से वापस अपने शिविर में आ जाते थे।
  - पीछे हटने की (रिट्रीट) ध्वनि सैनिकों को अपने शिविरों में लौटने का संकेत प्रदान करती थी।

भारत-इंडोनेशिया संबंध

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा भारत-इंडोनेशिया संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।

इंडोनेशिया-भारत द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख परिणाम

- **दक्षिण चीन सागर एवं समुद्री सहयोग**
  - **आचार संहिता** (COC) **समझौताः** दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए 1982 में स्वीकृत UNCLOS के निर्देशानुसार दक्षिण चीन सागर में एक "पूर्ण एवं प्रभावी" आचार संहिता की आवश्यकता पर बल प्रदान किया।
  - **शांतिपूर्ण विवाद समाधानः** चीन के सैन्य दावों के बीच समुद्री वाणिज्य के निर्बाध प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की वकालत की गई।
  - **समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ीकरणः** भारत के IFC-IOR (गुरुग्राम) में एक इंडोनेशियाई संपर्क अधिकारी को तैनात करने और द्विपक्षीय समुद्री एवं साइबर सुरक्षा वार्ता स्थापित करने पर सहमति हुई।
  - **नौसेना सहयोगः** हाइड्रोग्राफी और पनडुब्बी खोज एवं बचाव कार्यों के सहयोग में वृद्धि।
- **रक्षा एवं रणनीतिक साझेदारीः**
  - **रक्षा सहयोग समझौताः** सुरक्षा संबंधों और संयुक्त रक्षा पहलों को गहरा करने के लिए अनुसमर्थित।
  - **ब्रह्मोस मिसाइल निर्यातः** भारत इंडोनेशिया को 3,800 करोड़ रुपये मूल्य की ब्रह्मोस मिसाइलें निर्यात करेगा, जिससे रक्षा सहयोग सुदृढ़ होगा।
  - **नौसेना अवसंरचना विकासः** जहाज निर्माण और विमान वाहक विकास में सहयोग पर चर्चा की गई।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधः**
  - **2025 तक** AITIGA **की समीक्षाः** द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा में तेजी लाने पर सहमति बनी।
  - **स्थानीय मुद्रा व्यापार समझौता ज्ञापनः** स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार संपादित करके वित्तीय एकीकरण में वृद्धि करने हेतु एक समझौता ज्ञापन को लागू करना।
  - **ऊर्जा और खनिज सहयोगः** अक्षय ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (जैसे, इंडोनेशिया के नुनुकन तेल और गैस ब्लॉक में BPCL का 121 मिलियन डॉलर का निवेश) में साझेदारी की संभावना प्रारंभ की गई।
  - **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधनः** इंडोनेशिया ने सतत् ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल में शामिल होने के लिए भारत के निमंत्रण का स्वागत किया।
- **सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सहयोग**
  - **हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनः** स्वास्थ्य सेवा, समुद्री मामले, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से संबंधित समझौते।
  - **अंतरिक्ष सहयोगः** इसरो उपग्रह और प्रक्षेपण यान संचालन के लिए इंडोनेशिया के बियाक टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड (TTC) स्टेशन का समर्थन करेगा।
  - **वैज्ञानिक सहयोगः** भारत के इसरो और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार एजेंसी के मध्य साझेदारी मजबूत हुई।
  - **आतंकवाद विरोधी और सुरक्षा सहयोगः** दोनों देशों ने सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित समूहों के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को बढ़ाने पर भी सहमति जताई।

संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **स्वतंत्रता के पश्चात् का प्रारंभिक काल (1940-1950)**
  - भारत ने डच शासन से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया, प्रधानमंत्री नेहरू ने इसकी स्वतंत्रता की वकालत की।
  - मैत्री संधि (1951) ने व्यापार, संस्कृति और सैन्य मामलों में सहयोग को मजबूत किया।
  - दोनों राष्ट्र उपनिवेशवाद विरोधी और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को साझा करते थे, 1955 के बांडुंग सम्मेलन में भाग लिए और NAM (1961) के सह-संस्थापक थे।
- **संबंधों में गिरावट (1960 का दशक):** भू-राजनीतिक परिवर्तनों के कारण संबंधों में गिरावट आई।
  - **चीन-भारत संघर्ष (1962):** चीन के साथ भारत के संबंध खराब हो गए, जबकि इंडोनेशिया ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे।
  - **भारत-पाकिस्तान युद्ध (1965):** इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए।
- **शीत युद्ध काल (1966-1980)**
  - इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो के कार्यकाल में संबंधों में सुधार हुआ, जिन्होंने चीन से दूरी बना ली।
  - समुद्री सीमा समझौते (1977) ने क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया।
  - इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुहार्तो की भारत यात्रा (1980) ने एक नए कूटनीतिक चरण को प्रारंभ किया।
- **लुक ईस्ट पॉलिसी (1990 का दशक):** भारत की 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी और आर्थिक उदारीकरण ने संबंधों को बढ़ावा दिया। व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई, जिससे आर्थिक, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक साझेदारी हुई।
- **एक्ट ईस्ट नीति और हालिया घटनाक्रम (2000 के दशक से)**
  - भारत की एक्ट ईस्ट नीति (2014) ने इंडोनेशिया को एक प्रमुख क्षेत्रीय साझेदार के रूप में स्थापित किया।
  - **व्यापारः** इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा आसियान व्यापार साझेदार है, जिसका व्यापार 4.3 बिलियन डॉलर (2005-06) से बढ़कर 29.4 बिलियन डॉलर (2023-24) हो गया है।
  - **व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2018):** हिंद-प्रशांत समुद्री सहयोग को मजबूत किया गया।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों का महत्त्व

- **आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:**
  - **द्विपक्षीय व्यापार:** 29.4 बिलियन डॉलर (2023-24) तक पहुँचा, 2025 तक 50 बिलियन डॉलर का लक्ष्य।
  - **निर्यात और आयात:** भारत कोयला, पाम ऑयल एवं रबर का आयात करता है; और परिष्कृत पेट्रोलियम, दूरसंचार उपकरण एवं कृषि उत्पादों का निर्यात करता है।
  - **निवेश:** इंडोनेशिया में भारतीय FDI 1.56 बिलियन डॉलर (खनन, वस्त्र, बुनियादी ढाँचा) है, जबकि भारत में इंडोनेशियाई FDI 653.8 मिलियन डॉलर (विनिर्माण, व्यापार) है।
- **सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग:**
  - **रक्षा एवं सुरक्षा:** समन्वित गश्त, पूर्व गरुड़ शक्ति (सेना), पूर्व समुद्री शक्ति (नौसेना), और द्विपक्षीय समुद्री एवं साइबर सुरक्षा वार्ता जैसे संयुक्त अभ्यास।
  - **रक्षा उद्योग सहयोग:** भारत-इंडोनेशिया रक्षा उद्योग प्रदर्शनी (2024) में प्रौद्योगिकी और विनिर्माण अवसरों का प्रदर्शन किया गया।
- **ऊर्जा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा:**
  - **नवीकरणीय ऊर्जा एवं खनिज:** स्वच्छ ऊर्जा और जैव ईंधन के लिए निकेल एवं बॉक्साइट का संयुक्त अन्वेषण।
  - **स्वास्थ्य सहयोग:** डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण पर समझौता ज्ञापन।
- **तकनीकी सहयोग:**
  - **डिजिटल पहल:** भारत का आधार, UPI और कोविन (CoWIN) इंडोनेशिया के डिजिटल विस्तार के लिए मॉडल के रूप में कार्य करते हैं।
  - **तकनीकी सहयोग:** AI, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग:**
  - **विरासत और कला:** भारत प्रम्बानन मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) के जीर्णोद्धार का समर्थन करता है, और जकार्ता एवं बाली में भारतीय केंद्रों के माध्यम से संस्कृति को प्रोत्साहन देता है।
  - **शिक्षा:** इंडोनेशियाई छात्रों के लिए भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (ICCR) कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रवृत्ति।
  - **धार्मिक सद्भाव:** इंडोनेशिया में विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, जबकि भारत में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है।
  - यह अंतर द्विपक्षीय संबंधों को आकार प्रदान करता है, अंतर-धार्मिक संवाद को प्रभावित करता है, कट्टरपंथ को संबोधित करता है और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:**
  - **आसियान एवं हिंद-प्रशांत:** हिंद-प्रशांत, भारत-इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय एवं हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI)) पर आसियान आउटलुक पर मजबूत सहयोग।
  - **वैश्विक सहभागिता:** ब्रिक्स और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) में सक्रिय सहयोग।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों में चुनौतियाँ

- **व्यापार एवं आर्थिक बाधाएँ:**
  - **कोई व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता** (CECA) **नहीं:** मलेशिया और सिंगापुर के विपरीत, इंडोनेशिया के पास भारत के साथ CECA नहीं है, जिससे व्यापार प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है, विशेषकर पाम ऑयल में।
  - AITIGA **का अल्प उपयोग:** आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) का केवल 25% ही उपयोग किया जाता है, जिससे इसके लाभ सीमित हो जाते हैं।
  - **व्यापार असंतुलन:** भारत 11 बिलियन डॉलर मूल्य का पाम ऑयल (2022) और कोयला आयात करता है, जो इंडोनेशिया के पक्ष में है।
  - **अप्रयुक्त व्यापार क्षमता:** द्विपक्षीय व्यापार 33% बढ़कर 61 बिलियन डॉलर हो सकता है, जो संभावित अवसरों को प्रकट करता है।
- **चीन के साथ निवेश और प्रतिस्पर्धा:**
  - **चीनी निवेश प्रभुत्व:** राष्ट्रपति जोको विडोडो के नेतृत्व में, चीन निवेश में भारत से आगे निकल गया है, और उसने 10 बिलियन डॉलर के व्यापारिक सौदे (2024) पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - **भारत की संरक्षणवादी नीतियाँ:** भारतीय उद्योग, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, इंडोनेशियाई आयात जैसे विस्कोस स्टेपल फाइबर से प्रतिस्पर्धा करने से दूरी बनाते हैं।
- **भू-राजनीतिक और सामरिक बाधाएँ:**
  - **चीन का प्रभाव:** चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में इंडोनेशिया की भागीदारी, जिसमें व्यापक स्तर पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शामिल हैं, भारत के लिए चिंता का विषय है।
  - **रक्षा खरीद मुद्दे:** विनियामक मतभेद संयुक्त रक्षा परियोजनाओं में विलंब करते हैं, जिससे प्रगाढ़ सैन्य सहयोग पर प्रतिबंध लगता है।
- **कनेक्टिविटी और नागरिकों के मध्य बाधाएँ:**
  - **सीमित सीधी उड़ानें:** अपर्याप्त हवाई संपर्क पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में बाधा उत्पन्न करते हैं।
  - **वीजा प्रतिबंध:** कठोर वीजा नीतियाँ छात्रों के आवागमन, व्यावसायिक यात्रा और सांस्कृतिक जुड़ाव को सीमित करती हैं।
  - **कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव:** इस बात की चिंता है कि इंडोनेशिया में कट्टरपंथी तत्व, जैसे कि जेमाह इस्लामिया (JI), जमाह अंशारुत दौला (JAD) और लस्कर जिहाद, भारत में चरमपंथी समूहों के साथ वैचारिक संबंध बना सकते हैं।

आगे की राह

- CEPA **वार्ता में तीव्रता लाना:** व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को तीव्रता से आगे बढ़ाने से व्यापार में वृद्धि होगी और असंतुलन कम होगा।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि संबंधों का विस्तार:** सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और कृषि व्यवसाय में सहयोग से नए आर्थिक अवसर खुलेंगे।
- **संयुक्त रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा:** रक्षा परियोजनाओं, नौसैनिक समन्वय और बुनियादी ढाँचे के विस्तार से हिंद-प्रशांत सुरक्षा बढ़ेगी, और चीन को संतुलित किया जा सकेगा।

नीति आयोग के 10 वर्ष

भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक नीति आयोग, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी, ने एक दशक पूरे कर लिए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

परिचय

- **स्थापना:** नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) 2015 में स्थापित एक सरकारी थिंक टैंक है।
- **उद्देश्य:** इसने पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान ग्रहण किया, जिसका उद्देश्य सतत् विकास, नीति नवाचार और शासन सुधार जैसी समकालीन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना था।

नीति आयोग की भूमिकाएँ:

- **नीति निर्माण:** नीति आयोग भारत के सतत् विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ देश की उभरती जरूरतों के अनुकूल हों। हाल ही में, इसने भारत की व्यापार गतिशीलता का विश्लेषण करने और उत्कृष्ट नीतिगत निर्णय लेने के लिए "ट्रेड वॉच क्वार्टरली" का शुभारंभ किया।
- **समन्वय:** यह केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे नीति का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।
  - उदाहरण के लिए, नवंबर 2024 में, इसने "राज्यों में हरित परिवर्तन" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित किया गया।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** नीति आयोग सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर नजर रखता है, और उन्हें सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ संरेखित करता है। इन वैश्विक मानदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए हाल ही में "SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24" जारी किया गया।
- **डेटा संग्रह और विश्लेषण:** डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में मदद करता है।
  - उदाहरण के लिए, दिसंबर 2024 में "ट्रेड वॉच क्वार्टरली" का शुभारंभ भारत के व्यापार विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे आर्थिक रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद मिलती है।

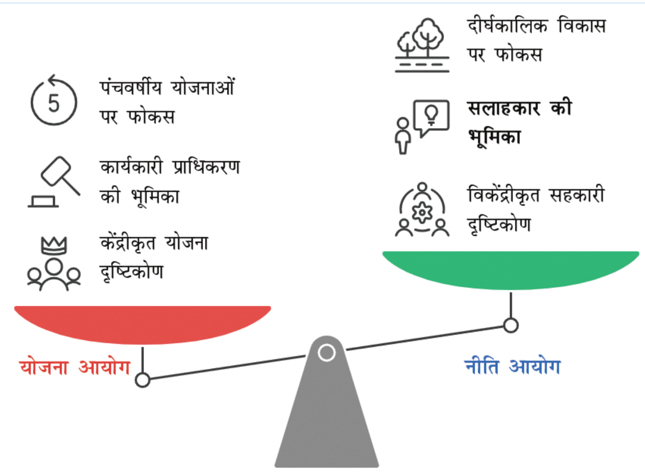

योजना आयोग और नीति आयोग का तुलनात्मक विश्लेषण

सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना के पीछे क्या कारण हैं?

- **आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता:** भारत की विविध चुनौतियों से निपटने में योजना आयोग का केंद्रीकृत मॉडल अप्रचलित हो गया।
- नीति आयोग की स्थापना लोचशील, क्षेत्र-विशिष्ट समाधानों को सक्षम करने के लिए की गई थी, जिसमें राज्य और स्थानीय सरकार की भागीदारी अधिक हो।

नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 स्तंभों पर आधारित है

- **जन-हितैषी:** समाज के साथ-साथ व्यक्ति विशेष की आकांक्षाओं को पूरा करता है
- **सक्रियता:** नागरिकों की आवश्यकताओं की प्रत्याशा और प्रतिक्रिया में
- **भागीदारी:** नागरिकों की भागीदारी
- **सशक्तीकरण:** सभी पहलुओं में महिलाएँ सम्मिलित
- **सभी का समावेश:** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब, गाँव, किसान
- **समानता:** युवाओं के लिए अवसर
- **पारदर्शिता:** सरकार को दृश्यमान और उत्तरदायी बनाना

नीति आयोग के उद्देश्य

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों की सक्रिय भागीदारी
- ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण, उच्च स्तर पर एकत्रीकरण
- आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने के जोखिम वाले वर्गों पर विशेष ध्यान
- राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को शामिल करने वाली आर्थिक नीति
- निरंतर नवीन सुधारों के लिए प्रतिपुष्टि/फीडबैक
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ साझेदारी
- ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण
- अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच
- सुशासन पर शोध के लिए अत्याधुनिक संसाधन केंद्र
- प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना

नीति आयोग की संरचना

- **अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री
- **शासी परिषद:** मुख्यमंत्री (राज्य) और उपराज्यपाल (केंद्र शासित प्रदेश)
- **क्षेत्रीय परिषद:** आवश्यकता के आधार पर गठित, जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं
- **सदस्य:** पूर्णकालिक आधार
- **अंशकालिक सदस्य:** अधिकतम 2, रोटेशनल, प्रासंगिक संस्थानों से
- **पदेन सदस्य:** प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य

- **विशेष आमंत्रित:** निपुण, विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले अभ्यस्त पेशेवर
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी:** निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, सचिव रैंक
- **सचिवालय:** आवश्यकतानुसार
- **सहकारी संघवाद:** योजना आयोग के विपरीत, जिसका दृष्टिकोण टॉप डाउन (अधोमुखी) का था, नीति आयोग यह सुनिश्चित करता है कि राज्य निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाएँ। नीतियाँ अब परामर्श के माध्यम से बनाई जाती हैं, जिससे शासन अधिक समावेशी और प्रभावी हो जाता है।
- **रणनीतिक इनपुट पर ध्यान केंद्रित करना:** सिर्फ एक वित्त प्रदान करने वाली संस्था के बदले थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए, नीति आयोग नीति निर्माण के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के लिए गतिशील प्रतिक्रियाएँ सक्षम बनाता है।
- **हितधारकों की उत्कृष्ट भागीदारी:** यह राज्यों, विशेषज्ञों और निजी अभिकर्त्ताओं के साथ मिलकर अच्छी तरह से सूचित नीतियों के लिए कार्य करता है। जनवरी 2025 में, नीति आयोग ने खुदरा क्षेत्र में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए "द न्यू शॉप" के साथ भागीदारी किया।
- **वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में प्रासंगिकता:** योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तन भारत को आधुनिक वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों के साथ अंतर्संबंधित करता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे राज्यों में नवाचार एवं दक्षता को बढ़ावा मिलता है।

नीति आयोग के लिए चुनौतियाँ

- **वित्तीय प्राधिकरण का अभाव:** नीति आयोग धन आवंटित नहीं कर सकता, जिससे नीति क्रियान्वयन पर उसका प्रभाव सीमित हो जाता है, और वह मंत्रालयों एवं राज्यों पर निर्भर हो जाता है।
- **अंतर-राज्यीय विकास असंतुलन:** राज्यों के मध्य आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ बनी रहती हैं, जो वित्तीय एवं प्रशासनिक बाधाओं के कारण नीति कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं।
- **सीमित विधायी समर्थन:** संवैधानिक या विधिक स्थिति के बिना, नीति आयोग निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के स्थान पर एक थिंक टैंक बना हुआ है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी में चुनौतियाँ:** विनियामक मुद्दे, नौकरशाही, लालफीताशाही और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति राष्ट्रीय पहलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती है।
- **आकांक्षाओं और धरातलीय वास्तविकता के मध्य असंतुलन:** AI और ऊर्जा संक्रमण जैसी उच्च लागत वाली नीतियों को बजट की कमी और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कार्यान्वयन मंद हो जाता है।
- **डेटा अंतराल और वास्तविक समय की निगरानी:** नीति आयोग डेटा विश्लेषण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी सुदृढ़ और वास्तविक समय डेटा संग्रह तंत्र की कमी है। यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की ट्रैकिंग को प्रभावित करता है।

नीति आयोग के 2030 और 2035 के लक्ष्य

- **नीति आयोग के 2030 के लक्ष्य**
  - **ऊर्जा परिवर्तन:** नीति आयोग ने 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल करना है।
  - **सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्धन:** यह स्वास्थ्य निगरानी और महामारी की तैयारी को प्राथमिकता प्रदान करता है, सितंबर 2024 में एक सक्रिय रूपरेखा प्रारंभ की गई।
  - **सतत् विकास लक्ष्य** (SDGs)**:** SDG इंडिया इंडेक्स के माध्यम से गरीबी, शिक्षा और लैंगिक समानता पर राज्य की प्रगति पर नजर रखते हुए नीतियों को SDGs के साथ संरेखित करता है।
- **नीति आयोग के 2035 के लक्ष्य**
  - **दीर्घकालिक आर्थिक विकास:** विजन 2035 नवाचार, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय लक्ष्यों के संतुलन के माध्यम से सतत् विकास पर केंद्रित है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** नीति आयोग भविष्य के लिए सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देता है।
  - **AI एकीकरण:** अक्टूबर 2024 में घोषित तीन AI उत्कृष्टता केंद्र, स्मार्ट समाधानों के साथ स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं शिक्षा में क्रांति लाने का लक्ष्य रखते हैं।

आगे की राह

- **वित्तीय प्राधिकरण को प्रोत्साहन देना:** हालाँकि प्रत्यक्ष निधि आवंटन संभव नहीं हो सकता है, लेकिन नीति आयोग राज्यों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन संरचनाओं को डिजाइन करने में अधिक सक्षम हो सकता है, जिससे उत्कृष्ट नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- **निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करना:** AI-संचालित एनालिटिक्स और डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय डेटा संग्रह में सुधार पारदर्शिता को बढ़ा सकता है और नीति कार्यान्वयन में तीव्रता ला सकता है, विशेष रूप से SDGs ट्रैकिंग हेतु।
- **विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए राज्यों को सशक्त बनाना:** राज्यों को क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसमें नीति आयोग एक सुविधाकर्त्ता के रूप में कार्य कर रहा हो, अधिक प्रभावी शासन सुनिश्चित कर सकता है। राज्य नियोजन बोर्डों के लिए अधिक स्वायत्तता राष्ट्रीय रणनीतियों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन को बढ़ावा दे सकती है।
- **मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय में सुधार:** जलवायु प्रतिरोधकता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए समर्पित टास्क फोर्स की स्थापना से नीति को तीव्रता से अपनाया जा सकता है और नौकरशाही विलंब को रोका जा सकता है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना:** विनियमनों को सुव्यवस्थित करने और क्षेत्र-विशिष्ट निवेश रोडमैप बनाने से स्वच्छ ऊर्जा, AI और शहरी बुनियादी ढाँचे जैसे प्रमुख विकास क्षेत्रों में अधिक निजी पूँजी आकर्षित हो सकती है।

सिंधु जल संधि विवादों के लिए तटस्थ विशेषज्ञ

विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञों ने किशनगंगा और रतले परियोजनाओं पर विवादों पर फैसला सुनाने के अपने अधिकार की पुष्टि की, जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय को बाहर करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सिंधु नदी का परिचय

- सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो तिब्बत से भारत और पाकिस्तान से होकर 3,180 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर में गिरती है।
- सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में इसका ऐतिहासिक महत्त्व है।

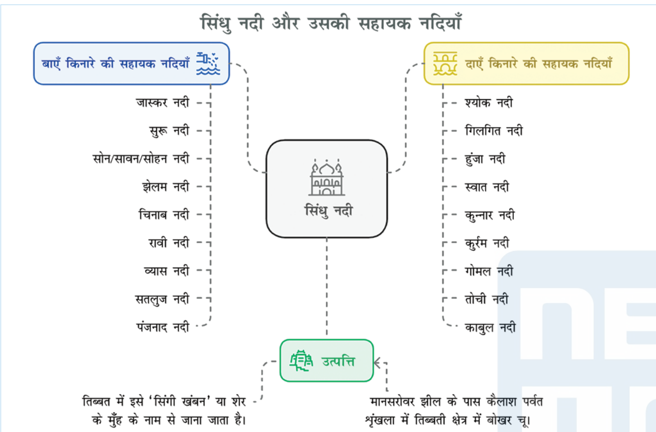

सिंधु जल संधि की पृष्ठभूमि (1960)

- **विभाजन और सीमा मुद्दा:** भारत की स्वतंत्रता के समय (1947), सीमा सिंधु नदी घाटी के पार खींची गई थी, जिससे पाकिस्तान निचले तटवर्ती क्षेत्र के रूप में रह गया।
- **प्रमुख सिंचाई हेडवर्क्स:**
  - माधोपुर (रावी) और फिरोजपुर (सतलज) में महत्त्वपूर्ण हेडवर्क्स संरचना भारतीय क्षेत्र में अवस्थित थे।
  - पंजाब (पाकिस्तान) सिंचाई के लिए इन पर निर्भर था, जिससे जल के उपयोग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया।
- **विवाद और वार्ता:**
  - भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा सिंचाई सुविधाओं को लेकर जल-बँटवारे पर मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं।
  - विश्व बैंक (IBRD) ने दोनों देशों के बीच वार्ता में मध्यस्थता की।
- **सिंधु जल संधि (1960):**
  - 19 सितंबर, 1960 को कराची में हस्ताक्षरित।
  - राष्ट्रपति अयूब खान (पाकिस्तान), प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (भारत) और W.A.B. इल्लिफ (विश्व बैंक) द्वारा हस्ताक्षरित।
  - यह संधि 1 अप्रैल, 1960 से प्रभावी हुई।
  - यह भारत और पाकिस्तान के मध्य जल-बँटवारे का समझौता है, जिस पर 1960 में विश्व बैंक की देखरेख में हस्ताक्षर किए गए थे।
  - यह सिंधु नदी और उसकी पाँच सहायक नदियों- सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी के जल को दोनों देशों के मध्य विभाजित करता है।

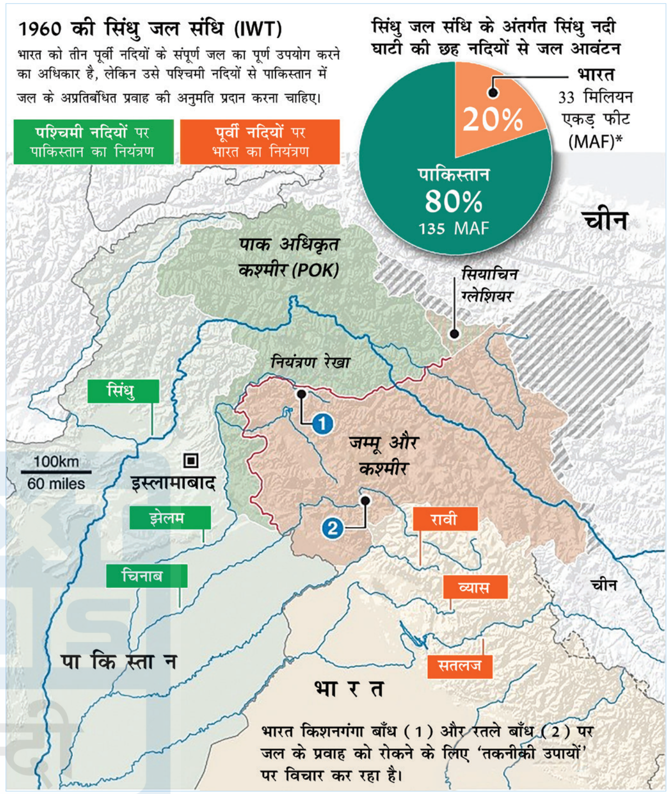

संधि के प्रमुख प्रावधान

- **जल बँटवारे की व्यवस्था:**
  - भारत का तीन पूर्वी नदियों (ब्यास नदी, रावी नदी और सतलुज नदी) पर पूर्ण नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (चिनाब नदी, सिंधु नदी और झेलम नदी) के जल पर अधिकार प्रदान किया गया है।
  - भारत को घरेलू आवश्यकताओं, गैर-उपभोग उद्देश्यों, कृषि गतिविधियों और विशिष्ट परिस्थितियों में जलविद्युत उत्पादन के लिए पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति है।
  - पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली के कुल जल का लगभग 80% आवंटित किया गया है, जबकि भारत को लगभग 20%।
- **स्थायी सिंधु आयोग:** भारत और पाकिस्तान दोनों को सिंधु जल के लिए अपने आयुक्त के रूप में एक उच्च पदस्थ इंजीनियर (जल विज्ञान और जल उपयोग में विशेषज्ञ) की नियुक्ति करनी होती है। प्रत्येक आयुक्त अपनी-अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, और सिंधु जल संधि से संबंधित मामलों का समाधान करता है।
- **आयोग के कार्य:** आयोग की भूमिका नदियों के उचित उपयोग एवं विकास के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य सहयोग सुनिश्चित करना है।

- यह नदी विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करता है और रिपोर्ट प्रदान करता है तथा समस्याओं का समाधान करता है। यह नियमित निरीक्षण करता है (प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार) तथा अनुरोध पर तथ्य-खोज के लिए विशिष्ट कार्यों या स्थलों का निरीक्षण करता है।

- **विवाद समाधान:**
  - यदि संधि की व्याख्या या अनुप्रयोग पर कोई असहमति है, तो आयोग इसे हल करने का प्रयास करता है।
  - यदि आयोग किसी समझौते पर पहुँचने में विफल रहता है, तो विवाद को किसी तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा हल किया जा सकता है या मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
  - दोनों सरकारों को एक रिपोर्ट सौंपी जाती है, जिसमें असहमति को रेखांकित किया जाता है। यदि बातचीत या मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की जा सकती है।

वर्तमान मुद्दे की पृष्ठभूमि:

- **विवाद समाधान प्रक्रिया:**
  - पाकिस्तान ने प्रारंभ में 2015 में किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर चिंताओं को दूर करने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ का अनुरोध किया था, लेकिन बाद में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा निर्णय की माँग की गई।
  - भारत ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि संधि, विवाद समाधान में तटस्थ विशेषज्ञ को पहले कदम के रूप में प्राथमिकता प्रदान करती है।
  - 2022 में, विश्व बैंक ने तटस्थ विशेषज्ञ और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय दोनों कार्यवाही प्रारंभ की।
  - भारत ने मध्यस्थता प्रक्रिया का बहिष्कार किया, लेकिन तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही में भाग लिया, यह कहते हुए कि संधि के अंतर्गत केवल तटस्थ विशेषज्ञ को ही विवाद को हल करने का अधिकार है।

सिंधु जल संधि: अन्तर्द्वन्द्व के बिंदु

- क्या दोनों बाँधों के डिजाइन में प्रदान की गई तालाब की क्षमता IWT द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को पूर्ण करती है।
- क्या मृत भंडारण स्तर से नीचे के आउटलेट IWT के अनुसार हैं।
- क्या डिजाइन में प्रदान की गई टर्बाइनों के लिए इनटेक IWT के अनुसार हैं।
- क्या प्रत्येक संयंत्र के गेटेड स्पिलवे के डिजाइन IWT के अनुसार हैं।

किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजना

- **किशनगंगा जलविद्युत परियोजना:** यह जम्मू और कश्मीर में झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर स्थित है। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए तर्क दिया है कि भारत द्वारा विद्युत् उत्पादन के लिए जल की दिशा परिवर्तित करना संधि का उल्लंघन है।
- **रतले जलविद्युत परियोजना:** जम्मू और कश्मीर में चेनाब नदी पर एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना। पाकिस्तान ने दावा किया कि बाँध का डिजाइन, विशेष रूप से स्पिलवे गेट, भारत को नदी के प्रवाह पर अत्यधिक नियंत्रण प्रदान करता है।

> "रक्त और पानी एक साथ प्रवाहित नहीं हो सकते -प्रधानमंत्री मोदी"

IWT से जुड़ी चुनौतियाँ

- **पुराने प्रावधान:** IWT जलवायु परिवर्तन जैसी आधुनिक चुनौतियों का समाधान नहीं करता है, जिसने जल विज्ञान संबंधी पैटर्न को परिवर्तित कर दिया है, जिससे सिंधु नदी घाटी में जल की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों का तीव्र गति से पिघलना, अनियमित वर्षा और वाष्पीकरण में वृद्धि जल संसाधनों पर और अधिक दबाव डाल रही है, जिससे IWT की ऐतिहासिक जल विज्ञान संबंधी आँकड़ों पर निर्भरता कम हो रही है।
- **लोचशीलता की कमी:** संधि की कठोर जल आवंटन प्रणाली परिवर्तित होती पर्यावरणीय परिस्थितियों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के जवाब में अनुकूल प्रबंधन रणनीतियों की क्षमता को सीमित करती है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** भारत और पाकिस्तान के मध्य राजनीतिक अस्थिरता और शत्रुता, विशेष रूप से उरी हमले एवं पुलवामा हमले जैसी घटनाओं के पश्चात्, द्विपक्षीय संबंधों में अत्यधिक तनाव उत्पन्न हो गया है, जिससे संधि के अंतर्गत जल बँटवारे एवं प्रबंधन पर सहयोग और भी जटिल हो गया है।
- **जलविद्युत और आर्थिक विकास में बाधाएँ:**
  - सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत की जलविद्युत परियोजनाओं और जल उपयोग पर पाकिस्तान की आपत्तियाँ भारत की अपनी पूर्ण जलविद्युत क्षमता का दोहन करने की क्षमता को सीमित करती हैं।
  - ये चुनौतियाँ भारत के कृषि, ऊर्जा एवं औद्योगिक विकास को सीमित करती हैं, जिससे समग्र आर्थिक विकास मंद हो जाता है।

आगे की राह

- **संधि पर पुनः वार्ता:** जलवायु प्रतिरोधकता, टिकाऊ जल प्रबंधन और लोचशील जल आवंटन रणनीतियों के प्रावधानों के साथ इसकी सीमाओं को संबोधित करने के लिए IWT पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
- **संवर्धित संवाद:** भारत और पाकिस्तान को विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए खुले संवाद और विश्वास-निर्माण उपायों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, जिसका प्रारंभ स्थायी सिंधु आयोग के पुनरुद्धार से की जानी चाहिए।
- **तृतीय-पक्ष मध्यस्थता:** विश्व बैंक जैसे तटस्थ तृतीय पक्ष रचनात्मक वार्ता को सुविधाजनक बनाने और द्विपक्षीय तनावों की स्थिति में संधि अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **तकनीकी समाधानों पर ध्यान:** दोनों देशों को जलविद्युत परियोजनाओं पर विवादों को हल करने के लिए विज्ञान-संचालित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए सहयोगात्मक डेटा साझाकरण और संयुक्त अध्ययन पर बल प्रदान किया जाना चाहिए।

भारत का लोकपाल

16 जनवरी, 2025 को भारत के लोकपाल ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 16 जनवरी, 2014 को अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

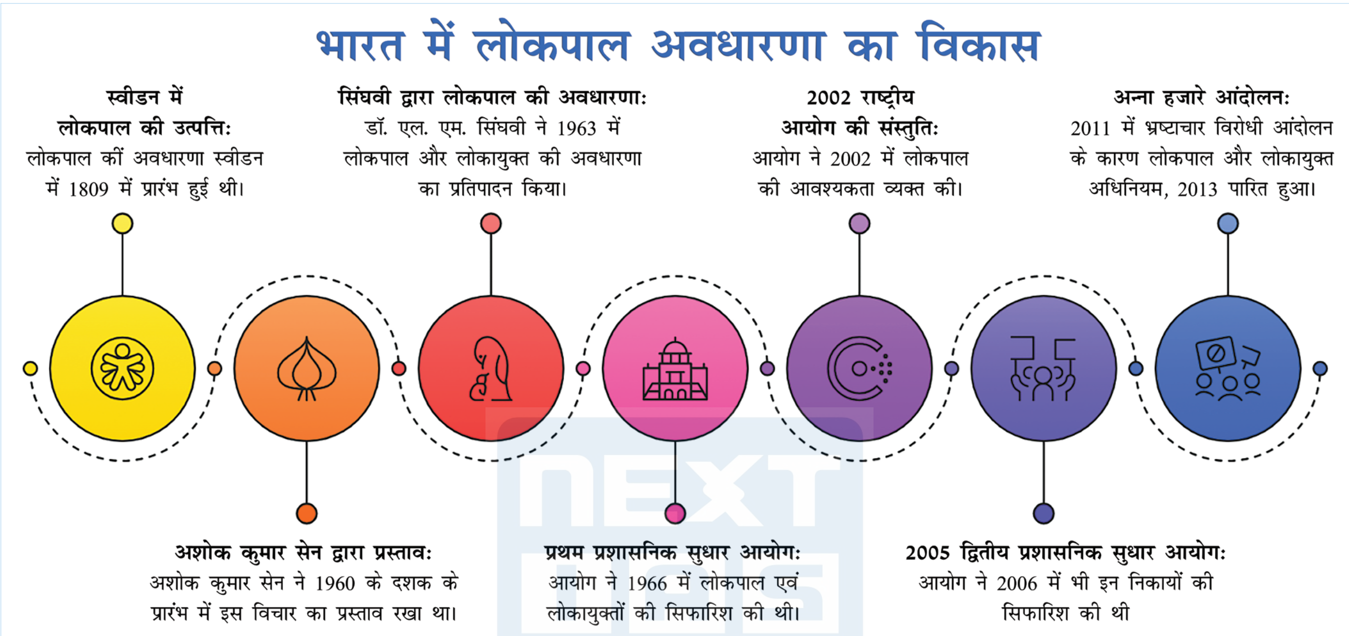

भारत में लोकपाल अवधारणा का विकास

- **स्वीडन में लोकपाल की उत्पत्तिः** लोकपाल की अवधारणा स्वीडन में 1809 में प्रारंभ हुई थी।
- **अशोक कुमार सेन द्वारा प्रस्तावः** अशोक कुमार सेन ने 1960 के दशक के प्रारंभ में इस विचार का प्रस्ताव रखा था।
- **सिंघवी द्वारा लोकपाल की अवधारणाः** डॉ. एल. एम. सिंघवी ने 1963 में लोकपाल एवं लोकायुक्त की अवधारणा का प्रतिपादन किया।
- **प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोगः** आयोग ने 1966 में लोकपाल एवं लोकायुक्तों की सिफारिश की थी।
- **2002 राष्ट्रीय आयोग की संस्तुतिः** आयोग ने 2002 में लोकपाल की आवश्यकता बताई।
- **2005 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोगः** आयोग ने 2006 में भी इन निकायों की सिफारिश की थी।
- **अन्ना हजारे आंदोलनः** 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित हुआ।

लोकपाल का परिचय

- **वैधानिक निकायः** लोकपाल एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई।
- **अधिदेशः** यह विशिष्ट सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जाँच करता है।
- **संघटनः**
  - **अध्यक्षः** भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या निष्ठा और विशेषज्ञता वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति।
  - **सदस्यः** अधिकतम 8 सदस्य, जिनमें से कम से कम 50% न्यायिक सदस्य होंगे, और 50% अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों (SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक एवं महिलाएँ) से होंगे।
- **नियुक्ति एवं कार्यकालः**
  - भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति (अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या प्रख्यात विधिवेत्ता) की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किया जाता है।
  - **अवधिः** 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

लोकपाल की शक्तियाँ और कार्य

- **संपत्तियों को जब्त करता हैः** भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करता है।
- **सिविल न्यायालय की शक्तियाँ रखता हैः** गवाहों और दस्तावेजों को बुलाने जैसी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ रखता है।
- **तलाशी और जब्ती को अधिकृत करता हैः** तलाशी और जब्ती कार्रवाई को अधिकृत करता है।
- **भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करता हैः** प्रधानमंत्री (राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि से संबंधित सुरक्षा उपायों के साथ), केंद्रीय मंत्री, सांसद और ग्रुप A, B, C, D के सभी सार्वजनिक अधिकारी।

- **CBI की निगरानी करता है:** भ्रष्टाचार के मामलों में CBI को निर्देश प्रदान करता है।
- **अधिकारियों के स्थानांतरण को मंजूरी प्रदान करता है:** CBI अधिकारियों के स्थानांतरण को मंजूरी प्रदान करता है।

लोकपाल के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **नियुक्तियों और स्टाफिंग में विलंब:** पहले लोकपाल, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को अधिनियम पारित होने के छह वर्ष पश्चात् मार्च 2019 में नियुक्त किया गया था।
  - वर्तमान लोकपाल, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.एम. खानविलकर को मार्च 2024 में नियुक्त किया गया था। लोकपाल को स्टाफिंग और जाँच निदेशक एवं अभियोजन निदेशक जैसे प्रमुख पदों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ा है।
- **जाँच और अभियोजन:** विगत् पाँच वर्षों में लगभग 90% शिकायतें गलत प्रारूप या अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण खारिज कर दी गईं।
- **एजेंसियों के साथ समन्वय:** लोकपाल जाँच के लिए विभिन्न जाँच एजेंसियों पर निर्भर करता है। निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करना और नौकरशाही बाधाओं से बचना महत्त्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं।
- **स्वतंत्रता का अभाव:** लोकपाल की नियुक्तियों और संचालन पर सरकार के प्रभाव की आलोचना की गई है, क्योंकि इससे उसकी स्वतंत्रता पर समझौता होता है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है।
- **गुमनाम शिकायतें:** अधिनियम गुमनाम शिकायतों की अनुमति नहीं प्रदान करता है, जिससे संभावित मुखबिरों को रोका जा सकता है।
- **समय सीमा:** शिकायत दर्ज करने की सात वर्ष की सीमा कुछ मामलों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे सकती है।
- **सीमित जाँच शक्तियाँ:** लोकपाल स्वतंत्र रूप से लोक सेवकों के विरुद्ध जाँच प्रारंभ नहीं कर सकता।
- **शिकायत के स्वरूप पर शिकायत की विषय-वस्तु से अधिक बल प्रदान किया जाता है:** शिकायत के स्वरूप पर शिकायत के विषय-वस्तु से अधिक बल प्रदान किया जाता है।

आगे की राह

- **समय पर नियुक्तियाँ:** विलंब से बचने और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए जाँच और अभियोजन निदेशक जैसे प्रमुख पदों पर शीघ्र नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना।
- **शिकायतों को सरल बनाना:** प्रक्रियागत त्रुटियों को कम करके और प्रस्तुतियाँ संभालने के लिए एक स्वचालित प्रणाली बनाकर शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाना।
- **बेहतर समन्वय:** जाँच में विलंब से बचने के लिए लोकपाल और जाँच एजेंसियों के मध्य सहयोग को मजबूत करना।
- **अधिक स्वतंत्रता:** लोकपाल नियुक्तियों में सरकारी प्रभाव को न्यूनतम करना, और उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- **गुमनाम शिकायतों की अनुमति प्रदान करना:** मुखबिरों की सुरक्षा के लिए गुमनाम शिकायतों की अनुमति प्रदान करना, और भ्रष्टाचार पर अधिक रिपोर्ट को प्रोत्साहित करना।
- **शिकायत दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाना:** पुराने मामलों की गहन जाँच के लिए शिकायत दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाना।
- **जाँच को सशक्त बनाना:** लोकपाल को स्वतंत्र रूप से जाँच प्रारंभ करने की शक्ति प्रदान करना, जिससे वह अधिक सक्रिय बन सके।

लोकपाल की शक्तियाँ और कार्य

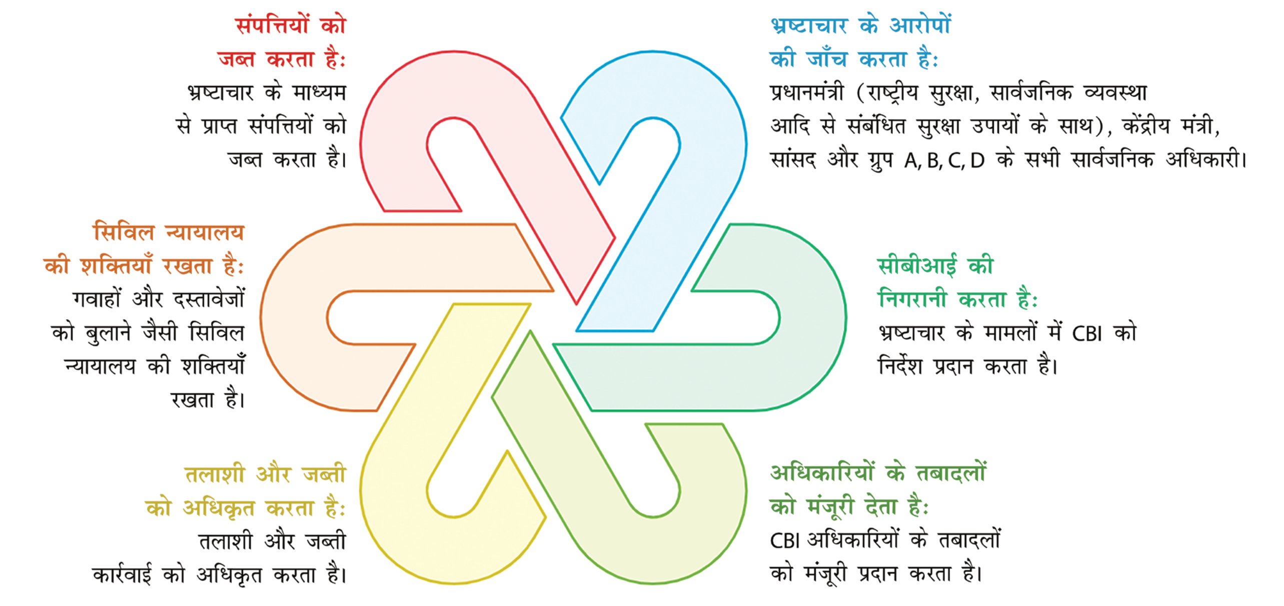

लोकायुक्त का परिचय

- **ऐतिहासिक विकास:**
  - लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 में की गई थी।
  - 2013 तक 21 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली) में लोकायुक्त संस्थाएँ स्थापित हो चुकी थीं।
- **लोकायुक्त संरचना:**
  - लोकायुक्त की संरचना राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है।
  - राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त दोनों हैं।
  - बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में केवल लोकायुक्त हैं।
  - **नियुक्ति प्रक्रिया:** राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से परामर्श के पश्चात् लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं।
- **योग्यताएँ:**
  - उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में न्यायिक योग्यता की आवश्यकता होती है।
  - बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में न्यायिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
- **अधिकार क्षेत्र में भिन्नताएँ:**
  - हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में हैं।
  - महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा गया है।
  - लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र लगभग सभी राज्यों में मंत्रियों और उच्चतर सिविल सेवकों पर है।
  - महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री और सिविल सेवक लोकायुक्त के अधीन आते हैं।
  - आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों के राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल हैं।
  - अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में स्थानीय निकाय, निगम, कंपनियाँ और सोसायटियाँ शामिल होती हैं।
- **भूमिकाएँ और कार्य:**
  - लोकायुक्त अपने कार्य निष्पादन के संबंध में राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  - यह जाँच करने के लिए राज्य जाँच एजेंसियों के साथ कार्य करता है।
  - लोकायुक्त राज्य सरकार के विभागों से प्रासंगिक फाइलें और दस्तावेज माँग सकते हैं।
  - लोकायुक्त की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, तथा राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।

भारत में भ्रष्टाचार विरोधी प्रमुख कानून

- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित):** यह अधिनियम सार्वजनिक अधिकारियों और निगमों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को अपराध बनाता है।
- **कठोर दंड और समयबद्ध सुनवाई को प्रारंभ किया गया।**
  - **व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014:** ये अधिनियम व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा करता है और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। व्हिसलब्लोअर्स को धमकाने या उन्हें पीड़ित करने पर दंड का प्रावधान करता है।
  - **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** नागरिकों को सरकारी सूचना तक पहुँच बनाने का अधिकार देता है। सार्वजनिक कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
  - **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002:** धन शोधन को रोकता है, और अपराध की आय को जब्त करता है।
- **धन शोधन विरोधी प्रयासों में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना।**
  - **बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित):** संपत्ति के स्वामित्व को छिपाने के लिए बेनामी लेनदेन को अपराध घोषित करता है। बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - **काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम, 2015:** अघोषित विदेशी आय और संपत्ति को लक्षित करता है। अपराधियों के लिए भारी जुर्माना एवं अभियोजन का प्रावधान करता है।
  - **भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018:** देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों को संबोधित करता है। 100 करोड़ रुपये से अधिक के अपराधों के लिए संपत्ति जब्त करने की अनुमति प्रदान करता है।

भारतीय प्रवासी समुदाय

पीएम मोदी ने ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया।
18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में 70 देशों से 3,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

परिचय

- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन (PBD) भारत सरकार का एक प्रमुख आयोजन है, जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने और अंतर्संबद्ध करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, तथा उन्हें एक-दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने में भी सक्षम बनाता है।
- **18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम:** "विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान"।

प्रवासी भारतीय दिवस:

- यह दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 9 जनवरी, 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व की शुरुआत की थी।
- **उद्देश्य:** प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य लक्ष्य भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय की सहभागिता को सुदृढ़ करना, और उन्हें उनकी जड़ों से फिर से संलग्न करना है।
- **पहल:**
  - **PBD सम्मेलन:** पहला PBD सम्मेलन 9 जनवरी, 2003 को आयोजित किया गया था।
  - **प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार:** प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान, चयनित प्रवासी भारतीयों को भारत और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

प्रवासी भारतीयों का महत्त्व

- **आर्थिक योगदान:** विदेशों में रहने वाले भारतीय अत्यधिक मात्रा में धन भेजते हैं, जिससे परिवारों को मदद मिलती है, और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। भारत को 2024 में 129 बिलियन डॉलर का धन प्राप्त हुआ, जो विश्व स्तर पर सर्वाधिक है।
  - प्रवासी भारतीय सदस्य रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में निवेश करते हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान प्राप्त होता है। गुजरात में गिफ्ट सिटी जैसी पहल दर्शाती है कि प्रवासी भारतीय किस प्रकार से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर:** न्यूयॉर्क में दिवाली और लंदन में नॉटिंग हिल कार्निवल जैसे भारतीय त्योहार भारत की संस्कृति को प्रोत्साहन देते हैं। ये आयोजन भारत की वैश्विक छवि को बढ़ाते हैं और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं।
  - भारतीय फिल्में, संगीत एवं साहित्य भारत के प्रति दृष्टिकोण निर्माण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगान, स्लमडॉग मिलियनेयर, नाटू नाटू सॉन्ग जैसी बॉलीवुड फिल्मों और संगीत ने भारतीय संस्कृति का प्रसार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की।
- **राजनीतिक प्रभाव और समर्थन:** भारतीय मूल के नेता संपूर्ण विश्व में शीर्ष पदों पर हैं, जैसे ऋषि सुनक, टैन फ्रांस, विवेक रामास्वामी, कृष पटेल, विक्रम पटेल, निक्की हेली, प्रीति पटेल और कमला हैरिस। ये वैश्विक नीतियों को प्रभावित करते हैं और भारत के हितों का समर्थन करते हैं।
  - भारतीय अमेरिकी प्रभाव परियोजना और ब्रिटिश भारतीय प्रवासी परिषद जैसे प्रवासी संगठन सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों तथा विदेशों में भारतीय उद्देश्यों की वकालत करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक योगदान:** भारतीय मूल के उद्यमी एडोब, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी वैश्विक तकनीकी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, जो नवाचार में भारत की भूमिका को प्रकट करते हैं। सिलिकॉन वैली में AI, IT और बायोटेक में भारतीयों की मजबूत उपस्थिति है।
  - भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। विदेशों में भारतीय विद्वान वैश्विक शिक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।
- **संकट प्रबंधन और परोपकार:** कोविड-19 जैसे संकट के दौरान, प्रवासी समुदायों ने धन जुटाया और भारत को चिकित्सा सहायता भेजी। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया ने उनकी मातृभूमि के साथ उनके प्रगाढ़ संबंध को दर्शाया।
  - ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन (GOPIO) और एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमेरिका (AIA) जैसे संगठन सुभेद्य समुदायों की सहायता के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत सहित कल्याणकारी कार्यक्रम चलाते हैं।

भारतीय प्रवासी

- प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) से तात्पर्य लोगों के एक समूह के अपने मूल देश से विश्व के अन्य हिस्सों में फैलाव या प्रसार से है। यह प्रायः नृजातीय, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय समूहों पर लागू होता है, जो कहीं और रहने के बावजूद अपनी पैतृक भूमि से संबंध बनाए रखते हैं।
- मई 2024 तक, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लगभग 35.42 मिलियन लोग थे, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गया। इसमें लगभग 15.85 मिलियन अनिवासी भारतीय (NRI) और 19.57 मिलियन भारतीय मूल के लोग (PIO) शामिल हैं।

प्रवासी भारतीयों के समक्ष चुनौतियाँ:

- **क्षेत्रीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता:** पश्चिम एशिया जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में भारतीयों को सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ता है। यमन और इजरायल-फिलिस्तीन में युद्धों के कारण भारतीय श्रमिकों को वहाँ से निकाला गया है।
- **नौकरी की असुरक्षा और श्रम शोषण:** सऊदी अरब में सऊदीकरण जैसी नीतियों के कारण भारतीय श्रमिकों की नौकरी जा सकती है। प्रवासी मजदूरों को प्रायः कम वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियों और शोषण का सामना करना पड़ता है।
- **भेदभाव और नस्लवाद:** विदेशों में विभिन्न भारतीय नृजातीय पूर्वाग्रह, नस्लीय हमले और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। पश्चिमी देशों में, कार्यस्थल पर भेदभाव करियर के विकास में बाधा उत्पन्न करता है।
- **सुरक्षा जोखिम और उग्रवाद:** कुछ आतंकवादी समूह विदेशों में भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक विरोध जैसे अलगाववादी आंदोलन भारत के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।
- **कानूनी और आव्रजन बाधा:** भारतीयों को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में वीजा प्रतिबंधों, निवास चुनौतियों और अनिश्चित आव्रजन नीतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्थिरता एवं संभावनाएँ प्रभावित होती हैं।
- **सामाजिक और आर्थिक एकीकरण:** भारतीय पेशेवरों को विदेशों में योग्यता की मान्यता और करियर की प्रगति के साथ संघर्ष करना पड़ता है। भाषा संबंधी बाधाएँ और सांस्कृतिक अंतर विदेशी समाजों में एकीकरण को मंद कर देते हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा और कल्याण तक सीमित पहुँच:** अनेक भारतीय प्रवासियों को अपने मेजबान देशों में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और सरकारी सहायता की कमी है, जिससे उनके कल्याण पर प्रभाव पड़ रहा है।

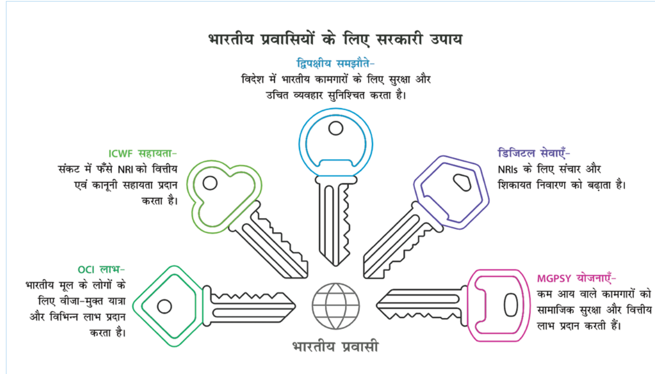

प्रवासी भारतीयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण

- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ढाँचा:** भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संधि (ICCPR) और नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICERD) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का समर्थन करता है, जिससे प्रवासी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है।
- **अल्पसंख्यक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा:** यह घोषणा प्रवासी समुदायों को उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी पहचान को संरक्षित करने में मदद करती है, जिससे विदेशी देशों में समान अधिकार सुनिश्चित होते हैं।

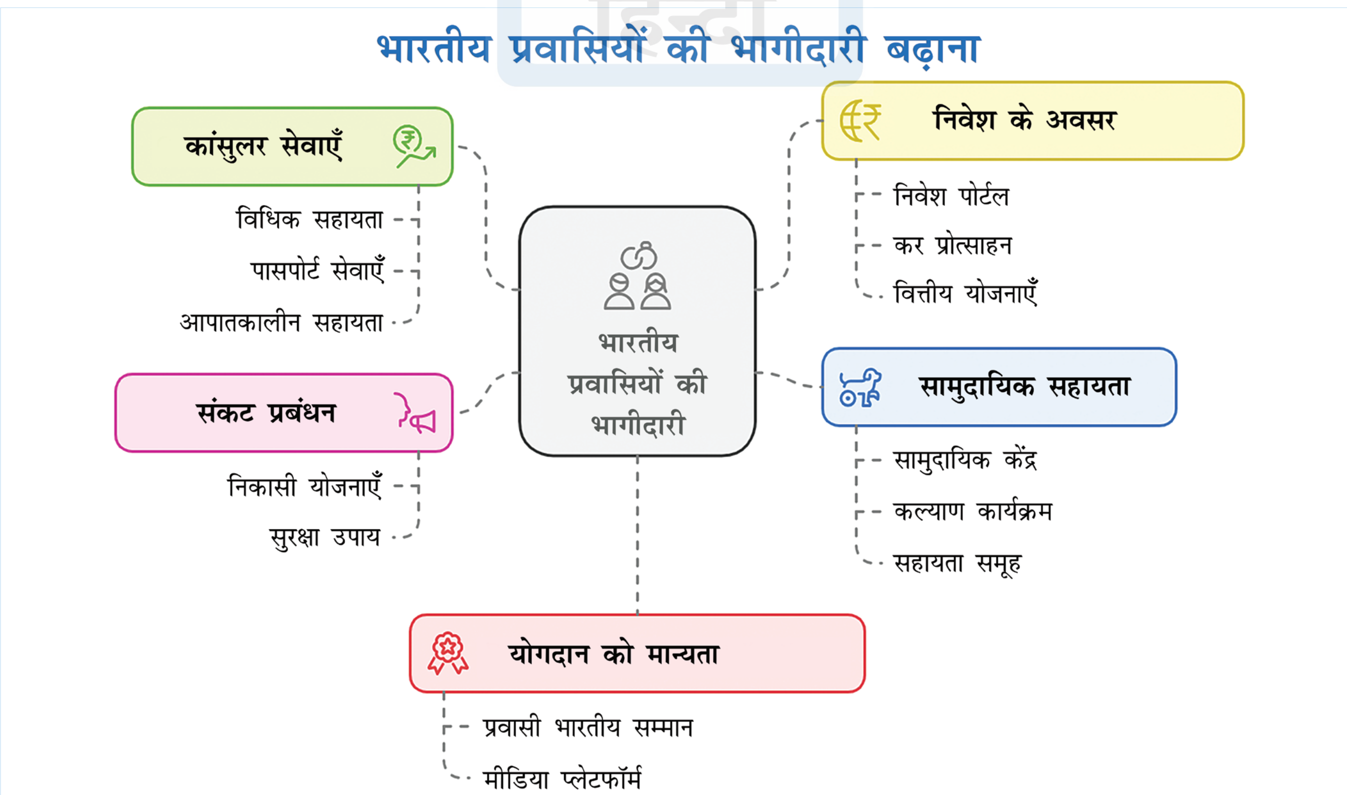

वन पारिस्थितिकी तंत्र का हरित GDP से संबद्धन

हाल ही में, छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने एक अभूतपूर्व पहल प्रारंभ की है जो वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद (हरित GDP) से संबद्ध करती है।

परिचय

- **पारंपरिक GDP**
  - **परिभाषा:** यह किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के वार्षिक मूल्य का माप है, जिसका व्यापक रूप से 1944 से उपयोग किया जाता रहा है।
  - **सीमा:** GDP के संदर्भ में अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने स्वीकार किया कि GDP किसी देश के वास्तविक कल्याण को नहीं दर्शाता है, क्योंकि यह पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे कारकों की अनदेखी करता है।
- **हरित GDP**
  - **परिभाषा:** हरित GDP पारंपरिक GDP का एक संशोधित संस्करण है, जो पर्यावरणीय लागतों को आर्थिक उत्पादन में शामिल करता है, जिसमें संसाधनों की कमी, प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट जैसे कारकों को शामिल किया जाता है।
  - **उद्देश्य:** यह आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को एकीकृत करके किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन की अधिक सटीक स्थिति प्रस्तुत करता है।
- **हरित सकल घरेलू उत्पाद की आवश्यकता**
  - **पारंपरिक GDP की सीमाएँ:** पारंपरिक GDP केवल आर्थिक उत्पादन पर केंद्रित है, स्थिरता, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक कल्याण को नजरअंदाज करती है।
    - यह पर्यावरण पर आर्थिक गतिविधियों के दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता है।
  - **हरित GDP के लाभ:** हरित GDP यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक विकास स्थिरता के साथ संरेखित हो, क्योंकि यह पर्यावरणीय और संसाधन लागतों को दर्शाता है, जिन्हें पारंपरिक GDP में अनदेखा कर दिया जाता है।
- **उत्तराखंड का GEP सूचकांक**
  - 2024 में, उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) सूचकांक प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बन गया, जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने की एक प्रणाली है।
  - GEP सूचकांक पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से परे पर्यावरण में योगदान का मापन करता है।
    - इसमें वृक्ष प्रजातियों का मूल्य, जीवित रहने की दर और संरक्षण प्रयास जैसे कारक शामिल हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

हरित GDP और सतत् विकास

- **टिकाऊ संसाधन उपयोग:**
  - पर्यावरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए, हरित GDP जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, SDG 12 (जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन) को बढ़ावा देता है।
  - यह आर्थिक उत्पादन को अधिकतम करने से ध्यान हटाकर दीर्घकालिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित करता है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन:**
  - हरित GDP जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने का समर्थन करता है, और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
  - यह SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) में योगदान देता है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास का समर्थन करता है।
- **जैव विविधता संरक्षण:**
  - हरित GDP पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों की सुरक्षा करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, जो SDG 15 (भूमि पर जीवन) और SDG 14 (जल के नीचे जीवन) के साथ संरेखित है।
  - यह नीति निर्माताओं को ऐसे नियम विकसित करने में मदद करता है, जो सुनिश्चित करते हैं कि आर्थिक विकास पारिस्थितिक स्थिरता के साथ संतुलित हो।
- **हरित निवेश को प्रोत्साहित करना:**
  - हरित GDP टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करती है, हरित नौकरियों और उद्योगों को बढ़ावा देती है।
  - यह SDG 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) का समर्थन करता है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता है।

हरित GDP फ्रेमवर्क में चुनौतियाँ

- **वन आवरण परिभाषा:**
  - वन आवरण को 'एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली समस्त भूमि' के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें स्वामित्व और कानूनी स्थिति के बावजूद वृक्षों का घनत्व 10% से अधिक हो।
  - ऐसी भूमि आवश्यक नहीं कि वन क्षेत्र ही हो। इसमें बाग, बांस और ताड़ के पेड़ भी शामिल हैं।
- **पद्धतिगत अंतर:**
  - हरित GDP की गणना के लिए कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विधि नहीं है, जिससे विभिन्न देशों के मध्य तुलना करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
  - पर्यावरणीय लागतों और सेवाओं का मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है, और स्थानीय परिस्थितियों, प्राथमिकताओं और उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है।
  - पर्यावरणीय लागतों और सेवाओं का मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है, और स्थानीय परिस्थितियों, प्राथमिकताओं और उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है।

- **स्थानीय निकाय एकीकरण:**
  - **जागरूकता और साक्षरता का अभाव:** विभिन्न धरातल स्तर के नेता हरित GDP और सतत् विकास की अवधारणाओं से परिचित नहीं हैं, जिससे उनके लिए संबंधित पहलों में प्रभावी रूप से सम्मिलित होना मुश्किल हो जाता है।
  - **सीमित तकनीकी विशेषज्ञता:** सटीक पारिस्थितिक और आर्थिक डेटा संग्रह के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जिसका स्थानीय निकायों में प्राय: अभाव होता है।
  - **संसाधन संबंधी बाधाएँ:** पंचायतें प्राय: सीमित वित्तीय और मानव संसाधनों के साथ कार्य करती हैं, जिससे व्यापक पर्यावरण निगरानी प्रणाली लागू करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।
  - **डेटा संग्रह की चुनौतियाँ:** स्थानीय स्तर पर पर्यावरण डेटा संग्रह के लिए मानकीकृत पद्धतियों और उपकरणों की अनुपस्थिति से डेटा में असंगतता और अंतराल उत्पन्न होता है, जिससे हरित GDP गणना की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
  - **लाभों पर स्पष्टता का अभाव:** हरित GDP लेखांकन के वित्तीय लाभ अस्पष्ट बने हुए हैं, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि वे स्थानीय समुदायों जैसे जनजातियों और वनवासियों तक कैसे पहुँचेंगे।
    - इन समुदायों ने पारंपरिक रूप से वन संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि वे हरित GDP पहलों से सीधे लाभान्वित हों।

आगे की राह

- **एक मानकीकृत ढाँचा और कार्यप्रणाली की स्थापना**
  - पर्यावरणीय लागतों और लाभों को मापने और मूल्यांकन करने के लिए एक एकीकृत ढाँचा विकसित करना और अपनाना।
  - सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक और आर्थिक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित करना।
  - पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले हरित GDP गणनाओं का परीक्षण, परिशोधन और सुधार करने के लिए पायलट परियोजनाएँ और केस अध्ययन आयोजित करना।
- **डेटा संग्रह और गुणवत्ता बढ़ाना**
  - उत्सर्जन, संसाधन उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे पर्यावरण संकेतकों की उपलब्धता, सटीकता और स्थिरता में सुधार करना।
  - वैश्विक बेंचमार्किंग को सुगम बनाने के लिए विभिन्न देशों के आँकड़ों में सामंजस्य और तुलना सुनिश्चित करना।
- **जागरूकता बढ़ाना और वकालत करना**
  - नीति निर्माताओं, व्यवसायों और जनता के बीच हरित GDP के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना।
  - पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में इसके लाभों पर प्रकाश डालना, सामाजिक कल्याण और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक प्रदर्शन को मापने में इसकी भूमिका पर बल देना।
  - हितधारकों को हरित GDP सिद्धांतों को अपनाने के लिए आवश्यक ज्ञान से निपुण करने हेतु शैक्षिक अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- **हितधारक सहयोग को प्रोत्साहित करना**
  - हरित GDP नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाना।
  - हरित GDP पहलों को वित्तपोषित करने और समर्थन देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को मजबूत करना।
- **व्यापार-नापसंद और नीतिगत संघर्षों का प्रबंधन**
  - आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संभावित संघर्षों को संबोधित करने के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करना जो दोनों उद्देश्यों को संतुलित करें।
  - विभिन्न समूहों, क्षेत्रों और आर्थिक क्षेत्रों पर हरित GDP नीतियों के प्रभाव पर विचार करके समानता एवं न्याय सुनिश्चित करना।
  - हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे उद्योगों और समुदायों को समर्थन देने के लिए मुआवजा तंत्र एवं प्रोत्साहन विकसित करना।

हरित GDP की वैश्विक प्रथाएँ

- **संयुक्त राष्ट्र:** संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संबंधों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय डेटा को एकीकृत करती है।
  - यह पर्यावरणीय परिसंपत्तियों और मानवता के लिए उनके लाभों पर केंद्रित है।
- **यूरोपीय संघ:** यूरोपीय संघ की GDP से परे पहल आर्थिक आकलन में स्थिरता मेट्रिक्स को शामिल करती है, पृथ्वी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है और आर्थिक कारकों के साथ-साथ पर्यावरणीय चिंताओं पर बल देती है।
- **विश्व बैंक:** विश्व बैंक के नेतृत्व में वेल्थ अकाउंटिंग और इकोसिस्टम सेवाओं का मूल्यांकन (WAVES) कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास योजना में प्राकृतिक संसाधन लेखांकन को एकीकृत करके सतत् विकास को प्रोत्साहन देता है।
- **भूटान:** भूटान का सकल राष्ट्रीय खुशी ढाँचा अपनी विकास नीतियों के मूल सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिक स्थिरता पर बल प्रदान करता है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को राष्ट्रीय कल्याण के उपायों में एकीकृत करता है।
- **अन्य देश:** चीन, नॉर्वे और अमेरिका जैसे देशों ने राष्ट्रीय लेखा प्रणालियों में पर्यावरणीय लागतों को शामिल करने की संभावना तलाशी है, तथा आर्थिक कारकों के साथ-साथ पारिस्थितिक प्रभाव को भी ध्यान में रखने के लिए कदम उठाए हैं।

भारतीय रुपये का मूल्यह्रास

हाल ही में, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86 रुपये के स्तर को पार करते हुए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया, जिससे मुद्रा के मूल्यह्रास को लेकर चिंताएँ बढ़ गई।

परिचय

- **परिभाषा:** मुद्रा के मूल्यह्रास से तात्पर्य एक देश की मुद्रा के मूल्य में दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष गिरावट से है।
- **भारतीय रुपये का मूल्यह्रास:** भारतीय रुपये में समय-समय पर प्रमुख मुद्राओं, विशेषकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मूल्यह्रास होता रहा है। विगत् 10 महीनों में रुपये में 3.6% की गिरावट आई है।
- **INR के प्रमुख कारक:**
  - **कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें:** वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊँची कीमतों ने भारत के आयात बिलों में वृद्धि की है, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ रहा है।
  - **विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) बहिर्वाह:**
    - अक्टूबर 2024 से FII भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली कर रहे हैं।
    - वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 11 बिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री ने रुपये को और कमजोर कर दिया है।
    - वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण FPIs ने भी भारत से अपना निवेश निकाल लिया है, जिससे विदेशी मुद्रा प्रवाह में कमी आई है।
  - **बढ़ता व्यापार घाटा:**
    - चालू वित्त वर्ष में व्यापार घाटा 188 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।
    - वित्त वर्ष 2024 में इसमें 18% की वृद्धि होने की अपेक्षा है, जिससे रुपया और कमजोर होगा।
  - **अमेरिकी डॉलर की माँग में वृद्धि:** विदेशी बैंकों ने अमेरिकी डॉलर की माँग बढ़ा दी है, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ गया है।
  - **कमजोर घरेलू बाजार:** घरेलू इक्विटी और बॉन्ड बाजारों में गिरावट ने निवेशकों का विश्वास कम कर दिया है, जिससे रुपया विदेशी निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो गया है।

रुपये के मूल्यह्रास का प्रभाव

- **मुद्रास्फीति संबंधी दबाव** - कमजोर रुपया आयात की लागत में वृद्धि करता है, जिससे ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं।
- **उच्च आयात बिल** - भारत कच्चे तेल, सोने और मशीनरी के लिए आयात पर निर्भर है। रुपये में गिरावट से लागत बढ़ती है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता** - कमजोर रुपया विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यात को सस्ता बनाता है, जिससे कपड़ा, IT सेवाएँ और फार्मास्युटिकल्स जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलता है।
- **विदेशी ऋण का बढ़ता बोझ** - विदेशी मुद्राओं में उधार लेना महँगा हो जाता है, जिससे कंपनियों और सरकार के लिए पुनर्भुगतान देयताएँ बढ़ जाती हैं।
- **शेयर बाजार में अस्थिरता** - रुपये के मूल्य में गिरावट से विदेशी निवेशकों का पलायन बढ़ सकता है, जिससे शेयर बाजार में अस्थिरता आ सकती है, और निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है।
- **उच्च शिक्षा और यात्रा लागत** - विदेश में शिक्षा, पर्यटन और चिकित्सा व्यय भारतीय छात्रों एवं यात्रियों के लिए अधिक महँगे हो जाते हैं।
- **विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव** - मुद्रा को स्थिर करने के लिए, RBI विदेशी मुद्रा बेचकर हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है।

मुद्रा के मूल्यह्रास से निपटने के उपाय:

- **विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप**
  - **अमेरिकी डॉलर का क्रय या विक्रय** - जब रुपये के मूल्य में कमी होती है तो RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर का विक्रय कर हस्तक्षेप करता है और जब रुपये के मूल्य में वृद्धि होता है तो डॉलर का क्रय करता है।
  - **उदाहरण:** यदि रुपया तेजी से कमजोर होता है, तो RBI आपूर्ति बढ़ाने के लिए डॉलर का विक्रय करता है, जिससे विनिमय दर स्थिर हो जाती है।
- **मौद्रिक नीति उपकरण**
  - **रेपो दर समायोजन** - ब्याज दरें बढ़ाने से भारतीय परिसंपत्तियाँ विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाती हैं, जिससे विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ता है और रुपया मजबूत होता है।
  - रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में RBI) धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
- **खुले बाजार परिचालन** (OMO)**:** सरकारी बॉन्ड का क्रय/विक्रय – RBI बॉन्ड खरीदकर (तरलता की आपूर्ति करके) या बॉन्ड बेचकर (तरलता अवशोषित करके) तरलता को नियंत्रित करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से रुपये के मूल्य को प्रभावित करता है।
- **व्यापार नीति उपाय**
  - **आयात शुल्क समायोजन** - कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने से डॉलर की माँग कम हो जाती है, जिससे रुपये को स्थिर करने में मदद मिलती है।
  - **उदाहरण:** बढ़ते सोने के आयात और रुपये के मूल्यह्रास को नियंत्रित करने के लिए सोने के आयात शुल्क में वृद्धि।
- **बाह्य उधार और विदेशी निवेश प्रबंधन**
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (FDI) **और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश** (FPI) **को प्रोत्साहित करना** - भारतीय बाजारों को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाकर, RBI डॉलर के प्रवाह को बढ़ाता है।
- **मुद्रा विनिमय समझौते**
  - **अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय समझौते** - आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा तरलता सुनिश्चित करने के लिए RBI अन्य देशों के साथ स्वैप समझौते करता है।
- **फॉरवर्ड मार्केट हस्तक्षेप:** RBI तत्काल विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के बिना रुपये के उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिए फॉरवर्ड अनुबंधों का उपयोग करता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर ILO रिपोर्ट

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर अपने वैश्विक अनुमान का चौथा संस्करण प्रकाशित किया।

परिभाषा

- प्रवासन से तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारकों के कारण अस्थायी या स्थायी निवास के लिए किसी देश के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के आवागमन से है।
- संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) के अनुसार, प्रवासन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "किसी व्यक्ति का अपने सामान्य निवास स्थान से दूर जाना, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हो या किसी राज्य के अंदर।"
- विश्व बैंक प्रवासन को इस प्रकार परिभाषित करता है: "आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रेरित लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन, जो प्रायः श्रम बाजारों और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।"

प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों के आधार पर प्रवास के प्रकार:

- **प्रतिकर्ष कारक (लोगों को पलायन के लिए मजबूर करना)**
  - **आर्थिक प्रतिकर्ष कारक:**
    - नौकरी के अवसरों की कमी और कम मजदूरी (उदाहरण के लिए, कृषि संकट के कारण भारत में ग्रामीण-शहरी प्रवास)।
    - जीवनयापन की उच्च लागत और मुद्रास्फीति।
  - **सामाजिक प्रतिकर्ष कारक:**
    - अपर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ (जैसे, दूरदराज के गाँवों से महानगरीय शहरों की ओर पलायन)।
    - भेदभाव या सामाजिक अशांति।
  - **राजनीतिक प्रतिकर्ष कारक:**
    - युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और उत्पीड़न (जैसे, रोहिंग्या शरणार्थी संकट)।
    - मानव अधिकारों का उल्लंघन और स्वतंत्रता का अभाव।
  - **पर्यावरणीय कारक:**
    - प्राकृतिक आपदाएँ (जैसे, बाढ़, भूकंप और सुंदरवन जैसे क्षेत्रों में सूखा, जिसके कारण विस्थापन होता है)।
- **अपकर्ष कारक (लोगों को गंतव्य की ओर आकर्षित करना):** अपकर्ष कारक अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जो लोगों को किसी नए स्थान पर प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
  - **आर्थिक अपकर्ष कारक:**
    - बेहतर नौकरी के अवसर और उच्च वेतन (जैसे, भारतीय IT पेशेवरों का USA में प्रवास)।
    - व्यापारिक संभावनाओं और औद्योगिक विकास में सुधार।
  - **सामाजिक अपकर्ष कारक:**
    - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच (जैसे, उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का विकसित देशों में प्रवास)।
    - परिवार, मित्रों या प्रवासी नेटवर्क की उपस्थिति।
  - **राजनीतिक अपकर्ष कारक:**
    - राजनीतिक स्थिरता, बेहतर शासन और मजबूत विधिक प्रवर्तन।
    - मानव अधिकारों का संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा।
  - **पर्यावरणीय अपकर्ष कारक:**
    - अनुकूल जलवायु और उत्कृष्ट जीवन स्थितियाँ।
    - जल और कृषि योग्य भूमि जैसे संसाधनों की उपलब्धता (उदाहरण के लिए, हरे-भरे और शहरीकृत क्षेत्रों की ओर पलायन)।

मुख्य बातें

- **वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान:**
  - 2022 में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की हिस्सेदारी वैश्विक श्रम शक्ति का 4.7% (167.7 मिलियन) थी, जिसमें कार्यरत और बेरोजगार दोनों व्यक्ति शामिल थे।
  - प्रवासी कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 2013 से इसमें 30 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है, जो सीमाओं के पार श्रम की बढ़ती गतिशीलता को दर्शाता है।
- **क्षेत्रीय वितरण:**
  - उच्च आय वाले देश प्रवासी श्रमिकों के लिए सबसे बड़े गंतव्य बने हुए हैं, जो कुल प्रवास का 68.4% (114 मिलियन) हैं।
  - ये प्रवासी मुख्य रूप से सेवा-आधारित उद्योगों में कार्यरत हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और घरेलू कार्य शामिल हैं।
  - उच्च-मध्यम आय वाले देशों ने 17.4% (29.2 मिलियन) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मेजबानी की, जिनमें विनिर्माण और व्यापार में उल्लेखनीय उपस्थिति थी।
- **प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासियों का श्रम बल हिस्सा:**
  - **उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप:** कुल कार्यबल का 23.3% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का है।
  - **उत्तरी अमेरिका:** कार्यबल का 22.6% प्रवासी श्रमिकों से बना है, जो खुदरा, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।
- **रोजगार क्षेत्र**
  - **सेवा क्षेत्र:** 68.4% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सेवा-उन्मुख नौकरियों में लगे हुए हैं, जो इस क्षेत्र में गैर-प्रवासियों की हिस्सेदारी से अधिक है।
    - महिलाओं (80.7%) की सेवा-आधारित नौकरियों में प्रभावी भूमिका हैं, विशेषकर घरेलू कार्य और देखभाल में।
    - पुरुष (60.8%) परिवहन, आतिथ्य और ITs सेवाओं सहित सेवा कार्यबल का भी एक बड़ा हिस्सा है।
  - **केयर इकोनॉमी में योगदान:**
  - **प्रवासी महिलाएँ:** 28.8% देखभाल में लगी हुई हैं, जिसमें नर्सिंग और चाइल्डकेयर शामिल हैं।

- **प्रवासी पुरुष:** 12.4% स्वास्थ्य सेवा और सहायक भूमिकाओं में योगदान करते हैं।
- **उद्योग क्षेत्र:** 24.3% प्रवासी श्रमिक विनिर्माण, निर्माण और खनन में कार्यरत हैं।
- **कृषि क्षेत्र:** 7.4% प्रवासी कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, जबकि गैर-प्रवासी 24.3% कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो औद्योगिकीकरण और शहरी रोजगार के अवसरों के कारण खेती में प्रवासियों की घटती उपस्थिति को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **कानूनी एवं दस्तावेजीकरण संबंधी मुद्दे:**
  - वीजा, कार्य परमिट और निवास स्थिति प्राप्त करने में कठिनाई।
  - जटिल आव्रजन कानून और कानूनी गैर-अनुपालन के कारण निर्वासन का जोखिम।
  - **उदाहरण:** अमेरिका में विभिन्न अनिर्दिष्ट प्रवासियों को कानूनी अनिश्चितता और निर्वासन के खतरों का सामना करना पड़ता है।
- **रोजगार और आर्थिक चुनौतियाँ:** कम वेतन वाली नौकरियों में शोषण, अपर्याप्त कामकाजी परिस्थितियाँ और वेतन चोरी। अपने देश में अर्जित योग्यताओं और कौशलों को मान्यता न मिलना।
  - **उदाहरण:** खाड़ी देशों में प्रवासी श्रमिकों को प्रायः श्रम अधिकारों के उल्लंघन और अनुबंध उल्लंघन का सामना करना पड़ता है।
- **भाषायी और सांस्कृतिक बाधाएँ:**
  - संचार में कठिनाई, जिससे सामाजिक अलगाव और कार्यस्थल की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - नए सांस्कृतिक मानदंडों को अपनाने में संघर्ष, एकीकरण को प्रभावित करता है।
  - **उदाहरण:** यूरोप में कई दक्षिण एशियाई प्रवासियों को भाषा संबंधी बाधाओं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **भेदभाव और विदेशी-द्वेष:**
  - राष्ट्रीयता, नृजातीयता या धर्म पर आधारित पूर्वाग्रह सामाजिक बहिष्कार की ओर ले जाते हैं।
  - विभिन्न देशों में बढ़ती आप्रवासी विरोधी भावनाएँ सुरक्षा और कल्याण को प्रभावित करती हैं।
  - **उदाहरण:** UK और US में प्रवासियों के विरुद्ध घृणा अपराधों की रिपोर्टें बढ़ी हैं।
- **शोषण और मानव तस्करी:**
  - बलात् श्रम, तस्करी और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता, विशेषकर कम कुशल श्रमिकों के लिए।
  - घरेलू और गैर-दस्तावेजित श्रमिकों के लिए सुरक्षा तंत्र का अभाव।
  - **उदाहरण:** दक्षिण एशियाई घरेलू कामगारों द्वारा मध्य पूर्वी देशों में दुर्व्यवहार का सामना करने की रिपोर्ट।

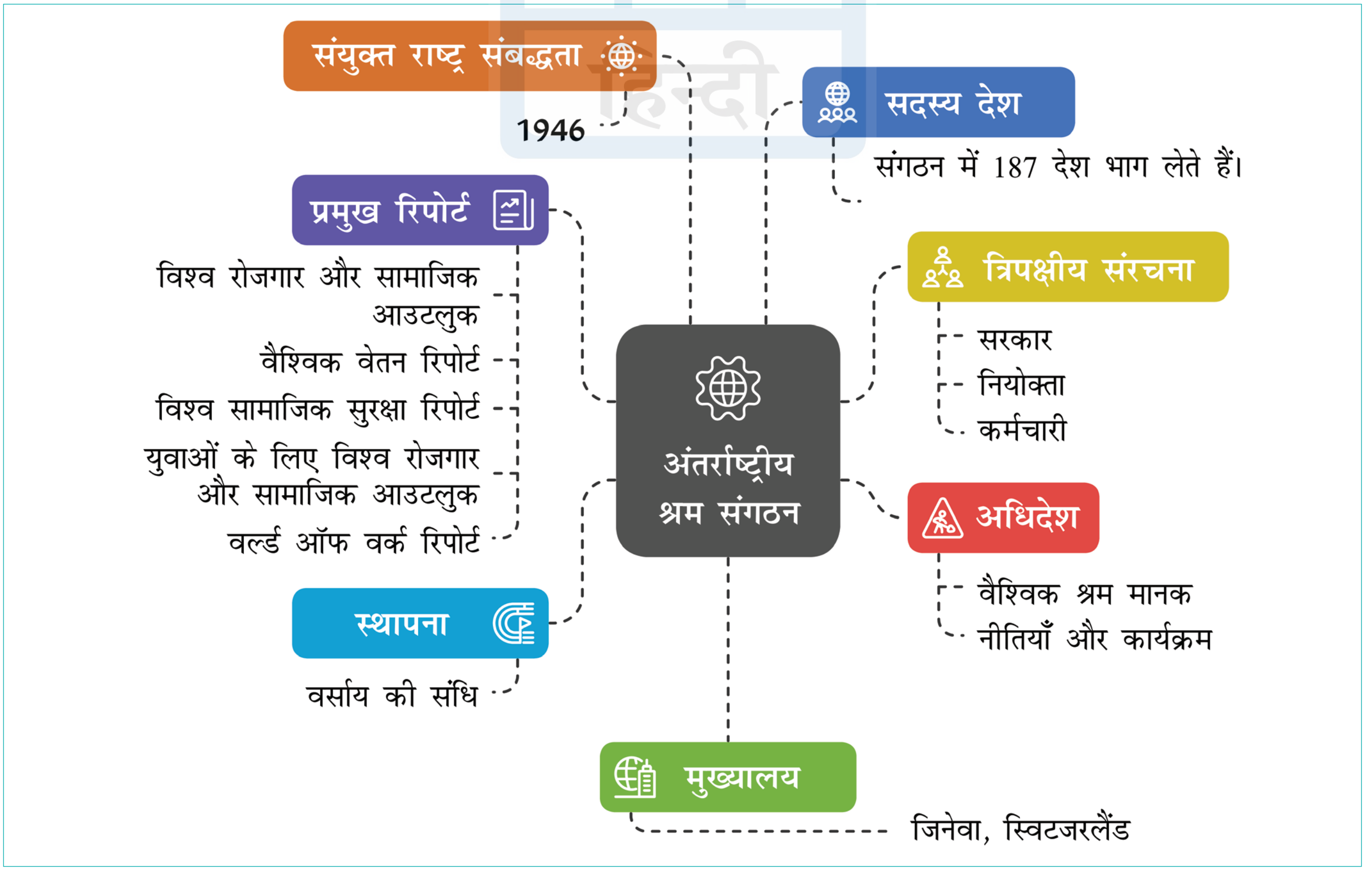

वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) ने वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें भारत की भूजल गुणवत्ता के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की गई।

मुख्य बातें

- **भूजल पर निर्भरता:**
  - भूजल अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की 85% तथा सिंचाई की 62% आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  - अत्यधिक निष्कर्षण से जल स्तर कम हो जाता है और संदूषण का खतरा बढ़ जाता है।
- **संदूषण और क्षेत्रीय विविधताएँ**
  - **प्रमुख प्रदूषक:**
    - **नाइट्रेट (20%)** – मुख्य रूप से राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उर्वरक अपवाह से।
    - **फ्लोराइड (9.04%)** – राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उच्च, जिससे स्वास्थ्य को खतरा है।
    - **आर्सेनिक (3.55%)** – गंगा-ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, आदि) में गंभीर।
    - **यूरेनियम** – राजस्थान (असुरक्षित नमूनों का 42%) और पंजाब (30%) में उच्च।
- **सुरक्षित भूजल वाले राज्य:** अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय।
- **अत्यधिक प्रदूषित राज्य:** राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश।

भूजल में अत्यधिक फ्लोराइड को रोकने की तकनीकें

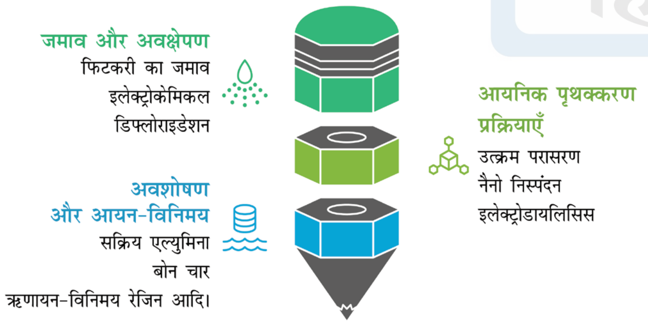

- **जल गुणवत्ता पर मौसमी प्रभाव**
  - मानसून प्रदूषकों को तनु (Dilute) करके अस्थायी रूप से जल की गुणवत्ता में सुधार करता है।
  - बाड़मेर और जोधपुर जैसे क्षेत्रों में मानसून के पश्चात् लवणता में वृद्धि दीर्घकालिक भूजल समस्या का संकेत है।
- **विद्युत चालकता (EC) और लवणता संबंधी मुद्दे**
  - राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विद्युत चालकता का स्तर उच्च है।
  - सिंचाई जल में क्षारीयता और लवणता 7.69% (2022) से बढ़कर 8.07% (2023) हो गई, जिससे मृदा स्वास्थ्य एवं फसल की उपज प्रभावित हुई।
- **शहरी भूजल चुनौतियाँ:** औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज भूजल की गुणवत्ता को खराब करते हैं। सूक्ष्मजीव संदूषण एक बढ़ती हुई चिंता है, जो पेयजल सुरक्षा को प्रभावित कर रही है।
- **कृषि पर प्रभाव:** तटीय भूजल की लवणता मृदा की उर्वरता और फसल की उपज को न्यून करती है। उच्च लवणीय सामग्री सिंचाई को प्रभावित करती है, जिससे कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है।

भूजल की गुणवत्ता में गिरावट में योगदान देने वाले कारक

- **औद्योगीकरण और प्रदूषण:** तीव्र औद्योगिक विस्तार के कारण अनुपचारित अपशिष्ट का निर्वहन हो रहा है, जिससे भारी धातुएँ, विषैले रसायन और विलायक पदार्थ भूजल में प्रवेश कर रहे हैं।
  - पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जल स्रोतों के निकट स्थित औद्योगिक समूहों में भारी धातु संदूषण का स्तर अधिक है।
- **कृषि पद्धतियाँ और नाइट्रेट संदूषण**
  - रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से नाइट्रेट जलभृतों में रिस जाता है, जिससे गंभीर प्रदूषण होता है।
  - सिंचाई के लिए अनियमित बोरवेल ड्रिलिंग से भूजल स्तर में कमी आती है तथा राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में फ्लोराइड एवं लवणता का स्तर बढ़ जाता है।
  - कीटनाशक अवशेषों का संचय एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है, क्योंकि हानिकारक रसायन भूजल स्रोतों में प्रवेश कर रहे हैं।
- **शहरीकरण और अपशिष्ट कुप्रबंधन**
  - अनियोजित शहरी विस्तार के कारण सीवेज रिसाव, लैंडफिल संदूषण और अनियमित अपशिष्ट निपटान की समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे उथले जलभृतों पर प्रभाव पड़ा है।
  - नगर निगम के ठोस अपशिष्टों से निकलने वाले रिसने वाले पदार्थ में रोगाणु, कार्बनिक प्रदूषक और भारी धातुएँ प्रवेश करती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाता है।
  - खराब तरीके से प्रबंधित सफाई व्यवस्था के कारण सूक्ष्मजीव संदूषण शहरी भूजल स्रोतों में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
- **जलवायु परिवर्तन और जलभृत ह्रास**
  - अनियमित मानसून और लंबे समय तक सूखे के कारण प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण कम हो जाता है, जिससे जल स्तर में कमी हो जाती है।
  - बढ़ते तापमान और वाष्पीकरण में वृद्धि से भूजल का लवणीकरण बढ़ रहा है, विशेष रूप से गुजरात, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे तटीय राज्यों में।
  - अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक निष्कर्षण के कारण भूजल में आर्सेनिक और यूरेनियम संदूषण में खतरनाक वृद्धि हो रही है।
- **भूजल का अतिदोहन**
  - पेयजल एवं सिंचाई के लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता (ग्रामीण पेयजल के लिए 85% तथा सिंचाई के लिए 62%) अपरदन में वृद्धि करती है।

- पुनर्भरण स्तर से अधिक निकासी के कारण भूजल पर दबाव बढ़ता है, जैसा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रेक्षण किया गया है।
- जल तक पहुँच के लिए गहरी ड्रिलिंग से आर्सेनिक, यूरेनियम और फ्लोराइड जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले तत्त्वों के संपर्क में वृद्धि होती है।

- **तटीय क्षेत्रों में लवणता का अतिक्रमण**
  - तटीय क्षेत्रों के निकट अत्यधिक भूजल निष्कर्षण से समुद्री जल का प्रवेश होता है, जिससे लवणता में वृद्धि होती है।
  - गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भूजल भंडारों में लवणीय जल के मिश्रण के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता में कमी आ रही है।
- **प्रभावी विनियमन और निगरानी का अभाव**
  - पर्यावरण कानूनों के कमजोर प्रवर्तन के कारण उद्योगों एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण अनियंत्रित हो जाता है।
  - सीमित वास्तविक समय निगरानी के परिणामस्वरूप संदूषण हॉटस्पॉट पर प्रतिक्रिया में विलंब होता है।
  - नदी तल के किनारे अनियंत्रित रेत खनन से प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण पर प्रभाव पड़ता है, जिससे जल गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ और भी गंभीर हो जाती हैं।

सरकारी पहल

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** (MGNREGS)
  - **फोकस:** जल संरक्षण गतिविधियों जैसे तालाबों, चेक डैम और जल संचयन संरचनाओं को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में एकीकृत करना।
  - **प्रभाव:** स्थानीय जल भंडारण क्षमता में सुधार करके ग्रामीण जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाया जाएगा।
- **जल शक्ति अभियान** (JSA)
  - **शुभारंभ:** 2019; वर्तमान में अपने 5वें चरण **("कैच द रेन" 2024)** में है।
  - **फोकस:** ग्रामीण और शहरी जिलों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण को प्रोत्साहित करना।
  - **कार्यान्वयन:** विभिन्न जल संरक्षण योजनाओं के अंतर-विभागीय अभिसरण को बढ़ावा देना।
- **कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन** (AMRUT) **2.0**
  - **फोकस:** तूफान से प्राप्त जल के निकास हेतु नालियों के माध्यम से शहरी वर्षा जल संचयन का समर्थन करना और जलभृत प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना।
  - **कार्यान्वयन:** आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश विकसित किए हैं:
  - **एकीकृत भवन उपनियम** (UBBL), **दिल्ली (2016)**
    - मॉडल बिल्डिंग उपनियम (MBBL), 2016
    - शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन (URDPFI), 2014
  - **प्रभाव:** शहरी नियोजन विनियमों में वर्षा जल संचयन के अनिवार्य प्रावधानों को एकीकृत किया गया।
- **अटल भूजल योजना (2020)**
  - **फोकस:** 7 राज्यों के 80 जिलों में जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधन को लक्ष्य बनाना।
  - **कार्यान्वयन:** टिकाऊ जल उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए समुदाय-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** (PMKSY)
  - **फोकस:** सिंचाई कवरेज का विस्तार और जल-उपयोग दक्षता में सुधार।
  - **मुख्य अवयव**
    - **हर खेत को पानी** – यह सुनिश्चित करता है कि हर खेत को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो।
    - **जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण** – मौजूदा जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना।
    - **सतही लघु सिंचाई योजनाएँ** – स्थानीय सिंचाई नेटवर्क में वृद्धि करती है।
- **जल उपयोग दक्षता ब्यूरो** (BWUE) – **राष्ट्रीय जल मिशन (2022)**
  - **स्थापना:** जल शक्ति मंत्रालय द्वारा।
  - **फोकस:** सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्रों में जल-उपयोग दक्षता को बढ़ाना।
  - **प्रभाव:** विविध आर्थिक क्षेत्रों में जल संरक्षण प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।
- **मिशन अमृत सरोवर (2022)**
  - **फोकस:** प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर (तालाब/झील) बनाने या पुनर्जीवित करने का लक्ष्य।
  - **प्रभाव:** वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलता है।
- **राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण** (NAQUIM)
  - **कार्यान्वयनकर्त्ता:** केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)
  - **फोकस:** भूजल संरक्षण योजनाओं को समर्थन देने के लिए 25 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक जलभृतों का मानचित्रण।
  - **प्रभाव:** भूजल पुनर्भरण और सतत् जल उपयोग के लिए वैज्ञानिक डेटा प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय जल नीति (2012)**
  - **निर्माणकर्त्ता:** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
  - **फोकस:** वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और वर्षा से प्राप्त जल के प्रत्यक्ष उपयोग का समर्थन करना।
  - **प्रभाव:** टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए नीति-स्तरीय निर्णय लेने में मार्गदर्शन।
- **PMKSY का वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY)**
  - **फोकस:** वर्षा सिंचित और बंजर भूमि को कार्यान्वित करने का लक्ष्य
  - **प्रभाव:** क्षीण हो चुके भूदृश्यों को पुनर्स्थापित करता है, तथा जलवायु-अनुकूल कृषि को प्रोत्साहन देता है।
- **राष्ट्रीय जल पुरस्कार (2018)**
  - **शुभारंभ:** जल संसाधन विभाग द्वारा।
  - **फोकस:** जल संरक्षण और प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना।
  - **प्रभाव:** सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि करता है, और समुदाय द्वारा संचालित जल संरक्षण पहल को बढ़ावा देता है।

कीटनाशक विषाक्तता और विनियमन

हाल ही में, एक नए अध्ययन के अनुसार खाद्य फसलों के परागण के लिए आवश्यक जंगली मधुमक्खी प्रजातियों में से 70% से अधिक प्रजातियाँ मृदा में कीटनाशक अवशेषों के कारण गंभीर खतरे में हैं।

परिचय

- कीटनाशक ऐसे पदार्थ या पदार्थों के मिश्रण होते हैं, जिनका उपयोग कीटों को रोकने, नष्ट करने, दूर भगाने या कम करने के लिए किया जाता है।
- कीटों में कीड़े, कृंतक, कवक, खरपतवार और अन्य जीव शामिल हो सकते हैं, जो कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
- कीटनाशकों का उपयोग सामान्यत: कृषि में फसलों को कीटों से बचाने और उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है।

कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित चिंताएँ

- **परागणकों को हानि:**
  - कीटनाशक, विशेषकर नियोनिकोटिनोइड्स, मधुमक्खियों, तितलियों और अन्य कीटों जैसे परागणकों के लिए महत्त्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करते हैं, जो फसल परागण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  - अध्ययनों के अनुसार कीटनाशकों के संपर्क में आने से इनकी कॉलोनी नष्ट हो सकती है, परागण कम हो सकता है और खाद्य उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **मृदा स्वास्थ्य क्षरण:**
  - कीटनाशक के अवशेष समय के साथ मृदा में एकत्रित हो सकते हैं, जिससे मृदा के सूक्ष्मजीवों को क्षति पहुँचती है, जो पोषक चक्रण, मृदा की उर्वरता और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - इससे मृदा के जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे दीर्घावधि में कृषि उत्पादकता कम हो सकती है।
- **जल प्रदूषण:**
  - कीटनाशक खेतों से प्रवाहित होकर निकटवर्ती जल निकायों में पहुँच सकते हैं, जिससे नदियाँ, झीलें और भूजल दूषित हो सकते हैं।
  - इससे जलीय जीवन विषाक्त हो सकता है, जल पीने के लिए असुरक्षित हो सकता है, तथा व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है।
- **प्रतिरोधी कीटों का विकास:**
  - कीटनाशकों के निरंतर उपयोग से कीटनाशक प्रतिरोधी कीटों का विकास हो सकता है, जिससे उन्हें नियंत्रित करना अधिक कठिन हो जाता है।
  - इससे एक दुष्चक्र उत्पन्न होता है, जिसमें किसानों को और भी अधिक विषैले रसायनों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव और भी विकृत हो जाता है।
- **मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य जोखिम:**
  - कीटनाशकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों और उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

NEXT IAS हिन्दी

- इन जोखिमों में श्वसन संबंधी समस्याएँ, तंत्रिका संबंधी विकार और यहाँ तक कि कैंसर भी शामिल हैं।
- बच्चों में कीटनाशकों के संपर्क में आने की संभावना विशेष रूप से अधिक होती है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो रही होती है।

- **जैव विविधता पर प्रभाव:**
  - कीटनाशक गैर-लक्षित प्रजातियों को क्षति पहुँचा सकते हैं, जिनमें लाभकारी कीट, पक्षी और अन्य वन्य जीव शामिल हैं।
  - इससे जैव विविधता की हानि हो सकती है, खाद्य श्रृंखलाएँ बाधित हो सकती हैं, तथा पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिरोधकता कम हो सकती है।
- **खरपतवारों में प्रतिरोध:**
  - जिस प्रकार कीटों में प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है, उसी प्रकार कुछ खरपतवार भी शाकनाशियों के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक शक्तिशाली रसायनों का प्रयोग बढ़ गया है।
  - इससे पर्यावरणीय भार में वृद्धि होती है, क्योंकि खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अधिक शक्तिशाली रसायनों की आवश्यकता होती है।

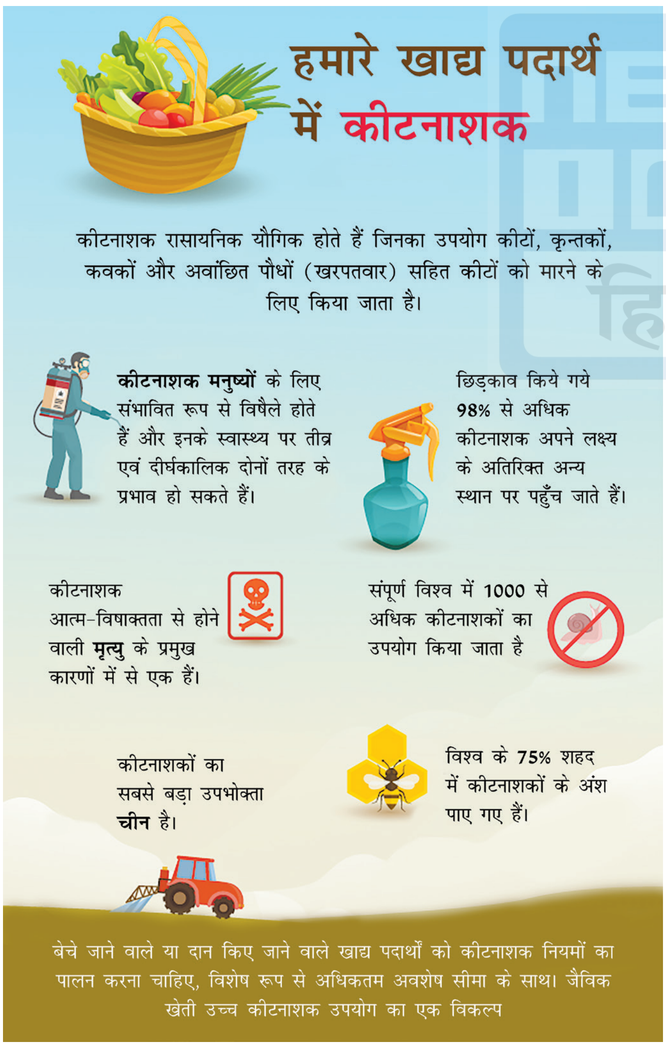

भारत में कीटनाशकों का विनियमन

- **कीटनाशक अधिनियम, 1968**
  - कृषि मंत्रालय इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB & RC) के माध्यम से कीटनाशकों को नियंत्रित करता है।
  - CIB - RC कीटनाशकों के विनिर्माण, आयात, परिवहन और भंडारण की देखरेख करता है।
  - इसके नियमों के आधार पर, भारत में कीटनाशकों को पंजीकृत, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- **अधिकतम अवशेष सीमा** (MRL) **मानक**
  - भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) कीटनाशक अवशेष मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाता है।
  - **यह निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करता है:**
    - कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (WHO - FAO के अंतर्गत एक वैश्विक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निकाय)।
    - यूरोपीय संघ (EU) विनियम।
    - जड़ी-बूटियों में कीटनाशकों के लिए MRL 0.01 मि.ग्रा./कि.ग्रा. से 0.1 मि.ग्रा./कि.ग्रा. तक होती है।
- **अनुपम वर्मा समिति:** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा गठित समिति का उद्देश्य ऐसे 66 कीटनाशकों की समीक्षा करना है, जो अन्य देशों में निषिद्ध या प्रतिबंधित थे, लेकिन भारत में अभी भी पंजीकृत हैं।
  - समिति ने कृषि उपयोग के लिए इन कीटनाशकों की सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और आवश्यकता का आकलन किया।

आगे की राह

- **एकीकृत कीट प्रबंधन** (IPM): कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने के लिए जैविक, यांत्रिक और रासायनिक नियंत्रण का संयोजन।
- **जैविक खेती:** कृत्रिम कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करने के लिए प्राकृतिक कीट निवारक, सहचर रोपण कार्य (companion planting) और जैविक खाद का उपयोग करना।
- **जैविक कीट नियंत्रण:** कीटों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्राकृतिक शिकारियों (जैसे, एफिड्स के लिए लेडीबग्स) या माइक्रोबियल कीटनाशकों का उपयोग करना।
- **विनियमन और जागरूकता:** कीटनाशकों के उपयोग पर कानूनों को मजबूत करना और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों पर किसान की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- **नैनो-कीटनाशक:** नैनो-प्रौद्योगिकी-आधारित कीटनाशकों का उपयोग करना, जो अत्यधिक लक्षित होते हैं और कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और दक्षता में सुधार होता है।
- AI-**संचालित स्मार्ट छिड़काव:** कीटों के संक्रमण का पता लगाने और कीटनाशकों को केवल आवश्यक होने पर ही छिड़कने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं ड्रोन का उपयोग करना, जिससे अति प्रयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

हाल ही में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 15 जनवरी, 2025 को अपनी सेवा के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया।

परिचय

- **स्थापना:** 1875
- **भूमिका:** भारत की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा एवं मौसम विज्ञान तथा संबंधित विषयों के लिए प्रमुख सरकारी एजेंसी।
- **मंत्रालय:** भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **वैश्विक भूमिका:** विश्व मौसम संगठन (WMO) के छह क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक।
- **उद्देश्य:**
  - **मौसम निगरानी एवं पूर्वानुमान:** मौसम संबंधी आँकड़े एकत्र करता है और कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन एवं अपतटीय तेल अन्वेषण जैसे मौसम-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान प्रदान करता है।
  - **गंभीर मौसम चेतावनी:** उष्णकटिबंधीय चक्रवात, आँधी-तूफान, धूल भरी आँधी, भारी वर्षा, बर्फबारी, शीत लहर एवं हीट वेव जैसी चरम मौसमी घटनाओं के लिए चेतावनी जारी करता है, जिससे जान-माल की क्षति को कम किया जा सके।
  - **विकास के लिए मौसम संबंधी आँकड़े:** कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योग, तेल अन्वेषण और अन्य राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराता है।
  - **अनुसंधान एवं नवाचार:** मौसम विज्ञान और संबंधित विषयों में शोध करता है तथा इसे बढ़ावा देता है, ताकि मौसम पूर्वानुमान एवं जलवायु अध्ययन को उत्कृष्ट बनाया जा सके।

क्या आप जानते हैं?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भारत का पहला ऐसा संगठन बन गया है, जिसके पास वैश्विक डेटा विनिमय का समर्थन करने के लिए संदेश स्विचिंग कंप्यूटर है।

IMD: उपलब्धियाँ और प्रगति

- **अग्रणी मौसम अवलोकन**
  - **पारा आधारित बैरोमीटर का स्थानापन्न:** वर्ष 2023 तक, IMD ने सभी पारा आधारित बैरोमीटर को डिजिटल बैरोमीटर से परिवर्तित कर दिया, जो UNEP के मिनामाता समझौते का भाग है, और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
  - **कृषि-मौसम विज्ञान सेवाओं में सुधार:** कृषि क्षेत्र के लिए सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए 200 एग्रो AWS स्टेशन स्थापित किए गए।
  - GPS-**आधारित** PB **स्टेशन:** IMD 25 GPS-आधारित PB स्टेशनों का संचालन करता है, जिनमें से 5 IMD द्वारा निर्मित और 20 भारतीय निर्माताओं से प्राप्त किए गए हैं।
- **संचार और संपर्क**
  - **क्राउडसोर्स वेब इंटरफेस:** जनवरी 2021 में प्रारंभ किया गया यह वेब इंटरफेस उपयोगकर्त्ताओं को कभी भी,कहीं भी मौसम की स्थिति को रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - **पब्लिक ऑब्जर्वेशन मोबाइल ऐप:** जनवरी 2022 में प्रारंभ किया गया यह ऐप आम जनता को मौसम संबंधी रिपोर्टिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करता है।
  - **जनसहयोग से प्राप्त मौसम संबंधी आँकड़े:** IMD ने वर्षा, ओलावृष्टि, धूल भरी आँधी, पवन की गति, तड़ित झंझा और कोहरे जैसी मौसम से संबंधित घटनाओं पर जनसहयोग से आँकड़े एकत्र करना प्रारंभ किया।
- **संख्यात्मक स्वरूप में मौसम पूर्वानुमान में प्रगति**
  - **पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार:** 2023 में मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में 40% सुधार हुआ, जो 2014 की तुलना में अधिक है।
  - **डॉप्लर वेदर रडार का विस्तार:** डॉप्लर वेदर रडार (DWR) नेटवर्क को 2014 में 15 से बढ़ाकर 2023 में 39 कर दिया गया, जिससे कवरेज 35% तक बढ़ी।
  - **चक्रवात के पूर्वानुमान की सफलता:** IMD ने फैलिन (2013), हुदहुद (2014), फानी (2019) और दाना (2024) जैसे प्रमुख चक्रवातों की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी की, जिससे विभाग की जीवन रक्षक क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ।
  - **चक्रवात से लोगों के मृत्यु में कमी:** 1999 में चक्रवात से 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थीं, लेकिन 2020-2024 के दौरान यह संख्या शून्य हो गई, जिसका कारण अधिक सटीक चक्रवात चेतावनी प्रणाली रही।

क्या आप जानते हैं?

भारत विश्व का पहला विकासशील देश था, जिसके पास विश्व के इस हिस्से की निरंतर मौसम निगरानी और विशेष रूप से चक्रवात की चेतावनी के लिए अपना स्वयं का भूस्थिर उपग्रह, इनसैट था।

तकनीकी प्रगति

- **HRRR और EWRF मॉडल:** हाई-रेजोल्यूशन रैपिड रिफ्रेश (HRRR) मॉडल को वर्षा और परावर्तन पूर्वानुमान के लिए तथा इलेक्ट्रिक वेदर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग (EWRF) मॉडल को वज्रपात एवं वर्षा के पूर्वानुमान के लिए प्रारंभ किया गया।
- **मौसमग्राम मीटियोग्राम:** जनवरी 2024 में जारी मौसमग्राम एक इंटरएक्टिव और डायनामिक मीटियोग्राम है, जो स्थान-विशिष्ट मौसम संबंधी पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- **स्वचालित वर्षामापी की वृद्धि:** स्वचालित वर्षामापी (ARG) की संख्या 2014 में 1,350 से बढ़कर 2023 में 1,382 हो गई।
- DRMS **स्टेशनों का विस्तार:** जिले-वार वर्षा निगरानी योजना (DRMS) स्टेशनों की संख्या 2014 में 3,955 से बढ़कर 2023 में 5,896 हो गई।

उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों पर दक्कन ज्वालामुखी का प्रभाव

हाल ही में, एक नए अध्ययन में पाया गया कि भारतीय प्लेट पर हुए दक्कन ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, यद्यपि जीवों की बड़ी संख्या में विलुप्ति हुई, उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों ने असाधारण प्रतिरोधकता प्रदर्शित की।

प्रमुख निष्कर्ष

- **जीवों और वनस्पतियों पर प्रभाव**
  - **विलुप्ति की घटनाएँ:** दक्कन ज्वालामुखी क्रिया के कारण डायनासोर, अन्य जीव-जंतु और जिम्नोस्पर्म (अनावृतबीजी पौधे) विलुप्त हो गए, क्योंकि इसने चरम पर्यावरणीय परिवर्तन किए।
  - **उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों को समर्थन:** जीवों की विलुप्ति के बावजूद, इसने एंजियोस्पर्म (पुष्प युक्त/आवृतबीजी पौधे) को बढ़ावा दिया, क्योंकि इसने उपजाऊ और अप्रभावित आवास स्थल निर्मित किए, जिससे व्यापक मात्रा में वनस्पतियों की विलुप्ति रुक गई।
  - **जलवायु प्रभाव:** ज्वालामुखी गतिविधि के शांत रहने के दौरान और भारतीय प्लेट के भूमध्य रेखा से गुजरने के कारण, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु ने वनस्पतियों की विविधता को बढ़ावा दिया।
- **वैश्विक एवं क्षेत्रीय निहितार्थ**
  - **विलुप्ति में भूमिका:** दक्कन ज्वालामुखी क्रिया ने क्रिटेशियस-पैलियोजीन (K-Pg) महाविलुप्ति (66 मिलियन वर्ष पूर्व) में योगदान दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर एमोनोइड (समुद्री सेफालोपोड) और डायनासोर की संख्या में कमी आई।
  - **उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की सहनशीलता:** कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में, भारतीय प्लेट के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों ने जलवायु तनावों के प्रति अधिक प्रतिरोधकता प्रदर्शित किया और अनुकूलित होकर पुष्पित-पल्लवित हुए।

दक्कन ज्वालामुखी क्रिया

- **परिचय**
  - दक्कन ज्वालामुखी क्रिया सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि ज्वालामुखी क्रिया, जिनसे दक्कन ट्रैप निर्मित हुए, लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व हुई महाविलुप्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - दक्कन ट्रैप भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित एक विशाल ज्वालामुखीय पठार है, जो दरारी ज्वालामुखी विस्फोटों से निर्मित है।
  - विस्फोट की यह क्रिया तब घटित होती है जब मैग्मा केंद्रीय ज्वालामुखीय छिद्र के बदले पृथ्वी की भूपर्पटी में लंबी दरारों से बाहर निकलता है।
- **दक्कन ट्रैप का निर्माण**
  - ऐसा माना जाता है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण दक्कन मेंटल प्लूम के कारण हुई तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि के परिणामस्वरूप हुआ था, जो कई लाख वर्षों तक जारी रही।
  - मेंटल प्लूम पृथ्वी के मेंटल (आंतरिक परत) से गर्म, पिघली हुई चट्टानों के ऊपर उठने की प्रक्रिया है, जो प्लेट सीमाओं (plate boundaries) से स्वतंत्र होकर ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट (volcanic hotspots) का निर्माण करती है।
  - वर्तमान में दक्कन ट्रैप में बेसाल्टिक लावा प्रवाह की विशाल परतें शामिल हैं, जो व्यापक स्तर पर ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान निर्मित हुई थीं।
- **भारतीय प्लेट की गतिशीलता से संबंध**
  - लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व, भारत ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर स्थित एक बड़ा द्वीप था, और इसने वर्तमान स्थिति की ओर उत्तर दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की।
  - भारतीय प्लेट के नीचे, रियूनियन हॉटस्पॉट (पिघली हुई चट्टानों का मेंटल प्लूम) ने दरारी ज्वालामुखी विस्फोट (fissure volcanic eruptions) उत्पन्न किए, क्योंकि भारतीय प्लेट इसके ऊपर से गुजर रही थी, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ।
  - रियूनियन हॉटस्पॉट वर्तमान में हिंद महासागर में अवस्थित है, जो रियूनियन द्वीप (फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र) के निकट स्थित है।
- **दक्कन ज्वालामुखी क्रिया का आर्थिक महत्त्व**
  - **प्रमुख चट्टानें**
    - दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि ग्रेनाइट और नीस दक्षिणी भारत, विशेषकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पाए जाते हैं।।
  - **खनिज संसाधन**
    - कर्नाटक में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
    - पूर्वी घाट में बॉक्साइट के भंडार मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की खनिज संपदा में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  - **कृषि**
    - इस क्षेत्र में ज्वालामुखीय चट्टानों, विशेष रूप से बेसाल्ट के अपक्षय से बनी उपजाऊ काली मृदा के कारण कपास और तंबाकू जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा मिलता है।
    - काली मृदा में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे कृषि के लिए आदर्श बनाती है।
- **भौगोलिक विस्तार:** दक्कन ट्रैप दक्षिण भारत के व्यापक क्षेत्र में विस्तृत हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं, साथ ही तेलंगाना एवं केरल में भी इसका छोटा विस्तार है।

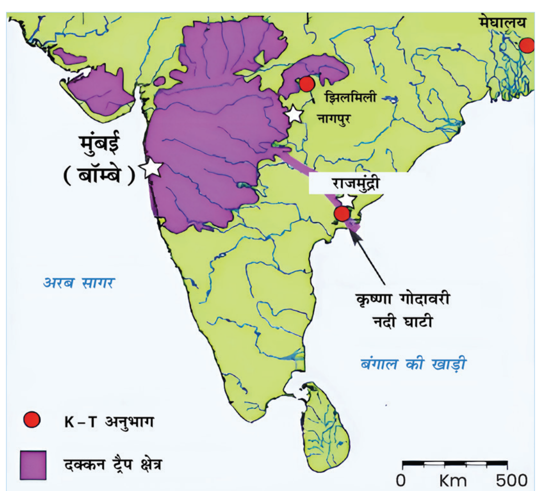

NEXT IAS हिन्दी

जीनोम इंडिया परियोजना पूर्ण हुई

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव में जीनोम इंडिया परियोजना के पूरा होने की सराहना करते हुए इसे 'शोध की दुनिया में एक ऐतिहासिक पहल' बताया।

परिचय

- इसे 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा लॉन्च किया गया था और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु द्वारा समन्वित किया गया था।
- इसमें संपूर्ण देश की 99 अलग-अलग आबादी के व्यक्तियों के जीनोम को अनुक्रमित करना शामिल था। यह भारत के 4600 जनसंख्या समूहों का लगभग 2% है।

जीनोम इंडिया परियोजना की प्रमुख उपलब्धियाँ

- 19,000 से अधिक रक्त नमूने एकत्र किए गए, जो 20,000 नमूनों के लक्ष्य के निकट है, तथा भविष्य के अनुसंधान के लिए जीनोम इंडिया बायोबैंक में संगृहीत किए गए हैं।
- भारत के 99 जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,074 नमूनों की संपूर्ण जीनोम अनुक्रमणिका पूरी की गई।
- चरण 1 में, वैज्ञानिकों ने 5,750 नमूनों का विश्लेषण किया, जिससे भारत की जीनोमिक संरचना के बारे में अद्वितीय जानकारी सामने आई।
- जीनोम डेटा अब हरियाणा के फरीदाबाद स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) में उपलब्ध है।

जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव

- **वैश्विक अनुसंधान को सशक्त बनाना:** IBDC पोर्टल और डेटा प्रोटोकॉल के आदान-प्रदान के लिए फ्रेमवर्क (FeED) का शुभारंभ आनुवंशिक डेटा तक आसान पहुँच को सक्षम बनाता है।
  - जीनोमिक्स में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करता है, भारतीय आबादी के अनुकूल जीनोमिक चिप्स के विकास का समर्थन करता है।
  - mRNA-आधारित टीकों, प्रोटीन उत्पादन और आनुवंशिक विकारों के उपचार में अनुसंधान में प्रगति।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार:** चिकित्सा अनुसंधान के लिए आनुवंशिक आधार प्रदान करके रोग की रोकथाम और उपचार में मदद करता है।
  - आनुवंशिक भिन्नता के अनुसार उपचार तैयार करके स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बेहतर बनाना।
- **नवाचार को प्रोत्साहित करना:** 10,000 जीनोमों को अनुक्रमित करने से एक व्यापक आनुवंशिक डेटाबेस तैयार हुआ है, जिससे भारत की विविध आबादी के अनुरूप अनुकूलित जीनोमिक चिप्स का विकास संभव हो सका है।
- **नीति निर्माण में सहायक:** परियोजना का समृद्ध आनुवंशिक डेटा नीति निर्माताओं को विभिन्न भारतीय समुदायों के स्वास्थ्य प्रोफाइल में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह जानकारी लक्षित स्वास्थ्य रणनीतियों को डिजाइन करने में सहायक है, जो क्षेत्र-विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करती है।
- **जैव अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना:** भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर का लक्ष्य है।

NEXT IAS हिन्दी

जीनोम को समझना

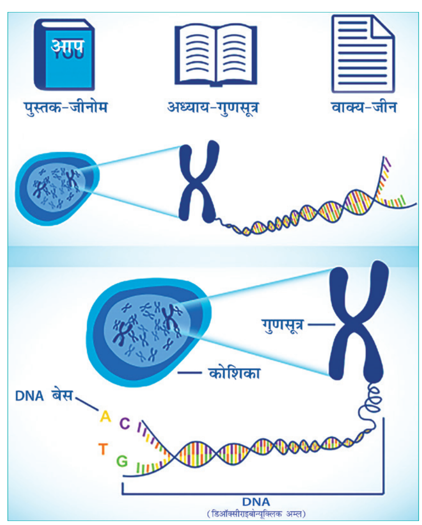

- जीनोम किसी जीव में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) का पूरा सेट होता है, जिसमें उस जीव के विकास, कार्य प्रणाली और प्रजनन के लिए आवश्यक सभी आनुवंशिक जानकारी होती है। जीवित जीवों में, आनुवंशिक जानकारी DNA के लंबे अणुओं में संगृहीत होती है जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है।
- मनुष्यों में, जीनोम लगभग 3.05 बिलियन DNA आधार युग्मों (Base Pairs) से बना होता है, जो गुणसूत्रों के 23 युग्म में व्यवस्थित होते हैं।
- **जीनोम के प्रमुख घटक:**
  - DNA: जीनोम DNA से निर्मित होता है, जो एक डबल-स्ट्रैंडेड अणु है, जिसमें चार प्रकार के बेस/क्षार होते हैं: एडेनिन (A), साइटोसिन (C), गुआनिन (G), और थाइमिन (T)। ये बेस (A के साथ T और C के साथ G) मिलकर DNA संरचना का निर्माण करते हैं।
  - **जीन:** DNA के खंड जो प्रोटीन या कार्यात्मक RNA अणुओं के लिए कोड करते हैं। जीन आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाइयाँ हैं, और किसी जीव के लक्षणों को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - **गैर-कोडिंग क्षेत्र:** जीनोम के वे भाग जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन विनियामक कार्य करते हैं, जैसे जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना।
  - **जीनोम अनुक्रमण:** यह DNA अणु में आधार युग्मों के सटीक क्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यह वैज्ञानिकों को किसी जीव के जीनोम में निहित आनुवंशिक जानकारी को डिकोड करने की अनुमति प्रदान करता है।

नैनोपोर प्रौद्योगिकी

नैनोपोर प्रौद्योगिकी आणविक विश्लेषण में एक गेम-चेंजर बन रही है, विशेषकर DNA और RNA के लिए। इसका व्यापक रूप से जीनोमिक्स और डायग्नोस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, जो तीव्र एवं अधिक कुशल समाधान प्रदान करता है।

परिचय

- नैनोपोर प्रौद्योगिकी में एक पतली झिल्ली में नैनो आकार के छिद्रों को अंत:स्थापित करने का कार्य शामिल है, ताकि DNA, RNA या एमीनो एसिड जैसे आवेशित जैविक अणुओं के इन छिद्रों से गुजरने पर होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया जा सके।
- यह प्रौद्योगिकी पर्सनल अणुओं का विश्लेषण और अनुभूति कर सकती है।

DNA अनुक्रमण में नैनोपोर प्रौद्योगिकी

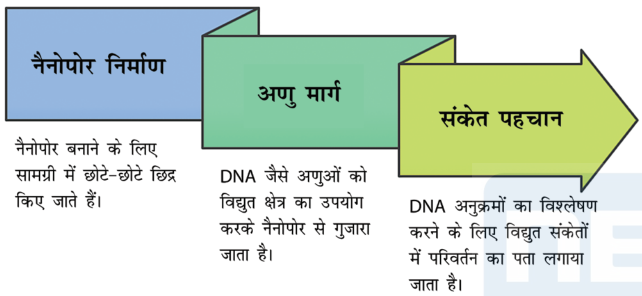

नैनोपोर प्रौद्योगिकी के लाभ:

- **उच्च रिजॉल्यूशन:** नैनोपोर प्रौद्योगिकी उच्च-रिजॉल्यूशन विश्लेषण प्रदान करती है, जो आणविक गुणों के बारे में सूक्ष्म विवरण प्रकट करती है।
  - **उदाहरण** के लिए, यह पारंपरिक अनुक्रमण विधियों के विपरीत, लंबे DNA स्ट्रैंड को छोटे टुकड़ों में तोड़े बिना सटीक रूप से अनुक्रमित कर सकता है।
- **वास्तविक समय विश्लेषण:** यह प्रौद्योगिकी नैनोपोरों से गुजरते समय अणुओं का विश्लेषण करने की अनुमति प्रदान करती है, जिससे वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त होती है। **उदाहरण** के लिए, इसका उपयोग ऑक्सफोर्ड नैनोपोर द्वारा मिनियन डिवाइस में अनुसंधान अभियानों के दौरान निरंतर जीनोमिक डेटा संग्रह हेतु किया जा रहा है।
- **पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (PCR) या प्रवर्धन की आवश्यकता नहीं:** पारंपरिक DNA अनुक्रमण में प्राय: PCR प्रवर्धन की आवश्यकता होती है। हालाँकि, नैनोपोर प्रौद्योगिकी इस चरण के बिना प्रत्यक्षत: DNA अनुक्रमण कर सकती है, जिससे प्रक्रिया में तीव्रता आती है, जैसा कि नैनोपोर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोविड-19 जीनोम के प्रत्यक्ष अनुक्रमण में देखा गया है।
  - **पॉलीमरेज चेन रिएक्शन** (PCR) एक प्रौद्योगिकी है, जिसका उपयोग DNA के छोटे खंडों में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे उनका विश्लेषण करना आसान हो जाता है।
  - DNA की प्रतिकृति बनाने के लिए हीटिंग और कूलिंग के कई चक्रों की आवश्यकता होती है, जो समयसाध्य और महँगी हो सकती हैं।
- **पोर्टेबिलिटी:** मिनियन जैसे उपकरण पोर्टेबल होते हैं, जिससे शोधकर्त्ता दूरदराज के स्थानों में DNA अनुक्रमण कर सकते हैं, जैसे कि बीमारी के प्रकोप के दौरान या दूरदराज के पर्यावरण अध्ययनों में।
- **न्यूनतम सैंपल तैयारी:** नैनोपोर अनुक्रमण के लिए न्यूनतम सैंपल तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिससे लागत और समय कम हो जाता है। इसका उपयोग वायरल जीनोम का त्वरित विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान में किया जा रहा है, जैसे कि कोरोनावायरस के नए वेरिएंट को ट्रैक करना।

अनुप्रयोग:

- DNA **अनुक्रमण:** नैनोपोर प्रौद्योगिकी तीव्र गति से जीनोम अनुक्रमण की अनुमति प्रदान करती है।
- **प्रोटीन विश्लेषण:** नैनोपोर प्रौद्योगिकी प्रोटीन और उनकी संरचना का अध्ययन करने में मदद करती है।
  - **उदाहरण** के लिए, इसका उपयोग अल्जाइमर रोग से जुड़े एमिलॉयड प्रोटीन का अध्ययन करने में किया जाता है, ताकि न्यूरोडीजेनेरेशन में उनकी भूमिका को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
- **बायोमार्कर डिटेक्शन:** यह प्रौद्योगिकी रक्त या मूत्र में बायोमार्कर का पता लगा सकती है। इसका उपयोग गैर-आक्रामक परीक्षणों में कैंसर बायोमार्करों की पहचान करने में किया जाता है, जिससे रोगों का पहले ही पता लगाया जा सकता है।
- **पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा परीक्षण:** नैनोपोर प्रौद्योगिकी का उपयोग जल के परीक्षण में हानिकारक जीवाणु या रोगजनकों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जैसा कि नैनोपोर का उपयोग करके पेयजल में रोगजनकों का पता लगाने वाले अध्ययनों में प्रदर्शित किया गया है।
- **वास्तविक समय में रोगजनकों का पता लगाना:** कोविड-19 महामारी के दौरान, नैनोपोर अनुक्रमण ने तत्काल वायरल जीनोम अनुक्रमण में मदद की, जिससे उत्परिवर्तन और नए वेरिएंट की तीव्र गति से ट्रैकिंग की जा सकी।
- **फार्मास्युटिकल रिसर्च:** नैनोपोर प्रौद्योगिकी जैविक अणुओं के साथ दवा की अंत:क्रियाओं का विश्लेषण करके दवा की खोज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे शोधकर्त्ताओं को बेहतर उपचार डिजाइन करने में मदद मिलती है।
  - **उदाहरण** के लिए, इसका उपयोग संभावित दवा की स्क्रीनिंग में आणविक स्तर पर उनकी अंत:क्रियाओं का विश्लेषण करके किया जाता है।
- **एग्रीजीनोमिक्स:** कृषि में, नैनोपोर प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों के जीनोम का अध्ययन करने, फसल प्रजनन कार्यक्रमों को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए किया जाता है।
- **फोरेंसिक विज्ञान:** नैनोपोर अनुक्रमण की पोर्टेबिलिटी और गति इसे फोरेंसिक जाँच में मूल्यवान बनाती है, जिससे अपराध स्थलों पर तीव्र गति से DNA विश्लेषण की अनुमति प्राप्त होती है।
- **शैक्षिक अनुप्रयोग:** अपने उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इंटरफेस और मापनीयता के कारण, नैनोपोर प्रौद्योगिकी एक प्रभावी शैक्षिक उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो जीनोमिक्स और आणविक जीव विज्ञान में व्यावहारिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 महानगरों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन की माँग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए छह महानगरों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा और हाथ से सीवर की सफाई पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश पारित किए।

परिचय

- **परिभाषा**
  - हाथ से मैला ढोने की प्रथा से तात्पर्य सूखे शौचालयों, खुली नालियों, सीवरों और सेप्टिक टैंकों से मानव मल को बिना किसी सुरक्षात्मक गियर या मशीनीकृत उपकरण के हाथ से साफ करना, ले जाना, संभालना या निपटाना है।
  - यह कार्य खतरनाक है, जिससे श्रमिकों को जहरीली गैसों, जीवाणु संक्रमण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
  - आधिकारिक प्रतिबंध के बावजूद, अपर्याप्त सीवेज प्रबंधन, मशीनीकृत विकल्पों की कमी और वंचित समुदायों की इस व्यवसाय पर आर्थिक निर्भरता के कारण यह जारी है।
- **सुप्रीम कोर्ट निर्देश (2023)**
  - डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2023) के मामले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चरणबद्ध तरीके से हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए तत्काल और उचित उपाय करने का निर्देश दिया।
  - अदालत ने कानूनों के कठोर क्रियान्वयन, प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास और सफाई कर्मचारियों की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मशीनीकृत सफाई समाधान अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **कानूनी और नियामक ढाँचा**
  - **हाथ से मैला ढोने वालों का रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993**
    - हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कानूनी ढाँचा।
    - शुष्क शौचालयों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनकी हाथ से सफाई की आवश्यकता होती है।
  - **हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:**
    - प्रतिबंध का विस्तार करके सीवर, सेप्टिक टैंक और रेलवे ट्रैक की सफाई को भी इसमें शामिल कर दिया गया।
    - वैकल्पिक रोजगार और वित्तीय सहायता के माध्यम से हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान और पुनर्वास का आदेश दिया गया।
  - **राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य योजना (नमस्ते)**
    - हाथ से सफाई के स्थान पर मशीनीकृत विकल्प अपनाने के लिए प्रारंभ किया गया।
    - पूर्व में हाथ से मैला ढोने वालों को प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार प्रदान करता है।
    - सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करना।
  - **संवैधानिक प्रावधान:**
    - **अनुच्छेद 14** – कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है और भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर रोक लगाता है।
    - **अनुच्छेद 17** – अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा से निकटता से जुड़ा हुआ है।
    - **अनुच्छेद 21** – जीवन और सम्मान के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
  - **वर्तमान स्थिति:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 775 जिलों में से 456 ने स्वयं को हाथ से मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित कर दिया है।

बैंडिकूट रोबोट

- **उद्देश्य:** सीवर और मैनहोल निरीक्षण के लिए डिजाइन किया गया एक रोबोटिक उपकरण, जिससे श्रमिकों की सुरक्षा और कुशल रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।
- वास्तविक समय की निगरानी के लिए रोबोटिक आर्म्स, कैमरा और सेंसर से लैस। बुद्धिमत्तापूर्ण दिशा-निर्देशन और पहचान के लिए AI एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करता है।
- **कार्यक्षमता:** सीवर और नालियों जैसे सीमित स्थानों में प्रवेश करता है। रुकावटों को दूर करता है और उचित निपटान के लिए अपशिष्ट एकत्र करता है।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा से संबंधित प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

- **मानवीय संकट:**
  - हाथ से मैला ढोने वाले अत्यंत खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करते हैं, जिसमें उन्हें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसी हानिकारक गैसों के संपर्क में रहना पड़ता है।
  - लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी बीमारियाँ, त्वचा संक्रमण और यहाँ तक कि दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है।
- **जाति आधारित भेदभाव:** यह पेशा ऐतिहासिक रूप से जाति-आधारित पदानुक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें अधिकांश हाथ से मैला ढोने वाले दलित समुदाय से संबंधित हैं। इससे सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक वंचना और अंतर-पीढ़ीगत शोषण होता है।
- **वैकल्पिक आजीविका का अभाव:** कई व्यक्ति (हाथ से मैला ढोने वाले) के पास सीमित शैक्षणिक और कौशल-आधारित अवसर होता हैं, जिससे उनके लिए वैकल्पिक रोजगार में परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है।
  - पुनर्वास के लिए सरकारी योजनाओं को प्राय: कार्यान्वयन में विलंब और अपर्याप्त पहुँच का सामना करना पड़ता है।
- **अपर्याप्त विधिक प्रवर्तन:** यद्यपि 2013 का अधिनियम हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध आरोपित करता है, लेकिन अपर्याप्त निगरानी और जवाबदेही की कमी के कारण उल्लंघन जारी है। विभिन्न मामलों में, ठेकेदार और स्थानीय अधिकारी अनौपचारिक या संविदात्मक श्रम को नियोजित करके कानून को दरकिनार कर देते हैं।

रानी वेलु नाच्चियार

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नाच्चियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया, और उनकी बहादुरी एवं भारत के इतिहास में उनके योगदान को याद किया।

परिचय

- **प्रारंभिक जीवन:** रानी वेलु नाच्चियार का जन्म 3 जनवरी, 1730 को रामनाड साम्राज्य (आज का रामनाथपुरम, तमिलनाडु) में राजा चेल्लमुथु विजय रघुनाथ सेतुपति और रानी सकंदिमुथल के घर हुआ था।
  - वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थीं और रामनाथपुरम की राजकुमारी थीं। राजघराने से होने के कारण, उन्हें शासन, युद्ध कला और विद्या में गहरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मिला।
  - तमिल समाज में उन्हें 'वीरमंगई' (बहादुर महिला) के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध निडर होकर संघर्ष किया था।

रामनाड साम्राज्य

- **स्थापना:** यह राज्य तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में स्थित था, जिसकी राजधानी रामनाथपुरम थी। इसमें रामेश्वरम, शिवगंगा और आधुनिक मदुरै और तिरुनेलवेली के कुछ हिस्से शामिल थे।
- **शासक और राजवंश:** राज्य पर सेतुपति राजवंश का शासन था, जो सामंती सरदारों की एक शक्तिशाली श्रेणी थी, जो मदुरै के नायकों की ओर से शासन करती थी। सेतुपति रामेश्वरम मंदिर और सेतु समुद्रम क्षेत्र के रक्षक के रूप में जाने जाते थे।
- **औपनिवेशिक शक्तियों के साथ संबंध:** ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ने राज्य के रणनीतिक तटीय स्थान के कारण रामनाड शासकों के साथ गठबंधन की माँग की। 18वीं शताब्दी में राज्य के अंदर विभिन्न गुटों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ।
- **ब्रिटिश भारत में पतन और एकीकरण:** आंतरिक विवादों और ब्रिटिश हस्तक्षेप ने राज्य को क्षीण कर दिया। 1795 तक अंग्रेजों ने पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, और रामनाड को मद्रास प्रेसीडेंसी के अधीन एक जमींदारी के स्वरूप में परिवर्तित कर दिया।

- **शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण**
  - अपने समय की अधिकांश महिलाओं के विपरीत, रानी वेलु नाच्चियार ने शासन, भाषाओं एवं युद्ध रणनीति सहित विभिन्न विषयों में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी।
  - उन्हें युद्ध कौशल में भी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें शामिल थे:
    - **वलारी:** युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला एक पारंपरिक हथियार (अस्त्र)।
    - **सिलंबम:** बांस की लकड़ी का उपयोग करके किया जाने वाला प्राचीन तमिल मार्शल आर्ट।
    - **घुड़सवारी और तीरंदाजी:** युद्ध में सेना का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक कौशल।
  - **भाषागत कौशल:** उन्होंने तमिल, अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू सहित विभिन्न भाषाओं में निपुणता हासिल की, जिससे बाद में उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध कूटनीतिक गठबंधन बनाने में मदद मिली।
- **विवाह और निजी जीवन**
  - 16 वर्ष की उम्र में, रानी वेलु नाच्चियार का विवाह तमिलनाडु के शिवगंगा रियासत के शासक राजकुमार मुथुवडुगानाथन उदयाथेवर से हुआ।
  - इस दंपत्ति की एक पुत्री थी, जिसका नाम वेल्लाची नाच्चियार था।
  - उनका शांतिपूर्ण शासन 1772 में बाधित हो गया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आर्कोट के नवाब ने मिलकर शिवगंगा पर हमला कर दिया।
  - इस युद्ध में मुथुवडुगानाथन उदयाथेवर मारे गए और ब्रिटिश सेना ने शिवगंगा पर आधिपत्य कर लिया, जिससे रानी वेलु नाच्चियार को अपनी पुत्री के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में भागना पड़ा।
- **निर्वासन और विद्रोह की तैयारी**
  - ब्रिटिश हमले से बचने के पश्चात्, रानी वेलु नाच्चियार ने विरुपाची (डिंडीगुल के निकट) के पलायक्करार (स्थानीय प्रमुख) गोपाला नायककर के पास शरण ली।
  - अगले आठ वर्ष तक उन्होंने निर्वासन में रहकर अपने प्रत्याक्रमण (पलटवार) की योजना बनाई और समर्थन जुटाया।
  - उन्होंने मैसूर के शासक हैदर अली से गठबंधन किया, जिन्होंने उन्हें हथियार, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षित सैनिकों की मदद प्रदान की।
  - इसके साथ ही, रानी वेलु नाच्चियार ने महिलाओं की एक सेना भी बनाई, जो भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ियों में से एक थी।
- **अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध (1780)**
  - 1780 में, रानी वेलु नाच्चियार ने ब्रिटिश और आर्कोट के नवाब के विरुद्ध एक शक्तिशाली विद्रोह प्रारंभ किया।
  - **सामरिक युद्ध:**
    - रानी वेलु नाच्चियार ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति और खुफिया रणनीतियों का उपयोग करके दुश्मनों को कमजोर किया।
    - उन्होंने अपने विश्वस्त कमांडर कुइली के नेतृत्व में एक आत्मघाती दस्ते का गठन किया, जिसने खुद को आग लगाकर और ब्रिटिश गोला-बारूद के भंडार को नष्ट करके इतिहास में पहली बार आत्मघाती बम विस्फोट किया।
  - भीषण युद्ध के पश्चात्, रानी वेलु नाच्चियार ने शिवगंगा को ब्रिटिश नियंत्रण से सफलतापूर्वक वापस प्राप्त कर लिया।
- **शासन और प्रशासन**
  - उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता स्थापित किया, और यह सुनिश्चित किया कि ब्रिटिश दोबारा नियंत्रण न पा सकें।

- उन्होंने प्रशासन में सहायता के लिए मरुदु भाइयों को नियुक्त किया:
  - वेल्लई मरुदु को सेनापति (कमांडर-इन-चीफ) नियुक्त किया।
  - चिन्ना मरुदु को मंत्री बनाया।

- **विरासत और मृत्यु**
  - वह भारत की पहली रानी बनीं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जो 1857 के विद्रोह से लगभग 75 वर्ष पहले घटित हुआ था।
  - रानी वेलु नाच्चियार ने 25 दिसंबर, 1796 को अपने निधन तक शिवगंगा पर शासन किया।

- **सम्मान और मान्यता**
  - भारत सरकार ने 2008 में उनके सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया।
  - उन्हें तमिल गौरव और महिला सशक्तीकरण के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है।

गुरु गोबिंद सिंह की 358वीं जयंती

हाल ही में, संपूर्ण विश्व में 6 जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह जी की 358वीं जयंती मनाई गई।

परिचय

- **प्रारंभिक जीवन**
  - **जन्म:** गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर, 1666 को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। वे सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के पुत्र थे।
  - **उत्तराधिकार:**
    - सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में, गुरु गोबिंद सिंह जी को सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के रूप में घोषित किया गया, जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए।
    - मुगल सम्राट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार करने के कारण शहीद कर दिया, जिससे गुरु गोबिंद सिंह जी सिख समुदाय के वैध उत्तराधिकारी एवं नेता बने।
- **दर्शन और योगदान**
  - **कवि और दार्शनिक:** गुरु गोबिंद सिंह जी केवल एक आध्यात्मिक नेता ही नहीं, बल्कि एक महान कवि, दार्शनिक और सिख धर्म के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व भी थे।
  - **खालसा का गठन:** गुरु गोबिंद सिंह जी को 1699 में बैसाखी के अवसर पर खालसा, सिख योद्धा समुदाय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है।
  - **पाँच ककार:** गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म में 'पाँच ककार' के रूप में जाने जाने वाले पाँच आस्था चिह्नों की स्थापना की। प्रत्येक सिख, जो खालसा पंथ में दीक्षित होता है, को इन पाँच ककारों का पालन करना आवश्यक होता है:
    - **केश:** बिना कटे हुए बाल, जो ईश्वर की सृष्टि के प्रति सम्मान का प्रतीक हैं।
    - **कंघा:** लकड़ी की कंघी, जो स्वच्छता और अनुशासन का प्रतीक है।
    - **कड़ा:** लोहे या स्टील का कड़ा, जो अनंतता (अखंडता) और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक है।
    - **कृपाण:** एक धार्मिक तलवार, जो सत्य और न्याय की रक्षा का प्रतीक है।
    - **कछेरा:** घुटनों तक का अधोवस्त्र, जो सादगी और आत्मसंयम का प्रतीक है।
- **गुरु ग्रंथ साहिब और भजन**
  - **पवित्र भजन:** गुरु गोबिंद सिंह जी ने कई पवित्र भजनों (शबद) की रचना की, जिन्हें संगत (आध्यात्मिक सभाओं) के दौरान गाया और पाठ किया जाता है। उनके भजन (शबद) सिख धर्म के मुख्य धार्मिक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं।
  - **अंतिम घोषणा:** गुरु गोबिंद सिंह जी ने घोषणा की कि उनके पश्चात् गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के लिए शाश्वत (सदा के लिए) गुरु होंगे।
    - इस प्रकार, उन्होंने मानव गुरुओं की परंपरा को समाप्त किया और यह सुनिश्चित किया कि गुरुओं की शिक्षाएँ पवित्र ग्रंथों के माध्यम से आगे बढ़ती रहें।
- **पंज प्यारों की स्थापना:** बैसाखी 1699 में, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के दौरान 'पंज प्यारों' (पाँच प्रियजन) की परंपरा प्रारंभ की।
  - उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए पाँच स्वयंसेवकों को बुलाया, और विभिन्न क्षेत्रों और जातियों से पाँच पुरुषों ने इस आह्वान को स्वीकार किया।
    - भाई दया राम – लाहौर से, भाई धरम राय – हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश) से, भाई हिम्मत राय – जगन्नाथ (ओडिशा) से, भाई मोहकम राय – गुजरात से तथा भाई साहिब चंद – बीदर (कर्नाटक) से।
  - **सिख समाज में भूमिका:** खालसा में दीक्षित (बपतिस्मा प्राप्त) कोई भी सिख 'पंज प्यारों' का हिस्सा बन सकता था। पंज प्यारों द्वारा लिए गए निर्णय सिख समुदाय में सर्वोच्च माने जाते थे, यहाँ तक कि अकाल तख्त के जत्थेदारों (सिख धार्मिक और प्रशासनिक नेताओं) द्वारा लिए गए निर्णय भी इनके अधीन होते थे।
- **वीर बाल दिवस और गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों का बलिदान**
  - **वीर बाल दिवस:** वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्रों, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता को सम्मान दिया जा सके, जिन्होंने मुगल सेना के हाथों अपना बलिदान दिया।
  - **गिरफ्तारी और शहादत:** 1705 में, जब मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब किले को घेर लिया, तब गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों को बंदी बना लिया गया।
    - उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को त्यागने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, मुगल सेनापति वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया।
    - कम उम्र के बावजूद, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अद्भुत साहस और अपने धर्म के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई, और धर्मांतरण के बदले मृत्यु को स्वीकार किया।
    - उनकी शहादत त्याग, वीरता और अटूट आस्था का प्रतीक मानी जाती है।
- **विरासत और योगदान**
  - **गुरु गोबिंद सिंह जी का स्थायी प्रभाव:** गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन और उनकी शिक्षाएँ आज भी सिखों और सभी वर्गों के लोगों को प्रेरित करती हैं। न्याय, समानता और आध्यात्मिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ही खालसा पंथ और सिख जीवनशैली की आधारशिला है।
  - **गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित करना:** गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत (सदैव रहने वाला) गुरु घोषित करना सिख इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि सिख धर्म की शिक्षाएँ लिखित रूप में हमेशा बनी रहें।
  - **सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा:** गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा समानता, साहस और आत्मरक्षा का प्रचार आज भी सिख समुदाय को न्याय एवं निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।

1 राजव्यवस्था एवं शासन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अंतर्गत अनुपस्थित अभियुक्त का परीक्षण

केंद्रीय गृह मंत्री ने सुझाव दिया कि उन भगोड़ों (फरार अपराधियों) के विरुद्ध 'अनुपस्थिति में परीक्षण' (Trial in Absentia) प्रारंभ किए जाएँ, जो लंबे समय से न्यायिक कार्रवाही से बच रहे हैं, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में।

परिचय:

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 'अनुपस्थिति में परीक्षण' की व्यवस्था की गई है, जिससे अभियुक्त की गैर-मौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है।
- पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) में यह अनुमति नहीं थी।

प्रमुख प्रावधान:

- **धारा 355:** न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अभियुक्त के बिना कार्यवाही कर सकते हैं यदि:
  - उनकी उपस्थिति न्याय के लिए आवश्यक नहीं है, या
  - वे न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालते हैं।
- **धारा 356:** न्यायालयों को उन घोषित अपराधियों के विरुद्ध अनुपस्थिति में परीक्षण करना होगा, जो मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गए हैं।
  - आरोप तय करने के पश्चात् 90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि आवश्यक है, उसके पश्चात् ही मुकदमा प्रारंभ किया जा सकता है।
  - अनुपस्थिति में फैसला सुनाया जा सकता है, और यदि अभियुक्त बाद में गिरफ्तार होता है या कार्यवाही के अंत में उपस्थित होता है, तो भी मुकदमा जारी रहेगा।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152: एक संभावित राजद्रोह कानून

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि धारा 152 का दुरुपयोग किया जा सकता है, और यह राजद्रोह कानून के आधुनिक संस्करण के रूप में कार्य कर सकता है।

परिचय:

- यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है, जो जानबूझकर या इरादतन निम्न तरीकों से कार्य करते हैं:
  - शब्दों (मौखिक या लिखित) के माध्यम से
  - संकेतों या दृश्यमान चित्रों के माध्यम से
  - इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से
  - वित्तीय सहायता के माध्यम से
  - अन्य तरीकों से।
- **उन लोगों को दंडित किया जाएगा, जो**
  - अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों के लिए उकसाते हैं या ऐसा करने का प्रयास करते हैं।
  - अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुँचाते हैं।
- **सजा:** आजीवन कारावास या सात वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना।

मुख्य चिंताएँ:

- **अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना:** 'संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना' जैसे शब्द स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, जिससे गलत व्याख्या और दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।
  - प्रशासन इसका इस्तेमाल राजनीतिक या ऐतिहासिक व्यक्तियों की आलोचना करने वालों को निशाना बनाने के लिए कर सकता है।
- **अपराध की न्यूनतम सीमा:** 'जानबूझकर' शब्द के उपयोग से किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना आसान हो जाता है, विशेषकर सोशल मीडिया पर।
  - यदि कोई पोस्ट भड़काऊ मानी जाती है, तो बिना दुराशय के शेयर करने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

सिफारिशें:

- **न्यायिक निगरानी:** न्यायालयों ने इस पर बल दिया है कि किसी भाषण के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि केवल उसके शब्दों का।
  - महत्त्वपूर्ण मामलों जैसे बलवंत सिंह बनाम पंजाब और केदार नाथ सिंह बनाम बिहार में यह निर्णय दिया गया कि भाषण एवं वास्तविक क्षति के बीच प्रत्यक्ष संबंध होना जरूरी है।
- **स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुरक्षा:**
  - "विचारों के बाजार" को प्रोत्साहित करना, जहाँ लोग बिना डर के अपनी राय व्यक्त कर सकें।
  - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, विशेषकर सोशल मीडिया युग में, जो लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है।

BNSS की धारा 479

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 479 को लागू करने का अनुरोध किया है, ताकि विचाराधीन कैदियों को राहत मिल सके।

BNSS की धारा 479 के प्रमुख प्रावधान

- **अर्ध कारावास:** विचाराधीन कैदी जिन्होंने अपने अपराध की अधिकतम सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है (मृत्यु दंड या आजीवन कारावास को छोड़कर), उन्हें न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

- **एक-तिहाई कारावास (पहली बार अपराध करने वाले):** पहली बार अपराध करने वाले जिनका एक-तिहाई सजा का समय पूरा हो चुका है, उन्हें न्यायालय द्वारा मुचलका (बांड) पर रिहा किया जाना चाहिए।
- **जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी:** धारा 479(3) के अंतर्गत जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि योग्य कैदियों की रिहाई के लिए संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत किया जाए, ताकि उन्हें जमानत या बांड पर छोड़ा जा सके।

कोई भी व्यक्ति उचित मुआवजे के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दिए गए निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भूमि मालिकों को अनुच्छेद 300-A के अंतर्गत उचित मुआवजे के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह मामला बेंगलुरु-मैसूर कॉरिडोर परियोजना (2003) से जुड़ा था, जहाँ मुआवजे में विलंब हुआ था।

निर्णय की मुख्य बातें

- **संपत्ति का अधिकार:** एक संवैधानिक और मानवाधिकार- सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है (44वें संविधान संशोधन, 1978 के पश्चात्), लेकिन यह अनुच्छेद 300-A के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बना हुआ है और एक कल्याणकारी राज्य में इसे मानवाधिकार के रूप में भी माना जाता है।
  - किसी भी व्यक्ति को कानूनी अधिकार के बिना और उचित मुआवजे के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

- **उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:** सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय को बरकरार रखा कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLAO) मूल्यांकन की तिथि परिवर्तित नहीं कर सकता। केवल सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32/142) या उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) ही मूल्यांकन तिथि में परिवर्तन कर सकते हैं। HC की आलोचना की गई क्योंकि उसने न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं किया।
- **उचित बाजार मूल्य:** 2003 की दरों पर मुआवजा देना अन्यायपूर्ण है और अनुच्छेद 300-A का उल्लंघन करता है। अगर मुआवजे में लंबे समय तक विलंब होता है, तो मूल्यांकन की तिथि बदली जा सकती है।
- **अनुच्छेद 142 का उपयोग:** पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, SC ने मूल्यांकन तिथि को 22 अप्रैल, 2019 कर दिया। SLAO को निर्देश दिया गया कि 2019 के बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। भूमि मालिकों को 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत सभी लाभ मिलने चाहिए।

ब्लड मनी

2019 में, तंजावुर के अर्जुनन अठिमुथु, जिन्हें कुवैत में मौत की सजा दी गई थी, उनकी सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, जब उनके परिवार ने ₹ 30 लाख की 'ब्लड मनी' का भुगतान किया।

परिचय:

- ब्लड मनी (दिया) इस्लामिक शरिया कानून की एक अवधारणा है, जिसमें अपराधी को मृतक के परिवार को वित्तीय मुआवजा (धन) देना होता है।
- भारत की कानूनी प्रणाली ब्लड मनी को मान्यता प्रदान नहीं करती, लेकिन प्ली बार्गेनिंग (Plea Bargaining) की अनुमति देती है, जिससे आरोपी अभियोजन पक्ष के साथ समझौता कर सकता है।

प्ली बार्गेनिंग (Plea Bargaining)

- एक प्रक्रिया जिसमें प्रतिवादी कम सजा या कम आरोपों जैसी रियायतों के बदले में दोषी होने की दलील प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** मामले का जल्दी निपटारा करना, समय, संसाधन और खर्च की बचत करना।
- **भारत में विधिक प्रावधान:** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत नियंत्रित, उन अपराधों पर लागू, जिनमें अधिकतम सजा 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने डोमिसाइल आधारित पीजी मेडिकल प्रवेश को असंवैधानिक घोषित किया

"तन्वी बेहल बनाम श्रेय गोयल एवं अन्य, 2025" के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए डोमिसाइल आधारित आरक्षण असंवैधानिक है।

परिचय:

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर आधारित था, जिसने पहले ही डोमिसाइल (निवास स्थान) आधारित पीजी प्रवेश आरक्षण को रद्द कर दिया था।
- **डोमिसाइल कोटा:** यह एक प्रणाली है, जिसमें राज्य स्थानीय निवासियों के लिए पीजी मेडिकल सीटें आरक्षित करते हैं।
- **पीजी मेडिकल प्रवेश:**
  - 50% सीटें केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाती हैं।
  - शेष 50% सीटों का प्रबंधन राज्य सरकारें करती हैं, जो प्रायः डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए कोटा निर्धारित करती हैं।
- **डोमिसाइल-आधारित आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - **अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन:** राज्य डोमिसाइल के आधार पर अनुचित भेदभाव उत्पन्न करता है।

- **मेरिट-आधारित प्रवेश:** पीजी मेडिकल प्रवेश केवल NEET स्कोर के आधार पर होना चाहिए, यहाँ तक कि राज्य कोटा सीटों के लिए भी।
- **विगत् प्रवेश पर कोई प्रभाव नहीं:** इस फैसले का प्रभाव पहले से डोमिसाइल कोटा के अंतर्गत भर्ती हुए छात्रों पर नहीं पड़ेगा।

- **डोमिसाइल बनाम रेजिडेंस:** "डोमिसाइल" का तात्पर्य विधिक रूप से स्थायी निवास से है, न कि केवल उस स्थान से जहाँ कोई वर्तमान में निवास (रेजिडेंस) करता है। भारत में एकल डोमिसाइल प्रणाली है - 'भारत का डोमिसाइल' - और राज्य-विशिष्ट डोमिसाइल विधिक रूप से मान्य नहीं हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 (प्रारूप)

सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 (प्रारूप) को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। इन नियमों के अधिसूचित होने के पश्चात्, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा।

मसौदा नियमों की मुख्य विशेषताएँ

- **डेटा फिड्यूशरी** (Data Fiduciaries)**:** सभी प्रमुख टेक कंपनियाँ, जैसे Meta, Google, Apple, Microsoft और Amazon, को महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी के रूप में वर्गीकृत किए जाने की संभावना है।
  - डेटा फिड्यूशरी उन संस्थाओं (कंपनियों, संगठनों या सरकारों) को कहते हैं, जो व्यक्तिगत डेटा एकत्र, संगृहीत, संसाधित या प्रबंधित करती हैं और उन व्यक्तियों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए विधिक या नैतिक रूप से बाध्य होती हैं, जिनका डेटा वे संभालती हैं।
- **डेटा संरक्षण अधिकारी:** यह वह व्यक्ति होता है जिसे डेटा फिड्यूशरी द्वारा अधिकृत किया जाता है, ताकि वह डेटा प्रिंसिपल से संबंधित किसी भी संचार का जवाब दे सके। 'डेटा प्रिंसिपल' वह व्यक्ति है, जिसका व्यक्तिगत डेटा संगृहीत या प्रबंधित किया जा रहा हो।
- **पारदर्शिता:** डेटा फिड्यूशरी को यह स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य जानकारी देनी होगी कि व्यक्तिगत डेटा कैसे संसाधित किया जाता है, ताकि लोग जानकारी के आधार पर सहमति दे सकें।
- **डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध:** केंद्र सरकार यह निर्धारित करेगी कि 'महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी' किस प्रकार के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित कर सकते हैं।
  - यह प्रतिबंध के अधीन है कि ऐसा व्यक्तिगत डेटा भारत की सीमाओं के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- **नागरिकों के अधिकार:** नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने डेटा को समाप्त करने की माँग कर सकते हैं, डिजिटल नामित व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं, और अपने डेटा को प्रबंधित करने के लिए उपयोगकर्त्ता के अनुकूल तंत्र तक पहुँच सकते हैं।
- **बच्चों के लिए:** टेक कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की अनुमति प्रदान करता है कि वे बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने से पूर्व 'सत्यापित' माता-पिता की सहमति प्राप्त करें।
- **डेटा संरक्षण बोर्ड:** यह बोर्ड एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा, जहाँ नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, और उनका समाधान प्राप्त कर सकेंगे।
- **डेटा उल्लंघन:**
  - अगर डेटा का उल्लंघन होता है, तो डेटा फिड्यूशरी को प्रभावित व्यक्तियों को बिना किसी विलंब के सूचित करना होगा, साथ ही जो उपाय किए गए हैं, वे भी बताने होंगे ताकि जोखिम को कम किया जा सके।
  - डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं करने पर अधिकतम ₹ 250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- **पृष्ठभूमि:** 2017 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत के लिए डेटा संरक्षण ढाँचा विकसित करने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति का गठन किया।
  - डेटा संरक्षण विधेयक का पहला मसौदा 2018 में प्रस्तुत किया गया था।
  - 2019 और 2021 में कई संशोधनों के पश्चात्, इस विधेयक को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 से परिवर्तित कर दिया गया।
- **दायरा:** यह भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है, जब यह डेटा ऑनलाइन एकत्र किया गया हो या ऑफलाइन एकत्र कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया हो।
  - यह भारत के बाहर किए गए ऐसे डेटा प्रसंस्करण पर भी लागू होता है, यदि वह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित हो।
- **सहमति:** व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण केवल किसी वैध उद्देश्य के लिए, व्यक्ति की सहमति मिलने पर ही किया जा सकता है।
  - कुछ निर्दिष्ट वैध उपयोगों के लिए सहमति आवश्यक नहीं होगी, जैसे: व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से डेटा साझा करना, राज्य (सरकार) द्वारा परमिट, लाइसेंस, लाभ और सेवाओं के लिए डेटा का उपयोग करना।
- **डेटा फिड्यूशरी की जिम्मेदारियाँ:** डेटा की सटीकता बनाए रखना, डेटा को सुरक्षित रखना, जब डेटा का उद्देश्य पूरा हो जाए, तो उसे समाप्त कर देना।
- **व्यक्तियों के अधिकार:** जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, डेटा में सुधार और समाप्त करने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार।
- **छूट:** सरकारी एजेंसियों को कुछ विशेष मामलों में छूट दी जा सकती है, जैसे: राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम।
- **डेटा संरक्षण बोर्ड:** अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर निर्णय लेने के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया जाएगा। डेटा संरक्षण बोर्ड को व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए सिविल अदालत जैसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
  - बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति दो वर्षों के लिए की जाएगी, और वे पुनर्नियुक्ति के योग्य होंगे।
  - केंद्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या और चयन प्रक्रिया से संबंधित विवरण निर्धारित करेगी।

राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)

हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

SPSC के बारे में:

- **भूमिका और कार्य:** राज्य सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है।
  - राज्य लोक सेवाओं में भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यों पर सलाह प्रदान करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315-323 के अंतर्गत संचालित होते हैं।
  - इन प्रावधानों में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की संरचना, शक्तियाँ और कार्यों का उल्लेख किया गया है।
- **अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति:** नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण राज्य का राज्यपाल होता है (अनुच्छेद 316)।
  - अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है।
- **पद से विमुक्त करने का प्रावधान:** अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित आधारों पर विमुक्त किया जा सकता है:
  - दिवालिया घोषित (Insolvent) होना, अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अन्य नौकरी या व्यवसाय में संलग्न होना, मानसिक रूप से अक्षम होना, कदाचार साबित होने की स्थिति में।

व्हिप प्रणाली

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया बयान कि पार्टी व्हिप सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और उन्हें पार्टी लाइन का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं, ने विमर्श की स्थिति उत्पन्न कर दिया है।

परिचय:

- व्हिप एक आदेश होता है जो सदन में किसी पार्टी के सदस्यों को पार्टी के निर्देशों का पालन करने के लिए दिया जाता है।
- राजनीतिक पार्टियाँ अपने सांसदों को किसी विधेयक के पक्ष या विरोध में मतदान करने का निर्देश देने के लिए व्हिप जारी करती हैं, जो उनकी पार्टी की नीति पर निर्भर करता है। एक बार व्हिप जारी हो जाने के पश्चात्, प्रत्येक पार्टी के सांसदों को इसका पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा उन्हें संसद में अपनी सीट खोने का खतरा रहता है।
- यह शब्द ब्रिटेन की पुरानी प्रथा 'व्हिपिंग इन' से लिया गया है, जिसमें विधायकों को पार्टी लाइन का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता था।
- संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे एक संसदीय परंपरा माना जाता है।
- पार्टियाँ अपने सदन के सदस्यों में से एक वरिष्ठ सदस्य को व्हिप जारी करने के लिए नियुक्त करती हैं, जिसे 'मुख्य व्हिप' कहा जाता है, और उसे अतिरिक्त व्हिप द्वारा सहायता दी जाती है।

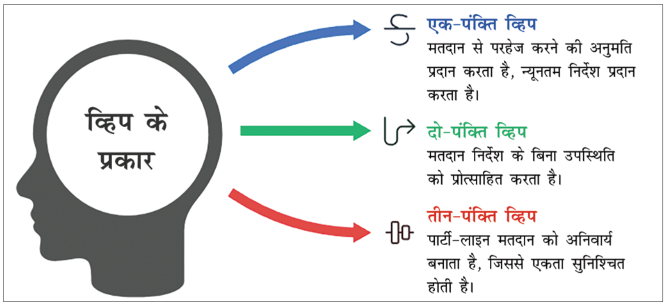

व्हिप का महत्त्व:

- व्हिप अनुशासन बनाए रखने, सदन में सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। यह राजनीतिक पार्टी और विधायिका में मौजूद पार्टी के सदस्यों के बीच संचार का माध्यम होता है।
- यह पार्टी के सदस्यों की राय जानने और उसे पार्टी के नेताओं तक पहुँचाने का काम भी करता है।

उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, यदि उच्च न्यायालय में 20% से अधिक न्यायाधीशों की कमी होती है, तो वे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दोबारा नियुक्त कर सकते हैं।

परिचय:

- संविधान का अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों से पुनः न्यायिक कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे नियुक्त न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार भत्ते मिलेंगे, और उन्हें उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।
- नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति दोनों की सहमति आवश्यक होती है। इसकी विस्तृत प्रक्रिया उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 1998 के 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MOP)' में प्रदान की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने 20% रिक्तियों की शर्त में ढील प्रदान की, जिससे अब कम रिक्तियों के बावजूद अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं।
- प्रत्येक उच्च न्यायालय में 2 से 5 अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या अनुमोदित पदों के 10% से अधिक नहीं हो सकती।
- अस्थायी न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के नियमित न्यायाधीश के साथ बैठना होगा।
- उनका मुख्य कार्य लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा करना होगा।
- अनुच्छेद 224A के अंतर्गत नियुक्तियों के लिए 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर' का पालन किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अप्रैल 2021 के आदेश, जिसमें 20% रिक्ति की अनिवार्यता थी, को अस्थायी रूप से रोक दिया है।

विभिन्न प्रकार के न्यायाधीश			
श्रेणी	**नियुक्ति की शर्तें**	**जिम्मेदार प्राधिकारी**	**विशेषाधिकार और शक्तियाँ**
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश	• जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो • जब CJI अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो • जब CJI कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो	भारत का राष्ट्रपति	भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार
तदर्थ न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय)	• जब स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो तो सर्वोच्च न्यायालय का सत्र आयोजित करने या जारी रखने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए • जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हो। • नियुक्ति अस्थायी होती है।	• भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् और राष्ट्रपति की सहमति से नियुक्ति करते हैं।	• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय)	• कोई सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के योग्य हो, को अस्थायी रूप से SC न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। • इसके लिए राष्ट्रपति और नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीश दोनों की सहमति आवश्यक होती है।	भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से।	• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त हैं • राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का हकदार • स्थायी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नहीं माना जाता
अतिरिक्त न्यायाधीश (उच्च न्यायालय)	• जब किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्यभार बढ़ जाता है या मामलों का लंबित बोझ अधिक हो जाता है, तब अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। • नियुक्ति अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।	• भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात्।	• कार्यकाल के दौरान स्थायी उच्च न्यायालय न्यायाधीश के समान शक्तियाँ, क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वे स्थायी न्यायाधीश नहीं होते।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण

हाल ही में सरकार ने एक पायलट परियोजना 'राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (नक्शा)' प्रारंभ किया।

पृष्ठभूमि:

- 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2030 तक भारत की लगभग 40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने की अपेक्षा है।
- शहरों के योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि और संपत्ति रिकॉर्ड प्रणाली को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।
- कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ ही राज्यों में शहरी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की प्रणाली मौजूद है।

नक्शा के बारे में:

- यह 2024-25 के बजट में घोषित किया गया था।
- **उद्देश्य:** रिकॉर्ड रखने की प्रणाली को एकसमान बनाना, प्रक्रियाओं को सरल करना, और भूमि लेन-देन में पारदर्शिता लाना।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - आगामी एक वर्ष में देश के 150 शहरों में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार करना।
  - प्रत्येक भूमि खंड के स्वामित्व की जानकारी और उस पर किए गए विकास से जोड़ना।
  - पाँच वर्षों के अंदर पूरे शहरी क्षेत्र को इस योजना के दायरे में लाना।
- **अन्य पहल:** केंद्र सरकार की दो महत्त्वपूर्ण योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है
  - डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम
  - गाँवों के सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक से मानचित्रण (स्वामित्व) योजना इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्रों के भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण करना है।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता

- यह पारंपरिक चुनौतियों जैसे भूमि विवाद, धोखाधड़ी और अप्रभावी मैन्युअल प्रक्रियाओं को दूर करके भूमि प्रबंधन को परिवर्तित करेगा।
- स्वामित्व की जानकारी ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध अतिक्रमण कम होंगे।

- यह विवादों के समाधान को सरल बनाएगा, जिससे अदालतों पर भार कम होगा और वंचित समुदायों को भूमि अधिकारों तक बेहतर पहुँच मिलेगी।
- भू-स्थानिक मानचित्रण के साथ एकीकरण से भूमि प्रबंधन बेहतर होगा, जिससे सटीक सर्वेक्षण और योजना संभव होगी।
- भूमि अधिग्रहण या आपदाओं के दौरान, डिजिटल रिकॉर्ड निष्पक्ष और समय पर मुआवजे को सुनिश्चित करेंगे।

डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियाँ

- इसे 2016 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया था, ताकि एक आधुनिक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जा सके।
- **उपलब्धियाँ:**
  - लगभग 95% भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है।
  - कैडस्ट्रल (भूमि सर्वेक्षण) मानचित्रों का 68.02% डिजिटलीकरण राष्ट्रीय स्तर पर पूरा हो चुका है।
  - 87% उप-पंजीयक कार्यालय भूमि रिकॉर्ड प्रणाली से जोड़े जा चुके हैं।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0

दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) 2.0 हेतु दृष्टि दस्तावेज जारी किया। इसका उद्देश्य NBM 1.0 (2019-2024) द्वारा रखी गई नींव को और मजबूत करना है।

भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

- 2023 में, भारत में कुल 83.22 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे, जिनमें से 79.98 करोड़ वायरलेस और 3.23 करोड़ वायरलाइन कनेक्शन थे।
- 2015 से 2021 के बीच, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में 200% और शहरी क्षेत्रों में 158% की वृद्धि हुई।
- 'NBM 1.0' ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को तीव्र किया, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिली।

ब्रॉडबैंड कनेक्शन के प्रकार

- **वायर्ड ब्रॉडबैंड:** ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला ब्रॉडबैंड।
- **वायरलेस ब्रॉडबैंड:** रेडियो लिंक के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला ब्रॉडबैंड।
- **डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन:** तांबे की तार के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला ब्रॉडबैंड।

NBM 2.0: विजन और उद्देश्य

- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) के नए चरण को NBM 1.0 के आधार पर विकसित किया गया है, और 2030 तक संपूर्ण भारत में किफायती और विश्वसनीय ब्रॉडबैंड पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार:** 2030 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) को 2.70 लाख गाँवों तक पहुँचाना, जबकि वर्तमान में यह लगभग 50,000 गाँवों में है।
    - OFC नेटवर्क का 95% अपटाइम बनाए रखना।
  - **एंकर संस्थानों की कनेक्टिविटी:** स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आँगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत कार्यालयों जैसे 90% एंकर संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना।
  - **ब्रॉडबैंड गति में सुधार:** 2030 तक राष्ट्रीय औसत स्थिर ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को कम से कम 100 mbps तक बढ़ाना।
  - **5G रोलआउट और 6G की तैयारी:** देशभर में 5G नेटवर्क को लागू करना, और भविष्य में 6G तकनीकों के लिए आधार तैयार करना।
  - **विद्युत क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे का उपयोग:** संभावित आपदाओं, युद्ध और आपात स्थितियों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए पावर सेक्टर की ऑप्टिकल ग्राउंड वायर तकनीक का उपयोग करना।

एंटिटी लॉकर

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने 'एंटिटी लॉकर' विकसित किया है।

परिचय:

- एंटिटी लॉकर एक सुरक्षित, क्लाउड-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत में विभिन्न प्रकार के संगठनों के लिए व्यावसायिक दस्तावेजों के भंडारण, साझा करने और सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **लक्षित इकाइयाँ:** बड़े निगम, MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), स्टार्टअप, ट्रस्ट, सोसाइटी और अन्य संगठन।
  - भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहल और केंद्रीय बजट 2024-25 के डिजिटल गवर्नेंस के विजन के अनुरूप।
- **सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:** 10 GB एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज – दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए।
  - विधिक रूप से मान्य डिजिटल हस्ताक्षर – प्रमाणिकता के लिए।
  - आधार-प्रमाणीकृत, भूमिका-आधारित एक्सेस मैनेजमेंट – सुरक्षित और जिम्मेदार पहुँच सुनिश्चित करने के लिए।
- **एकीकरण क्षमताएँ:** सरकारी डेटाबेस से रीयल-टाइम एक्सेस और सत्यापन।
- **निम्नलिखित प्रणाली से सहज कनेक्टिविटी:**
  - कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय
  - वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क
  - विदेश व्यापार महानिदेशालय
- **सहमति-आधारित डेटा साझाकरण:** संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा करने की सुविधा।

लाभ

- **संचालन क्षमता:** प्रशासनिक बोझ और दस्तावेज प्रसंस्करण समय को कम करता है।
    - दस्तावेज साझा करने और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
    - सभी दस्तावेज-संबंधित गतिविधियों को ट्रैक करता है, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके।
- **बेहतर एकीकरण:** सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ प्रत्यक्ष एकीकरण, जिससे अनुपालन और रिपोर्टिंग अधिक प्रभावी होती है।
- **रणनीतिक प्रभाव:** एंटिटी लॉकर भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तकनीक के माध्यम से शासन सुधारने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

क्रॉसपैथी

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने हाल ही में उन होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाएँ लिखने की अनुमति प्रदान की है, जिन्होंने आधुनिक फार्माकोलॉजी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया है।

परिचय:

- क्रॉसपैथी का तात्पर्य है जब कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाकर इलाज करता है या दवाएँ लिखता है।
- यह सबसे अधिक तब देखा जाता है जब वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों, जैसे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) के चिकित्सक, सामान्यत: एलोपैथिक (आधुनिक चिकित्सा) डॉक्टरों द्वारा दिए जाने वाले उपचार प्रदान करते हैं।

क्रॉसपैथी को बढ़ावा देने के कारण

- **विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में 80% चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी है, जिससे सरकार आयुष चिकित्सकों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि इस अंतर को भरा जा सके।
- **स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाना:** भारत में 13 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर और 5.5 लाख आयुष चिकित्सक हैं। क्रॉसपैथी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने का एक तरीका माना जा रहा है, विशेषकर दूर-दराज के इलाकों में।
- **ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियाँ:** खराब कार्य परिस्थितियाँ और कम वेतन की वजह से MBBS डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने से परहेज करते हैं, जिससे आयुष चिकित्सकों पर निर्भरता बढ़ रही है।

क्रॉसपैथी से संबंधित चिंताएँ और मुद्दे

- **कानूनी प्रतिबंध:** राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (National Medical Commission Act, 2019) आयुष चिकित्सकों को एलोपैथी का अभ्यास करने से रोकता है। महाराष्ट्र सरकार का हालिया निर्णय राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध जाता है।
- **रोगी की सुरक्षा पर खतरा:** भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) का कहना है कि अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा लिखने की अनुमति देने से लापरवाही और गलत इलाज हो सकता है, जिससे मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
- **चिकित्सा की प्रतिष्ठा पर असर:** क्रॉसपैथी को विशेषज्ञ चिकित्सा योग्यता और प्रशिक्षण का अवमूल्यन माना जा रहा है।
- **चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता:** चूँकि, आयुष चिकित्सक आधुनिक चिकित्सा में पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होते, इसलिए चिंता है कि इससे मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाएगा और उनकी देखभाल प्रभावित होगी।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

- 1996 के मामले पूनम वर्मा बनाम अश्विन पटेल में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को एलोपैथिक दवाएँ लिखने के कारण लापरवाही का दोषी ठहराया, जिससे मरीज की मृत्यु हो गई थी।
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता से बाहर जाकर इलाज करना 'चिकित्सा से संबंधित लापरवाही' है। हालाँकि, बाद के फैसलों में यह स्पष्ट किया गया कि क्रॉसपैथी केवल तभी मान्य है, जब संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसकी स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना के 10 वर्ष

भारत ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'सुकन्या समृद्धि योजना' के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया, जिसमें बेटियों को सशक्त बनाने, लैंगिक समानता बढ़ाने और बाल लिंग अनुपात सुधारने के प्रयासों को प्रकट किया गया।

परिचय:

- **उत्पत्ति:** 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा में प्रारंभ किया गया, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात सिर्फ 918 बालिकाएँ प्रति 1,000 बालक था। इसका कारण समाज में लड़कों को प्राथमिकता देना था।
- **उद्देश्य:** बाल लिंग अनुपात में सुधार करना।
    - लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तीकरण बढ़ाना।
    - लिंग-आधारित भ्रूण हत्या को रोकना।
    - लड़कियों के जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
    - लड़कियों की शिक्षा और भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **क्रियान्वयन:** यह राज्यों द्वारा लागू किया जाता है, और इसके लिए 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है।
    - इसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रावधान नहीं है।
- **सम्मिलित मंत्रालय:**
    - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
    - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
    - शिक्षा मंत्रालय (पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
- **सुकन्या समृद्धि योजना**
    - **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रारंभ की गई योजना:** यह लड़कियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई, ताकि परिवार उनकी शिक्षा और कल्याण में निवेश करें। यह कर बचत और उच्च ब्याज दर वाली बचत योजना प्रदान करती है।

- **पात्रता:**
  - ऐसे परिवार जिनमें 10 वर्ष से कम आयु की बालिका हो।
  - लड़की के नाम पर 'सुकन्या समृद्धि खाता' खोलना अनिवार्य है। केवल भारत के निवासी नागरिक ही पात्र हैं; अनिवासी भारतीय (NRIs) इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।

दशक की उपलब्धियाँ

- **बाल लिंग अनुपात में सुधार:** जागरूकता अभियानों और पूर्व-गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को कठोरता से लागू करने से बाल लिंग अनुपात में वृद्धि हुई हैं। बाल लिंग अनुपात जन्म के समय 918 (2014-15) से बढ़कर 933 (2022-23) हो गया।
- **बालिकाओं का स्कूल में नामांकन बढ़ा:** नि:शुल्क और रियायती शिक्षा, बेहतर स्कूल सुविधाएँ (जैसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय) और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छात्रवृत्तियों से ड्रॉपआउट दर में कमी हुई।
  - कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाओं से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा।
- **महिला उद्यमिता और नीतिगत समर्थन:** महिला कल्याण बजट में 200% से अधिक वृद्धि हुई, जो ₹ 0.97 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2014) से बढ़कर ₹ 3.10 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2025) हो गया।
  - ₹ 2.3 करोड़ MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) अब महिलाओं द्वारा संचालित हैं।
  - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 70% ऋण महिलाओं को दिए गए। जन धन योजना के अंतर्गत 30 करोड़ महिलाओं को बैंकिंग सुविधा मिली। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 1 करोड़ महिलाओं को ₹ 1 लाख+वार्षिक आय अर्जित करने में मदद मिली।
- **जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण:** 'सेल्फी विद डॉटर' और 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' जैसे अभियानों से समाज के सभी वर्गों को प्रेरित किया गया।
  - पंचायती राज संस्थाओं और धरातलीय स्तर के संगठनों ने बेटियों के जन्म का उत्सव मनाने और लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने में योगदान दिया।

उजाला योजना के 10 वर्ष

"सभी के लिए सस्ती LEDs द्वारा उन्नत ज्योति (UJALA) योजना" 5 जनवरी, 2015 को प्रारंभ की गई थी और ऊर्जा दक्षता में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में अपने 10 वर्ष पूरे कर चुकी है।

परिचय:

- **प्रारंभ:** इसे पहले घरेलू दक्ष प्रकाश योजना (DELP) के रूप में प्रारंभ किया गया था, और बाद में उजाला नाम से पुन: ब्रांडिंग की गई। इसका उद्देश्य घर-घर में सस्ती, ऊर्जा-कुशल LEDs बल्ब, ट्यूब लाइट और पंखे उपलब्ध कराकर घरेलू प्रकाश व्यवस्था में क्रांति लाना था।
- **कार्यान्वयन एजेंसियाँ:** यह ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) और विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक संयुक्त पहल है।
- **कार्यान्वयन मॉडल:** EESL ने प्रारंभिक लागत वहन की, और नगरपालिकाओं द्वारा मासिक या तिमाही किस्तों में भुगतान किया गया।
- **सार्वजनिक सेवाओं पर प्रभाव:** LEDs स्ट्रीटलाइट्स में 95% से अधिक समय तक संचालन सुनिश्चित किया गया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और नगर सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार हुआ।

स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम

- इसे 2015 में प्रारंभ किया गया, ताकि भारत में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन दिया जा सके।
- EESL द्वारा कार्यान्वित, जो पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को LED लाइटों से परिवर्तित करता है।
- **वित्तीय मॉडल**
  - EESL प्रारंभिक लागत वहन करता है, जिससे नगरपालिकाओं को कोई शुरुआती निवेश नहीं करना पड़ता।
- **अपेक्षित प्रभाव:**
  - अधिकतम माँग में 500 मेगावॉट की कमी।
  - प्रत्येक वर्ष 190 करोड़ किलोवॉट -घंटा ऊर्जा की बचत।
  - 15 लाख टन CO_2 उत्सर्जन में कमी।

ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड

- **स्थापना और स्वामित्व:**
  - भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित।
  - यह NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, REC लिमिटेड, और पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है।
  - कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 10 दिसंबर, 2009 को पंजीकृत।
- **उद्देश्य और भूमिका:**
  - ऊर्जा दक्षता तकनीकों के लिए बाजार तक पहुँच विकसित करना और बनाए रखना।
  - नगरपालिकाएँ, भवन, कृषि और उद्योग जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान।
  - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजनाओं को लागू करता है।
- **मुख्य पहल:** राष्ट्रीय मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत बाजार संबंधी गतिविधियों का नेतृत्व करता है।

2025 में बच्चों के लिए संभावनाएँ: बच्चों के भविष्य हेतु लोचशील व्यवस्था का निर्माण

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई रिपोर्ट '2025 में बच्चों के लिए संभावनाएँ: बच्चों के भविष्य के लिए लोचशील व्यवस्था का निर्माण' ने चेतावनी दी है कि विश्व बच्चों के लिए एक नए संकट के दौर में प्रवेश कर रहा है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- **संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी हुई:** 473 मिलियन (47.3 करोड़) से अधिक बच्चे – अर्थात् प्रत्येक छठा बच्चा – संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रह रहा है।
    - 1990 के दशक में संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की संख्या 10% थी, जो अब बढ़कर लगभग 19% हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्, विश्व में वर्तमान में सबसे अधिक संख्या में संघर्ष हो रहे हैं।
- **कर्ज संकट बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है:** लगभग 400 मिलियन (40 करोड़) बच्चे उन देशों में रह रहे हैं जो भारी कर्ज के भार तले दमित हैं। यदि जल्द ही वित्तीय सुधार नहीं किए गए, तो यह संख्या और बढ़ सकती है।
- **जलवायु संकट और उसके प्रभाव:** बहुपक्षीय जलवायु वित्तपोषण का सिर्फ 2.4% ही बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव – जैसे भोजन की कमी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन – बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं।
- **तकनीक तक असमान पहुँच:** उच्च आय वाले देशों में इंटरनेट की पहुँच लगभग सार्वभौमिक है, लेकिन अफ्रीका में 15-24 वर्ष की आयु के केवल 53% युवा ही ऑनलाइन हैं।
    - किशोर लड़कियाँ और दिव्यांग बच्चे सर्वाधिक तकनीकी बहिष्कार का सामना करते हैं। निम्न-आय वाले देशों में 90% युवा महिलाएँ अभी भी इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाती हैं।

भारतपोल पोर्टल

केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित 'भारतपोल' पोर्टल का उद्घाटन किया।

परिचय:

- भारतपोल (अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध सहायता और वास्तविक समय कार्रवाई के लिए प्रसारण केंद्र) एक तकनीकी प्लेटफॉर्म है, जिसे केंद्रीय और राज्य एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के मध्य वास्तविक समय में समन्वय को आसान बनाने के लिए विकसित किया गया है।
- यह जाँच प्रक्रियाओं को तीव्र करने और अपराध नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। यह संरचित और सुरक्षित डेटा साझा करने के लिए एक प्रभावी इंटरफेस प्रदान करता है।

मुख्य मॉड्यूल्स

- **कनेक्ट:** यह मॉड्यूल भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को INTERPOL के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB-New Delhi) के विस्तार के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है।
    - यह जाँच अनुरोधों और डेटा के तीव्र और सुरक्षित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करता है।
- **इंटरपोल नोटिस:** यह पोर्टल इंटरपोल नोटिस, जैसे रेड कॉर्नर नोटिस, को तीव्र गति से जारी और प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे अपराधियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में मदद मिलती है, चाहे वे भारत में हों या विदेश में।
- **संदर्भ निर्देश:** INTERPOL के 195 सदस्य देशों के डेटा और संदर्भों तक प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है।
- **ब्रॉडकास्ट:** यह मॉड्यूल अपराध से जुड़ी जानकारी और सतर्कता को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ त्वरित रूप से साझा करने में मदद करता है।
- **संसाधन:** क्षमता निर्माण के लिए तैयार किया गया यह मॉड्यूल दस्तावेजों के आदान-प्रदान और प्रबंधन का समर्थन करता है। यह अपराध नियंत्रण अभियानों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करता है।

इंटरपोल का परिचय

- इंटरपोल एक सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका पूरा नाम 'इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गनाइजेशन' है।
- **पृष्ठभूमि:** 1923 में वियना में 'अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस' के दौरान इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के रूप में स्थापित किया गया था।
    - 1956 में इसका नाम बदलकर 'इंटरपोल' रखा गया।
- **सदस्य देश:** इसमें भारत सहित 196 सदस्य देश हैं।
- **मुख्यालय:** ल्योन, फ्रांस में स्थित है।
- **कार्य और उद्देश्य:** यह विश्व भर की पुलिस एजेंसियों को तकनीकी रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है। यह पुलिस जानकारी को वैश्विक स्तर पर साझा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा और एकमात्र संगठन है।
- **नेशनल सेंट्रल ब्यूरो:** प्रत्येक देश में इंटरपोल का एक 'नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB)' होता है, जो इंटरपोल के जनरल सचिवालय और अन्य देशों के NCBs के साथ समन्वय का मुख्य केंद्र होता है।

भारत का रिकॉर्ड:

- भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना।
- भारत में CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) है। CBI भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग आवश्यकताओं को इंटरपोल के माध्यम से पूरा करता है।

भाषिनी परियोजना

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'भाषिनी' परियोजना का उपयोग करके 'ई-श्रम पोर्टल' को 22 भाषाओं में नवीनीकृत किया गया।

परिचय:

- इसे 2022 में प्रारंभ किया गया था। यह 'राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM)' का हिस्सा है।
- इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करना है, जिसमें आवाज-आधारित पहुँच भी शामिल है, और भारतीय भाषाओं में सामग्री बनाने में सहायता करना है।

मार्गदर्शक सिद्धांत

ओपन सोर्स डेटासेट	इकोसिस्टम निर्मित करना	योगदान देना और लाभ उठाना
संस्थागत और नागरिक दोनों प्रकार के सभी योगदानों को एक साझा रिपोजिटरी में शामिल कर लार्ज ओपन-सोर्स डेटासेट और मॉडल बनाना जो नवाचार को बढ़ावा दे।	सरकार, उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान समूहों, स्टार्ट-अप और व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक इकोसिस्टम निर्मित करना और उसका पोषण करना।	डेटासेट और मॉडल के ओपन रिपोजिटरी का लाभ उठाकर भारतीय भाषाओं में नवीन उत्पादों एवं सेवाओं को विकसित करने के लिए इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना।

महत्त्वः

- यह भारतीय नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में डिजिटल पहल से जोड़कर डिजिटल समावेशन को प्रोत्साहन देता है।
- यह इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में सामग्री बढ़ाता है, विशेष रूप से शासन, नीति और विज्ञान से संबंधित विषयों में।
- यह 'आत्मनिर्भर भारत' को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि नागरिक 'भाषा दान' क्राउड-सोर्सिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से योगदान दे सकते हैं।

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 के अनुसार, सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नामांकन पुनः महामारी से पहले के स्तर पर लौट आया है।

परिचयः

- **'असर'** शब्द का अर्थ हिंदुस्तानी भाषा में 'प्रभाव' होता है।
- यह एक राष्ट्रव्यापी, नागरिकों द्वारा संचालित घरेलू सर्वेक्षण है, जो ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली शिक्षा और सीखने की स्थिति की झलक प्रस्तुत करता है।
    - यह सभी बच्चों का डेटा एकत्र करता है, चाहे वे स्कूल में नामांकित हों, स्कूल से बाहर हों या अनुपस्थित हों।
- यह 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की स्कूलिंग स्थिति को ट्रैक करता है, और 5 से 16 वर्ष के बच्चों का बुनियादी पठन कार्य और गणितीय क्षमता का परीक्षण करता है।
- इस सर्वेक्षण का समन्वय 'ASER सेंटर' द्वारा किया जाता है और 'प्रथम नेटवर्क' द्वारा इसे संचालित किया जाता है।
- पहला ASER सर्वेक्षण 2005 में किया गया था, और इसे निरंतर 10 वर्षों तक (2005-2014) वार्षिक रूप से दोहराया गया।

मुख्य निष्कर्षः हालिया सर्वेक्षण

- **सीखने में सुधारः** सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के छात्रों की पढ़ने की क्षमता बढ़ी है। 2022 में 16.3% छात्र कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकते थे, जो 2024 में बढ़कर 23.4% हो गया।
    - सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में बुनियादी गणितीय क्षमताओं में सुधार हुआ है।
    - कक्षा 3 के दो तिहाई छात्र घटाव के सवाल हल नहीं कर पाए और कक्षा 5 के केवल 30.7% छात्र भाग के सवाल हल कर पाए। कक्षा 8 के छात्रों में मामूली सुधार हुआ और 45.8% छात्रों ने बुनियादी अंकगणित में दक्षता प्राप्त कर ली।
- **क्षेत्रीय अंतरः** उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों में पढ़ने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
    - उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जहाँ पढ़ने की क्षमता में 15% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **सरकारी बनाम निजी स्कूलः**
    - सरकारी स्कूलों में सीखने की रिकवरी तीव्र रही है, जबकि निजी स्कूल अभी भी महामारी से पहले के स्तर तक नहीं पहुँचे हैं।
    - हालाँकि सुधार हुआ है, लेकिन अब भी 30% बच्चे कक्षा 2 का पाठ पढ़ने में संघर्ष कर रहे हैं।
- **नामांकन प्रवृत्तियाँः**
    - 6-14 वर्ष के बच्चों का स्कूल नामांकन 98.1% तक पहुँच गया है, जो महामारी से पहले के स्तर के निकट है।
    - महामारी के दौरान बढ़ा सरकारी स्कूलों में नामांकन 2024 में घटकर 66.8% हो गया, जो 2022 में 72.9% था।
    - कक्षा 1 में कम उम्र के बच्चों का अनुपात घटकर 16.7% हो गया, जो अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड है।
- **डिजिटल साक्षरताः** ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की उपलब्धता में भारी वृद्धि हुई है।
    - 2024 में 84% परिवारों के पास स्मार्टफोन हैं।
- **किशोरों में स्मार्टफोन उपयोगः** किशोरों में से 57% लोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, लेकिन 76% लोग सोशल मीडिया के लिए इसका उपयोग करते हैं।
    - स्मार्टफोन के उपयोग में लैंगिक अंतर है, लड़कियों की तुलना में अधिक लड़के स्मार्टफोन का उपयोग और स्वामित्व की रिपोर्ट करते हैं।
- **सीखने की प्रवृत्तियों को प्रेरित करने वाले कारकः**
    - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और निपुण भारत मिशन ने बुनियादी साक्षरता में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    - डिजिटल उपकरण, विशेष रूप से स्मार्टफोन, ने महामारी के दौरान और बाद में शिक्षा को जारी रखने में मदद की।

पठन स्तर का आकलन

तालिका सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 और 5 के उन बच्चों का प्रतिशत दर्शाती है जो कक्षा 2 की पाठ्य सामग्री पढ़ने में सक्षम हैं।

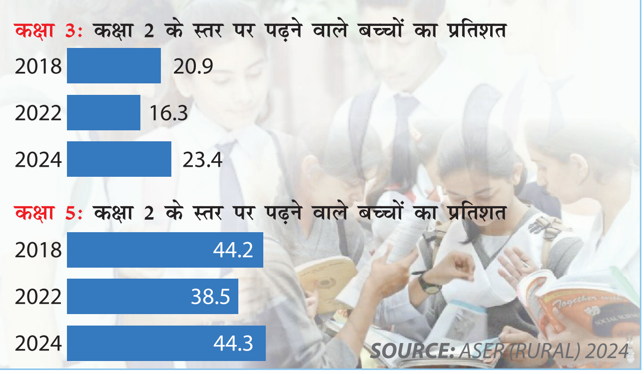

SOURCE: ASER (RURAL) 2024

सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में विलंब की आलोचना की

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों की सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में विलंब के लिए आलोचना की, और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के महत्त्व को प्रकट किया।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में वर्तमान में सूचना आयुक्तों के आठ पद खाली हैं।
- कई राज्य सूचना आयोग (SICs) 2020 से ही निष्क्रिय पड़े हुए हैं।
- अदालत ने इन संस्थाओं के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कहा, "एक संस्था बनाई गई है, लेकिन यदि वहाँ विधि द्वारा निर्धारित कर्त्तव्यों को निभाने के लिए लोग ही नहीं हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है?"

केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- गठन के समय मुख्य सूचना आयुक्त सहित आयोग के छह आयुक्त थे। बाद में सरकार ने आयोग को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इसके आठ सूचना आयुक्त बनाए और मुख्य सूचना आयुक्त को आयोग का प्रमुख बनाया।
- जब लोकसभा में विपक्ष का नेता इस समिति में नहीं होता तो लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को इस समिति का सदस्य माना जाता है।
- जब सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य करने हेतु योग्यताधारी होता है तो वह भी पाँच वर्ष से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकता है।
- उसे दुर्व्यवहार का दोषी माना जाता है, यदि वह केन्द्र सरकार द्वारा किए गए किसी अनुबंध या समझौते में इच्छुक या संबंद्ध हो, या ऐसे अनुबंध या समझौते के लाभ में किसी रूप में सम्मिलित हो या सदस्य होने के नाते अन्यथा इससे कोई लाभ या परिलब्धि प्राप्त करे और किसी कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में कोई लाभ या परिलब्धि प्राप्त करे।
- आयोग, लोक सूचना अधिकारी पर 250 रु. प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रु. हो सकता है। यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

राज्य सूचना आयोग से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- सूचना आयुक्तों की संख्या राज्यों में अलग-अलग है।
- जब विधानसभा में विपक्ष का नेता इस समिति में नहीं होता तो विधानसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को इस समिति का सदस्य माना जाता है।
- जब राज्य का सूचना आयुक्त, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य करने हेतु योग्यताधारी होता है तो वह भी पाँच वर्ष से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकता है।
- उसे दुर्व्यवहार का दोषी माना जाता है, यदि वह केन्द्र सरकार द्वारा किए गए किसी अनुबंध या समझौते में इच्छुक या संबंद्ध हो, या ऐसे अनुबंध या समझौते के लाभ में किसी रूप में सम्मिलित हो या सदस्य होने के नाते अन्यथा इससे कोई लाभ या परिलब्धि प्राप्त करे और किसी कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में कोई लाभ या परिलब्धि प्राप्त करे।
- आयोग, लोक सूचना अधिकारी पर 250 रु. प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रु. हो सकता है। यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

तुलनाः केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) बनाम राज्य सूचना आयोग (SICS)

पहलू	CIC (केंद्रीय सूचना आयोग)	SIC (राज्य सूचना आयोग)
कानूनी आधार	RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित	RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित
संघटन	मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त
नियुक्ति	राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त (प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री)।	चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त (मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल में विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित राज्य मंत्री)।
योग्यता	कानून, शासन, विज्ञान आदि में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनका कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है।	CIC के समान – विशेषज्ञता वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति, बिना राजनीतिक संबंधों के।
कार्यकाल	3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो; पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं।	3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो; पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं।
पदच्युति	राष्ट्रपति द्वारा दिवालियापन, नैतिक पतन, अयोग्यता या कदाचार के कारण, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात्।	राज्यपाल द्वारा इसी तरह के कारणों से, यदि आवश्यक हो तो सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात्।
कार्य	केंद्र सरकार की संस्थाओं के लिए RTI अपील और शिकायतों को संभालता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।	राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए RTI अपील और शिकायतों को संभालना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
शक्तियाँ	सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ रखता है, आदेश जारी कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकता है।	CIC के समान शक्तियाँ हैं, जिनमें आदेश जारी करना, दंड लगाना और अनुपालन लागू करना शामिल है।

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारतीय परमाणु समझौते पर प्रतिबंधों में ढील

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय परमाणु संस्थाओं, जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR), और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) पर अमेरिकी एंटिटी लिस्ट से प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है।

परिचय

- US एंटिटी लिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, जिसका उपयोग कुछ विदेशी संस्थाओं को अमेरिकी मूल की वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी तक पहुँच से प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौता अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के अंतर्गत किया गया है।
- इसलिए इसे 123 समझौते के नाम से भी जाना जाता है।
- इस समझौते का उद्देश्य भारत के विरुद्ध तीन दशकों से चली आ रही प्रौद्योगिकी निषेध व्यवस्था का अंत करना और भारत के परमाणु अलगाव को समाप्त करना है।
- इसने भारत के लिए अमेरिका और शेष विश्व के साथ समान साझेदार के रूप में असैन्य परमाणु सहयोग के द्वार खोल दिए।

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (2008)

- 2008 में हस्ताक्षरित भारत-अमेरिका परमाणु समझौता एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुँच प्रदान की।
- इसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य परमाणु सहयोग को सुविधाजनक बनाना था, जिससे भारत को अमेरिका और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) देशों से परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुँच मिल सके।
- इस समझौते में भारत के लिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)/विखंडनीय पदार्थ कटौती संधि (FMCT) पर हस्ताक्षर करने की कोई बाध्यता नहीं है।

अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों में ढील के निहितार्थ

- **सामरिक महत्त्व:** भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को बढ़ावा देगा, जिससे वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** यह भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद करता है, जिससे स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
- **स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य:** निम्न-कार्बन परमाणु ऊर्जा का समर्थन करता है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के भारत के प्रयासों को सहायता मिलती है।
- **तकनीकी उन्नति:** भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्रदान करता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दक्षता और सुरक्षा में सुधार करता है।
- **अनुसंधान एवं नवाचार:** नाभिकीय विज्ञान से संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा।

भारत और अमेरिका नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटरऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेंगे

भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस (UDA) के लिए अमेरिकी सोनोबॉय के सह-उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की।

परिचय

- सोनोबॉय छोटे और एक्सपेंडेबल उपकरण हैं, जिनका उपयोग जल के अंदर ध्वनिकी और सोनार प्रणालियों में पनडुब्बियों एवं अन्य शत्रुतापूर्ण वस्तुओं का पता लगाने और खतरों को समाप्त करने के लिए, सटीक हमले करने के लिए किया जाता है।
- सोनोबॉय को विमान या जहाज से तैनात किया जाता है, और जल के संपर्क में आने पर सक्रिय किया जाता है।
- इनमें रेडियो ट्रांसमीटर सहित एक वायु से भरा हुआ फ्लोट होता है, जो संचार बनाए रखने के लिए सतह पर विद्यमान रहता है।
- इसके 2027 तक चालू होने की अपेक्षा है।
- इसका उत्पादन 'मेक इन इंडिया' सिद्धांतों के अनुसार अमेरिका और भारत में विभाजित किया गया है।
- भारत में सह-निर्मित सोनोबॉय अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच विनिमेय एवं अंतर-संचालनीय है।

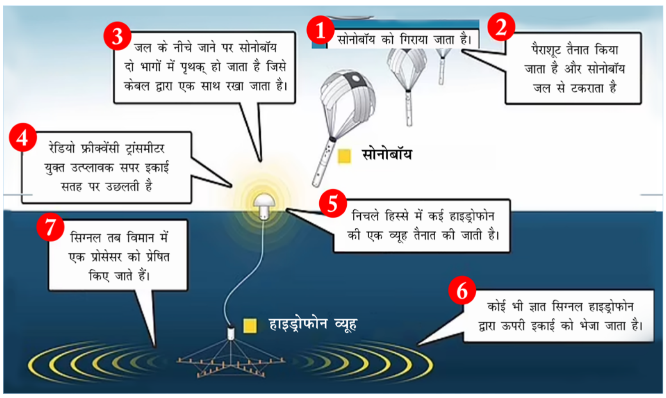

महत्त्व

- समुद्री डोमेन जागरूकता के पश्चात्, अंडरवाटर डोमेन जागरूकता (UDA) भारत और QUAD के लिए एक प्रमुख फोकस बन गया है।
- भारत जल के अंदर खतरे का पता लगाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ अमेरिकी सोनोबॉय खरीद रहा है।
- यह पहल क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति को संबोधित करता है तथा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- सुरक्षित व्यापार, वाणिज्य और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए उन्नत UDA महत्त्वपूर्ण है।

डेटा एंबेसी

भारत डेटा एंबेसी स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों के साथ चर्चा कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और डेटा संप्रभुता में एक नया आयाम जुड़ेगा।

परिचय

- डेटा एंबेसी सुरक्षित सुविधाएँ हैं, जहाँ एक देश दूसरे देश के क्षेत्र में संप्रभु डेटा संगृहीत कर सकते हैं, और उस पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। वे प्रदान करते हैं:
  - **बैकअप और आकस्मिक भंडारण:** प्राकृतिक आपदाओं या भू-राजनीतिक संकटों के दौरान डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - **परिचालन में स्वतंत्रता:** प्रत्येक डेटा एंबेसी स्वतंत्र रूप से डेटा प्रबंधन और पहुँच नियंत्रण को संभालता है, जबकि मेजबान देश डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - **विनियामक लोचशीलता:** राष्ट्र स्थानीय डेटा विनियमों के अधीन हुए बिना विदेशों में डेटा संगृहीत कर सकते हैं।
- भारत इन एंबेसी के लिए विशेष रणनीतिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसमें विभिन्न देशों के संप्रभु डेटा को संगृहीत करने के लिए समर्पित डेटा केंद्र होंगे। उन्नत डेटा सेंटर अवसंरचना के साथ, आंध्र प्रदेश में पहला डेटा एंबेसी स्थापित होने की अपेक्षा है।
- **नोट:** डेटा संप्रभुता उस अवधारणा को संदर्भित करती है, जिसके अनुसार डेटा उस देश के कानूनों और शासन संरचनाओं के अधीन होता है, जहाँ इसे एकत्र या संगृहीत किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी देश का अपनी सीमाओं के अंदर उत्पन्न डेटा पर नियंत्रण हो, जिससे विदेशी संस्थाओं द्वारा अनधिकृत पहुँच को रोका जा सके। यह सिद्धांत डेटा संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा और विनियामक अनुपालन के लिए महत्त्वपूर्ण है।

अतिरिक्त जानकारी

एस्टोनिया 2007 के साइबर हमले के पश्चात् लक्जमबर्ग में डेटा एंबेसी स्थापित करने वाला पहला देश था।

भारत बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र पैनल में शामिल हुआ

भारत को आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति (UN-CEBD) में शामिल किया गया है।

परिचय

- इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और ऑस्ट्रेलिया इसका प्रथम अध्यक्ष था।
- इसमें 31 सदस्य देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।
- गतिविधियों और पहलों की समीक्षा और चर्चा के लिए, सामान्यतः आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा पर सम्मेलन के साथ-साथ प्रतिवर्ष एक पूर्ण बैठक आयोजित की जाती है।

अधिदेश

- यह सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा का समर्थन करते हुए वैश्विक बिग डेटा कार्यक्रम के लिए दिशा प्रदान करता है।
- यह डेटा की गुणवत्ता, पहुँच, गोपनीयता, सुरक्षा और विश्लेषण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करता है।
- यह प्रशिक्षण, अनुभव-साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह नीति अनुप्रयोगों और सतत् विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए बिग डेटा के उपयोग को बढ़ावा देता है।

भारत के लिए महत्त्व

- भारत की भागीदारी वैश्विक सांख्यिकीय प्रथाओं में इसके प्रभाव को मजबूत करती है, तथा डेटा-संचालित प्रगति के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।
- सदस्यता भारत को बिग डेटा में घरेलू प्रगति को अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की अनुमति देती है, जिससे डेटा विज्ञान में नेतृत्व का प्रदर्शन होता है। बिग डेटा और IoT, सैटेलाइट इमेजरी एवं निजी क्षेत्र के डेटा जैसी उन्नत तकनीकें सांख्यिकीय प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाएँगी और डेटा सटीकता में सुधार करेंगी।
- यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी परिषद की सदस्यता पुनः प्राप्त की है।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC)

- 1946 में स्थापित यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है, जिसमें संपूर्ण विश्व के सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविद् शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है।
- सांख्यिकीय मानक निर्धारित करने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिए अवधारणाएँ और कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए जिम्मेदार।
- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD) की देखरेख करता है, और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के अंतर्गत एक आयोग के रूप में कार्य करता है।

भारत-सिंगापुर संबंध: 60 वर्ष का सफर

हाल ही में, भारत और सिंगापुर ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई, जिसके उपलक्ष्य में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम पहली बार भारत आए।

महत्त्व

- **ऐतिहासिक संबंध:** 1965 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, ऐतिहासिक संबंध 1819 से हैं जब सिंगापुर ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र बन गया था। सिंगापुर ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई, आजाद हिंद की अनंतिम सरकार (1943) की मेजबानी की। दोनों देशों के नेता प्राय: द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय यात्राओं में शामिल होते हैं।
- **व्यापार और अर्थव्यवस्था:** द्विपक्षीय व्यापार 6.7 बिलियन डॉलर (2004-05) से बढ़कर 35.6 बिलियन डॉलर (2023-24) हो गया, जिसमें सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- FDI: 2023-24 में सिंगापुर का +11.774 बिलियन FDI सेवाओं, दूरसंचार और फार्मा पर केंद्रित है। यह भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जो हाल के वर्षों में कुल प्रवाह का लगभग 23% है।
- **फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था:** RuPay कार्ड और UPI-PayNow लिंकेज अपनाने वाला पहला देश। इस सहयोग से सीमा पार डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों को लाभ हुआ है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** संयुक्त सैन्य अभ्यास (अग्नि वारियर, बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिम्बेक्स) और समुद्री सुरक्षा सहयोग। दोनों देश आतंकवाद विरोधी प्रयासों और खुफिया जानकारी साझा करने में भी सहयोग करते हैं।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** इसरो ने सिंगापुर के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, डिजिटल स्वास्थ्य और विज्ञान में महिलाओं के सहयोग के साथ। AI, अंतरिक्ष तकनीक और स्मार्ट शहरों में अनुसंधान सहयोग का विस्तार हो रहा है।
- **वैश्विक गठबंधन:** सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन (2023) में शामिल हो गया। यह भारत के साथ जलवायु परिवर्तन पहलों और सतत् ऊर्जा परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
- **भारतीय प्रवासी और सांस्कृतिक संबंध:** सिंगापुर की जनसंख्या में भारतीय प्रवासियों की हिस्सेदारी 9% है, तथा कला उत्सवम और लिटिल इंडिया जैसे मजबूत सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी होते हैं।

इंटरपोल द्वारा सिल्वर नोटिस जारी किया गया

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) ने अपना पहला सिल्वर नोटिस लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सीमा पार से लायी गयी संपत्तियों का पता लगाना और उन्हें वापस प्राप्त करना है। इस पायलट परियोजना में भारत सहित 52 देश शामिल हैं।

परिचय

- सिल्वर नोटिस इंटरपोल की रंग-कोडित चेतावनी प्रणाली का नवीनतम संस्करण है, जिसे सदस्य देशों को आपराधिक रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान, पता लगाने और उन्हें पुन: प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इन परिसंपत्तियों में संपत्ति, वाहन, वित्तीय खाते और व्यवसाय शामिल हो सकते हैं। यह नोटिस धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, पर्यावरण संबंधी अपराधों जैसी आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।

कार्य प्रणाली

- **सूचना का अनुरोध:** सदस्य देश आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संदिग्ध परिसंपत्तियों के बारे में सूचना का अनुरोध कर सकते हैं।
- **पहचान और कार्रवाई:** नोटिस से परिसंपत्तियों का पता लगाने में सहायता मिलती है, जिससे राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार जब्ती या कुर्की जैसे आगे के कानूनी उपाय संभव हो पाते हैं।
- **सामान्य सचिवालय समीक्षा:** जारी करने से पहले, इंटरपोल सामान्य सचिवालय संगठनात्मक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रत्येक नोटिस की समीक्षा करता है।

भारत की भूमिका और लाभ

- भारत, एक भागीदार के रूप में, काफी लाभ उठाने वाला है। भारत में भगोड़े आर्थिक अपराधियों और टैक्स हेवन देशों में स्थानांतरित किए गए अलेखांकित काले धन का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है।
- यह वित्तीय अपराधों से निपटने और अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने में भारत के प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

इंटरपोल नोटिस के बारे में

- **अंतर्राष्ट्रीय सूचना साझाकरण:** इंटरपोल नोटिस अंतर्राष्ट्रीय सतर्कता या सहयोग के लिए अनुरोध है, जो इसके 195 सदस्य देशों की पुलिस को महत्त्वपूर्ण अपराध-संबंधी जानकारी साझा करने में सक्षम बनाते हैं।

इंटरपोल नोटिस के प्रकार

रेड नोटिस: प्रत्यर्पण या इसी प्रकार की वैध कार्रवाई के उद्देश्य से वांछित व्यक्तियों के स्थान और गिरफ्तारी की तलाश करना।

येलो नोटिस: लापता व्यक्तियों, प्राय: नाबालिगों, का पता लगाने में मदद करने के लिए या ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करने के लिए जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हैं।

ब्लू नोटिस: किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या अपराध के संबंध में गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना।

ब्लैक नोटिस: अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

ग्रीन नोटिस: ऐसे व्यक्तियों के बारे में चेतावनी और खुफिया जानकारी प्रदान करना जिन्होंने आपराधिक कृत्य किए हैं और अन्य देशों में इन अपराधों को दोहराने की संभावना है।

ऑरेंज नोटिस: किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देने के लिए जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरा प्रदर्शित करता है।

इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस: उन समूहों और व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों के निशाने पर हैं।

पर्पल नोटिस: अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी माँगना या प्रदान करना।

- **प्रकार:** नोटिस के आठ विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है।
- **जारीकर्त्ता:** इंटरपोल महासचिवालय।
- **अनुरोधकर्त्ता:** सदस्य देशों के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो।
  - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय।
  - संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए)।

3 अर्थव्यवस्था

भारतीय तंबाकू बोर्ड

हाल ही में, तंबाकू बोर्ड ने तंबाकू क्षेत्र की स्थिरता और विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतिक प्रयास प्रारंभ किए हैं।

परिचय

- **तंबाकू उत्पादन के लिए जलवायु परिस्थितियाँ:**
  - **तापमान सीमा:** 21°C से 29°C स्वस्थ विकास के लिए आदर्श है।
  - **पाला रहित अवधि:** पाला रहित 90-120 दिन की आवश्यकता होती है।
  - **आर्द्रता:** इष्टतम पत्ती विकास के लिए मध्यम आर्द्रता (60-70%) को प्राथमिकता दी जाती है।
  - **वर्षा:** स्थिर विकास को सहारा देने के लिए अच्छी तरह से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है।
  - **सूर्य का प्रकाश:** उचित पत्ती उपचार और गुणवत्ता के लिए प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे की प्रत्यक्ष धूप की आवश्यकता होती है।
  - **नोट:** यह फसल पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी।

भारतीय तंबाकू बोर्ड

- **स्थापना:** भारतीय तंबाकू बोर्ड तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 4) के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- **नेतृत्व:** बोर्ड का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, और यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- **मुख्यालय:** गुंटूर, आंध्र प्रदेश।
- **नोडल मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

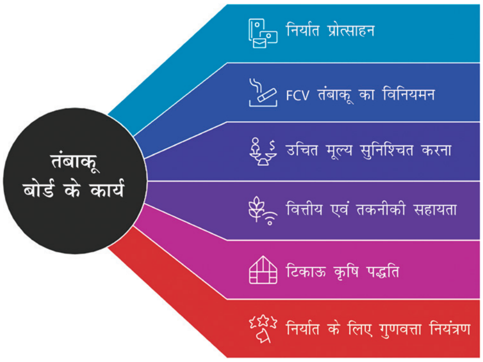

बिजनेस रेडी (B-READY) 2024 रिपोर्ट

हाल ही में, विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बिजनेस रेडी (B-READY) रिपोर्ट 2024 पेश की।

परिचय

- **उद्देश्य:** सूचकांक का उद्देश्य पूरे विश्व में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करना है, और इसके साथ एक वार्षिक कॉर्पोरेट रिपोर्ट भी जारी की जाती है।
- **लक्ष्य**
  - निजी निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को बढ़ाना।
  - समावेशी और सतत् आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए उत्पादकता में सुधार करना।
  - सुनिश्चित करना कि डेटा सभी अर्थव्यवस्थाओं में तुलनीय हो और प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर प्रतिनिधित्व करता हो।
- B-READY **सूचकांक के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र**
  - **सुधार का समर्थन:** मानक प्रदान करके तथा सरकारों, व्यवसायों एवं विश्व बैंक के बीच संवाद को बढ़ावा देकर नीति सुधारों को प्रोत्साहित करता है।
  - **नीति मार्गदर्शन:** वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर नीति परिवर्तनों के लिए अनुरूपित अनुशंसाएँ प्रदान करता है।
  - **विश्लेषण और अनुसंधान:** निजी क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए विस्तृत डेटा प्रदान करता है।

- **शुभारंभ और कार्यान्वयन:** B-READY पहल विश्व बैंक समूह द्वारा एक तीन वर्षीय परियोजना (2024-2026) है, जिसे वैश्विक व्यापार और निवेश माहौल का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **वैश्विक कवरेज:** प्रारंभ में 50 अर्थव्यवस्थाओं (भारत को छोड़कर) को कवर करते हुए, सूचकांक का लक्ष्य अधिक व्यापक मूल्यांकन के लिए 2026 तक 180 अर्थव्यवस्थाओं तक विस्तार करना है।
- EoDB **रैंकिंग का प्रतिस्थापन:** B-READY फ्रेमवर्क विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) रैंकिंग का स्थान ग्रहण करता है, जो पहले व्यवसाय प्रारंभ करने और संचालन में आसानी को मापता था, लेकिन डेटा अनियमितताओं एवं नैतिक चिंताओं के कारण 2021 में इसे बंद कर दिया गया था।
- **भारतीय सुधारों के साथ एकीकरण:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 2024 व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग में B-READY सूचकांक से चुनिंदा संकेतक शामिल किए जाएँगे, जो भारत के सुधारों को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करेंगे।

पिग बुचरिंग स्कैम

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पीड़ितों को "पिग बुचरिंग स्कैम" या "निवेश घोटाले" के माध्यम से भारी मात्रा में धन गँवाने के लिए धोखा दिया जा रहा है।

परिचय

- **परिभाषा:** इस ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी में घोटालेबाज फर्जी व्यक्तित्व बनाकर पीड़ितों को धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में फँसाते हैं, प्राय: क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
- **शब्द की उत्पत्ति:** 'पिग बुचरिंग' नाम घोटालेबाजों के विश्वास निर्माण ("फेट्टेनिंग दी पिग") की रणनीति से आया है, जिसके अंतर्गत वे अंतत: पीड़ित के पैसे चुरा लेते हैं (स्लॉटरिंग दी पिग)।
- **क्रियाविधि**
    - **प्रारंभिक संपर्क:** घोटालेबाज (जिसे 'होस्ट' के रूप में जाना जाता है) सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप या भ्रामक संदेशों के माध्यम से संभावित पीड़ितों तक पहुँचता है।
    - **विश्वास का निर्माण:** वे दोस्ती की झूठी भावना स्थापित करते हैं और लक्ष्य (पिग) को क्रिप्टोकरेंसी निवेश का पता लगाने के लिए राजी करते हैं।
    - **फर्जी लाभ:** एक धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग ऐप का उपयोग करके, वे सफल ट्रेडों का निर्माण करते हैं, जिससे पीड़ित को विश्वास हो जाता है कि वे लाभ अर्जित कर रहे हैं।
    - **बड़े निवेश को प्रोत्साहित करना:** जैसे-जैसे विश्वास बढ़ता है, घोटालेबाज पीड़ित को बड़ी रकम का निवेश करने के लिए राजी कर लेता है, इस प्रक्रिया को 'फेट्टेनिंग दी पिग' कहा जाता है।
    - **अंतिम धोखा:** जब पीड़ित धन निकालने का प्रयास करता है, तो प्लेटफॉर्म शुल्क लगाता है, विलंब करता है, या पहुँच को अवरुद्ध करता है, जिससे अंतत: घोटाले का पता चलता है।
    - **अप्राप्य निधियाँ:** ब्लॉकचेन लेनदेन की अपरिवर्तनीय प्रकृति के कारण, खोए हुए धन को वापस पाना अत्यंत जटिल होता है।

रमेश चंद समिति

हाल ही में, भारत सरकार ने देश के WPI को अद्यतन करने के लिए रमेश चंद समिति की स्थापना की घोषणा की, जिसमें वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर नया आधार वर्ष 2022-23 निर्धारित किया गया।

परिचय

- **उद्देश्य:** समिति की स्थापना थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए की गई है।
- **प्रमुख अधिदेश:**
    - अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों पर विचार करते हुए आधार वर्ष 2022-23 के आधार पर WPI और उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के लिए संशोधित कमोडिटी बास्केट का प्रस्ताव करना।
    - मूल्य संग्रह की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करना, और उसमें सुधार का सुझाव देना।
    - WPI और PPI के लिए कम्प्यूटेशनल कार्यप्रणाली पर निर्णय लेना।
- **संरचना:** पैनल में सरकार, रेटिंग एजेंसियों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, बैंकों के अर्थशास्त्रियों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
- **समय-सीमा:** अंतिम रिपोर्ट 18 महीने के अंदर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIT) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय को प्रस्तुत की जानी है।

WPI बनाम PPI: मुख्य अंतर

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)	उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)
परिभाषा: WPI थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत को मापता है, अर्थात संगठनों के बीच व्यापार किए जाने वाली थोक वस्तुएँ।	**परिभाषा:** PPI उत्पादकों के दृष्टिकोण से कीमतों पर नजर रखता है, उत्पादन के विभिन्न चरणों में मूल्य परिवर्तनों का मापन करता है।
कवरेज: यह उपभोक्ता स्तर पर मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रखता है, और सेवाओं को शामिल नहीं करता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 55% हिस्सा है।	**मुख्य अंतर:** अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर और उद्योगों एवं व्यवसायों के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति को दर्शाता है।
सीमाएँ: इसमें एक ही उत्पाद की दोहरी गणना शामिल है, तथा इसमें आयात या निर्यात शामिल नहीं है।	**कवरेज:** इसमें वस्तुएँ और सेवाएँ दोनों सम्मिलित हैं, जिससे यह WPI की तुलना में अधिक व्यापक माप बन जाता है।

- **भार प्रणाली:** WPI शुद्ध कारोबार मूल्य के आधार पर वस्तुओं को भारित करता है, जबकि PPI आपूर्ति उपयोग तालिकाओं से प्राप्त भार का उपयोग करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय उपयोग:** PPI ने अनेक देशों में WPI को व्यापक स्तर पर प्रतिस्थापित कर दिया है, क्योंकि यह वैचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के साथ संरेखित है।

ग्रामीण गरीबी में कमी: SBI रिसर्च

हाल ही में, SBI's के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने ग्रामीण गरीबी पर एक रिपोर्ट जारी की।

मुख्य निष्कर्ष

- भारत की गरीबी दर 2011-12 में 22% से अत्यधिक कम होकर 2023-24 में 5% से नीचे आ गई है, जिसमें अत्यधिक गरीबी का स्तर न्यूनतम है।
    - ग्रामीण गरीबी 2011-12 में 25.7% से घटकर 2023-24 में 4.86% हो गई, और शहरी गरीबी 2022-23 में 4.6% से घटकर 2023-24 में 4.09% हो गई।
- **सीमा-रेखा:** रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,632 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,944 रुपये की नई गरीबी रेखा निर्धारित की गई है, जिसे मुद्रास्फीति और आरोपण कारक के लिए समायोजित किया गया है।
    - सुरेश तेंदुलकर की गरीबी रेखा (2011-12 में अनुमानित) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,000 रुपये थी।

- **शहरी-ग्रामीण उपभोग असमानता:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) में अंतर 2011-12 में 84% से घटकर 2023-24 में 70% हो गया, जो निरंतर ग्रामीण उपभोग वृद्धि को दर्शाता है।
- **मुद्रास्फीति और उपभोग का प्रभाव:** बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण समग्र उपभोग में कमी आई, जिसका ग्रामीण, निम्न आय वाले राज्यों में अधिक स्पष्ट प्रभाव पड़ा।
  - मध्यम आय वाले राज्यों ने उपभोग माँग को बनाए रखने में मदद की।

गरीबी में कमी के पीछे के कारक

- **उपभोग वृद्धि:** 0-5% आय समूह में उच्च उपभोग वृद्धि।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में खपत में 22% की वृद्धि देखी गई, जो 2023-24 में MPCE 1,677 रुपये तक पहुँच गई, और शहरी क्षेत्रों में 18.7% की वृद्धि के साथ 2,376 रुपये हो गई।
  - खपत असमानता में कमी आई, ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी गुणांक 0.24 और शहरी क्षेत्रों में 0.28 तक कम हो गया।
- **गरीबी रेखा** का 5-10% से 0-5% आय समूह में स्थानांतरण।
- भौतिक अवसंरचना में वृद्धि के कारण **ग्रामीण गतिशीलता** में सुधार हुआ है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सरकारी योजनाएँ ग्रामीण-शहरी आय असमानता को कम करने में योगदान देती हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय का लगभग 30% DBT हस्तांतरण, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास और किसानों की आय के लिए समर्थन जैसे कारकों से समझाया गया है।

जम्मू रेलवे डिवीजन

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने जम्मू रेलवे डिवीजन (उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत) का उद्घाटन किया, जो भारत के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में ट्रेन सेवा प्रबंधन में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

परिचय

- **परिभाषा:** भारतीय रेलवे के अंदर एक प्रशासनिक इकाई जो अपने अधिकार क्षेत्र में ट्रेन संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- **भारतीय रेलवे की संरचना**
  - 19 जोन (मेट्रो रेलवे, कोलकाता सहित) और इन जोन के अंतर्गत 70 डिवीजन हैं।
  - जोन का नेतृत्व महाप्रबंधक (GM) करते हैं।
- **जम्मू संभाग का महत्त्व:** क्षेत्रीय संपर्क को परिवर्तित करने वाली प्रतिष्ठित रेल अवसंरचना परियोजनाओं की देखरेख करना:
  - **अंजी खड्ड पुल:** भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल।
  - **चिनाब रेल पुल:** विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्क ब्रिज।
  - USBRL **परियोजना:** उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेलवे लिंक के माध्यम से कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के लिए महत्त्वपूर्ण।
- **सामरिक महत्त्व:** यह जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय विकास को गति देने, सुगमता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **आधुनिक अवसंरचना:** सुव्यवस्थित और कुशल रेल परिचालन के लिए उन्नत IT प्रणालियों से सुसज्जित।

देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर

हाल ही में, केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्यपालन मंत्री ने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया।

परिचय

- **उद्देश्य:** संपूर्ण विश्व के पर्यावरण के प्रति जागरूक बाजारों में एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली का विक्रय करना।
- जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर रसायनों, एंटीबायोटिक दवाओं और कीटनाशकों से बचते हुए पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ मछली पालन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। यह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण भी सुनिश्चित करता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति होने से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे सतत् मछली उत्पादन प्रथाओं में योगदान प्राप्त होता है।
- मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत 50 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

- यह मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की प्रमुख योजना है, और इसे 2020 में प्रारंभ किया गया था।
- **उद्देश्य:** विभिन्न योजनाओं और पहलों के समेकित प्रयासों के माध्यम से 'सनराइज' मत्स्य पालन क्षेत्र को गति प्रदान करना।
- PMMSY एक व्यापक योजना है, जिसके दो भिन्न-भिन्न घटक हैं, अर्थात् केंद्रीय क्षेत्र योजना (CS) और केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)।
- केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) घटक को गैर-लाभार्थी उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख उप-घटकों/गतिविधियों में विभाजित किया गया है:
  - उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।
  - बुनियादी ढाँचा और मछली पकड़ने के बाद का प्रबंधन।
  - मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक ढाँचा।

Z-मोड़ टनल

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी 'Z-मोड़ टनल का उद्घाटन किया, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली एक महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजना है।

परिचय

- **स्थान:**
  - श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर सोनमर्ग से आगे गगनगीर गाँव के पास निर्मित।

- यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल सोनमर्ग से सभी ऋतुओं में संपर्क सुनिश्चित करता है।
- निर्माण स्थल पर Z-आकार की सड़क के नाम पर इसका नाम रखा गया है।

- **सुरंग की आवश्यकता:**
  - यह मार्ग 8,500 फीट की ऊँचाई पर है, जिससे शीत ऋतु में हिमस्खलन का खतरा बना रहता है।
  - सोनमर्ग की सड़क शीत ऋतु के अधिकांश समय बंद रहती है, जिससे वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता होती है।
- **सामरिक महत्त्व:**
  - यह जोजिला सुरंग परियोजना का एक हिस्सा है, जो श्रीनगर और लद्दाख के बीच वर्ष पर्यंत संपर्क सुनिश्चित करता है।
  - इससे लद्दाख तक त्वरित सैन्य पहुँच की सुविधा मिलेगी, जिससे अग्रिम ठिकानों के लिए हवाई रखरखाव पर निर्भरता कम होगी।
  - श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के बीच संपर्क बढ़ाया जाएगा।
  - **निम्नलिखित स्थानों पर तैनात भारतीय रक्षा बलों को सहायता प्रदान करता है:**
    - सियाचिन ग्लेशियर और तुरतुक सब-सेक्टर (पाकिस्तान के विरुद्ध)।
    - पूर्वी लद्दाख (चीनी सेना के विरुद्ध, विशेषकर 2020 के बाद के गतिरोध के विरुद्ध)।
  - इससे सैन्य बलों और रसद (लॉजिस्टिक) के स्थलीय परिवहन को संभव बनाकर परिवहन लागत में कमी आती है, और परिवहन विमानों का जीवनकाल बढ़ता है।

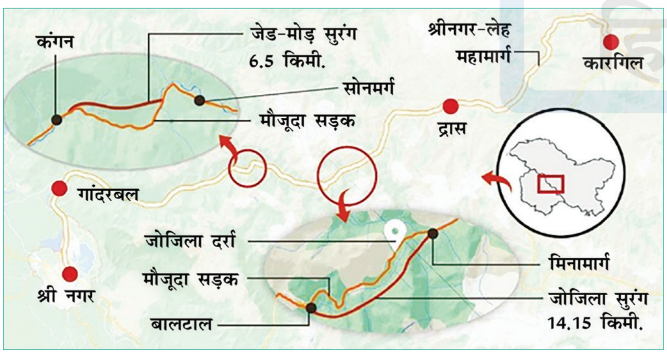

रोजगार का भविष्य रिपोर्ट, 2025

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने भविष्य की रोजगार की रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की, जिसमें वैश्विक स्तर पर उभरती रोजगार प्रवृत्तियों और कार्यबल परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य विशेषताएँ

- **सबसे तेजी से बढ़ती भूमिकाएँ**
  - फ्रंटलाइन रोजगार (खेतिहर मजदूर, डिलीवरी कर्मी) और देखभाल अर्थव्यवस्था से संबंधित भूमिकाओं की बढ़ती माँग।
  - स्थिरता और डिजिटलीकरण प्रयासों के कारण प्रौद्योगिकी-संचालित और हरित संक्रमण रोजगार का विस्तार।
- **घटती भूमिकाएँ**
  - स्वचालन और AI के कारण लिपिकीय नौकरियाँ (कैशियर, डेटा एंट्री क्लर्क, बैंक टेलर) घट रही हैं।
  - स्वयं-सेवा कियोस्क, AI-संचालित डेटा प्रोसेसिंग और डिजिटल बैंकिंग को अपनाना पारंपरिक भूमिकाओं का स्थान ग्रहण कर रहा है।
- **रोजगार का विस्थापन और सृजन**
  - स्वचालन, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और जनसांख्यिकीय परिवर्तन रोजगार बाजार को नया आकार दे रहे हैं।
  - धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर 1.6 मिलियन रोजगार के समाप्त होने की अपेक्षा है।
  - AI, मशीन प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा में नए अवसर उभर रहे हैं।
- **तकनीकी प्रगति:** 60% व्यवसाय डिजिटल परिवर्तन को वर्ष 2030 तक परिवर्तन का सबसे बड़ा चालक मानते हैं।

विश्व आर्थिक मंच (WEF)

- **परिचय:**
  - सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
  - उद्योगों, क्षेत्रों और पूरे विश्व में एजेंडा को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं को शामिल करता है।
- **स्थापना:**
  - क्लॉस श्वाब द्वारा 1971 में यूरोपीय प्रबंधन मंच के रूप में स्थापित।
  - "हितधारक पूँजीवाद" की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें अल्पकालिक शेयरधारक लाभ के बजाय सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **विकास:**
  - 1973 में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - 1975 में विश्व की शीर्ष 1,000 कंपनियों के लिए सदस्यता प्रारंभ की गई।
  - 1987 में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया, जिससे वैश्विक संवाद मंच के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई।
  - 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- **प्रमुख रिपोर्ट:**
  - वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक
  - वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक
  - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक
  - वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
  - वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक

- **माँग में प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ:**
  - **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** (AI) **और सूचना प्रसंस्करण (86%)** - स्वचालन और डेटा विश्लेषण को बढ़ावा देना।

- **रोबोटिक्स और स्वचालन (58%)** - विनिर्माण, रसद और स्वास्थ्य सेवा में दक्षता बढ़ाना।
- **ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ (41%)** - स्थिरता और उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देना।

- **हरित संक्रमण:** जलवायु नीतियों के कारण निम्नलिखित की माँग बढ़ रही है:
  - **अक्षय ऊर्जा इंजीनियर** - स्वच्छ ऊर्जा समाधान विकसित करना।
  - **पर्यावरण इंजीनियर** - प्रदूषण नियंत्रण और स्थिरता परियोजनाओं का प्रबंधन करना।
  - **इलेक्ट्रिक और स्वायत्त वाहन विशेषज्ञ** - परिवहन नवाचार को आगे बढ़ाना।
- **जनसांख्यिकीय परिवर्तन**
  - उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती उम्र की आबादी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की माँग बढ़ा रही है।
  - निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते कार्यबल शिक्षकों और कार्यबल प्रबंधकों की माँग उत्पन्न कर रहे हैं।
- **भू-आर्थिक विखंडन**
  - व्यापार प्रतिबंध और भू-राजनीतिक तनाव व्यवसाय रणनीतियों को प्रभावित कर रहे हैं।
  - वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण 34% संगठन व्यवसाय मॉडल पर पुनर्विचार कर रहे हैं।
  - ऑफशोरिंग, रीशोरिंग और साइबर सुरक्षा भूमिकाएँ प्रमुखता प्राप्त कर रही हैं।
- **भारत-विशिष्ट अंतर्दृष्टि**
  - AI **कौशल नेतृत्व:** भारत कॉर्पोरेट समर्थित GenAI प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ AI कौशल विकास में एक वैश्विक नेता है।
  - **तकनीक अपनाने में तीव्रता**
    - 35% भारतीय व्यवसायों को अपेक्षा है कि सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग तकनीक उद्योगों को परिवर्तित कर देंगी।
    - 21% को अपेक्षा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग और एन्क्रिप्शन व्यवसाय सुरक्षा को प्रभावित करेंगे।
  - **कार्यबल में वृद्धि**
    - भारत और उप-सहारा अफ्रीका आने वाले वर्षों में लगभग दो-तिहाई नए कार्यबल की आपूर्ति करेंगे।
    - कौशल अंतराल को समाप्त करने और स्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर बल।

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (ICEGATE)

हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि सोने की गिनती में त्रुटि की विसंगति मुख्य रूप से ै से प्ब्ळाज्म तक डेटा ट्रांसमिशन के संक्रमण के कारण थी।

परिचय

- **स्थापना एवं उद्देश्य:**
  - केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क के राष्ट्रीय पोर्टल के रूप में 2007 में स्थापित।
  - व्यापार, मालवाहक और व्यापारिक भागीदारों के लिए ई-फाइलिंग सेवाएँ प्रदान करता है।
- **कार्यक्षमता और भूमिका:**
  - भारतीय सीमा शुल्क और व्यापारिक समुदाय के मध्य सभी इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है।
  - भारत सरकार के सीमा शुल्क विभाग के साथ व्यापार उपयोगकर्त्ताओं को जोड़ने वाले मुख्य बुनियादी ढाँचे के रूप में कार्य करता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल बाहरी व्यापारिक भागीदारों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
  - साझेदार एजेंसियों के साथ एकीकरण आंतरिक रूप से विभिन्न एजेंसियों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें शामिल हैं:
  - RBI, बैंक, DGFT, DGCIS, इस्पात मंत्रालय, मूल्यांकन निदेशालय, और एक्सिम व्यापार में शामिल विभिन्न साझेदार सरकारी एजेंसियाँ (PGAs)।
- **मुख्य योगदान:**
  - सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, विलंब और अक्षमताओं को कम करता है।
  - सुगम लेनदेन के लिए डिजिटल सेवाएँ प्रदान करके व्यापार सुविधा को बढ़ाता है।
  - अपनी कई उपयोगकर्त्ता-अनुकूल सुविधाओं के माध्यम से सीमा पार व्यापार में पारदर्शिता और दक्षता को प्रोत्साहन देता है।

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम (FTI-TTP)

केंद्रीय गृह मंत्री फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) का उद्घाटन करेंगे।

परिचय

- **अवलोकन:**
  - FTI-TTP (फास्ट-ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम) भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाता है।
  - यह स्वचालित ई-गेट के माध्यम से त्वरित इमिग्रेशन क्लीयरेंस प्रदान करता है, जिससे एक सहज और सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
  - U.S. ग्लोबल एंट्री और यूके की रजिस्टर्ड ट्रैवलर सर्विस जैसी प्रणालियों से प्रेरित होकर, यह पहले से सत्यापित यात्रियों की तेज निकासी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है।
- **शुभारंभ और उद्देश्य:**
  - जून 2024 में IGI एयरपोर्ट, टर्मिनल 3 पर प्रारंभ किया जाएगा।
  - आव्रजन को तीव्र, सुगम और अधिक सुरक्षित बनाकर अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
  - शुरुआत में यह भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए उपलब्ध है, और इसे विदेशी यात्रियों तक विस्तारित करने की योजना है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **नि:शुल्क:** प्रारंभ में भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए नि:शुल्क पेश किया गया।

- **स्वचालन और सुरक्षा:** आव्रजन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए उन्नत बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करता है।
- **शीघ्र निकासी:** पूर्व-सत्यापित यात्री ई-गेट पर स्वचालित रूप से आव्रजन जाँच पूरी कर सकते हैं
- **कार्यान्वयन एवं प्रबंधन:** गृह मंत्रालय के अधीन आव्रजन ब्यूरो कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है।
- **कार्यान्वयन चरण:**
  - **चरण 1:**
    - भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों को शामिल किया गया।
    - 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया गया: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद।
  - **चरण 2:**
    - विदेशी यात्रियों के लिए कवरेज का विस्तार।
    - संपूर्ण भारत में 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर पूर्ण कार्यान्वयन।

ब्याज समतुल्यीकरण योजना

हाल ही में, वाणिज्य विभाग ने MSME निर्यातकों के लिए शिपमेंट से पूर्व और शिपमेंट के पश्चात् रुपया आधारित निर्यात ऋण के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

परिचय:

- 1 अप्रैल, 2015 को रुपया आधारित पूर्व और पश्चात् शिपमेंट निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
- प्रारंभ में यह 31 मार्च, 2020 तक पाँच वर्षों के लिए वैध था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया, जिसमें COVID-19 के दौरान एक वर्ष का विस्तार और अतिरिक्त धन के साथ आगे नवीनीकरण शामिल है।

कार्यान्वयन एजेंसी और निरीक्षण:

- सार्वजनिक और गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रशासित, जो निर्यात ऋण प्रदान करते हैं।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय और RBI द्वारा परामर्श तंत्र के अंतर्गत संयुक्त रूप से निगरानी की जाती है।

उद्देश्य:

- पहचाने गए निर्यात क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- निर्यातकों के लिए ब्याज लागत को कम करके निर्यात प्रदर्शन को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएँ:

- **पात्रता और प्रमाणन:**
  - लाभ का दावा करने के लिए निर्यातकों को अपने बैंक को बाह्य लेखा परीक्षक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - बैंक पात्रता की पुष्टि करते हैं और प्रमाणन के आधार पर RBI से ब्याज समतुल्यता लाभ की प्रतिपूर्ति करते हैं।
- **ब्याज समतुल्यीकरण लाभ:**
  - 410 टैरिफ लाइनों (4-अंकीय HS कोड स्तर पर) में व्यापारी और निर्माता निर्यातकों के लिए शिपमेंट से पहले और बाद के निर्यात ऋण पर 2% ब्याज सब्सिडी।
  - सभी MSME निर्माता-निर्यातकों के लिए 3% ब्याज सब्सिडी।
- **निधि सीमा:** यह योजना अब निधि-सीमित है, जिसमें आयात निर्यात कोड (IEC) के अनुसार प्रति वर्ष अधिकतम लाभ सीमा ₹ 10 करोड़ है।
- **बैंकिंग विनियमन:** रेपो + 4% से अधिक औसत दर पर ऋण देने वाले बैंकों को इस योजना में भाग लेने से रोक दिया गया है।

प्रतिभूति लेनदेन कर

हाल ही में, प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) संग्रह में 75% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जो जनवरी 2025 तक 44,538 करोड़ रुपये तक पहुँच गई, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान यह 25,415 करोड़ रुपये थी।

परिचय

- **प्रकृति:** भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर।
- **शासी प्राधिकरण:** प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) अधिनियम के अंतर्गत भारत की केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है।
- **कर योग्य लेनदेन:**
  - **इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स:** शेयर, स्क्रिप्स और स्टॉक।
  - **ऋण इंस्ट्रूमेंट्स:** बॉन्ड और ऋण पत्र।
  - **डेरिवेटिव्स:** मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किए जाने वाले फ्यूचर और ऑप्शन।
  - **म्यूचुअल फंड:** म्यूचुअल फंड और अन्य सामूहिक निवेश योजनाओं की इकाइयाँ।
  - **सरकारी प्रतिभूतियाँ:** केवल वे जो इक्विटी प्रकृति की हों।
  - **इक्विटी-उन्मुख इकाइयाँ:** इक्विटी-उन्मुख के रूप में वर्गीकृत म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ।
  - **सिक्योरिटीज में अधिकार और हित:** सिक्योरिटीज से जुड़े कोई भी व्यापार योग्य अधिकार या हित।
  - **सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स:** अंतर्निहित परिसंपत्तियों के एक समूह द्वारा समर्थित वित्तीय साधन।
- **कर की दरें:** सुरक्षा और लेनदेन के प्रकार के आधार पर भिन्न होती हैं।
- **छूट:** ऑफ-मार्केट लेनदेन, कमोडिटी ट्रेडिंग या मुद्रा लेनदेन पर लागू नहीं होती।
- **संग्रह तंत्र:**
  - जब कोई ग्राहक शेयर बाजार में लेन-देन करता है, तो ब्रोकर STT एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता है।
  - एकत्र किया गया कर फिर सरकार को भेज दिया जाता है।

डायमंड इम्प्रेस्ट प्राधिकार (DIA) योजना

हाल ही में, वाणिज्य विभाग ने हीरा व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए डायमंड इम्प्रेस्ट प्राधिकार (DIA) योजना प्रारंभ की है।

परिचय

- **उद्देश्य:** यह योजना हीरा क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश हीरा प्रसंस्करण और निर्यात उद्योग में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखे।
- **मुख्य विशेषताएँ**
  - **शुल्क-मुक्त आयात**
    - यह योजना ¼ कैरेट (25 सेंट) से कम वजन वाले प्राकृतिक रूप से कटे और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करती है।
    - इससे भारतीय हीरा निर्यातकों के लिए कच्चे माल की लागत-प्रभावी खरीद की सुविधा प्राप्त होती है।
  - **निर्यात दायित्व**
    - योजना का लाभ उठाने वाले निर्यातकों को न्यूनतम 10% मूल्य संवर्धन के साथ अनिवार्य निर्यात दायित्व पूरा करना होगा।
    - इससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत हीरा व्यापार में वैश्विक मूल्य संवर्धन में योगदान देना जारी रखेगा।
  - **पात्रता**
    - केवल वे हीरा निर्यातक ही पात्र हैं, जिनके पास टू स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त है।
    - इसके अतिरिक्त, योग्य होने के लिए निर्यातकों का न्यूनतम वार्षिक निर्यात कारोबार 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर होना चाहिए।
    - इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह योजना उच्च मूल्य वाले व्यापार को बढ़ावा देते हुए स्थापित निर्यातकों को लाभ पहुँचाती है।
- **योजना की आवश्यकता**
  - **वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास**
    - यह योजना बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला जैसे हीरा-खनन देशों द्वारा अपनाई गई लाभकारी नीतियों के जवाब में प्रारंभ की गई है।
    - इन देशों में हीरा निर्माताओं को निर्यात से पहले स्थानीय स्तर पर हीरों का एक निश्चित प्रतिशत संसाधित करने की आवश्यकता होती है।
  - **भारत का नेतृत्व बरकरार रखना**
    - भारत हीरे की कटाई और पॉलिशिंग में वैश्विक स्तर पर अग्रणी रहा है, और यह योजना उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने में मदद करती है।
    - शुल्क मुक्त कच्चे माल तक पहुँच सुनिश्चित करने से भारत के हीरा प्रसंस्करण और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्राप्त होती है।

महत्त्व

- **MSME निर्यातकों को सशक्त बनाना:** इस योजना को MSME निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करके समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उन्हें उच्च स्तर के निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्राप्त होगा।
- **रोजगार सृजन और कौशल विकास:** कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग को प्रोत्साहन देकर, इस योजना से कुशल कारीगरों और शिल्पकारों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की अपेक्षा है।
- **भारत के हीरा निर्यात को प्रोत्साहन देना:** यह पहल भारत के हीरा निर्यात की वृद्धि में योगदान देगी, जिससे हीरा प्रसंस्करण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में देश की स्थिति और सुदृढ़ होगी।

वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ (GEP) रिपोर्ट, 2025

हाल ही में, विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ (GEP) रिपोर्ट, 2025 जारी की है।

मुख्य विशेषताएँ

- **वैश्विक विकास अनुमान:** वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2025 और 2026 दोनों में 2.7% की वृद्धि होने की अपेक्षा है, जो 2024 के समान गति को बनाए रखेगा, जो स्थिर लेकिन धीमी गति से सुधार का संकेत देता है।
- **उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ (EMDEs):**
  - इन अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2000 के पश्चात् से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिससे सदी के प्रारंभ में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान 25% से बढ़कर 45% हो गया है।
  - भारत, चीन और ब्राजील, तीन सबसे बड़े EMDEs, ने सामूहिक रूप से वार्षिक वैश्विक विकास का 60% भाग संचालित किया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को प्रकट करता है।
- **व्यापार प्रतिबंध:**
  - 2024 में नए वैश्विक व्यापार प्रतिबंधों की संख्या 2010-19 के बीच औसत से पाँच गुना अधिक थी, जिसका वैश्विक व्यापार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
  - इन प्रतिबंधों ने आर्थिक विकास दर में गिरावट में योगदान दिया है, जो 2000 के दशक में 5.9% से गिरकर 2020 के दशक में 3.5% हो गई है।
- **चुनौतियाँ और सुझाव:**
  - प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते व्यापार तनाव वैश्विक आर्थिक विस्तार को और मंद कर सकते हैं।
  - निरंतर मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि इससे केंद्रीय बैंकों द्वारा अपेक्षित ब्याज दरों में कटौती में विलंब हो सकती है।
  - नीतिगत हस्तक्षेप इन चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं, जिसमें EMDEs को आर्थिक सुधारों के माध्यम से अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
  - टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए मजबूत वैश्विक व्यापार प्रशासन आवश्यक है, जिसमें नीति समन्वय में बहुपक्षीय संस्थाएँ प्रमुख भूमिका निभाएँगी।
- **भारत-विशिष्ट विशेषताएँ**
  - **विकास परिदृश्य:**
    - भारत के वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है, जिसकी अनुमानित विकास दर 6.7% होगी।

- सेवा क्षेत्र में अपनी गति बरकरार रहने की अपेक्षा है, जबकि विनिर्माण गतिविधि में मजबूती आएगी, जिससे आर्थिक विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **निवेश वृद्धि:**
  - अनुकूल वित्तपोषण स्थितियों और बेहतर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के कारण निजी निवेश में वृद्धि होने की अपेक्षा है।
  - स्थिर बुनियादी ढाँचा व्यय और नीति समर्थन दीर्घकालिक आर्थिक लोचशीलता और विकास में योगदान देगा।

विश्व बैंक

- **स्थापना:** 1944 में IMF के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित।
  - समय के साथ, IBRD विश्व बैंक में विकसित हुआ।
  - यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है।
- **उद्देश्य:** विकासशील देशों में गरीबी कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली पाँच संस्थाओं की वैश्विक साझेदारी।
- **सदस्य:** भारत सहित 189 देश।
- **प्रमुख रिपोर्ट**
  - बिजनेस रेडी (B-READY) रिपोर्ट।
  - मानव पूँजी सूचकांक।
  - विश्व विकास रिपोर्ट।

पाँच विकास संस्था

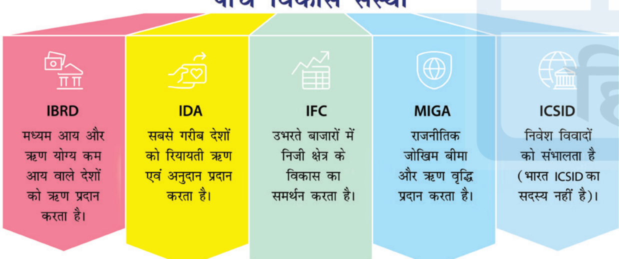

ISNR और INR कनेक्ट परियोजनाएँ

हाल ही में, भारतीय रबर बोर्ड ने देश के रबर उद्योग को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए दो प्रमुख पहलों, iSNR (भारतीय सतत् प्राकृतिक रबर) और INR Konnect को प्रारंभ किया।

iSNR: भारतीय संधारणीय प्राकृतिक रबर

- **उद्देश्य:**
  - इस पहल का उद्देश्य जिम्मेदार और पता लगाने योग्य (ट्रेसेबल) रबर की कृषि सुनिश्चित करके भारतीय रबर उत्पादन को यूरोपीय संघ वन अपरोपण विनियमन (EUDR) मानकों के अनुरूप बनाना है।
  - यह ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की शुरुआत करता है, जो यह सत्यापित करने में मदद करता है कि रबर को संधारणीय तरीके से प्राप्त किया गया है, जिससे वनों की कटाई और पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोका जा सके।
- **लाभ:** EUDR मानकों को पूरा करने से भारतीय रबर उत्पादकों को यूरोपीय संघ के बाजारों तक आसान पहुँच प्राप्त होगी, जिससे निर्यात क्षमता और बाजार विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- **INR Konnect:** वेब-आधारित उत्पादकता प्लेटफॉर्म
  - **उद्देश्य:** अप्रयुक्त रबर बागानों के मालिकों और उत्पादकता में सुधार के लिए निवेश करने के इच्छुक लोगों के मध्य के अंतर को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया।
  - **विशेषताएँ:**
    - **प्रमाणित नेटवर्क:** रबर बोर्ड उत्पादकों, अपनाने वालों और टैपर्स को प्रमाणित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रतिभागी गुणवत्ता और स्थिरता मानदंडों को पूरा करते हैं।
    - **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** उत्पादन प्रबंधन, टैपिंग तकनीकों और टिकाऊ प्रथाओं पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
    - **प्रमाणित टैपर्स का डेटाबेस:** कुशल टैपर्स का एक व्यापक रिकॉर्ड रखता है, जिससे बागान मालिकों को प्रशिक्षित पेशेवरों तक आसानी से पहुँचने में मदद मिलती है।
- **महत्त्व:**
  - यह कम उपयोग वाले रबर बागानों के मुद्दे को संबोधित करता है, जो भारत के रबर होल्डिंग्स का 20-25% हिस्सा निर्मित करते हैं।
  - रबर की कम कीमतों, अनुपस्थित स्वामित्व और कुशल कार्यबल की कमी के कारण अनेक बागान अप्रयुक्त रह गए हैं।

रबर फसल

- भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई वाणिज्यिक फसलें।
- उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
- **मृदा की आवश्यकता:** अच्छी जल निकासी वाली, गहरी और उच्च कार्बनिक सामग्री वाली दोमट मृदा आदर्श होती है।
- **जलवायु आवश्यकताएँ:**
  - उच्च आर्द्रता और भरपूर वर्षा (200-300 सेमी. प्रतिवर्ष) की आवश्यकता होती है।
  - **इष्टतम तापमान सीमा:** 25 से 35 डिग्री सेल्सियस।
  - लंबे समय तक सूखे की स्थिति वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि करता है।

भारत का रबर उद्योग

- **वैश्विक स्थिति:** भारत वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक रबर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है (थाईलैंड और इंडोनेशिया के पश्चात्)। यह प्राकृतिक रबर का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जहाँ ऑटोमोबाइल और विनिर्माण क्षेत्रों से उच्च घरेलू माँग है।
- **प्रमुख उत्पादक राज्य:** केरल भारत के कुल रबर उत्पादन में 90% से अधिक का योगदान देता है, जो इसे उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाता है।
  - अन्य रबर उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम और मेघालय शामिल हैं।

- **मुख्य चुनौतियाँ:**
  - **जलवायु परिवर्तन:** बढ़ते तापमान और अप्रत्याशित वर्षा से रबर की उपज और टैपिंग चक्र प्रभावित होते हैं।
  - **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश सस्ते रबर की पेशकश करते हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।
  - **श्रमिकों की कमी:** रबर बागानों में घटते कार्यबल ने उत्पादन लागत बढ़ा दी है और टैपिंग गतिविधियों को धीमा कर दिया है।
- **सरकारी पहल:**
  - **राष्ट्रीय रबर नीति 2019:** इसका उद्देश्य रबर उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना और घरेलू प्रसंस्करण उद्योगों को सुदृढ़ करना है।
  - **प्राकृतिक रबर क्षेत्र योजना का सतत् और समावेशी विकास:** पर्यावरण के अनुकूल खेती, किसानों की आय में सुधार और रबर आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **इनरोड परियोजना:** अप्रयुक्त बागानों का उपयोग करने, भारत की रबर उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रारंभ की गई।

भारतीय रबर बोर्ड

- **प्रकृति:**
  - यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक वैधानिक निकाय है।
  - इसकी स्थापना रबर अधिनियम, 1947 के अंतर्गत भारत में रबर उद्योग को विनियमित करने, विकसित करने और बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ की गई थी।
- **उद्देश्य:**
  - **रबर क्षेत्र का विकास:** रबर की खेती, प्रसंस्करण और स्थिरता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों को लागू करना।
  - **मूल्य स्थिरीकरण और बाजार पहुँच को सुगम बनाना:** रबर उत्पादकों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करने और बाजार में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए मूल्य निगरानी, नीति हस्तक्षेप और बाजार से संबंधित खुफिया जानकारी पर कार्य करना।
  - **घरेलू और निर्यात बाजारों को बढ़ावा देना:** घरेलू रबर उद्योग का विस्तार करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करता है।
- **मुख्यालय:** कोट्टायम, केरल में अवस्थित है।

विभेदक मूल्य निर्धारण

हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड-हेलिंग कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के स्मार्टफोन के प्रकार के आधार पर कथित रूप से भिन्न मूल्य निर्धारण का उपयोग करने पर चिंता जताई थी।

परिचय

- विभेदक मूल्य निर्धारण एक मूल्य निर्धारण रणनीति है, जिसमें व्यवसाय विभिन्न कारकों के आधार पर एक ही उत्पाद या सेवा के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य वसूलते हैं।
- **मूल्य निर्धारण भिन्नताएँ निम्नलिखित से प्रभावित होती हैं:**
  - **स्थान:** क्षेत्रीय आर्थिक स्थितियों के आधार पर कीमतों को समायोजित करना। माँग में उतार-चढ़ाव – बाजार की माँग के आधार पर कीमतें बढ़ या घट सकती हैं।
  - **उपभोक्ता जनसांख्यिकी:** विभिन्न आयु समूहों, आय स्तरों आदि के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण।
  - **क्रय व्यवहार:** ग्राहक वफादारी और खरीद पैटर्न के आधार पर छूट या उच्च कीमतें।
- **विभेदक मूल्य निर्धारण के प्रकार**
  - **मूल्य स्थानीयकरण:** कीमतों को स्थानीय क्रय शक्ति, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक स्थितियों के आधार पर समायोजित किया जाता है।
  - **वास्तविक समय मूल्य निर्धारण**
    - माँग, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर कीमतें गतिशील रूप से परिवर्तित होती रहती हैं।
    - राइड-हेलिंग सेवाओं (सर्ज प्राइसिंग) और एयरलाइन टिकट जैसे उद्योगों में सामान्य बात है।
  - **सदस्यता-आधारित मूल्य निर्धारण:** ग्राहकों को किसी सेवा के दीर्घकालिक उपयोग के लिए छूट या लाभ मिलता है।
    - उदाहरणों में स्ट्रीमिंग सेवाएँ, सॉफ्टवेयर लाइसेंस और जिम सदस्यताएँ शामिल हैं।
  - **मौसमी छूट** (Seasonal Discounts)**:** अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट मौसमों या छुट्टियों के दौरान कीमतों में कमी की जाती है। खुदरा और यात्रा उद्योगों में सामान्य (जैसे, छुट्टियों की बिक्री, ऑफ-सीजन यात्रा छूट)।
  - **वॉल्यूम छूट:** बड़ी मात्रा के लिए प्रति इकाई कम कीमत की पेशकश करके थोक खरीद को प्रोत्साहित करता है। थोक, B2B बिक्री और सदस्यता-आधारित खुदरा स्टोर में उपयोग किया जाता है।

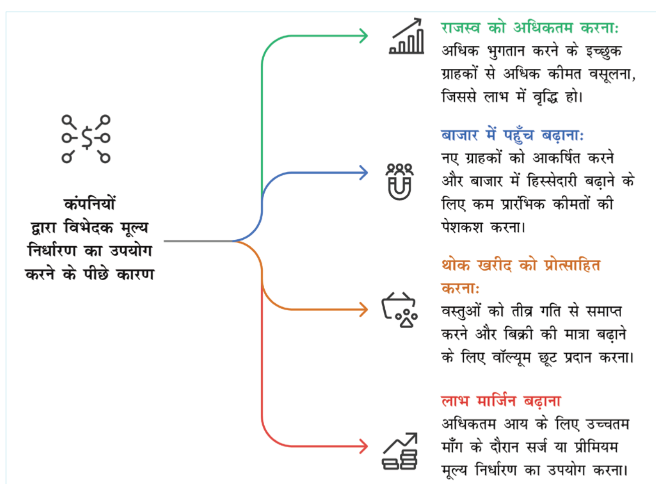

भारत में विभेदक मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** उपभोक्ताओं के मध्य भेदभाव करने या उनका शोषण करने वाले विभेदक मूल्य निर्धारण को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है।
  - धारा 2(47) उन प्रथाओं पर रोक लगाती है जो उपभोक्ता हितों को क्षति पहुँचाती हैं।
- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4:** प्रमुख अभिकर्ताओं को भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण में लिप्त होने से रोकती है जो ग्राहकों का शोषण करती है या बाजार तक पहुँच को प्रतिबंधित करती है।
  - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने विमानन और राइड-हेलिंग जैसे क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण प्रथाओं की जाँच की है।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** भोजन, ईंधन या दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण प्रतिबंधित है, ताकि कमी या आपात स्थिति के दौरान शोषण को रोका जा सके।
- **पल्लवी रिफ्रैक्टरीज बनाम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (2005):** उच्चतम न्यायालय ने भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण को तब सही ठहराया जब यह तर्कसंगत था, और स्पष्ट मानदंडों, जैसे कि बाजार विभाजन या लागत अंतर पर आधारित था।
- **बोतलबंद पानी का मूल्य निर्धारण:** 2017 में, सरकार ने स्पष्ट किया कि मल्टीप्लेक्स, हवाई अड्डों और खुदरा दुकानों में बेचे जाने वाले सामान बोतलबंद पानी का कानूनी माप विज्ञान नियमों के अंतर्गत एक ही MRP होना चाहिए।

वर्ष 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत (GI) टैग

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वर्ष 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

परिचय

- **परिभाषा**
  - भौगोलिक संकेत (GI) एक लेबल है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों की पहचान करता है, जिसमें उस स्थान से जुड़ी अद्वितीय गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषताएँ होती हैं।
  - यह हस्तशिल्प, वस्त्र और खाद्य उत्पादों सहित कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं पर लागू होता है।
- **अवधि:** GI पंजीकरण, पंजीकरण की तिथि से 10 वर्षों के लिए वैध होता है।
- **महत्त्व:**
  - **विधिक संरक्षण:** उत्पाद के नाम के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
  - **आर्थिक बढ़ावा:** स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान देकर बाजार में उनकी बिक्री को बढ़ाता है और निर्यात को प्रोत्साहन देता है।
  - **उपभोक्ता विश्वास:** गुणवत्ता, प्रामाणिकता और विशिष्टता सुनिश्चित करता है, जिससे उत्पादकों और खरीदारों दोनों को लाभ होता है।
  - **सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्य:** उत्पाद से जुड़े पारंपरिक कौशल, प्रथाओं और विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है।
- **वैश्विक मान्यता**
  - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू) के अंतर्गत सम्मिलित है।
- **भारतीय विनियमन**
  - वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित।
  - भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रार (RGI) GI टैग का दर्जा प्रदान करता है।
  - **नोडल प्राधिकरण:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **भारत में GI टैग**
  - **पहला GI उत्पाद:** दार्जिलिंग चाय (पश्चिम बंगाल), जो अपने अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है।
  - **सबसे ज्यादा GI टैग वाला राज्य:** उत्तर प्रदेश, उसके पश्चात् तमिलनाडु, जिसमें वस्त्र, हस्तशिल्प और खाद्य उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है।
- **हालिया महत्त्वपूर्ण GI टैग:**
  - **बोडो नार्जी (असम)** - जूट के पत्तों से बना एक पारंपरिक अर्ध-किण्वित व्यंजन।
  - **तिरंगी बर्फी (उत्तर प्रदेश)** - एक प्रसिद्ध तिरंगी मिठाई।
- **कुल GI टैग जारी:** 605 (अभी तक), राज्यों में विविध उत्पाद श्रेणियों को कवर करते हुए।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया।

परिचय

- **बोर्ड की संरचना:**
  - **अध्यक्ष:** बोर्ड के कार्यों की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।
  - **सचिव:** संचालन और नीति कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त।
- **सरकारी प्रतिनिधि:**
  - आयुष मंत्रालय के सदस्य हल्दी के औषधीय अनुप्रयोगों का समर्थन करेंगे।
  - फार्मास्युटिकल्स, कृषि एवं किसान कल्याण तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभागों के प्रतिनिधि हल्दी से संबंधित नीतियों को विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत करेंगे।

- **राज्य का प्रतिनिधित्व:**
  - महाराष्ट्र और तेलंगाना, दो सबसे बड़े हल्दी उत्पादक राज्य, इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे।
  - मेघालय का भी प्रतिनिधित्व होगा।
  - व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों को रोटेशन के आधार पर शामिल किया जाएगा।
- **अधिदेश और मुख्य फोकस क्षेत्र:**
  - **अनुसंधान और विकास:**
    - हल्दी की बेहतर किस्मों, उपज में सुधार और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
    - फार्मास्युटिकल्स और न्यूट्रास्युटिकल्स सहित हल्दी आधारित उत्पादों में नवाचार को प्रोत्साहित करना।
  - **बाजार विस्तार और व्यापार संवर्धन:**
    - भारत के हल्दी निर्यात को बढ़ाने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना।
    - हल्दी को उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पाद के रूप में ब्रांडिंग, विपणन और स्थिति प्रदान करने में सहायता करना।
  - **रसद और आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि:**
    - फसल के पश्चात् होने वाली क्षति को कम करने के लिए परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना।
    - सुचारू आपूर्ति श्रृंखला के लिए किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और निर्यातकों के मध्य संपर्क में सुधार करना।
  - **गुणवत्ता और सुरक्षा मानक:**
    - हल्दी उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वैश्विक मानकों को लागू करना।
    - उपभोक्ता विश्वास और व्यापार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
  - **जागरूकता एवं संवर्धन:**
    - किसानों और हितधारकों को हल्दी की खेती के लिए सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के बारे में शिक्षित करना।
    - घरेलू और वैश्विक माँग बढ़ाने के लिए हल्दी के औषधीय, पोषण संबंधी और चिकित्सीय गुणों पर प्रकाश डालना।
- **मुख्यालय:** निजामाबाद, तेलंगाना

हल्दी

- **वानस्पतिक और रासायनिक गुण:**
  - हल्दी अदरक कुल (जिंगिबरेसी) से संबंधित करकुमा लोंगा पौधे का भूमिगत तना (प्रकंद) है।
  - इसका सक्रिय यौगिक, करक्यूमिन, हल्दी को उसका पीला रंग प्रदान करता है और यह अपने सूजनरोधी, एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है।
- **भारत में खेती:**
  - भारत में 20 से ज्यादा राज्यों में हल्दी की 30 से ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं।
  - मुख्य उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं।
- **वैश्विक स्थिति:**
  - भारत संपूर्ण विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है।
  - 2022-23 में, भारत वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% से अधिक और वैश्विक निर्यात बाजार का 62% पर आधिपत्य रखता है।
- **निर्यात प्रदर्शन:**
  - वर्ष 2022-23 में भारत ने 1,53,400 टन हल्दी और हल्दी आधारित उत्पादों का निर्यात किया।
  - कुल निर्यात मूल्य 207.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  - प्रमुख निर्यात गंतव्यों में बांग्लादेश, UAE, अमेरिका और मलेशिया शामिल हैं।
- **भौगोलिक संकेत** (GI) **टैग:** भारत की कई हल्दी किस्मों को GI टैग मान्यता प्राप्त हुई है, जिनमें शामिल हैं:
  - **लाकाडोंग हल्दी (मेघालय)** - इसकी उच्च करक्यूमिन सामग्री के लिए जाना जाता है।
  - **कंधमाल हल्दी (ओडिशा)** - इसकी जैविक खेती के लिए मूल्यवान है।
  - **इरोड हल्दी (तमिलनाडु)** - अपने चमकीले रंग और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है।
  - **आर्मोर हल्दी (निजामाबाद, तेलंगाना)** - अपने अद्वितीय औषधीय गुणों के लिए मान्यता प्राप्त है।
- **हल्दी की खेती के लिए जलवायु परिस्थितियाँ:**
  - **ऊँचाई:** समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊँचाई तक उगाया जा सकता है।
  - **तापमान:** 20-30 डिग्री सेल्सियस तापमान रेंज में वृद्धि करता है।
  - **वर्षा:** 1500 मिमी. या उससे अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और इसे वर्षा आधारित या सिंचित परिस्थितियों में उगाया जा सकता है।
  - **छाया सहनशीलता:** आंशिक छाया में अच्छी तरह से वृद्धि करता है, लेकिन खुली धूप में बड़े और बेहतर प्रकंद विकसित होते हैं।
  - **मृदा के प्रकार:** अच्छी जल निकासी वाली रेतीली या चिकनी दोमट मृदा के लिए सबसे उपयुक्त।

4 पर्यावरण

भारत ने UNFCCC को चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत किया

हाल ही में, भारत ने UNFCCC को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें ग्रीनहाउस गैस (GHG) सूची और उत्सर्जन में कमी के प्रयासों की रूपरेखा प्रदान की गई।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- **2020 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन**
  - **समग्र कमी:** 2020 में, भारत के कुल GHG उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 7.93% की कमी आई।
  - **कुल उत्सर्जन (भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी को छोड़कर** - LULUCF **):** उत्सर्जन 2,959 मिलियन टन CO_2 समतुल्य (CO2e) रहा।
  - **शुद्ध उत्सर्जन (** LULUCF **सहित):** भूमि उपयोग और वानिकी को ध्यान में रखने के पश्चात्, शुद्ध उत्सर्जन 2,437 मिलियन टन CO_2e था।
- GHG **उत्सर्जन में क्षेत्रीय योगदान**
  - **ऊर्जा क्षेत्र:** कुल उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया, जो 75.66% रहा।
  - **कृषि:** 13.72% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार, मुख्य रूप से आंत्र (enteric) किण्वन, चावल की खेती और उर्वरक के उपयोग के कारण।
  - **औद्योगिक प्रक्रियाएँ और उत्पाद प्रयोग** (IPPU)**:** इनका उत्सर्जन 8.06% था, जिसमें सीमेंट, इस्पात और रासायनिक उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन भी शामिल है।
  - **अपशिष्ट क्षेत्र:** उत्सर्जन में 2.56% का योगदान, मुख्यत: ठोस अपशिष्ट निपटान और अपशिष्ट जल उपचार से हुआ।
- **कार्बन अवशोषण में वनों की भूमिका**
  - भारत के वन और वृक्ष आवरण के साथ-साथ अन्य भूमि उपयोग ने 2020 में लगभग 522 मिलियन टन CO_2 को संगृहीत किया।
  - इससे देश के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 22% कम हो गया, तथा शुद्ध उत्सर्जन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों की दिशा में प्रगति
- **उत्सर्जन तीव्रता में कमी**
  - भारत आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए अपनी उत्सर्जन आधिक्यता को सफलतापूर्वक कम कर रहा है।
  - 2005 और 2020 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन आधिक्यता में 36% की कमी आई है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार**
  - अक्टूबर 2024 तक, स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52% तक पहुँच गई है।
  - बड़े जलविद्युत सहित कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.22 गीगावॉट है।
  - वृहत जलविद्युत परियोजनाओं को छोड़कर, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 4.5 गुना बढ़ गई है - मार्च 2014 में 35 गीगावॉट से 2024 में 156.25 गीगावॉट तक।
- **वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि**
  - भारत का वन एवं वृक्ष क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है और अब यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है।
  - 2005 और 2021 के बीच 2.29 बिलियन टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है।

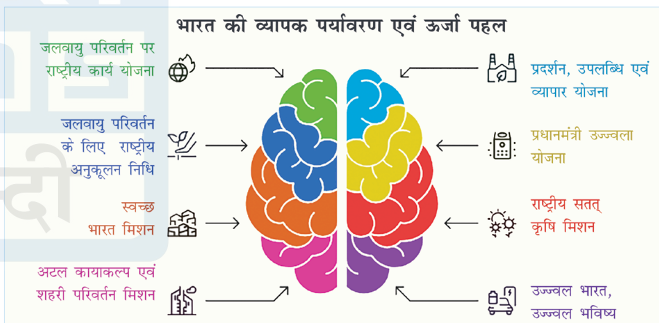

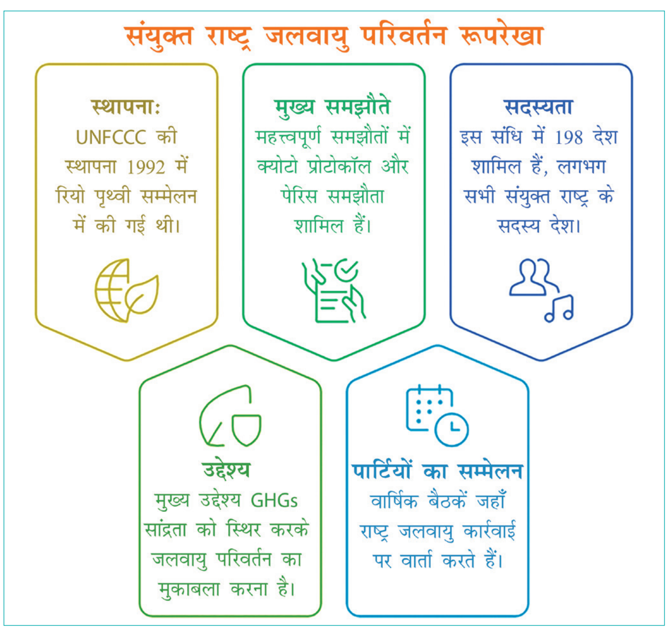

भारत की प्रथम 'तटीय-जलचर पक्षी जनगणना'

गुजरात राज्य, जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में देश की प्रथम तटीय एवं जलीय पक्षियों की जनगणना करने जा रहा है।

परिचय

- यह गणना राज्य वन विभाग और गुजरात पक्षी संरक्षण सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी।
- **वेडर्स पक्षी:**
  - इन्हें शोरबर्ड या सैंडपाइपर के नाम से भी जाना जाता है, ये पक्षियों का एक समूह है, जो सामान्यत: तटीय आवासों या आर्द्रभूमि में पाया जाता है।
  - उनकी विशेषता है लंबे पैर, पतला शरीर तथा प्राय: लंबी चोंच, जिसका उपयोग वे कीड़े-मकोड़ों जैसे भोजन की तलाश में करते हैं।
  - समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं समुद्री अभ्यारण्य भारत का पहला प्राधिकृत समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हैं।
  - देवभूमि द्वारका, जामनगर और मोरबी जिलों में फैला यह उद्यान लगभग 170 किलोमीटर समुद्र तट और 42 द्वीपों को आच्छादित करता है।
  - कच्छ की खाड़ी में यह संरक्षित क्षेत्र समुद्री जैव विविधता और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था।
  - यह उद्यान मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) के निकट अवस्थित है।
    - यह पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवास मार्ग है, जो आर्कटिक और हिंद महासागर तथा संबंधित द्वीप श्रृंखलाओं के बीच यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को आच्छादित करता है।
- **पक्षी प्रजातियाँ:**
  - जामनगर जिले में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 50 से अधिक वेडर पक्षियों की प्रजातियाँ शामिल हैं।
  - इनमें 'शंखलो' (क्रैब प्लोवर) और 'मोटो किचादियो' (ग्रेट नॉट) जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ शामिल हैं, जो देश में अन्यत्र शायद ही पाई जाती हैं।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन

हाल ही में, केरल के कोझिकोड और कन्नूर जिलों में स्थित कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया।

परिचय

- **प्रदानकर्त्ता:** पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन (FEE) ने डेनमार्क में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल - ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया।
- **कठोर मानदंड:** FEE उन समुद्र तटों, मरीनाओं और नौकायन संचालकों को पुरस्कार प्रदान करता है, जो 33 मानदंडों को पूर्ण करते हैं।
  - सामान्यत: इन्हें चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी एवं शिक्षा शामिल हैं।
  - ये मानक कोपेनहेगन स्थित पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन (FEE) द्वारा 1985 में स्थापित किए गए थे।
- प्रमाणीकरण को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता है, तथा स्थानों को अपना ब्लू फ्लैग दर्जा बनाए रखने के लिए मानदंडों को पूरा करना जारी रखना होता है।
- **ब्लू फ्लैग समुद्र तट:**
  - पूरे विश्व में 4000 से अधिक ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं, जिनमें से स्पेन 729 ब्लू फ्लैग स्थलों के साथ पहले स्थान पर है, उसके पश्चात् ग्रीस का स्थान है।
  - भारत में ऐसे 13 समुद्र तट हैं, ओडिशा के कोणार्क तट पर स्थित चंद्रभागा समुद्र तट, ब्लू फ्लैग प्रमाणन पाने वाला एशिया का पहला समुद्र तट है।
- **महत्त्व:**
  - सतत् पर्यटन को प्रोत्साहन देना,
  - पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना,
  - मनोरंजक स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना।
  - यह पर्यटकों को ऐसे स्थलों की पहचान करने में मदद करता है, जो पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देते हैं।

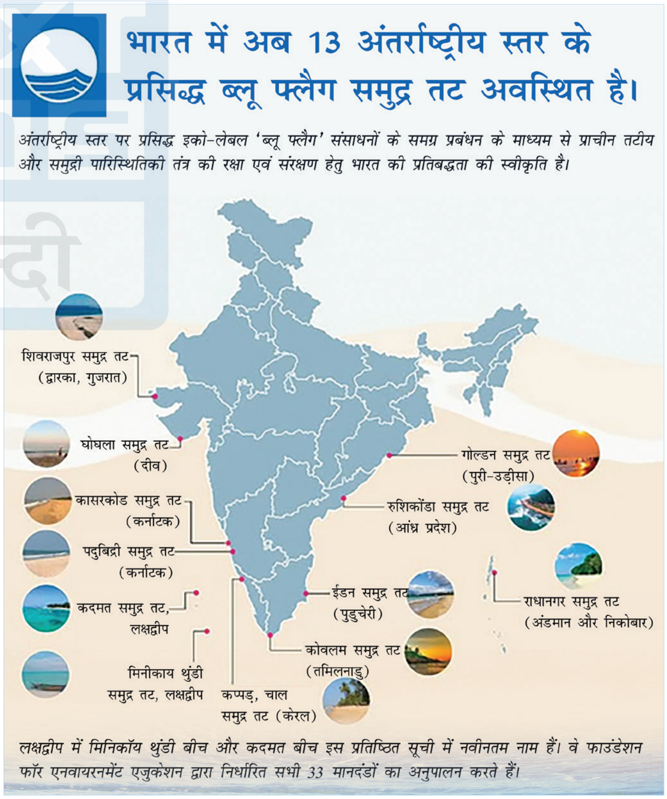

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)

हाल ही में, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) और हैदराबाद स्थित नालसार विधि विश्वविद्यालय ने पशु देखभाल कानूनों एवं प्रक्रियाओं में पशु कल्याण स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- **स्थापना**
  - पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत 1962 में स्थापित।
  - एक प्रसिद्ध मानवतावादी और पशु अधिकार अधिवक्ता रुक्मिणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व में स्थापित।
- **संरचना:** बोर्ड में 28 सदस्य हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - 6 संसद सदस्य (2 राज्य सभा से और 4 लोक सभा से)।
- **कार्यकाल:** बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
- **महत्त्वपूर्ण कार्य**
  - संपूर्ण भारत में पशु कल्याण कानूनों को लागू करता है।
  - पशु कल्याण संगठनों को वित्तीय अनुदान प्रदान करता है।
  - पशु कल्याण और संरक्षण से संबंधित नीतियों पर भारत सरकार को सलाह प्रदान करता है।

कश्मीर के चिनार वृक्ष

हाल ही में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों के संरक्षण में मदद के लिए 'डिजिटल वृक्ष आधार' कार्यक्रम प्रारंभ किया।

कश्मीर के चिनार वृक्ष का परिचय

- **वैज्ञानिक नाम:** प्लैटनस ओरिएंटलिस
- **अन्य नाम:** ओरिएंटल प्लेन ट्री, मेपल ट्री, जिसे स्थानीय रूप से बोईन कहा जाता है।
- **विशेषताएँ**
  - **आकार:** विशाल पर्णपाती वृक्ष, जो धरातल स्तर पर 10 से 15 मीटर की परिधि के साथ 30 मीटर तक ऊँचा होता है।
  - **आयु:** कश्मीर का सबसे पुराना चिनार का वृक्ष, लगभग 700 वर्ष पुराना, बुडगाम जिले के चटरगाम में सूफी संत सैयद कासिम शाह द्वारा लगाया गया था।
  - **विकास दर:** परिपक्व ऊँचाई तक पहुँचने में 30 से 50 वर्ष लगते हैं, और पूर्ण आकार तक पहुँचने में लगभग 150 वर्ष लगते हैं।
- **प्राकृतिक वास:** यह पूर्वी हिमालय की स्थानीय प्रजाति है, तथा पर्याप्त जल वाले शीतल वातावरण में वृद्धि करता है।
- **उपयोग**
  - **औषधीय:** पत्तियों और छाल का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
  - **काष्ठ:** लेसवुड का उपयोग उत्कृष्ट आंतरिक फर्नीचर के लिए किया जाता है।
  - **अन्य उपयोग:** टहनियों और जड़ों का उपयोग रंग बनाने के लिए किया जाता है।
- **जियो-टैगिंग पहल**
  - **उद्देश्य:** सर्वेक्षण किए गए पेड़ों पर QR कोड लगाए जाते हैं, जो भौगोलिक स्थिति, स्वास्थ्य, आयु और विकास पैटर्न जैसे विवरणों को रिकॉर्ड करते हैं।
  - **प्रबंधन:** जम्मू-कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में यह परियोजना चिनार के पेड़ों की निगरानी और प्रबंधन को सक्षम बनाती है।

विश्व के मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहर

हाल ही में, इंदौर और उदयपुर मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले दो भारतीय शहर बन गए।

परिचय

- **सिरपुर झील:**
  - **स्थान:** इंदौर, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - **महत्त्व:** यह जलीय पक्षियों के जमावड़े के लिए जाना जाता है और इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- **उदयपुर आर्द्रभूमि:**
  - **अवस्थिति:** राजस्थान, पाँच प्रमुख आर्द्रभूमियों से घिरा हुआ है: पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई।

आर्द्रभूमि सिटी प्रत्यायन कार्यक्रम

- **रामसर कन्वेंशन का हिस्सा:** 2015 में COP12 के दौरान स्वीकृत।
- **मान्यता के लिए मानदंड:** शहरों को आर्द्रभूमि एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संरक्षण के उपायों को अपनाने सहित सभी छह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करना होता हैं।
- **उद्देश्य:** शहरी और उपनगरीय आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
- **वैधता:** मान्यता छह वर्ष के लिए वैध है, जिसके पश्चात् शहर द्वारा छह मानदंडों के साथ निरंतर अनुपालन के आधार पर इसे नवीनीकृत किया जाता है।
- **वैश्विक मान्यता:** वर्तमान में, 74 शहरों को मान्यता प्राप्त है, जिनमें सबसे अधिक संख्या चीन (22) और फ्रांस (9) की है।

रामसर कन्वेंशन

- **स्थापना:** 1971 में, ईरान के रामसर में।
- **उद्देश्य:** आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- **वैश्विक पहुँच:** भारत सहित 172 सदस्य देश इस सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।
- **भारत में:** वर्तमान में रामसर संधि के अंतर्गत 89 आर्द्रभूमि संरक्षित हैं।

अमूर फाल्कन

हाल ही में, मणिपुर के तामेंगलोंग जिले ने अमूर बाज के शिकार करने , पकड़ने, मारने और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया।

परिचय

- **प्रवास:**
  - विश्व का सबसे लंबी दूरी तक प्रवास करने वाला शिकारी पक्षी।
  - इसका नाम अमूर नदी के नाम पर रखा गया है, जो इसके प्रजनन स्थलों से होकर प्रवाहित होती है।

- **प्रजनन स्थल:**
  - साइबेरिया, मंगोलिया और उत्तरी चीन में पाया जाता है।
  - शीत ऋतु के दौरान दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में प्रवास करता है।
- **भौतिक उपस्थिति:**
  - छोटे बाज, जिनमें मादाएँ बड़ी होती हैं।
  - विशिष्ट नेत्र मुखौटे और पीले रंग के सेरेस द्वारा चिह्नित।
- **आहार:** मुख्य रूप से कीटों, विशेष रूप से टिड्डियों और दीमकों को खाता है, जो प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रदान करते हैं।
- **निवास:** खुले जंगल और दलदली भूमि को तरजीह देता है।
- **खतरे:** प्रवास के दौरान अवैध जाल और हत्या के साथ-साथ आवास की क्षति से खतरों का सामना करना पड़ता है।

संरक्षण स्थिति:

- **IUCN स्थिति:** कम चिंताजनक
- **CMS:** परिशिष्ट-II
- **WPA, 1972:** अनुसूची-I भाग B

हिमालयन आइबेक्स

हाल ही में, हिमाचल प्रदेश में वन्यजीव अधिकारियों ने हिमालयन आइबेक्स की जनसंख्या का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया।

परिचय

- **अवलोकन:** यह एक जंगली बकरी और साइबेरियाई आइबेक्स की उप-प्रजाति है जो भारत, पाकिस्तान, तिब्बत और नेपाल के हिमालयी क्षेत्र की स्थानीय निवासी है। भारत में यह जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है।
- **प्राकृतिक वास:**
  - यह हिमालय के उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में निवास करता है, जिसमें ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र भी शामिल है, 3,000 से 5,800 मीटर की ऊँचाई पर।
  - यह पर्याप्त वनस्पति और जल की उपलब्धता वाले खड़ी, चट्टानी भूमि को पसंद करता है।
  - चरम बर्फबारी की स्थिति और कठोर मौसम की स्थिति से बचने के लिए शीत ऋतु के दौरान निचले ऊँचाई वाले स्थानों पर पलायन करते हैं।
- **शारीरिक विवरण:** मोटा, रोएँदार कोट कठोर पर्वतीय वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है।
  - लंबे, घुमावदार सींग जो एक मीटर तक लंबे हो सकते हैं। नर के सींग मादाओं की तुलना में अधिक लंबे, अधिक उभरे हुए तथा बड़े होते हैं।
  - नर मादाओं की तुलना में बड़े और अधिक मांसल होते हैं।
- **आहार:** शाकाहारी जानवर जो मुख्य रूप से घास, पत्ते और झाड़ियों से भोजन ग्रहण करते हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN स्थिति:** कम चिंताजनक
  - **WPA, 1972:** अनुसूची-I

यूट्रिकुलरिया

हाल ही में, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा, यूट्रीकुलरिया, इस मौसम में प्रचुर मात्रा में पाया गया।

यूट्रीकुलरिया (ब्लैडरवॉर्ट्स) का परिचय

- **वंश एवं कुल:** यूट्रीकुलरिया, जिसे सामान्यत: ब्लैडरवॉर्ट के नाम से जाना जाता है, लेंटिबुलारियासी कुल से संबंधित है, और यह सबसे विविध मांसाहारी पौधों का वंश है।
- **प्रजातियाँ एवं वितरण:** इसमें पूरे विश्व के समशीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली 220 प्रजातियाँ शामिल हैं।
- **जड़ रहित संरचना:** इसमें जड़ें नहीं होतीं तथा सामान्यत: सरल या विभाजित पत्तियों वाला एक तैरता हुआ क्षैतिज तना होता है।
- **मांसाहारी अनुकूलन:** इसमें तने के साथ छोटे मूत्राशय जैसे जाल लगे होते हैं, जो कीटों के लार्वा, जलीय कृमियों और जलीय पिस्सुओं को पकड़ने के लिए तीव्र चूषण तंत्र का उपयोग करते हैं।
- **जाल तंत्र:** जाल के दरवाजे पर लगे संवेदनशील ट्रिगर बाल शिकार का पता लगा लेते हैं, जिससे वह एक मिलीसेकंड से भी कम समय में खुल जाता है, और 2.5 मिलीसेकंड के अंदर बंद हो जाता है।
- **आवास एवं विस्तार:** झीलों, नदियों और जलभराव वाली मृदा में पाया जाता है, तथा कुछ प्रजातियाँ नए वातावरण में आक्रामक हो जाती हैं।
- **पुष्प:** उभयलिंगी, द्विपक्षीय रूप से सममित पुष्प उत्पन्न करता है, जो प्रजनन में सहायता करता है।
- **पारिस्थितिक भूमिका:** सूक्ष्मजीव आबादी को नियंत्रित करके और पोषक चक्रण में योगदान देकर जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

- **अवस्थिति:** पूर्वी राजस्थान में स्थित, इसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, और 1981 में उद्यान के अंदर विद्यमान प्राचीन शिव मंदिर के सम्मान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया।
- **सामरिक महत्त्व:** मध्य एशियाई प्रवास मार्ग पर स्थित यह उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव के रूप में कार्य करता है।
- **वनस्पति:** वनस्पति मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती है, जिसमें मध्यम आकार के पेड़ और झाड़ियाँ हैं, जो वन्यजीवों के लिए विविध आवास प्रदान करती हैं।
- **वनस्पति:** सामान्यत: कदम, जामुन, बबूल, कंडी, बेर, कैर और पीलू पाए जाते हैं।
- **जीव-जंतु:** स्थायी और प्रवासी पक्षियों की 360 से अधिक प्रजातियों का आवास स्थल, जिसमें गेडवॉल, शॉवेलर, टफ्टेड डक और साइबेरियन क्रेन (जो विलुप्त हो सकते हैं) जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं।
  - प्रवास ऋतु (अक्टूबर से मार्च) के दौरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन और साइबेरिया जैसे देशों से जलपक्षी का उद्यान में आगमन होता हैं।
  - स्तनधारी और सरीसृप जैसे अजगर, हिरण, सांभर, काले हिरण, सियार, मॉनिटर छिपकली और मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं।
- **संरक्षण स्थिति:** यह रामसर स्थल (अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि) के साथ-साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है।

त्रिनिदाद और टोबैगो

हाल ही में, त्रिनिदाद और टोबैगो ने बढ़ती हिंसा, जिसमें गिरोह-संबंधी गोलीबारी में वृद्धि भी शामिल है, के जवाब में आपातकाल की स्थिति लागू किया।

परिचय

- **राजधानी**-पोर्ट ऑफ स्पेन
- **अवस्थिति:** कैरिबियन क्षेत्र का सबसे दक्षिणी देश, जो वेनेजुएला के उत्तर-पूर्व, ग्रेनेडा के दक्षिण में और अटलांटिक महासागर में अवस्थित है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:**
  - **नदियाँ:** ऑर्टोयर नदी, कैरोनी नदी, नरीवा नदी।
  - **पर्वत:** उत्तरी पर्वतमाला (त्रिनिदाद)।
  - **सबसे ऊँची चोटी:** एल सेरो डेल अरिपो (940 मीटर)।
- **इतिहास:** स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशित; 1962 में स्वतंत्रता प्राप्त की और 1976 में गणतंत्र बन गया।
- **सरकार:** संसदीय लोकतंत्र, जहाँ प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति का पद औपचारिक होता है।
- **अर्थव्यवस्था:** तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल, विनिर्माण एवं पर्यटन पर आधारित। कैरिबियन क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश।
- **जनसंख्या और संस्कृति:** कुल जनसंख्या 15 लाख, जिसमें विविध नृजातीय समूह शामिल हैं (इंडो-त्रिनिडाडियन, एफ्रो-त्रिनिडाडियन एवं मिश्रित नृजातीय समूह)। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है।

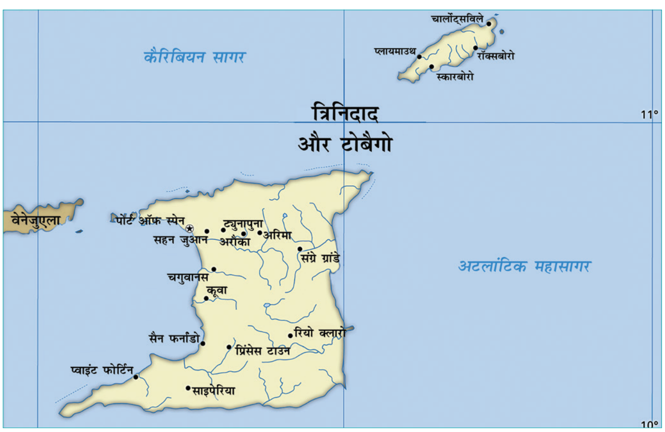

वेम्बनाड झील

हाल ही में, केरल के अलप्पुझा जिले के प्रशासन ने वेम्बनाड झील पुनर्जीवन परियोजना के अंतर्गत व्यापक स्तर पर प्लास्टिक सफाई अभियान प्रारंभ किया।

परिचय

- अवस्थिति और आकार – भारत की सबसे लंबी झील और केरल की सबसे बड़ी, जो अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में फैली हुई है, तथा 2,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित करती है।
- वैकल्पिक नाम – इसे वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कोल, पुन्नमदा झील (कुट्टानाड में) एवं कोच्चि झील (कोच्चि में) के नाम से भी जाना जाता है।
- निर्माण और समुद्र से जुड़ाव – यह झील चार नदियों – मीनाचिल, अचनकोविल, पंपा एवं मनीमला – से जल प्राप्त करती है और पश्चिम में अरब सागर से जुड़ी हुई है।
- **पारिस्थितिक एवं भौगोलिक महत्त्व:**
  - **निकटस्थ द्वीप** – यह झील पथिरमनल, पेरुंबलम और पल्लिप्पुरम द्वीपों से घिरी हुई है।
  - **वन्यजीव संरक्षण** – इसकी पूर्वी तटरेखा पर कुमरकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है।
  - **महत्त्वपूर्ण मान्यता ख** इसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।
- **पर्यटन एवं कार्यक्रम:** केरल में एक प्रमुख अप्रवाही जल पर्यटन स्थल।
  - यह अगस्त माह में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध वल्लम कली (नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़) नामक एक सर्प नौका दौड़ की मेजबानी करता है।

NEXT IAS हिन्दी

मेक्सिको की खाड़ी

हाल ही में, मेक्सिको की खाड़ी का नाम परिवर्तित कर 'अमेरिका की खाड़ी' रखने के प्रस्ताव ने इसके ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व को लेकर विमर्श की स्थिति उत्पन्न कर दिया है।

परिचय

- **परिचय**
  - मेक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी और अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है।
  - इसकी बंद संरचना और जलवायु प्रभाव के कारण इसे प्राय: 'अमेरिका का भूमध्य सागर' कहा जाता है।
  - यह खाड़ी विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण समुद्र तल के निमज्जन से (subsidence) से बनी थी।

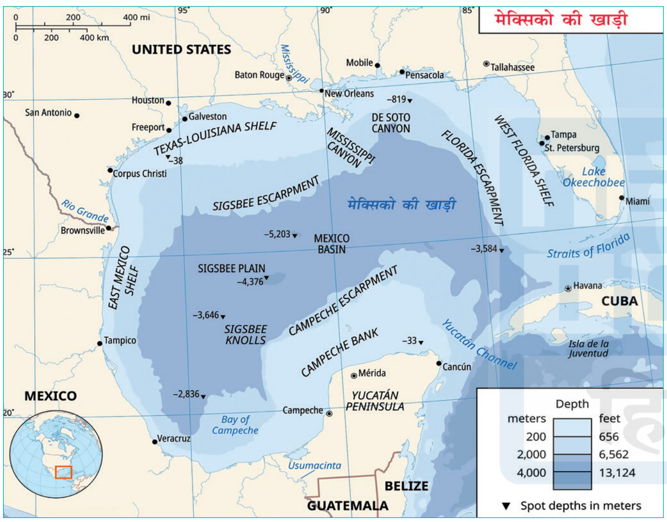

- **अवस्थिति और संपर्क**
  - उत्तर अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी तट से जुड़ी हुई है।
  - फ्लोरिडा जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी है, जो फ्लोरिडा (अमेरिका) और क्यूबा को पृथक् करता है।
  - युकाटन चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है, जो क्यूबा और युकाटन प्रायद्वीप (मेक्सिको) के मध्य अवस्थित है।
  - इस खाड़ी की महाद्वीपीय मग्नतट क्षेत्र में गहराई कम है, लेकिन इसकी औसत गहराई 1,615 मीटर है।
- **जलवायु और मौसम के स्वरूप:** इस खाड़ी की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय तक विस्तृत है। यह चरम मौसम परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील है, जिनमें शामिल हैं:
  - मुख्य रूप से जून से नवंबर के मध्य उत्पन्न होने वाले हरिकेन।
  - विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में आने वाले टॉरनेडो और तड़ित् झंझा।
- **नदी प्रणालियाँ**
  - मिसीसिपी नदी (संयुक्त राज्य अमेरिका) – यह खाड़ी में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो भारी मात्रा में अवसाद लेकर आती है।
  - रियो ग्रांडे नदी (संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको) – यह भी खाड़ी के जल प्रणाली में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाली एक प्रमुख नदी है।
- **आर्थिक महत्त्व:** खाड़ी के उथले महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्रों में विशाल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जो इसे अपतटीय ड्रिलिंग के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं।

इक्वाडोर

हाल ही में, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने बढ़ती आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के कारण सात प्रांतों एवं तीन नगरपालिकाओं में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की।

परिचय

- **अवस्थिति:** पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित, इक्वाडोर प्रशांत महासागर के किनारे भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, और कोलंबिया एवं पेरू से इसकी सीमाएँ लगती हैं।
- **राजधानी:** क्विटो
- **सबसे ऊँची चोटी:** माउंट चिम्बोराजो
- **प्रमुख नदियाँ:** बाबाहोयो, चिरा, कोका, कुराराय, दौले, एस्मेराल्डास, ग्वायस, नापो, पस्ताजा और पुतुमायो।
- **प्राकृतिक परिदृश्य:** यह अपने विविध और खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिनमें अमेजन के विशाल जंगल, ऊँचे एंडीज पर्वत और गैलापागोस द्वीप शामिल हैं, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और अपनी अद्वितीय वन्यजीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है।
- **अवैध मादक पदार्थ व्यापार:** इक्वाडोर का संबंध अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से भी जुड़ा रहा है।

सोपस्टोन खनन

हाल ही में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले में अवैध खनन की रिपोर्ट के पश्चात्, जिससे घरों और पहाड़ी क्षेत्रों में दरारें आ रही थीं, खनन गतिविधियों को तत्क्षण रोकने का निर्देश दिया।

परिचय

- सोपस्टोन एक मुलायम रूपांतरित चट्टान है, जो मुख्य रूप से सिलखड़ी (टैल्क) से बनी है, जिसमें क्लोराइट, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट की भिन्न-भिन्न मात्रा होती है।
- यह अपनी चिकनी संरचना, स्थायित्व और ऊष्मा प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, जो इसे विभिन्न उद्योगों में एक मूल्यवान सामग्री बनाता है।

भारत में सोपस्टोन की उपलब्धता

- भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार, भारत में सोपस्टोन (टैल्क) के पर्याप्त भंडार हैं, जिनमें अधिकांश निम्नलिखित राज्यों में केंद्रित हैं:
- **राजस्थान (57%) – सबसे बड़ा उत्पादक**
  - भारत में सोपस्टोन उत्पादन में राजस्थान का सबसे बड़ा योगदान है।
  - प्रमुख भंडार उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं।
- **उत्तराखंड (25%)**- उत्तराखंड में भी महत्त्वपूर्ण सोपस्टोन भंडार हैं, विशेष रूप से बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में।
- **तमिलनाडु और कर्नाटक – छोटे भंडार:** इन राज्यों में छोटे स्तर पर सोपस्टोन के भंडार हैं, जो मुख्य रूप से स्थानीय औद्योगिक और हस्तशिल्प उद्देश्यों के लिए खनन किए जाते हैं।

सोपस्टोन खनन से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएँ

- **भूमि अवसादन**
  - खनन गतिविधियाँ भूमि की प्राकृतिक स्थिरता को प्रभावित करती हैं, जिससे भूमि धँसाव की समस्या उत्पन्न होती है।
  - यह समस्या उत्तराखंड में, विशेष रूप से कांडा-कन्याल (बागेश्वर) क्षेत्र में गंभीर है, जहाँ खनन कार्य ने भूमि को अस्थिर और संवेदनशील बना दिया है।
  - खनिजों के निष्कर्षण से भूमि असंगठित हो जाती है, जिससे इनके तीव्र अपरदन होने की आशंका बढ़ जाती है, विशेषकर भूकंप-संवेदनशील क्षेत्रों में।
- **ढाल की अस्थिरता**
  - नीचे की ढालों पर खनन गतिविधियाँ ऊँचाई वाले क्षेत्रों की संरचनात्मक मजबूती को क्षीण कर देती हैं, जिससे ऊपर स्थित गाँवों को खतरा उत्पन्न होता है।
  - इस क्षेत्र की दोमट और असंगठित मृदा की संरचना इसे अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है, विशेषकर प्रखर मानसून के दौरान।
  - बार-बार भूस्खलन और चट्टानों के गिरने से मानव बस्तियों एवं स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
- **सुरक्षा उपायों की कमी**
  - विभिन्न क्षेत्रों में सोपस्टोन खनन में उचित सुरक्षा अवसंरचना की कमी होती है, जिससे पर्यावरणीय क्षरण में वृद्धि हो जाती है।
  - हरित पट्टियों, रोकने वाली दीवारों, बफर जोन और ढाल निगरानी प्रणाली की अनुपस्थिति मृदा अपरदन को तेजी से बढ़ाती है।
  - संरक्षणात्मक ढाँचे के बिना, अत्यधिक खुदाई भूमि के तीव्र अपरदन के लिए अधिक संवेदनशील बना देती है।
- **जल और वायु प्रदूषण**
  - **जल संकट:** खनन गतिविधियाँ भूमिगत जल प्रवाह को बाधित कर देती हैं, जिससे प्राकृतिक जल स्रोतों में कमी आ जाती है।
  - **जल प्रदूषण:** खनन से निकलने वाले अवशेष स्थानीय नदियों और भूजल में मिलकर पेयजल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
  - **वायु प्रदूषण:** खनन से उठने वाली धूल स्थानीय समुदायों में श्वसन संबंधी समस्याओं को बढ़ा देती है।

कोंकण क्षेत्र में अवस्थित साडा

कोंकण क्षेत्र, जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है, अपने अद्वितीय भौगोलिक संरचना 'साडा' के लिए प्रसिद्ध है।

परिचय

- साडा एक सपाट शीर्ष युक्त भूदृश्य है, जो सदियों से हो रहे अपरदन के कारण निर्मित हुए है, जिसे स्थानीय स्तर पर प्राय: एक विशाल समतल क्षेत्र कहा जाता है।
- महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित, साडा भू-आकृतियाँ पठारों से मिलती-जुलती हैं, जिन्हें सतारा जिले में स्थानीय रूप से 'पठार' कहा जाता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण 'कास पठार' है।
- **साडा की विशेषताएँ**
  - **बंजर भूदृश्य:** साडा क्षेत्र वर्षभर अधिकांशत: बंजर रहता है, लेकिन मानसून के दौरान इसका रूप नाटकीय रूप से परिवर्तित हो जाता है।
  - **चट्टानी भूभाग:** यह क्षेत्र चट्टानों से निर्मित है, और यहाँ स्थानिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो मानसून के दौरान वृद्धि करती हैं।
  - **मृदा संरचना:** इस क्षेत्र में ऊपरी सतह पर अत्यधिक अपक्षयित लैटेराइट मृदा की परत विद्यमान है, जो वर्षा जल के लिए जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, जिससे भूजल पुनर्भरण में योगदान मिलता है।
- **साडा की जैव विविधता**
  - **वनस्पति:** इस क्षेत्र में 459 पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 105 प्रजातियाँ कोंकण क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति हैं, जो इसे पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।
  - **जीव-जंतु:**
    - सरीसृपों की 31 प्रजातियाँ
    - उभयचरों की 13 प्रजातियाँ
    - पक्षियों की 169 प्रजातियाँ
    - स्तनधारियों की 41 प्रजातियाँ
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** इस क्षेत्र में प्राचीन भू-आकृति भी विद्यमान हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 10,000 वर्ष पुरानी हैं, तथा जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व को दर्शाती हैं।
- **खतरे:** विकास परियोजनाएँ, लैटेराइट खनन और बागानों एवं आवासीय क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन साडा क्षेत्र के लिए खतरा बने हुए हैं।
  - इसे 'बंजर भूमि' एटलस (Wasteland Atlas) में 'बंजर भूमि' के रूप में वर्गीकृत किया जाना इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के लिए और अधिक खतरा उत्पन्न करता है।

डिएगो गार्सिया

हाल ही में, मछुआरों को डिएगो गार्सिया द्वीप के निकट समुद्री सीमा का उल्लंघन करने एवं अवैध शिकार में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

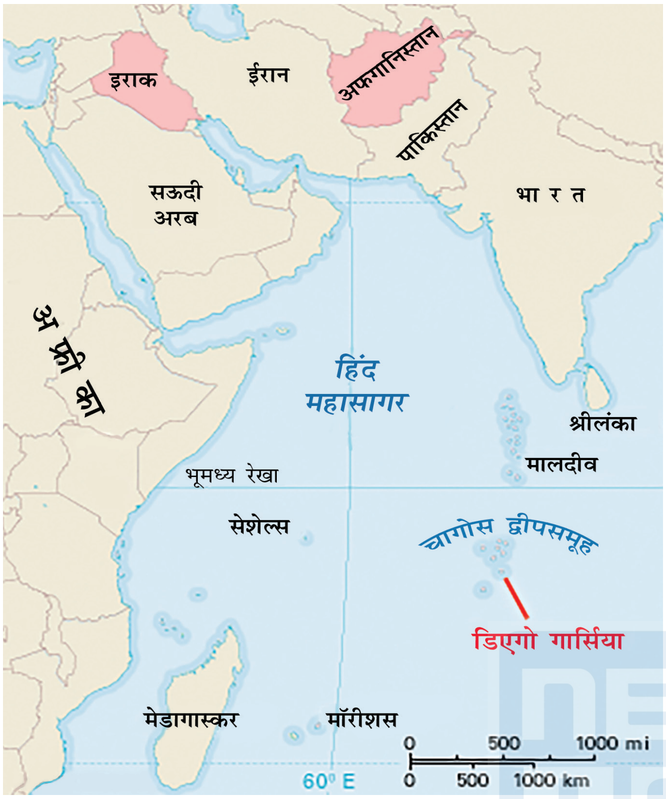

परिचय

- **भौगोलिक अवलोकन**
  - डिएगो गार्सिया एक प्रवाल निर्मित एटॉल है, जो चागोस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा और दक्षिणी हिस्सा है, तथा यह मध्य हिंद महासागर में अवस्थित है।
  - यह ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है, और इस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्रफल का आधे से अधिक हिस्सा इसमें शामिल है।
  - यह एटॉल 44 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, और इसमें एक V-आकार का, रेत से घिरा हुआ प्रवाल निर्मित चट्टान विद्यमान है, जो लगभग 24 किमी. लंबा और अधिकतम 11 किमी. चौड़ा है। लैगून अपने उत्तरी सिरे पर खुला है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
  - **प्रारंभिक खोज:** डिएगो गार्सिया की खोज सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों ने की थी।
  - **मॉरीशस पर निर्भरता:** अपने अधिकांश इतिहास के दौरान, यह द्वीप मॉरीशस का एक अधीनस्थ क्षेत्र था।
  - **मॉरीशस से पृथक्करण:** 1965 में, डिएगो गार्सिया को मॉरीशस से पृथक् कर दिया गया, और इसे नवगठित ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT) का हिस्सा बनाया गया।
- **अमेरिकी सैन्य अड्डा और सामरिक महत्त्व**
  - 1966 में, यूनाइटेड किंगडम ने डिएगो गार्सिया को संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दिया, ताकि वहाँ एक प्रमुख वायु एवं नौसैनिक अड्डा स्थापित किया जा सके।
  - यह सैन्य अड्डा हिंद महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रमुख भू-राजनीतिक एवं लॉजिस्टिक समर्थन का केंद्र है।
  - **स्थानीय निवासियों का बलपूर्वक निष्कासन:** रक्षा प्रतिष्ठान बनाने के लिए स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक द्वीप से निष्कासित कर दिया गया।
- **विधिक एवं राजनीतिक मुद्दे**
  - **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** (ICJ) **का निर्णय (2019):** ICJ ने एक परामर्शात्मक राय जारी की, जिसमें फैसला सुनाया गया कि मॉरीशस का विउपनिवेशीकरण गैरकानूनी था, जिसमें चागोसियन लोगों के निरंतर दावों का हवाला दिया गया।
  - **संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान (2019):** संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव में ब्रिटेन से चागोस द्वीपसमूह पर अपना 'औपनिवेशिक प्रशासन' समाप्त करने और इसे मॉरीशस को वापस करने का आह्वान किया गया।

नैवाशा झील

हाल ही में, केन्या की प्रसिद्ध नैवाशा झील पर जलकुंभी का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे इसका पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है।

परिचय

- **अवस्थिति और भौगोलिक परिदृश्य:**
  - केन्या के दक्षिणी रिफ्ट घाटी में स्थित एक उथली स्वच्छ जल की झील।
  - हाल के भूवैज्ञानिक समय में निर्मित, विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखियों से घिरी हुई, जो अतीत में ज्वालामुखी गतिविधि का संकेत प्रदान करती है।
- **जलविज्ञान:**
  - यह नदी बारहमासी नदियों, मुख्य रूप से मालेवा और गिलगिल नदियों द्वारा पोषित है, जो मध्य केन्या में एबरडेयर पर्वत से निकलती है।
  - झील का कोई स्पष्ट जल निकास नहीं है, जिससे यह जल स्तर में उतार-चढ़ाव के प्रति पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हो जाती है।
- **वनस्पति (पादप जीवन):**
  - इसकी तटरेखा के अधिकांश भाग में पपीरस रीड्स (साइपरस पपीरस) का प्रभुत्व है, जो झील के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - इसमें जलमग्न जलीय पौधे शामिल हैं, जिनमें पोटामोगेटन प्रजातियाँ शामिल हैं, जो मछलियों एवं अकशेरुकी जीवों के लिए आवास प्रदान करती हैं।
  - तैरती वनस्पतियों में जलकुंभी (इचोर्निया क्रैसिप्स) शामिल है, जो एक आक्रामक प्रजाति है, जो जल की गुणवत्ता एवं जलीय जीवन को प्रभावित कर सकती है।
- **जीव-जंतु (पशु जीवन):**
  - यह झील समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती है, विशेष रूप से जल पक्षियों, मछलियों और बड़े स्तनधारियों के लिए।
  - यह दरियाई घोड़ें, तिलापिया मछली की विभिन्न प्रजातियों और स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों के विविध समुदाय का आवास स्थल है, जो इसे पक्षी अवलोकन एवं संरक्षण के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थल बनाता है।

- **संरक्षण स्थिति:** इस झील को 'रामसर स्थल' के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसे एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक आर्द्रभूमि बनाती है, और इसके पारिस्थितिक महत्त्व को दर्शाती है।

जलकुंभी

- **उत्पत्ति:** जलकुंभी मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की स्थानीय प्रजाति है, लेकिन इसे 1980 के दशक में केन्या में लाया गया था, संभवतः व्यापार और सजावटी पौधों के उपयोग जैसी मानवीय गतिविधियों के माध्यम से।
- **वृद्धि और आक्रमणशीलता:** अपनी तीव्र वृद्धि और अनियंत्रित रूप से फैलने की क्षमता के कारण इसे विश्व की सबसे आक्रामक जलीय वनस्पति की प्रजाति माना जाता है।
  - यह पोषक तत्त्वों से भरपूर जल में तीव्र गति से वृद्धि करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि अपवाह, सीवेज और औद्योगिक कचरे जैसे प्रदूषकों का स्तर अधिक होता है।
- **पारिस्थितिक प्रभाव:**
  - सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को अवरुद्ध करता है, जलमग्न जलीय पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है, जिससे ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट आती है।
  - यह जल प्रवाह और वायु प्रवाह को कम कर देता है, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है और मछलियों एवं अकशेरुकी जीवों जैसे जलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - यह घने फ्लोटिंग मैट का निर्माण कर सकता है, जो जलमार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं, नावों की आवाजाही में बाधा डालते हैं और मच्छरजनित रोगों के खतरे को बढ़ाते हैं।
- **आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताएँ:**
  - यह मत्स्य पालन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि यह जल से ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है, जिससे मछलियों की मौत होती है और स्थानीय लोगों की आजीविका बाधित होती है।
  - यह जलविद्युत उत्पादन में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि इसकी घनी वृद्धि टरबाइनों और जल प्रवेश प्रणाली को जाम कर देती है।
  - यह सिंचाई और जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे कृषि एवं व्यापार में आर्थिक क्षति होती है।
- **नियंत्रण के उपाय:** भौतिक रूप से सफाई और यांत्रिक कटाई, हालाँकि यह श्रम-साध्य और महँगा होता है।
  - जैविक नियंत्रण के अंतर्गत प्राकृतिक शिकारी जैसे वीविल (Neochetina spp.) का उपयोग किया जाता है, जो जलकुंभी का भक्षण करके इसकी वृद्धि को कम कर देता है।

कुर्दिस्तान क्षेत्र

हाल ही में, भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के निवासियों की सहायता के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेलर्स और वेंटिलेटर सहित चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी।

कुर्दिस्तान क्षेत्र के बारे में

- **देश:** इराक (अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र)।
- **राजधानी:** इरबिल।
- **प्रांत:** इरबिल, सुलायमानिया, दहूक, हलाब्जा।
- **समीपवर्ती राष्ट्र:**
  - यह तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से सीमा साझा करता है।
- **राजनीतिक संरचना:**
  - कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार (KRG) स्वायत्त रूप से कार्य करती है।
  - संसाधनों के नियंत्रण और स्वायत्तता को लेकर इराक की केंद्रीय सरकार के साथ तनाव बना हुआ है।
- **पर्वत:** जाग्रोस पर्वत इस क्षेत्र के भूभाग पर विस्तृत हैं, और ये ईरान एवं तुर्की के साथ प्राकृतिक सीमा निर्मित करती हैं।
- **नदियाँ:** टिग्रिस और ग्रेटर जैब नदियाँ कृषि एवं बस्तियों को जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं।

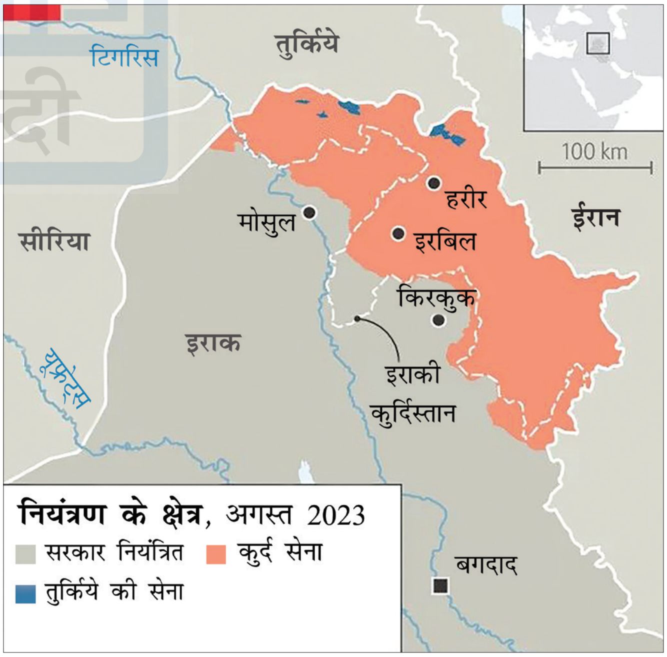

6 आंतरिक सुरक्षा

नौसेना दो प्रमुख युद्धपोत और एक पनडुब्बी को शामिल करेगी

भारतीय नौसेना ने 15 जनवरी को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में 'वाग्शीर' (छठी और अंतिम स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बी), 'सूरत' (प्रोजेक्ट-15B के अंतर्गत चौथा और अंतिम स्टील्थ विध्वंसक), और 'नीलगिरी' (प्रोजेक्ट-17A स्टील्थ फ्रिगेट्स का प्रमुख युद्धपोत) को शामिल किया।

प्रोजेक्ट-75 (I): कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ

- यह परियोजना छह कलवरी-श्रेणी डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण से जुड़ी है।
- इन पनडुब्बियों में आधुनिक उपकरण, हथियार, सेंसर, मिसाइलें और उन्नत प्रतिरोधी प्रणाली होगी।
- प्रोजेक्ट-75 का एक प्रमुख उन्नयन फ्यूल सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणाली का समावेश है, जिससे स्टील्थ और परिचालन क्षमताएँ बढ़ेंगी।
- प्रोजेक्ट-75 में '75' स्कॉर्पीन-श्रेणी पनडुब्बियों की विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identifier) को दर्शाता है।
- **निर्माणकर्त्ता:** मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), जो फ्रांस के नेवल ग्रुप के लाइसेंस के अंतर्गत कार्य कर रहा है।
- **प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत निर्मित 6 पनडुब्बियाँ:** INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS वाग्शीर।

विशाखापट्टनम-श्रेणी विध्वंसक (P-15B)

- इसे P-15 ब्रावो श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ये गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक हैं।
- INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के पश्चात्, ये भारतीय नौसेना के सबसे अधिक पहुँच और सहनशक्ति वाले युद्धपोत हैं।
- कोलकाता-श्रेणी विध्वंसकों का उन्नत संस्करण, जिसमें बेहतर स्टील्थ, स्वचालन और उन्नत हथियार प्रणाली शामिल हैं।
- **निर्माणकर्त्ता:** मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित।
- **इस परियोजना के अंतर्गत 4 युद्धपोत:** INS विशाखापट्टनम, INS मर्मुगाओ, INS इम्फाल, INS सूरत।

प्रोजेक्ट-17A फ्रिगेट्स

- प्रोजेक्ट-17A प्रोजेक्ट-17 (शिवालिक-श्रेणी) फ्रिगेट्स का उन्नत संस्करण है, जिसमें बेहतर स्टील्थ, उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का निर्माण करना है।
- **निर्माणकर्त्ता:** मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्माण किया जा रहा है।
- **डिजाइन:** भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया।
- **निर्माणाधीन युद्धपोत:** कुल 7 युद्धपोत निर्माणाधीन हैं – 4 MDL द्वारा और 3 GRSE द्वारा।
- **इस परियोजना के अंतर्गत 7 युद्धपोत:** INS नीलगिरि, INS उदयगिरि, INS तारागिरि, INS हिमगिरि, INS दूनागिरि, INS विंध्यगिरि, INS महेंद्रगिरि।

INSV तारिणी की पॉइंट नीमो से यात्रा

INSV तारिणी ने पूर्णतया पाल (Sail) के सहारे पॉइंट नीमो को सफलतापूर्वक पार किया, जो 'नाविका सागर परिक्रमा II' मिशन में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

पॉइंट नीमो

- दक्षिणी प्रशांत महासागर (South Pacific Ocean) में स्थित, यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थान है। यह निकटतम भूमि से 2,688 किमी. दूर अवस्थित है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के सबसे निकट है, और सेवामुक्त किए गए अंतरिक्ष यानों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थान है।

INSV तारिणी के बारे में

- फरवरी 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
- उन्नत सैटेलाइट संचार, नेविगेशन सिस्टम और आपातकालीन स्टीयरिंग से युक्त, जो कठिन समुद्री परिस्थितियों में संचालन की क्षमता प्रदान करता है।

नाविका सागर परिक्रमा II

- भारत की नौसेना अन्वेषण पहल के अंतर्गत दो भारतीय नौसेना अधिकारियों द्वारा किया जा रहा एक वैश्विक समुद्री परिक्रमा मिशन।
- 2 अक्टूबर, 2024 को गोवा से प्रारंभ हुआ, जो 8 महीने तक चलेगा और मई 2025 में समाप्त होगा।
- **यात्रा मार्ग:** गोवा → लिटेल्टन पोर्ट (न्यूजीलैंड) → पॉइंट नीमो (दक्षिण प्रशांत महासागर)।

भारत रणभूमि दर्शन पहल

77वें सेना दिवस (15 जनवरी, 2025) पर, रक्षा मंत्री ने 'भारत रणभूमि दर्शन' पहल को प्रारंभ किया।

परिचय:

- यह रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य भारत में युद्धभूमि पर्यटन को प्रोत्साहन देना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- सामान्य नागरिक अब भारत की सीमाओं के प्रमुख युद्धस्थलों का दौरा कर सकते हैं। इसमें 1962, 1971 और 1999 (कारगिल) युद्धों के ऐतिहासिक युद्धस्थल शामिल हैं, जैसे:
  - **लद्दाख:** रेजांग-ला, पैंगोंग त्सो, गलवान संघर्ष स्थल।
  - **अरुणाचल प्रदेश:** किबिथू, बुम-ला।
  - **डोकलाम:** (2017 गतिरोध स्थल)।
  - **कारगिल संघर्ष स्थल:** कारगिल, बटालिक, द्रास (ट्रेकिंग सुविधा उपलब्ध)
  - सियाचिन बेस कैंप (विश्व का सबसे ऊँचा युद्धक्षेत्र; सीमित पहुँच, अनुकूलन आवश्यक)।
- युद्धभूमि पर्यटन की जानकारी के लिए एक समर्पित वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है।
- सक्रिय सैन्य क्षेत्र प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन अग्रिम क्षेत्रों को अब जनता के लिए खोल दिया गया है।

उद्देश्य:

- सीमा क्षेत्रों और युद्धस्थलों को पर्यटन स्थलों में परिवर्तित करना।
- सामान्य नागरिकों को भारत के सैन्य इतिहास और वीरता का प्रत्यक्ष अनुभव कराने का अवसर प्रदान करना।
- सीमा क्षेत्रों का समग्र विकास को बढ़ावा देना, जिसमें शामिल हैं: बुनियादी ढाँचा, संचार सुविधाएँ, पर्यटन, शिक्षा।

नाग MK-2 एंटी-टैंक मिसाइल

भारत ने पोखरण फील्ड रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल 'नाग MK-2' के फील्ड मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए।

परिचय:

- **तीसरी पीढ़ी की फायर-एंड-फॉरगेट तकनीक:** लॉन्च के पश्चात् न्यूनतम ऑपरेटर हस्तक्षेप के साथ सटीक लक्ष्य भेदन की क्षमता।
- **बहुउद्देश्यीय प्रदर्शन:** विस्फोटक रिएक्टिव आर्मर से लैस आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को निष्क्रिय करने में सक्षम।
- **प्लेटफॉर्म संगतता:** नाग मिसाइल कैरियर के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत, जिससे युद्धक्षेत्र में गतिशीलता और तैनाती की लोचशीलता में वृद्धि हुई।
- **मारक क्षमता:** 7 से 10 किलोमीटर तक की सीमा, जो नाग मार्क-1 (4 किलोमीटर) से उन्नत है।

भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल

भारत ने 'भार्गवास्त्र' का सफल परीक्षण किया, जो स्वार्म ड्रोन को रोकने के लिए विकसित की गई देश की पहली माइक्रो-मिसाइल प्रणाली है।

परिचय:

- **उन्नत लक्ष्य भेदन:** भार्गवास्त्र प्रणाली ने 2.5 किलोमीटर दूर निर्धारित वर्चुअल लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदन किया, जिससे इसकी उच्च सटीकता और प्रभावशीलता साबित हुई।
- **बेहतर रडार क्षमताएँ:** यह 10 किलोमीटर तक मध्यम और बड़े UAVs तथा 6 किलोमीटर तक छोटे ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों के विरुद्ध प्रभावी बनता है।
- **बहुउद्देश्यीय तैनाती:** भार्गवास्त्र को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है, जिससे इसे तीव्रता से तैनात किया जा सकता है, और यह विभिन्न सैन्य अभियानों, विशेष रूप से ऊँचाई वाले क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है।

प्रलय मिसाइल को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित किया गया

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान नई दिल्ली में प्रलय, एक स्वदेशी कम दूरी की अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल, का प्रदर्शन किया।

प्रलय मिसाइल की प्रमुख विशेषताएँ	
प्रकार	कम दूरी की अर्ध-बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल।
विकासकर्त्ता	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन।
उद्देश्य	लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) और लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर तैनाती।
मारक क्षमता	150-500 किलोमीटर।
संचार प्रणाली	ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन से संचालित।
पेलोड	500-1,000 किलोग्राम, पारंपरिक युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम।
लॉन्च प्लेटफॉर्म	मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपण।
गति	अंतिम चरण में मैक 6.1 की गति तक पहुँचने में सक्षम।
विशेष विशेषता	एक निश्चित दूरी तय करने के पश्चात् यह वायु में अपना मार्ग परिवर्तित कर सकती है।

अभ्यास ला पेरोस

स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास 'ला पेरोस' के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है।

परिचय:

- यह अभ्यास 16 से 24 जनवरी, 2025 तक आयोजित किया जाएगा और मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य में संपन्न होगा, जो हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं।
- **भाग लेने वाले देश:** ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इस अभ्यास में शामिल हैं।

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

गूगल का क्वांटम प्रोसेसर 'विलो'

गूगल ने अपना नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर "विलो" प्रस्तुत किया, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- इसमें गणना करने हेतु 105 फिजिकल क्यूबिट्स होते हैं।
- यह लगभग शून्य तापमान (–273.15°C) पर कार्य करता है, जिससे इसकी स्थिरता बनी रहती है।
- बेहतर त्रुटि सुधार प्रोटोकॉल के परिणामस्वरूप विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।
- डेटा क्यूबिट्स का समन्वय समय लगभग 100 माइक्रोसेकंड होता है।
- अधिक संख्या में क्यूबिट होने के बावजूद भी कम त्रुटि दर का समर्थन करता है।
- **महत्त्व:** यह तीव्र और अधिक विश्वसनीय क्वांटम प्रदर्शन प्रदान करता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में व्यावहारिक अनुप्रयोगों का मार्ग प्रशस्त करता है

अतिरिक्त जानकारी

- क्लासिकल कंप्यूटर सूचना को बिट्स (0 या 1) के रूप में प्रोसेस करते हैं।
- क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो क्वांटम सुपरपोजिशन की मदद से एक साथ 0 और 1 दोनों को दर्शा सकते हैं, जिससे ये अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं।

मिथाइलकोबालामिन

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मिथाइलकोबालामिन के खाद्य सप्लीमेंट्स और अन्य उत्पादों में उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

परिचय:

- **मिथाइलकोबालामिन के बारे में:** यह विटामिन B12 का एक प्राकृतिक रूप है, जो मछली, मांस, अंडे और दूध जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है।
  - DNA संश्लेषण, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक है।
- **कार्य:** कोशिका निर्माण, रक्त निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है।
  - तंत्रिका तंत्र और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है।
- **उपयोग:**
  - मधुमेह जनित न्यूरोपैथी (नसों में दर्द) के उपचार में सहायक।
  - विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया को नियंत्रित करता है।
  - अल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में मदद करता है।
- **महत्त्व:** शाकाहारी भोजन के कारण कई भारतीय विटामिन B12 की कमी से ग्रस्त होते हैं।
  - मिथाइलकोबालामिन B12 के अन्य रूपों की तुलना में अधिक जैव उपलब्ध एवं प्रभावी है।

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस

चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के मामलों में तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है, जो विशेषत: 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है।

परिचय:

- **खोज:** ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) को पहली बार 2001 में खोजा गया था। यह Pneumoviridae कुल का हिस्सा होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV) भी शामिल है।
- **संक्रमण का तरीका:** कोविड-19 की तरह, यह वायरस संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से निकलने वाली सांस की बूँदों के जरिए फैलता है।
- **लक्षण:** खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारी हो सकती हैं।
- **उपचार:** वर्तमान में, HMPV के उपचार के लिए कोई टीका या विशिष्ट एंटीवायरल नहीं है, और अधिकांश लोग बुखार और दर्द से राहत पाने के लिए ओवर-द-काउंटर (नॉन-प्रिस्क्रिप्शन) दवाओं पर निर्भर हैं।

हम क्या जानते हैं

मानव मेटान्यूमोवायरस क्या है?
मानव मेटान्यूमोवायरस (hMPV) एक विषाणुजनित संक्रमण है जो सामान्यत: सामान्य सर्दी के समान लक्षण उत्पन्न करता है।

लक्षण: खांसी, बुखार, बहती हुई या बंद नाक, गले में खराश, घरघराहट, सांस की तकलीफ और चकत्ते।

hMPV कैसे फैलता है?
यह एक ऐसे विषाणु के कारण होता है जो RSV, खसरा और गलसुआ या मम्पस के लिए जिम्मेदार विषाणु कुल से संबंधित है

संचरण मोड:
- खांसना और छींकना
- शारीरिक संपर्क जैसे हाथ मिलाना, या गले लगना
- संदूषित वस्तुओं या सतहों को छूना, जैसे फोन, दरवाजे की कुंडी, आदि।

उपचार: वर्तमान में, hMPV के लिए कोई एंटीवायरल उपचार नहीं है।

NEXT IAS हिन्दी

ट्विगस्टैट्स

हाल ही में Nature में प्रकाशित एक अध्ययन में, शोधकर्त्ताओं ने ट्विगस्टैट्स का उपयोग करके यूरोप के प्राचीन जीनोम का विश्लेषण किया, और इस क्षेत्र के उच्च-रिजॉल्यूशन आनुवंशिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया।

परिचय:

- प्रागैतिहासिक मानव अनुष्ठानिक दफन स्थल, सामूहिक कब्रें और युद्ध समाधियाँ प्राचीन आनुवंशिक सामग्री (aDNA) को संरक्षित रखती हैं, जो जनसंख्या गतिशीलता और पूर्वजों की स्थिति को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- DNA विश्लेषण से जनसंख्या विस्तार, प्रतिस्थापन, मिश्रण, सांस्कृतिक परिवर्तन और प्रवासन की जानकारी प्राप्त होती है।
- ट्विगस्टेट्स एक समय-स्तरीकृत वंशावली विश्लेषण उपकरण है, जिसे आनुवंशिक इतिहास की समझ को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

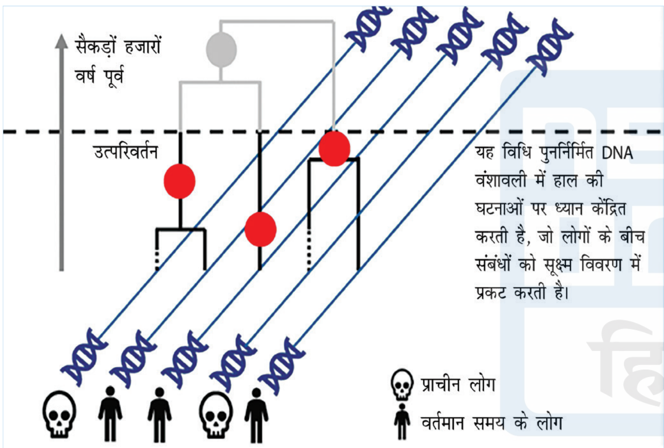

- यह R और C++ जैसी सांख्यिकीय भाषाओं का उपयोग करता है, जिससे शोधकर्त्ता अधिक सटीकता के साथ आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं।
- ट्विगस्टैट्स हाल के उत्परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे शोधकर्त्ता विशिष्ट ऐतिहासिक अवधियों को लक्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये उत्परिवर्तन उस समय की घटनाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करते हैं।

आनुवंशिक विश्लेषण की पारंपरिक तकनीकें

- **सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमॉर्फिज्म (SNPs)**
  - SNPs प्राकृतिक रूप से होने वाले आनुवंशिक भिन्नताएँ हैं, जो वंशावली इतिहास को ट्रेस करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
  - उच्च गुणवत्ता वाले DNA सैंपल की आवश्यकता होती है, लेकिन निकट से संबंधित आबादी को पृथक् रूप से पहचानने में सीमित सटीकता हो सकती है।
- **हैप्लोटाइप और दुर्लभ वैरिएंट विश्लेषण**
  - यह विधि साझा DNA खंडों (हैप्लोटाइप्स) और दुर्लभ आनुवंशिक रूपों की जाँच करती है, जो अकेले SNPs की तुलना में उच्च रिजॉल्यूशन प्रदान करती है।
  - यह आनुवंशिक संबंधों और जनसंख्या संरचनाओं की पहचान करने में अधिक सटीकता प्रदान करता है।
- **वंशावली वृक्ष से संबंधित अनुमान विधियाँ:** ये तकनीकें आधुनिक और प्राचीन दोनों प्रकार के जीनोम पर लागू होती हैं, जिससे ऐतिहासिक आनुवंशिक परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से समझा जा सकता है। ये जनसंख्या संरचनाओं और विकासात्मक पैटर्न को समय के साथ पुनर्निर्मित करने में सहायक होती हैं।

इसरो का फसल से संबंधित अनुप्रयोग

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मिशन द्वारा कक्षा में भेजे गए लोबिया के बीजों के एक समूह ने अपनी पहली पत्तियाँ प्रकट की हैं।

परिचय:

- **फसल से संबंधित पेलोड:** इसरो ने कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज (CROPS) प्रयोग के अंतर्गत आठ लोबिया के बीजों को अंतरिक्ष में भेजा।
- **उद्देश्य:** इस प्रयोग को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए संचालित किया गया है।
  - CROPS इसरो की एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष में पौधों को जीवित रखने की क्षमता विकसित करना है।
  - भविष्य में, इस प्रयोग के अगले चरणों में लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - वर्तमान प्रयोग 5 से 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें बीज अंकुरण और दो-पत्ती (two-leaf) चरण तक पौधे के विकास का प्रदर्शन किया जाएगा।
- **महत्त्व:** इस अध्ययन के परिणाम लंबी अंतरिक्ष यात्राओं पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

IndiaAI मिशन

भारत ने IndiaAI मिशन के अंतर्गत अपना स्वयं का लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) विकसित करने की योजना की घोषणा की।

परिचय:

- **कार्यान्वयन:** IndiaAI स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग (IBD) द्वारा किया जाएगा, जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत सम्मिलित है।
  - डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत 'IndiaAI' स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल:** यह मिशन सरकार और निजी संस्थानों के सहयोग से संचालित किया जाएगा।

मुख्य घटक:

- **IndiaAI की गणना क्षमता:** 10,000+ GPUs की क्षमता वाला एक उच्च-प्रदर्शन AI कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा।

- **IndiaAI नवाचार केंद्र (IAIC):** यह एक समर्पित अनुसंधान संस्थान होगा, जो स्वदेशी लार्ज मल्टीमॉडल मॉडल्स (LMMs) और विशेष क्षेत्र-आधारित AI मॉडल्स पर केंद्रित होगा।
- **IndiaAI डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म:** सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा सेट्स को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे डेटा-संचालित शासन और AI नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **IndiaAI एप्लिकेशन विकास पहल:** विभिन्न क्षेत्रों में AI-आधारित समाधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **IndiaAI फ्यूचरस्किल्स प्रोग्राम:** स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में AI शिक्षा का विस्तार किया जाएगा और देश के बड़े और छोटे शहरों में डेटा और AI प्रयोगशाला स्थापित किए जाएँगे।
- **IndiaAI स्टार्टअप फाइनेंसिंग:** AI स्टार्टअप्स को फंडिंग प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
- **सुरक्षित और विश्वसनीय AI:** AI विकास को नैतिक, जिम्मेदार और सुरक्षित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा।

स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स

विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित डेटा उपलब्धता के कारण AI की प्रगति मंद गति से हो रही है। चूँकि, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) को स्केल करना कम लाभकारी हो रहा है, इसलिए ध्यान अब छोटे और अधिक विशेषीकृत मॉडल्स पर केंद्रित हो रहा है, जो उत्कृष्ट दक्षता प्रदान कर सकते हैं।

स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में:

- स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स (SLMs) में लार्ज भाषा मॉडल्स (LLMs) जैसे GPT-4 या Gemini Advanced की तुलना में कम मानक होते हैं।
- ये सरल, सस्ती और कम कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता वाले मॉडल्स होते हैं, जिससे ये विशेष कार्यों और कस्टम एप्लिकेशन के लिए उपयुक्त बनते हैं।

तुलना: LLMs बनाम SLMs

विशेषताएँ	LLMs	SLMs
विशेषज्ञता	सामान्य डेटा पर प्रशिक्षित	विशिष्ट कार्यों के लिए फाइन-ट्यून किया गया
गणना करने की क्षमता	उच्च शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता	कम शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता
गति और विलंबता	मंद गति से प्रोसेसिंग	तीव्र और रीयल-टाइम उपयोग के लिए उत्कृष्ट
लागत	विकसित और लागू करने में महँगा	छोटे बजट के लिए अधिक सस्ती
उदाहरण	GPT-4, Llama 3, Gemini Ultra, Claude 3, Phi-3	GPT-4o Mini, Llama 8B, Gemini Nano, Haiku, Phi-3 Mini

टाइडल टेल

आकाशगंगा NGC 3785 की ज्वारीय पूँछ (टाइडल टेल) के अंत में एक नई अल्ट्रा-डिफ्यूज आकाशगंगा की खोज की गई है, जो पृथ्वी से 430 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर लियो तारामंडल में स्थित है।

परिचय:

- ज्वारीय पूँछ में इसकी लंबाई के साथ तारा-निर्माण करने वाले समूह होते हैं, जो आकाशगंगा के विकास और कम सतह चमक संरचनाओं के निर्माण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।
- NGC 3785 अब तक खोजी गई सबसे लंबी ज्वारीय पूँछ वाली गैलेक्सी है, जिसकी लंबाई 1.27 मिलियन प्रकाश वर्ष तक विस्तृत है।
- यह ज्वारीय पूँछ तब निर्मित होती है जब दो गैलेक्सियाँ गुरुत्वीय बल के कारण आपस में निकटता से संपर्क करती हैं।

परमाणु ऊर्जा आयोग

केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) का पुनर्गठन किया।

परिचय:

- **उत्पत्ति:** परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) की स्थापना 1948 में डॉ. होमी जे. भाभा के नेतृत्व में की गई थी।
- **शासन निकाय:** AEC, परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) का प्रमुख निकाय है। DAE को 1954 में AEC की नीतियों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था।
- **मुख्य कार्य:** नाभिकीय ऊर्जा के विकास के लिए नीतियों का निर्माण।
  - नाभिकीय विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
  - परमाणु गतिविधियों को विनियमित करना।
  - परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा से जुड़े सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **नेतृत्व:** भारत के प्रधानमंत्री AEC के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

वैश्विक साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण 2025: विश्व आर्थिक मंच

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने हाल ही में 'ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025' जारी किया है।

परिचय:

- यह रिपोर्ट एक्सेंचर (Accenture) के सहयोग से तैयार की गई है और इसमें उन साइबर सुरक्षा प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है, जो आने वाले वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को प्रभावित करेंगी।
- इस रिपोर्ट में प्रमुख निष्कर्षों को प्रकट किया गया है और साइबर सुरक्षा परिदृश्य की जटिलता पर प्रकाश डाला गया है, जिसे भू-राजनीतिक तनाव, उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ, आपूर्ति श्रृंखला की परस्पर निर्भरता और साइबर अपराध के बढ़ते स्तर ने और अधिक जटिल बना दिया है।

प्रकट मुख्य मुद्दे

- **भू-राजनीतिक संघर्ष:** यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों के कारण ऊर्जा, दूरसंचार और परमाणु क्षेत्रों में साइबर जोखिम बढ़ गए हैं।
- **साइबर सुरक्षा तैयारी:** 66% संगठनों को लगता है कि AI साइबर सुरक्षा को प्रभावित करेगा, लेकिन केवल 33% के पास AI से जुड़े जोखिमों को प्रबंधित करने के उपकरण हैं। छोटे संगठन इस मामले में सबसे अधिक संघर्ष कर रहे हैं।
- **साइबर कौशल की कमी:** पूरे विश्व में 4.8 मिलियन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी है। केवल 14% संगठन ही प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा कार्यबल रखते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र को सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित जोखिम:** 50% से अधिक बड़े संगठन जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं, तृतीय-पक्ष सॉफ्टवेयर की सुभेद्यता और प्रवर्तन चुनौतियों के कारण साइबर सुरक्षा में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
- **उन्नत साइबर अपराध:** साइबर अपराधी अब AI का उपयोग परिष्कृत हमलों के लिए कर रहे हैं, जैसे फिशिंग और डीपफेक। 2024 में 42% संगठनों पर इसका प्रभाव पड़ा है।
- **नियम-कानून से जुड़ी चुनौतियाँ:** 70% संगठनों को साइबर सुरक्षा नियम बहुत जटिल लगते हैं, जिससे कानूनी अनुपालन में कठिनाई होती है।

नाभिकीय संलयन: ITER (अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर)

एक चीनी प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर ने 1,000 सेकंड से अधिक समय तक संचालन अवस्था बनाए रखते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जिससे वैश्विक स्तर पर उत्साह में वृद्धि हुई है।

नाभिकीय संलयन का अर्थ:

- यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।
- सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत भी यही प्रक्रिया है, जहाँ हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक दाब और ताप की स्थिति में हीलियम में परिवर्तित होते हैं।
- यदि नाभिकीय संलयन को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाए, तो यह पृथ्वी पर स्वच्छ और लगभग असीमित ऊर्जा का स्रोत बन सकता है।

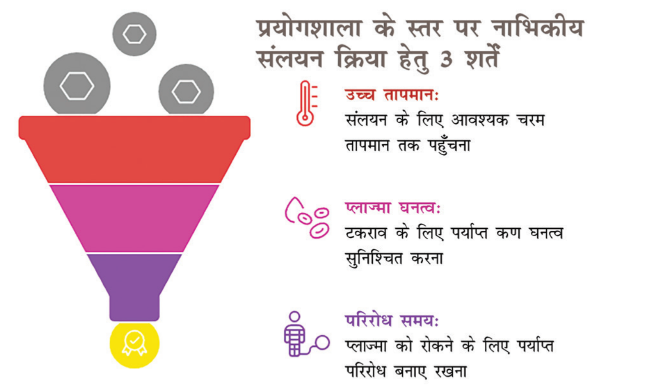

टोकामक के बारे में:

- टोकामक एक प्रायोगिक उपकरण है, जिसे नाभिकीय संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को कंटेनर (vessel) की दीवारों द्वारा ऊष्मा के रूप में अवशोषित किया जाता है।
- भविष्य के संलयन पावर प्लांट पारंपरिक विद्युत संयंत्रों की तरह इस ऊष्मा को भाप (steam) में परिवर्तित करेंगे, जिससे टर्बाइन और जनरेटर की मदद से विद्युत उत्पन्न की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER)

- यह विश्व का सबसे बड़ा टोकामक है, जिसे व्यापक स्तर पर संलयन ऊर्जा की संभावना को प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किया गया है।
- **सदस्य देश:** चीन, यूरोपीय संघ (Euratom), भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- **सहयोगी अनुसंधान:** सदस्य देश निर्माण, संचालन और प्रयोगों के परिणामों को साझा करते हैं, साथ ही बौद्धिक संपदा का आदान-प्रदान करते हैं।
- **स्थान:** फ्रांस

गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS)

महाराष्ट्र में 101 संदिग्ध GBS मामलों की रिपोर्ट के पश्चात्, एक बहु-विषयक टीम राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता कर रही है।

परिचय:

- यह एक दुर्लभ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भूलवश मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर की नसों पर हमला करती है।
- **प्रभावित क्षेत्र:** यह मांसपेशियों की गति, अनैच्छिक क्रिया और दर्द, स्पर्श व तापमान जैसी संवेदनाओं को प्रभावित करता है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों में अधिक सामान्य है।

- **कारण:** प्राय: किसी पूर्व संक्रमण (जैसे श्वसन संक्रमण या पेट से संबंधित संक्रमण), कुछ टीकों या सर्जरी के कारण उत्पन्न होता है, जिससे स्वस्थ नसों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
- **लक्षण:** प्रारंभ में बुखार और कमजोरी होती है। इसके पश्चात् सुन्नपन (Numbness), झुनझुनी (Tingling), और गंभीर मामलों में मांसपेशियों में लकवा (Paralysis) हो सकता है।
- **बीमारी की प्रगति:** लक्षण कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों में बिगड़ सकते हैं। कभी-कभी यह सांस लेने में कठिनाई या पूर्ण लकवे की स्थिति का कारण बन सकता है।
- **उपचार:** इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इंट्रावेनस इम्युनोग्लोबुलिन (IVIG) और प्लाज्मा विनिमय से नसों को अधिक क्षति पहुँचने से रोका जा सकता है।

भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली-रोबोटिक प्रणाली

भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली-रोबोटिक प्रणाली SSI Mantra का उपयोग करके दो जटिल हृदय सर्जरी को दूर से संपादित की गईं। इन सर्जरियों में सर्जन गुरुग्राम में मौजूद थे, जबकि मरीज जयपुर में थे।

परिचय:

- SSI Mantra एक रोबोटिक प्रणाली है, जो जननांग, मूत्र प्रणाली और कैंसर से संबंधित जटिल सर्जरी (Genito-Uro-Oncology) करने में सक्षम है।
- इसे SSI Ltd ने विकसित किया है, और यह विश्व की एकमात्र रोबोटिक प्रणाली है जिसे टेली-सर्जरी (दूर से सर्जरी करने) और टेली-प्रॉक्टरिंग (ऑनलाइन मेडिकल ट्रेनिंग) के लिए नियामक स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- हाल ही में, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने इसे मंजूरी प्रदान की है, जिससे दूरस्थ सर्जरी (रिमोट सर्जरी) और मेडिकल शिक्षा के नए रास्ते खुल गए हैं। अब डॉक्टर और चिकित्सा विशेषज्ञ दूर रहते हुए भी एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं।

लाभ:

- ऑपरेशन का समय कम, बेहतर सटीकता, न्यूनतम आघात, कम रक्त की हानि, तेजी से रिकवरी, और संक्रमण का कम जोखिम।
- इस तकनीक का उद्देश्य सर्जिकल देखभाल में भौगोलिक अंतर को कम करना है, जिससे टेली-सर्जरी वैश्विक स्तर पर सुलभ हो सके।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्चपैड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्चपैड की स्थापना को मंजूरी प्रदान की।

परिचय:

- लॉन्चपैड एक प्लेटफॉर्म या स्थान होता है, जहाँ से रॉकेट या अन्य अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा जाता है।
- भारत में मुख्य रूप से दो लॉन्चपैड का उपयोग किया जाता है:
  - पहला लॉन्चपैड (FLP)
  - दूसरा लॉन्चपैड (SLP)
- दोनों लॉन्चपैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में स्थित हैं।

तीसरा लॉन्चपैड (TLP):

- तीसरा लॉन्चपैड (TLP) को नई पीढ़ी के लॉन्च वाहनों (Next Generation Launch Vehicles - NGLV), लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM3) और सेमी-क्रायोजेनिक स्टेज वाले लॉन्च वाहनों के लिए डिजाइन किया जाएगा।
- इसमें उद्योग की बड़ी भागीदारी होगी, और इसरो के विगत् लॉन्चपैड अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। मौजूदा लॉन्च सुविधाओं को साझा किया जाएगा, ताकि अधिकतम कार्यक्षमता प्राप्त की जा सके।

लाभ:

- यह परियोजना भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र इकोसिस्टम को मजबूत करेगी, अधिक प्रक्षेपण आवृत्ति को संभव बनाएगी, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों का समर्थन करेगी।
- यह श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्चपैड का बैकअप लॉन्चपैड होगा, और भविष्य में मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए लॉन्च क्षमता बढ़ाएगा।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र

- यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच एक धुरी के आकार के द्वीप पर स्थित है।
- यह भारत का स्पेसपोर्ट है, और इसरो का प्रमुख केंद्र है, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उच्चस्तरीय लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है।
- **नाम परिवर्तन:** पहले इसे SHAR (श्रीहरिकोटा रेंज) के नाम से जाना जाता था। 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के सम्मान में इसका नाम परिवर्तित कर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR) कर दिया गया।
- **परिचालन प्रक्षेपण:** 9 अक्टूबर, 1971 को 'रोहिणी-125' नामक एक छोटे साउंडिंग रॉकेट के लॉन्च के साथ यह केंद्र संचालन में आया।
- **श्रीहरिकोटा को प्रक्षेपण स्थल के रूप में चुनने का कारण:** 1960 के दशक में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई ने प्रक्षेपण स्थल की खोज प्रारंभ की थी।
- **श्रीहरिकोटा को चुनने के मुख्य कारण:**
  - पूर्वी तट पर स्थित होने के कारण-रॉकेट को पूर्व दिशा में लॉन्च करने में आसानी होती है, जिससे पृथ्वी के घूर्णन का लाभ मिलता है और पेलोड क्षमता बढ़ती है।
  - भूमध्य रेखा के पास स्थित होने के कारण-विशेषत: भूस्थिर उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए लॉन्च दक्षता बढ़ जाती है।
- **सुरक्षा:** यह क्षेत्र कम आबादी वाला है, समुद्र के निकट होने के कारण रॉकेट को समुद्र की ओर लॉन्च किया जा सकता है, जिससे रॉकेट के अवशेषों से खतरा कम होता है।

डार्क ऑक्सीजन

हाल ही में क्लेरियन-क्लिपरटन जोन में "डार्क ऑक्सीजन" के उत्पादन की खोज ने ऑक्सीजन निर्माण की पारंपरिक समझ को चुनौती प्रदान की है।

परिचयः

- **परिभाषाः** महासागर की गहराइयों में, सतह से हजारों फीट नीचे, बिना सूर्य के प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण क्रिया से निर्मित होने वाला ऑक्सीजन।
- पहले माना जाता था कि ऑक्सीजन केवल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही उत्पन्न होती है, जिसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है।
- महासागरीय प्लवक, शैवाल और जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
- इतनी गहराई में सूर्य के प्रकाश न पहुँचने के कारण ऑक्सीजन उत्पादन असंभव माना जाता था।
- इस मामले में, ऑक्सीजन पौधों द्वारा नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक प्रक्रिया से निर्मित होती है।
- कोयले जैसे दिखने वाले पॉलीमेटालिक नोड्यूल विद्युत-रासायनिक गतिविधि के माध्यम से ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं।
- ये नोड्यूल मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और लिथियम से बने होते हैं। ये H_2O (जल) के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देते हैं, जिससे पूर्ण अंधकार में भी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है।

संभावित उपयोग

- यह पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन के अस्तित्व को समझने में मदद कर सकता है।
- 'डार्क ऑक्सीजन' उत्पादन की समझ से अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में सहायता मिलेगी, क्योंकि यह आवास योग्य वातावरण के मापदंडों का विस्तार कर सकता है।

क्लेरियन-क्लिपरटन जोन (CCZ)

- CCZ प्रशांत महासागर में स्थित एक विशाल, खनिज संपन्न क्षेत्र है, जो हवाई और मेक्सिको के बीच लगभग 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
- यहाँ बड़ी मात्रा में पॉलीमेटालिक नोड्यूल पाए जाते हैं, जो मैंगनीज, निकेल, कॉपर और कोबाल्ट से भरपूर होते हैं, जिससे यह गहरे समुद्र में खनन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है।

टी सेल-आधारित डेंगू वैक्सीन 'PRAHR'

गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (GBU), गांधीनगर की एक शोध टीम ने डेंगू के लिए एक नवीन टी सेल-आधारित वैक्सीन 'PRAHR' विकसित की है। इस वैक्सीन को पहले बायोथॉन 2025 (Biothon 2025) में 'सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्रभाव पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

परिचयः

- 'PRAHR' (Pathogen ReActive Cells Harnessing) डेंगू वैक्सीन को पहले बायोथॉन 2025 (Biothon 2025) में 'सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्रभाव पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
  - पहला बायोथॉन 2025 20 जनवरी, 2025 को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (GBU) में आयोजित हुआ।
  - यह एक प्रतियोगिता थी, जिसमें प्रतिभागियों ने महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नए विचारों पर कार्य किया।

टी-सेल्स (थाइमस-उत्पन्न कोशिकाएँ या टी लिम्फोसाइट्स)

- टी-कोशिकाएँ सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं।
- ये संक्रमित या हानिकारक कोशिकाओं, जैसे वायरस-प्रभावित कोशिकाओं या कैंसर कोशिकाओं, को पहचानकर नष्ट कर देती हैं।
- टी-कोशिकाएँ पुरानी संक्रमणों को याद भी रखती हैं, जिससे भविष्य में शरीर तेजी से लड़ने में सक्षम हो जाता है।

टी-सेल-आधारित वैक्सीन

- टी-सेल-आधारित वैक्सीन विशेष रूप से टी-सेल्स को संक्रमण से लड़ने के लिए सक्रिय करने के लिए डिजाइन की गई होती है।
- पारंपरिक वैक्सीन मुख्य रूप से एंटीबॉडीज को सक्रिय करती हैं, जबकि टी-सेल-आधारित वैक्सीन संक्रमित कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए टी-सेल्स को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित होती है।

औद्योगिक डाई रोडामाइन-बी

विशेषज्ञ रोजमर्रा के उत्पादों में रोडामाइन बी को एक छिपे हुए खतरे के रूप में प्रकट करते हैं, और सरकारों, उद्योगों और व्यक्तियों से सौंदर्य से ज्यादा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं।

परिचयः

- अमेरिकी FDA ने रोडामाइन-बी को इसके कैंसरकारी प्रभाव के कारण खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित कर दिया है।
- बच्चों के संपर्क को लेकर चिंता बढ़ी है, विशेषकर कैंडी, बेकरी उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में इसके उपयोग को लेकर।
- तमिलनाडु सरकार ने फरवरी 2024 में कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसमें रोडामाइन-बी पाया गया था।
- इस प्रतिबंध का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित, बिना रंग वाले कॉटन कैंडी को सुनिश्चित करना है।

रोडामाइन-बी

- **प्रकारः** जल में घुलनशील औद्योगिक रंग।
- **स्वरूपः** हरा पाउडर, जो जल में घुलने पर चमकीला गुलाबी रंग निर्मित कर देता है।
- **उपयोगः** कपड़ा, कागज, चमड़ा, पेंट उद्योग में लाल/गुलाबी रंग के लिए उपयोग किया जाता है।
- **कानूनी स्थितिः** वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित। भारत में अवैध, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निषिद्ध।

स्वास्थ्य जोखिम

- **विषैले प्रभावः** मस्तिष्क ऊतक को क्षति पहुँचा सकता है, विशेष रूप से सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम को।
- **DNA को क्षतिः** अनुवांशिक म्यूटेशन और कैंसरकारी वृद्धि का कारण बन सकता है।
- **प्रभावः** मोटर कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। शारीरिक कार्यों में अन्य गड़बड़ियाँ उत्पन्न कर सकता है।

चीनी AI असिस्टेंट डीपसीक

भारतीय संस्थान अमेरिका और चीन के बीच AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रतिस्पर्धा के प्रभावों का आकलन कर रहे हैं, जो हाल ही में चीनी AI असिस्टेंट डीपसीक R1 के लॉन्च से और तीव्र हो गई।

परिचयः

- **उत्पत्तिः** डीपसीक R1 को DeepSeek, एक चीनी AI कंपनी, द्वारा विकसित किया गया है।
- **संस्थापकः** इस कंपनी की स्थापना डॉ. यू होंग (Dr. Yu Hong) ने की थी।
- **विशेषताएँः**
  - AI का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण, सामग्री निर्माण और प्रश्नों के उत्तर देता है।
  - बड़ी मात्रा में जानकारी को तेजी से संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता है।
  - रिपोर्ट तैयार करने और शोध कार्यों में सहायता करने में सक्षम है।
  - विभिन्न क्षेत्रों के लिए वास्तविक समय में समस्याओं का समाधान और समर्थन प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकीः**
  - डीपसीक R1 मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे यह मानव जैसी प्रतिक्रियाएँ समझ और उत्पन्न कर सकता है।
  - यह व्यापक स्तर पर डेटा प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है, जिससे इसकी सटीकता और दक्षता में सुधार होता है।

स्टारगेट प्रोजेक्ट

यह 500 अरब डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया है। इसका उद्देश्य अमेरिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता बनाना है। इस परियोजना के अंतर्गत व्यापक स्तर पर डेटा सेंटर और AI कैंपस विकसित किए जाएँगे।

स्टारगेट प्रोजेक्ट में शामिल प्रमुख अभिकर्त्ता

- **सॉफ्टबैंकः** परियोजना के वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है।
- **ओपन AI:** संचालन और विकास की देखरेख करता है।
- **ओरेकलः** कंप्यूटिंग सिस्टम के विकास में सहयोग करता है।
- **तकनीकी भागीदारः** इसमें NVIDIA, Microsoft और Arm शामिल हैं।
- **मसायोशी सोनः** सॉफ्टबैंक के CEO, जो इस परियोजना के चेयरमैन हैं।

स्टारगेट प्रोजेक्ट के उद्देश्य

- **AI तकनीक में अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित करनाः** अमेरिका को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विकास में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देनाः** राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और औद्योगिक क्षेत्र में AI के एकीकरण से विकास को गति देना।
- **आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) में प्रगति लानाः** AGI (सामान्यीकृत और मानव जैसी AI क्षमता) के विकास को बढ़ावा देना।
- **स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देनाः** AI-संचालित समाधानों के माध्यम से बीमारियों की तेजी से पहचान और उपचार को सक्षम बनाना।

स्टोव लाइटर में पीजोइलेक्ट्रिसिटी की भूमिका

हाल ही में, आईआईटी कानपुर के लेखक ने स्टोव लाइटर के कामकाज में पीजोइलेक्ट्रिक सामग्रियों की भूमिका और उनकी चिंगारी उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में बताया।

परिचयः

- स्टोव-लाइटर को क्लिक करने पर एक छोटी सी चिंगारी निकलती है। यह चिंगारी, हालाँकि हानिरहित प्रतीत होती है, विद्युत आवेशों का परिणाम है।
- विद्युत चिंगारी तब उत्पन्न होती है जब दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की मात्रा में अंतर होता है।
- एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता (नकारात्मक आवेश) होती है, जबकि दूसरे बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी (सकारात्मक आवेश) होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और चिंगारी उत्पन्न होती है।

- विद्युत विसर्जन मूल रूप से एक व्यापक स्तर की विद्युत चिंगारी होती है, जो आसमान में चार्ज्ड बादलों के बीच अत्यधिक इलेक्ट्रॉन असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। जब यह असंतुलन अत्यधिक हो जाता है, तो वायुमंडल के अणुओं को तोड़कर वायु में एक चिंगारी उत्पन्न करता है।

स्टोव लाइटर के प्रकार

प्रकार	यह कैसे कार्य करता है
मैनुअल लाइटर	• यह पीजोइलेक्ट्रिक प्रणाली का उपयोग करता है, जहाँ दाब से चिंगारी उत्पन्न होती है। • इसमें, दाब आयनों को गतिशील करता है, जिससे चिंगारी उत्पन्न होती है और गैस जलती है।
इलेक्ट्रॉनिक लाइटर	• यह बैटरियों द्वारा संचालित होता है, जो एक विद्युत परिपथ के माध्यम से चिंगारी उत्पन्न करता है। • इसमें, बैटरी एक सर्किट को ऊर्जा देती है, जो उच्च वोल्टेज की चिंगारी बनाकर गैस को जलाता है।
लौ आधारित लाइटर	• ईंधन भण्डार से गैस निकलती है, जो चिंगारी द्वारा प्रज्वलित होकर ज्वाला उत्पन्न करती है।

पीजोइलेक्ट्रिसिटी:

- पीजोइलेक्ट्रिसिटी एक ठोस पदार्थ में विद्युत आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, जो किसी यांत्रिक दबाव के कारण होती है, और इसकी विपरीत क्रिया भी संभव है।
- पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव उन पदार्थों में पाया जाता है, जो एक शुद्ध विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित करते हैं। ऐसे पदार्थों में, द्विध्रुव घनत्व या ध्रुवीकरण यांत्रिक दबाव के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जिससे शुद्ध आवेश का संचय होता है।
- **पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थ कैसे कार्य करते हैं?**
  - अपनी प्राकृतिक अवस्था में, पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थों में बारी-बारी से सकारात्मक और नकारात्मक आयन होते हैं। जब उन पर दाब डाला जाता है, तो आयन अपनी स्थिति परिवर्तित करते हैं, जिससे आवेश असंतुलन होता है और उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो चिंगारी उत्पन्न करता है।
- **अनुप्रयोग:** पीजोइलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जा रूपांतरण, संवेदन, और ऊर्जा संचयन, स्वास्थ्य निगरानी आदि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - लाइटर में पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो दाब डालने पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी उत्पन्न करते हैं। इन पदार्थों की एक विशिष्ट परमाणु संरचना होती है, जो दाब के अंतर्गत विद्युत आवेश उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है।

ISRO के श्रीहरिकोटा से 100वाँ ऐतिहासिक प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से अपना ऐतिहासिक 100वाँ प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपादित किया।

परिचय:

- GSLV-F15 ने NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को भू-समकालिक ट्रांसफर कक्षा में स्थापित किया।
- NVS-02, NVS शृंखला का दूसरा उपग्रह है, और भारत के नाविक प्रणाली का हिस्सा है। इसे भारत में सटीक स्थान निर्धारण सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- GSLV-F15 भारत के भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV) की 17वीं उड़ान थी, और स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज के साथ 11वीं उड़ान थी।
- इन 100 प्रक्षेपणों के दौरान ISRO ने कुल 548 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया।

NVS शृंखला

- ये पाँच द्वितीय-पीढ़ी के NavIC उपग्रह हैं — NVS-01 से NVS-05 तक, और मौजूदा उपग्रह समूह को सुदृढ़ करने के लिए इनकी योजना बनाई गई है।
  - इन उपग्रहों में L1 बैंड संचार तकनीक शामिल है, जिससे NavIC की अनुकूलता और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोगिता बढ़ जाती है।
- NVS-01, द्वितीय-पीढ़ी के पहले उपग्रह के रूप में, 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। पहली बार, NVS-01 में एक स्वदेशी परमाणु घड़ी का उपयोग किया गया।
- NVS-02 NavIC की सेवाओं में सुधार करने में मदद करेगा, जिनका उपयोग नेविगेशन, सटीक कृषि, आपातकालीन सेवाएँ, बेड़े प्रबंधन, और मोबाइल डिवाइस स्थान सेवाओं के लिए किया जाता है।
  - इसमें एक सटीक परमाणु घड़ी भी होता है, जिसे रुबिडियम परमाणु आवृत्ति मानक (RAFS) कहा जाता है, जो सही समय के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है।

नाविक

- यह एक क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने विकसित किया है।
- पहले इसे भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) के नाम से जाना जाता था।
- NavIC प्रणाली में 7 उपग्रहों का समूह और 24x7 काम करने वाला ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क शामिल है। 3 उपग्रह भूस्थिर कक्षा में स्थित हैं। 4 उपग्रह झुकी हुई भू-समकालिक कक्षा (Inclined Geosynchronous Orbit) में रखे गए हैं।
- ग्राउंड नेटवर्क में नियंत्रण केंद्र, सटीक समय सुविधा, रेंज और निगरानी स्टेशन, टू-वे रेंजिंग स्टेशन आदि शामिल हैं।

NavIC की सेवाएँ:

- **स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस (SPS):** नागरिक उपयोगकर्त्ताओं के लिए।
- **रिस्ट्रिक्टेड सर्विस (RS):** रणनीतिक (सुरक्षा) उपयोगकर्त्ताओं के लिए।
  - यह 20 मीटर से अधिक सटीक लोकेशन और 40 नैनोसेकंड से अधिक सटीक समय जानकारी प्रदान करता है। इसका कवरेज क्षेत्र भारत और भारतीय सीमा से 1,500 किमी. तक फैला हुआ है।
- NavIC के SPS सिग्नल अन्य वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) जैसे GPS, ग्लोनास, गैलेलियो और बेइदोऊ के साथ संगत हैं।

8 समाज

हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट

हाल ही में, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आँकड़ों से पता चला है कि हरियाणा का जन्म के समय लिंगानुपात 2024 में गिरकर 910 हो गया है, जो 2016 के पश्चात् सबसे कम है।

परिचय

- **जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट**
  - हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 2024 में घटकर 1,000 पुरुषों पर 910 महिलाएँ रह गया है, जो आठ वर्ष का सबसे निचला स्तर है।
  - यह 2019 के 1,000 पुरुषों पर 923 महिलाओं के उच्चतम स्तर से एक महत्त्वपूर्ण गिरावट है, जो विगत् लाभों को निष्प्रभावी कर देता है।
  - 2024 में, कुल 516,402 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें से 52.35% लड़के और 47.64% लड़कियाँ थीं, जो जन्म के समय लिंग असंतुलन को दर्शाता है।
- **लिंगानुपात और इसके महत्त्व**
  - **जन्म के समय लिंगानुपात** (SRB): प्रति 1,000 बालकों के जन्म पर बालिकाओं के जन्म की संख्या, जन्म के समय लिंग समानता का एक प्रमुख संकेतक।
  - **समग्र लिंगानुपात:** पूरी आबादी में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जो दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों को दर्शाती है।
  - घटता हुआ SRB जन्मपूर्व अवस्था में लिंग भेदभाव का संकेत देता है, जो प्राय: लिंग-चयनात्मक गर्भपात के कारण उत्पन्न होता है, जिसके गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, जैसे:
    - दुल्हनों की कमी में वृद्धि, जिसके कारण तस्करी और बलात् विवाह को बढ़ावा मिलता है।
    - जनसांख्यिकीय संतुलन में असंतुलन, जिससे विवाह के पैटर्न और सामाजिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है।
- **विगत् सुधार के कारण (2014-2019)**
  - PNDT **अधिनियम (1994) का कठोर क्रियान्वयन:**
    - प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PNDT) अधिनियम, 1994 को कठोरता से लागू किया गया, जिससे लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के दुरुपयोग को रोका जा सका।
    - क्लीनिकों की कठोरता से निगरानी और अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई से कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को कम करने में मदद मिली।
  - **सरकारी जागरूकता कार्यक्रम:**
    - लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान चलाए गए।
    - शिक्षा, वित्तीय प्रोत्साहन और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए।
  - **लड़कियों के लिए वित्तीय और सामाजिक सहायता:** लाडली योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी राज्य पहलों ने बालिकाओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया। इन योजनाओं ने परिवारों को पारंपरिक लिंग संबंधी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने और अपनी बेटियों के भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- **हाल ही में गिरावट के कारण (2020-2024)**
  - **कानूनों का कमजोर प्रवर्तन:** अवैध लिंग निर्धारण परीक्षणों की निगरानी क्षीण पड़ गई है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि हुई है।
    - विभिन्न अल्ट्रासाउंड क्लीनिक अवैध लिंग चयनात्मक गर्भपात करना जारी रखते हैं, प्राय: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहाँ प्रवर्तन कमजोर है।
  - **निरंतर लैंगिक पूर्वाग्रह और बेटे को प्राथमिकता:**
    - सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से अनेक परिवार अभी भी बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता देते हैं।
    - प्राय: बेटों को कमाने वाले और बूढ़े माता-पिता की देखभाल करने वाले के रूप में देखा जाता है, जबकि दहेज की परंपराओं के कारण बेटियों को वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है।
  - **आर्थिक और सामाजिक कारक:**
    - भूमि स्वामित्व में कमी ने पारिवारिक प्राथमिकताओं को प्रभावित किया है। भूमि उत्तराधिकार में कमी के साथ, परिवार संपत्ति को परिवार के अंदर बनाए रखने के लिए 'केवल लड़के' के दृष्टिकोण को चुन रहे हैं।
    - यह मानसिकता विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण समुदायों में दिखाई देती है, जहाँ भूमि एक प्राथमिक संपत्ति बनी हुई है।
  - **सीमित जागरूकता और सामाजिक प्रतिरोध:**
    - जागरूकता अभियानों के बावजूद, गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंड लिंग वरीयताओं को प्रभावित करना जारी रखते हैं।
    - विशेष रूप से ग्रामीण आबादी परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी बनी हुई है, जिसके लिए मजबूत जमीनी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

भारत में लिंगानुपात में असंतुलन के कारण

- **पुत्र को वरीयता:** परिवार का नाम आगे बढ़ाने, धार्मिक अनुष्ठान करने और बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बेटों को प्राथमिकता दी जाती थी। इससे बेटियों की उपेक्षा हुई, जिन्हें दहेज प्रथा के कारण आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता था।
- **लिंग भेदभाव:** लड़कियों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के मामले में ऐतिहासिक रूप से उपेक्षा का सामना करना पड़ा है, जिसने महिलाओं के बीच उच्च मृत्यु दर में योगदान दिया है।
- **बालिका शिशु हत्या:** कुछ क्षेत्रों में, बालिका शिशुओं को उनके कथित कम मूल्य के कारण या तो छोड़ दिया जाता था या मार दिया जाता था।

- **लिंग-चयनात्मक गर्भपात:** अल्ट्रासाउंड जैसी चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति ने लिंग-चयनात्मक गर्भपात की प्रथा को सक्षम किया, जिसके कारण लड़कों के जन्म की संख्या में असंगति हुई।
- **आर्थिक कारक:** कृषि समाजों में, बेटों के श्रम को कृषि कार्य के लिए अधिक मूल्यवान माना जाता था, जिससे लड़कों के लिए प्राथमिकता को और मजबूत किया गया।

लिंगानुपात सुधारने के लिए सरकारी पहल

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** 2015 में प्रारंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को दूर करना, बालिकाओं के महत्त्व को बढ़ावा देना और लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना है।
  - यह लड़कियों के कल्याण के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- **गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक** (PCPNDT) **अधिनियम, 1994:** यह कानून लिंग निर्धारण और लिंग चयनात्मक गर्भपात पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य लिंग आधारित लिंग चयन के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है।
- **सुकन्या समृद्धि योजना:** यह बालिकाओं के लिए एक बचत योजना है, जो परिवारों को अपनी बेटियों की भविष्य की शिक्षा और विवाह के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह लड़कियों के प्रति सकारात्मक धारणा को बढ़ावा देती है।
- **मातृत्व लाभ:** सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसी योजनाओं के माध्यम से मातृत्व लाभ को प्रारंभ किया है, जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य परिवारों पर आर्थिक बोझ को कम करना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को समर्थन प्रदान करना है।

राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन

हाल ही में, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया, जिसमें जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

परिचय

- **सम्मेलन का अवलोकन**
  - सम्मेलन का आयोजन धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत किया गया था, जिसका उद्देश्य आदिवासी कल्याण और विकास में सुधार लाना है।
  - यह जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- **जनजातीय समुदायों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य सेवा चुनौतियाँ**
  - **भौगोलिक दूरस्थता**
    - जनजातियाँ प्राय: पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को स्थापित करना और बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
    - सड़क संपर्क और परिवहन अवसंरचना की कमी के कारण चिकित्सा में विलंब होती है, और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।
  - **अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना:** आदिवासी क्षेत्रों में अस्पतालों, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की सीमित उपलब्धता के कारण:
    - तपेदिक और कुपोषण जैसी बीमारियों का निदान विलंब से होता है।
    - अनुचित उपचार या स्व-चिकित्सा, स्वास्थ्य जोखिम में वृद्धि।
    - प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की कमी के कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि।
- **भाषा संबंधी बाधाएँ:** कई आदिवासी आबादी क्षेत्रीय बोलियाँ या स्वदेशी भाषाएँ बोलती हैं, जिससे उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समझना मुश्किल हो जाता है। मूल भाषाओं में चिकित्सा मार्गदर्शन की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य जागरूकता कम होती है, और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ गलत संचार होता है।
- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता और पारंपरिक प्रथाएँ**
  - आदिवासियों के पास हर्बल दवा, आध्यात्मिक मान्यताओं और पारंपरिक चिकित्सकों पर आधारित स्वदेशी उपचार प्रणाली की गहरी जड़ें हैं।
  - मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इन प्रथाओं को पहचानने और एकीकृत करने में विफलता प्राय: आदिवासी आबादी के बीच आधुनिक चिकित्सा उपचारों की तलाश करने के लिए अविश्वास और अनिच्छा का कारण बनती है।
  - इस अंतर के परिणामस्वरूप कम टीकाकरण दर, पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भरता और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुँचने में अनिच्छा होती है।

भारत में जनजातियों की स्थिति

- **ऐतिहासिक मान्यता**
  - भारत में जनजातियाँ सबसे पुराने नृजातीय समूहों में से हैं, जिन्हें प्राय: 'आदिवासी' (मूल निवासी) कहा जाता है।
  - 'आदिवासी' शब्द को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, और ILO उन्हें 'स्वदेशी लोगों' के रूप में वर्गीकृत करता है।
- **भारत की जनजातीय आबादी:** भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है, लगभग 100 मिलियन जनजातीय लोग (आदिवासी) हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनजातीय आबादी भारत की कुल आबादी का 8.6% है।
  - भारत में जनजातियाँ विभिन्न जातीय, भाषायी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, जो उन्हें देश के सबसे विविध समुदायों में से एक बनाती हैं।
- **जनजातियों का भौगोलिक वितरण**
  - पूर्वोत्तर राज्यों (जैसे, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय) में ऐसी जनजातियाँ हैं, जिनकी अलग-अलग जातीय पहचान है, और वे मुख्यधारा के समाज से पृथक् हैं।
  - भारत की 80% से अधिक जनजातियाँ मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों (जैसे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र) में निवास करती हैं।

9 संस्कृति एवं इतिहास

सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और सामाजिक सुधार की अग्रणी सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया।

परिचय

- **प्रारंभिक जीवन**
  - **जन्म:** सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को महाराष्ट्र के नायगाँव गाँव में हुआ था। वह माली समुदाय से संबंधित एक दलित परिवार में जन्मी थीं।
  - **विवाह:** 10 वर्ष की उम्र में, उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ, जो एक प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक थे।
  - ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन्हें घर पर शिक्षण कार्य कराया, जिससे वह महिलाओं की शिक्षा के विरुद्ध सामाजिक बाधाओं को पार कर सकीं।
  - **शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण:** विवाह के पश्चात, ज्योतिराव फुले ने उन्हें पुणे के एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला दिलाया, जिससे उनकी शिक्षिका बनने की यात्रा का प्रारंभ हुआ।
- **शैक्षणिक सुधार**
  - **प्रथम बालिका विद्यालय:**
    - 1848 में, सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे के भिडेवाडा में भारत के प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की।
    - यह उस समय एक साहसिक कदम था, जब बालिकाओं की शिक्षा को सामाजिक रूप से निषिद्ध माना जाता था और महिलाओं को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी।
  - **वंचित समुदायों के लिए शैक्षणिक संस्थान:** इस दंपत्ति ने आगे चलकर दलित (अति-शूद्र) और शूद्र (निचली जातियों) के बच्चों के लिए और भी स्कूल खोले, ताकि जाति और लिंग के भेदभाव के बिना सभी को शिक्षा का अधिकार मिल सके।
- **विरोध और संघर्ष**
  - **सामाजिक विरोध:** उनके प्रयासों को उच्च जाति और राष्ट्रवादी नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक से तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बालिकाओं और गैर-ब्राह्मणों के लिए स्कूल खोलने का विरोध किया।
  - उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे सुधारों से राष्ट्रीय पहचान क्षीण हो जाएगी।
  - सावित्रीबाई फुले को ऊँची जातियों से कड़े विरोध और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा।
  - जब वह भिडेवाडा के प्रथम विद्यालय की प्रधानाध्यापिका थीं, तब उच्च जाति के पुरुष प्राय: उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर फेंकते थे।
- **सामाजिक सुधारों में योगदान**
  - **शिशु हत्या की रोकथाम:**
    - सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' की स्थापना की, जो गर्भवती विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल था, जिन्हें समाज में भेदभाव और शिशु हत्या की समस्या का सामना करना पड़ता था।
    - यह पहल एक ब्राह्मण विधवा की दुखद घटना से प्रेरित थी, जिसने सामाजिक दबाव और उपेक्षा के कारण अपने नवजात शिशु की हत्या कर दी थी।
  - **विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्थन:** सावित्रीबाई एवं ज्योतिराव फुले ने विधवाओं के पुनर्विवाह का जोरदार समर्थन किया और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया।
  - **बाल विवाह, सती प्रथा एवं दहेज प्रथा का विरोध:** उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष किया, जो उस समय समाज में व्यापक रूप से व्याप्त थीं।
  - **बाल संरक्षण:** 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' के अतिरिक्त, उन्होंने 'बाल्यता प्रतिबंधक गृह' नाम से एक बाल संरक्षण केंद्र भी खोला, जिसका उद्देश्य गर्भवती विधवाओं और दुष्कर्म पीड़िताओं की रक्षा करना था।
- **सत्यशोधक समाज**
  - 1873 में, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने 'सत्यशोधक समाज' (सत्य की खोज करने वाला समाज) की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना समाज में समानता, न्याय एवं शिक्षा को बढ़ावा देना था।
  - **सत्यशोधक विवाह:** अपने सामाजिक सुधार प्रयासों के अंतर्गत, उन्होंने 'सत्यशोधक विवाह' को प्रारंभ किया, जिसमें दंपत्ति ब्राह्मणवादी विवाह रीति-रिवाजों का पालन करने के बदले शिक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की शपथ लेते थे।
- **सावित्रीबाई की परंपरा की अवहेलना**
  - **रीतियाँ और सांस्कृतिक मान्यताएँ:** 1890 में, अपने पति ज्योतिराव फुले की अंतिम यात्रा के दौरान, सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक परंपराओं का विरोध किया और स्वयं तित्तवे (मिट्टी का घड़ा) उठाकर शवयात्रा में सबसे आगे चलीं।
  - उन्होंने अंतिम संस्कार की सभी विधियाँ पूरी कीं, जो परंपरागत रूप से सिर्फ पुरुषों द्वारा की जाती थीं।
  - **राहत कार्य:** 1896 के अकाल और 1897 में महाराष्ट्र में फैले ब्यूबोनिक प्लेग के दौरान, सावित्रीबाई फुले सक्रिय रूप से राहत कार्यों में जुट गईं और पीड़ितों की मदद के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया।

- ■ दुर्भाग्यवश, एक बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाते समय सावित्रीबाई फुले प्लेग से संक्रमित हो गईं, और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया।

- **साहित्यिक योगदान**
  - ◆ सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक शिक्षिका और समाज सुधारक ही नहीं, बल्कि एक कुशल कवयित्री एवं लेखिका भी थीं।
  - ◆ उनका पहला काव्य संग्रह 'काव्य फुले' (कविता के फूल) 1854 में प्रकाशित हुआ, जब वह सिर्फ 23 वर्ष की थीं।
  - ◆ 1892 में, उन्होंने 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' प्रकाशित किया, जिसे आज भी सामाजिक सुधार के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति माना जाता है।
  - ◆ उनकी अन्य रचनाओं में 'मातुश्री सावित्रीबाई फुलेची भाषणे एवं गाणी' शामिल है, जिसमें उनके भाषण, गीत और अपने पति को लिखे गए पत्र संकलित हैं।

शीतकालीन चार धाम

हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन चारधाम सर्किट प्रारंभ किया, ताकि शीत ऋतु के मौसम में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।

परिचय

- **पृष्ठभूमि**
  - ◆ चार धाम भारत के उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित चार श्रद्धेय मंदिरों को संदर्भित करता है। ये हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
  - ◆ ये धार्मिक स्थल हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, और एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ यात्रा सर्किट का हिस्सा हैं।
  - ◆ परंपरागत रूप से, इनकी यात्रा मई से नवंबर के बीच की जाती है, जब मौसम यात्रा के अनुकूल होता है।
- **मूर्तियों का शीतकालीन स्थानांतरण:** कठोर शीत ऋतु के दौरान भक्तों की पूजा जारी रखने के लिए, मूर्तियों को निचले क्षेत्रों में स्थित वैकल्पिक स्थानों पर ले जाया जाता है।
  - ◆ **केदारनाथ:** मूर्ति को रुद्रप्रयाग के उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है।
  - ◆ **बद्रीनाथ:** मूर्ति को चमोली के पांडुकेश्वर में स्थानांतरित किया जाता है।
  - ◆ **गंगोत्री:** मूर्ति को उत्तरकाशी के मुखबा गाँव में ले जाया जाता है।
  - ◆ **यमुनोत्री:** मूर्ति को उत्तरकाशी के खरसाली गाँव में स्थानांतरित किया जाता है।
- **चार धाम परियोजना:** चार धाम परियोजना का उद्देश्य चारों पवित्र धामों तक जाने वाली सड़कों के बुनियादी ढाँचे को सुधारकर तीर्थयात्रा को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाना है। इसमें शामिल हैं:
  - ◆ राजमार्गों का उन्नयन (सुधार करना)।
  - ◆ सड़कों का विस्तार और रखरखाव।
  - ◆ भक्तों और पर्यटकों की सुगम यात्रा के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे का निर्माण।

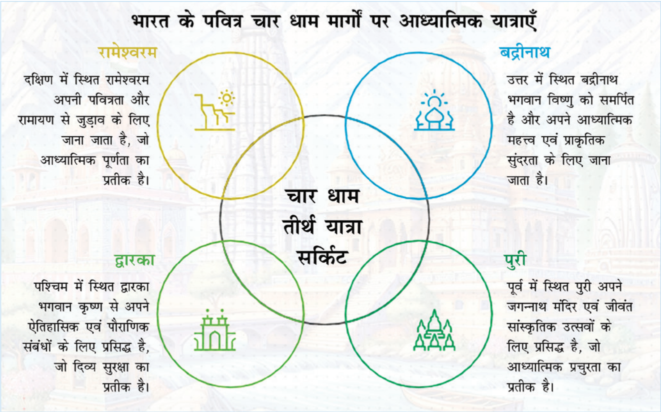

- **अद्वैत वेदांत और उसका दार्शनिक प्रभाव**
  - ◆ अद्वैत वेदांत, जो अद्वैत (अद्वितीयता) पर आधारित एक दार्शनिक विचारधारा है, आदि शंकराचार्य द्वारा प्रचारित की गई थी। अद्वैत वेदांत का मुख्य सिद्धांत यह है कि आत्मा और परम सत्य (ब्रह्म) एक ही हैं।
  - ◆ **इस दर्शन के अनुसार:**
    - ■ ब्रह्म एकमात्र, निराकार और शाश्वत (सदैव रहने वाला) है।
    - ■ आत्मा (व्यक्तिगत आत्मा) और ब्रह्म समान हैं, और उनके बीच जो भी भेद प्रतीत होता है, वह मात्र एक भ्रम (माया) है।
    - ■ मोक्ष (परम मुक्ति) तब प्राप्त होता है, जब व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म की इस एकता (अद्वैत) को साक्षात्कार द्वारा समझ लेता है।
    - ■ अद्वैत वेदांत आत्मबोध (स्वयं की पहचान) और अज्ञान के नाश पर बल देता है, जिससे व्यक्ति यह समझ पाता है कि आत्मा ही परम चेतना (सुप्रीम कॉन्शियसनेस) है।

मकरविलक्कु महोत्सव

हाल ही में, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने मकरविलक्कु महोत्सव के लिए सन्निधानम में लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना व्यक्त किया।

परिचय

- **अवलोकन**
  - ◆ मकरविलक्कु एक महत्त्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है, जो केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है।
  - ◆ यह शुभ मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है।
  - ◆ यह त्योहार मंदिर की वार्षिक तीर्थयात्रा अवधि के समापन (अंत) का प्रतीक है।
- **प्रमुख अनुष्ठान और परंपराएँ**
  - ◆ **थिरुवभरणम जुलूस:** मकरविलक्कु के दिन, भगवान अयप्पा के पवित्र "थिरुवाभरणम" (राजसी आभूषण) को पंडालम महल से सबरीमाला मंदिर लाया जाता है।
  - ◆ **दिव्य प्रकाश-मकरज्योति**
    - ■ इस उत्सव का मुख्य आकर्षण 'मकरज्योति' या "मकरविलक्कु" नामक दिव्य प्रकाश का दर्शन करना है।

- इस प्रकाश को भगवान अयप्पा के दिव्य प्रकट रूप (ईश्वरीय अभिव्यक्ति) के रूप में माना जाता है।
- कहा जाता है कि यह प्रकाश सबरीमाला मंदिर के पास स्थित पोंनाम्बलमेडु पर्वत की क्षितिज रेखा पर प्रकट होता है।

- **मकरविलक्कु की अनुष्ठानिक उत्पत्ति**
  - मकरविलक्कु का प्रकाश कोई अलौकिक घटना नहीं है; यह ऐतिहासिक रूप से मलयाराय जनजाति द्वारा पोंनाम्बलमेडु मंदिर में किया जाने वाला एक पारंपरिक अनुष्ठान था।
  - आज, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड इस उत्सव की देखरेख करता है, जिससे प्राचीन धार्मिक परंपराओं की निरंतरता बनी रहती है।
  - पोंनाम्बलमेडु मंदिर में एक विशेष आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें कपूर जलाया जाता है।
  - सबरीमाला से तीन बार दिखाई देने वाला "मकरविलक्कु प्रकाश" इसी आरती का परिणाम होता है।

- **अवधि और निष्कर्ष**
  - मकरविलक्कु महोत्सव मकर संक्रांति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सात दिनों तक चलता है।
  - इसका समापन 'गुरुथी' अनुष्ठान के साथ होता है, जो वन के देवताओं को समर्पित एक विशेष अर्पण है।
  - गुरुथी अनुष्ठान के पश्चात्, कोई भी मंदिर परिसर में नहीं रहता, जिससे उत्सव काल का आधिकारिक अंत माना जाता है।

मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया

हाल ही में, केंद्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की पुष्टि की, यह घोषणा कुछ महीनों पूर्व की गई थी।

परिचय

- **भारत में पूर्व में छह शास्त्रीय भाषाएँ थीं** – तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया।
  - तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और ओड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया।
  - सभी शास्त्रीय भाषाएँ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
  - हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, जिससे शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर ग्यारह हो गई है।

किसी भाषा की शास्त्रीय स्थिति को क्या परिभाषित करता है?

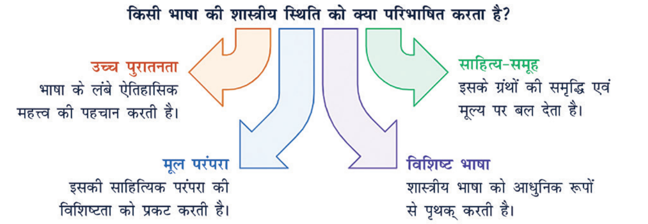

- **लाभ:** शिक्षा मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:
  - इन शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों के लिए प्रति वर्ष दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
  - शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाती है।
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से अनुरोध किया जाता है कि वह कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषा के लिए कुछ विशेष पीठों की स्थापना करें।

संपूर्ण भारत में फसल उत्सव

हाल ही में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फसल उत्सव मनाए गए, जो मानव और प्रकृति के मध्य गहरे एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध को दर्शाते हैं।

भारत के फसल उत्सवों के बारे में

- **अवलोकन**
  - संपूर्ण भारत में, फसल कटाई के मौसम के अंत को विभिन्न त्योहारों के माध्यम से मनाया जाता है, जो ऋतु परिवर्तन और नई फसल के आगमन का प्रतीक होते हैं।
  - विभिन्न क्षेत्रों में ये त्योहार भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, लोहड़ी और अन्य।
- **खगोलीय महत्त्व**
  - मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो सूर्य के उत्तरायण (उत्तर दिशा में गमन) के प्रारंभ को दर्शाता है।
  - यह परिवर्तन शीत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है, जो नवीनता और सक्रियता का समय माना जाता है, तथा निष्क्रियता के अंत का प्रतीक होता है।
  - चंद्र कैलेंडर पर आधारित अन्य त्योहारों के विपरीत, मकर संक्रांति सूर्य चक्र (सौर कैलेंडर) का अनुसरण करती है, इसलिए यह प्रत्येक वर्ष निश्चित तिथि, 14 जनवरी को मनाई जाती है, जबकि अन्य त्योहार चंद्रमा की गतियों के अनुसार बदलते रहते हैं।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** इन त्योहारों के दौरान किए जाने वाले रीति-रिवाज और परंपराएँ क्षेत्रीय रूप से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सामान्यत: इनमें शामिल हैं:
  - गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना, जिसे शरीर एवं आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है।
  - भगवान सूर्य को नैवेद्य (भोजन अर्पण) चढ़ाना, जो कृतज्ञता (आभार) प्रकट करने का एक कार्य है।
  - दान-पुण्य करना, श्राद्ध संस्कार (पूर्वजों के लिए अनुष्ठान) संपन्न करना और उपवास तोड़ने की परंपराओं का पालन करना।

क्षेत्रीय समारोह

- **असम (माघ बिहू)**
  - असम में, माघ बिहू फसल कटाई का त्योहार है, और साथ ही असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक भी है।

मकर संक्रांति: अनेक नाम

भारत में शीतकालीन फसल उत्सव के विभिन्न नाम

कश्मीर
शिशुर सेंक्रात

जम्मू
माघी संगरांद या उत्तरायण

पंजाब
लोहड़ी

हरियाणा
सकरात

राजस्थान, मध्य प्रदेश
मकर संक्रांति या सकरात

गुजरात
उत्तरायण

महाराष्ट्र
मकर संक्रांति

कर्नाटक
मकर संक्रमण या मकर संक्रांति

केरल
मकरविलक्कु

हिमाचल प्रदेश
माघ साजी

उत्तराखंड
उत्तरायणी या घुघुतिया

तमिलनाडु
थाई पोंगल

आंध्रप्रदेश, तेलंगाना
मकर संक्रांति, पेद्दा

अरुणाचल प्रदेश
मकर संक्रांति और बिहू

असम
माघ बिहू और भोगाली बिहू

उत्तर प्रदेश
खिचड़ी

सिक्किम
माघे संक्रांति

पश्चिम बंगाल
पौष संक्रांति

बिहार, झारखंड
मकर संक्रांति या संक्रात, खिचड़ी

ओडिशा
मकर संक्रांति

अरुणाचल प्रदेश
मकर संक्रांति और बिहू

मणिपुर
मकर संक्रांति

मिजोरम
बिहू

त्रिपुरा
मकर संक्रांति या पौष

मेघालय
बिहू संक्रांति

- इस त्योहार में पारंपरिक भोज, अलाव (बोनफायर) और सामुदायिक समारोह आयोजित किए जाते हैं, ताकि समृद्धि एवं नई फसल का उत्सव मनाया जा सके।

- **तमिलनाडु (पोंगल)**
  - चार दिवसीय यह त्योहार धान की कटाई का प्रतीक है, और इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
  - लोग अपने घरों को पारंपरिक कोलम (चावल के आटे से बनी रंगोली) से सजाते हैं और नई फसल से बने "पोंगल" नामक व्यंजन को तैयार करते हैं, जो समृद्धि एवं प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है।
- **कर्नाटक**
  - तिल और गुड़ का मिश्रण बाँटने की परंपरा होती है, जो सौहार्द और अच्छे संबंधों का प्रतीक है।
  - किसान पारंपरिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं, जैसे मवेशियों को सजाना और उन्हें 'किच्चू हैसोडु' नामक अनुष्ठान में आग के गड्ढे के ऊपर से कूदाना।
- **पंजाब (लोहरी):** लोहड़ी अलाव (बोनफायर), लोक गीतों और मूँगफली व पॉपकॉर्न जैसी वस्तुओं को अग्नि में अर्पित करने के साथ मनाई जाती है। यह पुराने को जलाकर समाप्त करने और नई फसल का स्वागत करने का प्रतीक है।
- **बिहार (खिचड़ी)**
  - 'खिचड़ी त्योहार' के रूप में प्रसिद्ध, यह त्योहार चावल और दाल से बनी खिचड़ी पकाने और तिल-गुड़ के लड्डू या चिक्की बाँटने के साथ मनाया जाता है।
  - यह शीत ऋतु की फसल और नए मौसम के प्रारंभ का उत्सव है।
- **राजस्थान और गुजरात**
  - पतंगबाजी प्रतियोगिताओं और रंगारंग उत्सवों के साथ मनाया जाता है। अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहाँ आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाता है।
  - शाम को, आकाश में उड़ते स्काई लैम्प (आकाश दीप) रात को रोशन कर देते हैं, जिससे त्योहार की रौनक और बढ़ जाती है।

स्वामी विवेकानंद की जयंती

हाल ही में, राष्ट्रीय युवा दिवस (स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती) के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025' में भाग लिया।

स्वामी विवेकानंद के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन**
  - स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। वे एक संन्यासी थे और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे।
  - 1893 में, खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर, उन्होंने अपना पूर्व नाम सच्चिदानंद से परिवर्तित कर विवेकानंद रख लिया।
- **प्रबोधन और आध्यात्मिक यात्रा**
  - 1892 में, स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के पास हिंद महासागर में स्थित एक चट्टान तक तैरकर पहुँचे, जिसे बाद में "विवेकानंद रॉक मेमोरियल" के नाम से जाना गया।
  - उन्होंने वहाँ तीन दिन और तीन रातों तक गहन ध्यान किया, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और गहरी आत्मबोध की अनुभूति प्राप्त हुई।
- **योगदान**
  - **दार्शनिक योगदान**
    - स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग जैसी भारतीय दार्शनिक परंपराओं से विश्व को परिचित कराया।
    - उन्होंने "नव-वेदांत" का विकास किया, जो हिंदू धर्म की एक आधुनिक व्याख्या थी, जो आध्यात्मिक विकास और भौतिक प्रगति दोनों पर बल प्रदान करती हैं।
  - **आध्यात्मिक योगदान**
    - उनकी शिक्षाएँ आत्मबोध (स्वयं की पहचान), करुणा और निःस्वार्थ सेवा के महत्त्व पर बल प्रदान करती हैं।
    - उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि मानवता (जीव) की सेवा करना ही शिव की पूजा के समान है।

- **पुनर्जागरणवाद:** स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को राष्ट्र के पुनर्जागरण का माध्यम माना और ऐसी शिक्षा का समर्थन किया, जो चरित्र निर्माण पर केंद्रित हो और आत्मनिर्भर व्यक्तियों का निर्माण करे।

- **संबद्ध संगठन**
  - **रामकृष्ण मिशन (1897):** स्वामी विवेकानंद ने इस संगठन की स्थापना की, ताकि आध्यात्मिक उत्थान, शिक्षा एवं मानव सेवा को प्रोत्साहन दिया जा सके।
  - **बेलूर मठ (1899):** उन्होंने बेलूर मठ को अपना स्थायी निवास बनाया, जो बाद में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बन गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव:**
  - 1893 में, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 'धर्म संसद' में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विश्व मंच पर हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया।
  - 1896 में, उन्होंने लंदन हिंदू एसोसिएशन को भी संबोधित किया, जिससे उनका संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रसारित हो गया।

कोणार्क सूर्य मंदिर

हाल ही में, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन किए।

परिचय

- **अवस्थिति**
  - कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में, बंगाल की खाड़ी के निकट, पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है।
  - "सूर्य देवालय" के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर हिंदू देवता सूर्य को समर्पित है, और हिंदू परंपराओं में सूर्य उपासना को एक अद्वितीय प्रतीक माना जाता है।
  - इसका निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम (शासनकाल: 1238-1264 ईस्वी) द्वारा कराया गया था। इसे भगवान सूर्य के रथ का प्रतीक माना जाता है, जो दैवीय भव्यता को दर्शाता है।
  - 1984 में, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिससे इसकी वास्तुकला की उत्कृष्टता और ऐतिहासिक महत्त्व को वैश्विक मान्यता मिली।
  - यूरोपीय नाविक इसे 'ब्लैक पैगोडा' के नाम से जानते थे, क्योंकि यह काले रंग के खोंडालाइट पत्थरों से निर्मित था, जो समुद्री नौपरिवहन के लिए एक प्रमुख स्थलचिह्न (लैंडमार्क) बन गया था।
- **वास्तुकला विशेषताएँ**
  - **मंदिर की संरचना और डिजाइन**
    - भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर को एक विशाल पत्थर के रथ के रूप में डिजाइन किया गया था, और इसका निर्माण ओडिशा (कलिंग) स्थापत्य शैली के अनुसार किया गया है।
    - मंदिर की मूल ऊँचाई 200 फीट (61 मीटर) से अधिक थी, लेकिन मुख्य गर्भगृह (देउल) समय के साथ प्राकृतिक एवं मानवजनित कारणों से ढह गया।
    - वर्तमान में मौजूद मंदिर परिसर, जिसमें 'जगमोहन' (सभा मंडप) और 'नाट्य मंडप' (नृत्य मंच) शामिल हैं, आज भी उत्कृष्ट शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है।
  - **दिव्य रथ प्रतिनिधित्व**
    - 24 विशाल पत्थर के पहिए, जिनका व्यास 12 फीट है, इनमें समय और जीवन चक्र के प्रतीकात्मक रूपांकन उकेरे गए हैं।
    - प्रत्येक पहिया एक सौर घड़ी (सनडायल) की तरह कार्य करता है, जिससे अत्यधिक सटीकता के साथ समय की गणना की जा सकती है।
    - छह जोड़े सुंदर नक्काशीदार पत्थर के घोड़े इस रथ को खींचते हैं, जो भगवान सूर्य की दिव्य यात्रा का प्रतीक है।
- **खगोलीय संरेखण:** मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर स्थित है, जिससे सूर्योदय की पहली किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़ती हैं, जो भगवान सूर्य की दिव्य शक्ति का प्रतीक है।
- **मूर्तियों में दर्शाए गए विषय:**
  - **देवी-देवता:** मंदिर की दीवारों पर सूर्य, विष्णु, शिव और विभिन्न दैवीय देवताओं की नक्काशी की गई है।
  - **कामुक शिल्पकला:** खजुराहो की तरह यहाँ भी तांत्रिक परंपरा, उर्वरता (फर्टिलिटी) और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक मानी जाने वाली मूर्तियाँ उकेरी गई हैं।
  - **जीव-जंतु और पौराणिक जीव:** मंदिर में सिंह, हाथी और मकर (मगरमच्छ और हाथी का मिश्रित रूप) जैसे पौराणिक जीवों की नक्काशी मौजूद है।
  - **नर्तक और संगीतकार:** नाट्य मंडप (नृत्य मंच) में सुंदर अप्सराओं (स्वर्गीय नर्तकियों) की मूर्तियाँ बनी हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों में नृत्य और संगीत के महत्त्व को दर्शाती हैं।

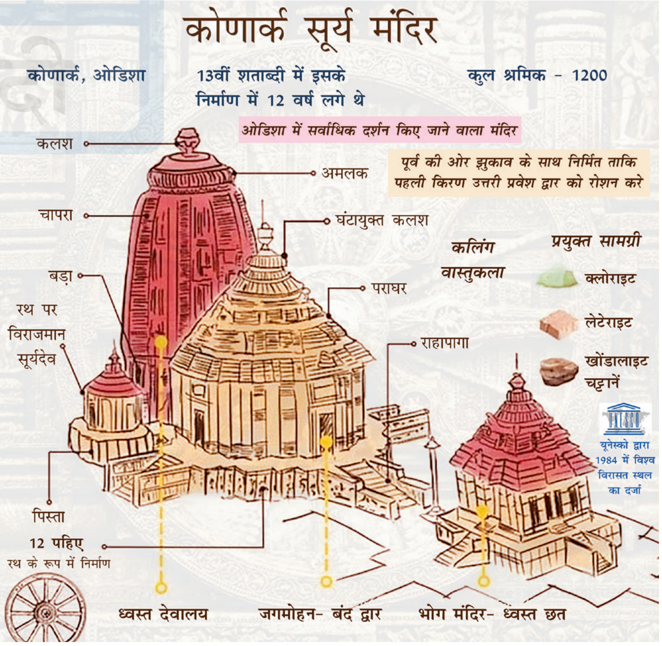

रत्नागिरी बौद्ध उत्खनन

हाल ही में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ओडिशा के रत्नागिरी में स्थित 5वीं-13वीं शताब्दी के बौद्ध परिसर में छह दशकों पश्चात् पुनः खुदाई कार्य प्रारंभ किया।

परिचय

- **अवस्थिति और भौगोलिक महत्त्व**
    - रत्नागिरी ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित है, जो भुवनेश्वर से लगभग 100 किमी. उत्तर-पूर्व में अवस्थित है।
    - यह स्थल बीरूपा और ब्राह्मणी नदियों के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है, जो प्राचीन बौद्ध मठों के लिए एक शांतिपूर्ण एवं रणनीतिक स्थल प्रदान करता था।
    - यह ओडिशा के सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से खुदाई किए गए बौद्ध स्थलों में से एक है, जो शोधकर्त्ताओं, इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित करता है।
    - रत्नागिरी ओडिशा के "डायमंड ट्रायंगल" का हिस्सा है, जिसमें उदयगिरि और ललितगिरि भी शामिल हैं, और ये तीनों महत्त्वपूर्ण बौद्ध मठ परिसरों का निर्माण करते हैं।
    - 'रत्नागिरी' का अर्थ है "रत्नों की पहाड़ी", जो इसके अतीत में एक समृद्ध बौद्ध शिक्षा और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में पहचान को दर्शाता है।
- **बौद्ध प्रभाव**
    - **समयकाल:** विशेषज्ञों के अनुसार, रत्नागिरी की स्थापना 5वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुई, और इसका सर्वोच्च विकास 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ।
    - यह स्थल महायान और तंत्रयान (वज्रयान) बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, जिसने बौद्ध दर्शन एवं प्रथाओं के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
    - ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग, जिन्होंने 638-639 ईस्वी के दौरान ओडिशा का दौरा किया था, ने संभवत: अपने यात्रा विवरण में रत्नागिरी का उल्लेख किया होगा।
    - इस स्थल को पहली बार 1905 में एक ऐतिहासिक स्थान के रूप में दर्ज किया गया, जिससे यह पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए केंद्रबिंदु बन गया।
- **पुरातात्विक खोजें**
    - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने रत्नागिरी में व्यापक खुदाई की, जिससे निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण संरचनाएँ प्रकट हुई:
        - एक विशाल बुद्ध सिर, जिसे प्राचीन महायान बौद्ध देवता का प्रतीक माना जाता है।
        - एक विशाल हथेली की मूर्ति, जो संभवत: किसी बड़ी बुद्ध प्रतिमा का अवशेष हो सकती है।
        - प्राचीन मठों की दीवारें और 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी की सूक्ष्म रूप से उत्कीर्ण बौद्ध धरोहरें।
    - **मठ और स्तूप**
        - इस स्थल पर दो विशाल मठ (महाविहार) स्थित हैं, जिनमें खुले आँगन, प्रार्थना कक्ष और भिक्षुओं के रहने के लिए कक्ष बने हुए हैं।
        - एक विशाल स्तूप (धार्मिक अवशेष गुंबद) यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, जिसे बोधिसत्वों और बौद्ध देवताओं की सुंदर नक्काशियों से सजाया गया है।
        - इस क्षेत्र में विभिन्न छोटे स्तूप और पूजनीय स्तूप बिखरे हुए हैं, जो सुंदर टेराकोटा और पत्थर की नक्काशियों से निर्मित हैं।
    - **कला और प्रतिमा विज्ञान**
        - रत्नागिरी की मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ बौद्ध धर्म से जुड़े विषयों, तांत्रिक देवताओं और दिव्य प्राणियों को दर्शाती हैं, जो इस स्थल के तंत्रयान बौद्ध धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान को दर्शाता है।
        - महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख देवताओं-अवलोकितेश्वर, तारा और मंजुश्री की विस्तृत नक्काशियों की खोज की गई है।
- **ओडिशा में बौद्ध धर्म और इसके समुद्री देशों के साथ संबंध**
    - 8वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी में, भौमकर वंश के शासनकाल के दौरान ओडिशा में बौद्ध धर्म पुष्पित-पल्लवित हुआ, क्योंकि इस वंश ने बौद्ध संस्थानों को संरक्षण प्रदान किया।
    - 261 ईसा पूर्व, सम्राट अशोक के कलिंग पर आक्रमण और उनके बौद्ध धर्म अपनाने ने इस क्षेत्र में बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    - ओडिशा के मजबूत समुद्री संपर्कों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के विस्तार को बढ़ावा दिया, जिससे बाली, जावा, सुमात्रा, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध धर्म फैला।
    - इतिहासकारों का मानना है कि ओडिशा (प्राचीन कलिंग) एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो दक्षिण-पूर्व एशिया को मसाले (काली मिर्च, दालचीनी, इलायची), रेशम, कपूर, सोना और आभूषण निर्यात करता था।
    - इस प्राचीन समुद्री इतिहास का सम्मान करने के लिए, ओडिशा में सात दिवसीय उत्सव बालीयात्रा मनाया जाता है, जो दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रों के साथ कलिंग के 2,000 वर्ष पुराने व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाता है।

लेज़िम नृत्य

हाल ही में, महाराष्ट्र में एक फिल्म में लेज़िम नृत्य दृश्य को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया।

परिचय

- **परिचय**
    - लेज़िम महाराष्ट्र राज्य का एक पारंपरिक लोकनृत्य है।
    - इस नृत्य का नाम 'लेज़िम' नामक विशेष वाद्य यंत्र से लिया गया है, जिसमें लकड़ी की छड़ी से जुड़ी छोटी झंकार वाली झालरें होती हैं।
        - नर्तक इस वाद्य यंत्र (लेज़िम) को हाथ में लेकर नृत्य करते हैं, और इसकी लयबद्ध झंकार प्रस्तुति में एक अनोखी ध्वनि जोड़ती है।
- **नृत्य रूप और संरचना**
    - लेज़िम नृत्य एक लोकनृत्य होने के साथ-साथ एक शारीरिक व्यायाम भी है, जिसमें कठिन शारीरिक अभ्यास और नृत्य के कदमों का संयोजन होता है।
    - नर्तक सामान्यत: दो या चार लोगों के समूह बनाकर नृत्य करते हैं, और कभी-कभी चक्राकार संरचना (गोलाकार समूह) बनाकर भी प्रस्तुति देते हैं।

- इस नृत्य में ऊर्जावान गतियों (तेज और उत्साही हरकतों) की आवश्यकता होती है, जहाँ नर्तक संगीत की लयबद्ध धुनों के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं।

छत्रपति संभाजी महाराज

- **प्रारंभिक जीवन और शिक्षा**
  - **जन्म:** 14 मई 1657, पुरंदर किला, महाराष्ट्र।
  - **पिता:** छत्रपति शिवाजी महाराज।
  - **माता:** सईबाई।
  - संस्कृत, फारसी और पुर्तगाली सहित अनेक भाषाओं में निपुण।
  - बचपन से ही युद्ध कला, प्रशासन और कूटनीति में प्रशिक्षित किए गए।
- **सिंहासन पर चढ़ना:**
  - 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के पश्चात्, सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर संभाजी और उनकी सौतेली माता सोयराबाई के मध्य संघर्ष हुआ।
  - 1681 में, संभाजी ने अपने विरोधी गुट को पराजित कर दिया और औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने।
- **मुगलों के विरुद्ध सैन्य अभियान और प्रतिरोध:**
  - लगभग एक दशक तक औरंगजेब की मुगल सेना के विरुद्ध संघर्ष किया।
  - गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मराठा किलों की रक्षा रणनीतिक कौशल से की।
  - मुगल, पुर्तगाली, सिद्दी और अंग्रेजी सेनाओं को सफलतापूर्वक रोका।
  - 1681 में बुरहानपुर पर हमला किया, जिससे मुगलों को भारी क्षति हुई।
- **पुर्तगालियों और सिद्दियों के साथ संघर्ष:** गोवा में पुर्तगाली शासन और उनके जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया। जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जो मुगल के वफादार थे।
- **आधिपत्य और निष्पादन:**
  - अपने ही सेनापति गणोजी शिर्के के विश्वासघात के कारण 1689 में औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिए गए।
  - इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार करने पर हफ्तों तक कठोर यातनाएँ दी गईं।
  - 11 मार्च, 1689 को सार्वजनिक रूप से उनका बलिदान किया गया, जिससे वे अत्याचार के विरुद्ध अडिग प्रतिरोध के प्रतीक बन गए।
- **सम्मान:** धार्मिक उत्पीड़न का विरोध करने के लिए 'धर्मवीर' (धर्म के रक्षक) के रूप में याद किए जाते हैं।

- **संगतता और संगीत**
  - परंपरागत रूप से, लेज़िम नृत्य बहुत कम संगीत संगत के साथ किया जाता है, और मुख्य रूप से ताल वाद्ययंत्रों पर केंद्रित रहता है।
  - ढोल या ढालगी (एक छोटा ड्रम) इस नृत्य का प्रमुख ताल वाद्ययंत्र है, जो नर्तकों के लिए लयबद्ध ताल तैयार करता है।
  - पहले की प्रस्तुतियों में सामान्यत: कोई गायक या गीत नहीं होते थे, लेकिन आधुनिक प्रस्तुतियों में कभी-कभी गीत भी जोड़े जाते हैं, हालाँकि यह स्थायी रूप से शामिल नहीं होता।
  - अन्य लोकनृत्यों की तुलना में, इस नृत्य में कोई भी सुषिर (फूँक) या तंतु (तार) वाद्ययंत्र शामिल नहीं होते, जिससे इसकी ध्वनि शैली अद्वितीय बन जाती है।
- **ढोलकी की भूमिका**
  - ढोलकी, जो एक छोटा ड्रम होता है, लेज़िम नृत्य प्रस्तुति के दौरान मुख्य ताल वाद्ययंत्र के रूप में प्रयोग की जाती है।
  - ढोलकी की ताल नर्तकों की लय के साथ सुमेलित होती है, जिससे उनकी गतियों को दिशा मिलती है और नृत्य में जोश एवं ऊर्जा का संचार होता है।
- **सांस्कृतिक महत्त्व**
  - लेज़िम नृत्य प्राय: महाराष्ट्र में त्योहारों और उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, विशेष रूप से गणेश उत्सव एवं अन्य सांस्कृतिक आयोजनों में।
  - यह नृत्य महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र से अंतर्संबद्ध है, और इसे परंपरागत रूप से विजय उत्सव मनाने, त्योहारों को चिह्नित करने और देवी-देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता था।

लाला लाजपत राय

संपूर्ण भारत में लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाई जा रही है।

परिचय

- **प्रारंभिक जीवन**
  - लाल लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था।
  - उन्हें उनकी निडर नेतृत्व क्षमता और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए 'पंजाब केसरी' (पंजाब का शेर) के रूप में जाना जाता था।
- **स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान**
  - वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के प्रमुख नेता थे, और प्रसिद्ध 'लाल-बाल-पाल' त्रयी के प्रमुख सदस्य थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल भी शामिल थे।
  - उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया, इसे भारत को धार्मिक आधार पर बाँटने की ब्रिटिश नीति माना।
  - 1920 में, उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया, और भारतीयों को ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया।
- **होमरूल आंदोलन में भूमिका**
  - 1917 में, उन्होंने अमेरिका में "होमरूल लीग" की स्थापना की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वशासन की माँग को मजबूत किया जा सके।

- यह आंदोलन भारत में 1916 में प्रारंभ किए गए "होम रूल आंदोलन" का विस्तार था, जिसका प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे।

- **अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध प्रदर्शन**
  - उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट का कड़ा विरोध किया, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति प्रदान करता था, जिसे उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन माना।
  - उन्होंने जलियाँवाला बाग हत्याकांड (1919) के विरुद्ध भी जोरदार विरोध किया, और जनरल डायर द्वारा निहत्थे नागरिकों के निर्मम नरसंहार की कड़ी निंदा की।
- **साइमन आयोग और शहादत का विरोध**
  - 1928 में, उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित किया था, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था।
  - लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, ब्रिटिश पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
  - **इस घटना के पश्चात्, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की:** 'मेरे शरीर पर पड़ने वाली प्रत्येक चोट ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।'
  - 17 नवंबर, 1928 को, वे इन गंभीर चोटों के कारण शहीद हो गए। उनकी शहादत क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गई, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जे. पी. सॉन्डर्स की हत्या कर उनका बदला लिया।
- **विरासत और योगदान**
  - **शैक्षिक सुधार:** उन्होंने भारतीयों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, और निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की:
    - दयानंद एंग्लो वैदिक (DAV) कॉलेज, लाहौर (1886) की स्थापना की।
    - नेशनल कॉलेज, लाहौर की स्थापना की, जहाँ भगत सिंह ने अध्ययन किया।
  - **सामाजिक सुधार:** उन्होंने महिलाओं, निम्न जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा समान अधिकार एवं सामाजिक न्याय का जोरदार समर्थन किया।
- **पत्रकारिता और लेखन:**
  - उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए व्यापक रूप से लेखन किया।
  - उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं: 'यंग इंडिया', 'द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन', 'अनहैपी इंडिया'।

10 विविध

पंचप्रण

दिल्ली में NCC गणतंत्र दिवस शिविर - 2025 के उद्घाटन के अवसर पर उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने पंचप्रण के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय परिवर्तन योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।

पंचप्रण (राष्ट्रीय परिवर्तन के पाँच स्तंभ)

- पंचप्रण से तात्पर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान घोषित पाँच प्रतिज्ञाओं से है। इन प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है।

डॉ. राजगोपाल चिदंबरम

हाल ही में, भारत के परमाणु कार्यक्रम के एक प्रमुख व्यक्ति डॉ. राजगोपाला चिदंबरम का निधन हो गया।

उनके प्रमुख योगदान

- वे परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे।
- उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) (1994-1995) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।
- **ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा:** 1974 में, वे इस ऑपरेशन का हिस्सा थे, जिसका कोडनेम 'स्माइलिंग बुद्धा' था, जिसके अंतर्गत राजस्थान के पोखरण में अत्यधिक गोपनीयता के साथ 'शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण' किया गया था।
- इससे भारत परमाणु परीक्षण करने वाला छठा देश बन गया।
- **ऑपरेशन शक्ति:** 1998 में, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने ऑपरेशन शक्ति का नेतृत्व किया, जिसने वैश्विक मंच पर भारत की परमाणु शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत किया।
- उन्होंने राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन या क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर मिशन सहित विभिन्न मेगा विज्ञान परियोजनाओं का समर्थन किया।
    - वे 2002-2018 तक भारत सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी थे।
- **पुरस्कार:** उन्हें पद्मश्री (1975) और पद्म विभूषण (1999) से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने भारत में खेल और शौर्य कार्य में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए।

पुरस्कार श्रेणियों के बारे में

- **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार:**
    - भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान, 1991-92 में स्थापित।
    - चार वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करता है।
    - **नामकरण:** मेजर ध्यानचंद (1905-79), एक प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने भारत को लगातार तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक (1928, 1932 और 1936) दिलाए।
    - **2024 पुरस्कार विजेता:**
        - गुकेश डी (शतरंज)
        - हरमनप्रीत सिंह (हॉकी)
        - प्रवीण कुमार (पैरा-एथलेटिक्स)
        - मनु भाकर (निशानेबाजी)
- **अर्जुन पुरस्कार:**
    - विगत् चार वर्षों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1961 में स्थापित।
    - इसका नाम भारतीय महाकाव्य महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के नाम पर रखा गया।
    - **प्रथम प्राप्तकर्त्ता:** पी.के. बनर्जी (फुटबॉल)।
- **द्रोणाचार्य पुरस्कार:**
    - 1985 में स्थापित, यह कोच के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है।
    - प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए दिया जाता है।
- **नाम:** महाभारत में अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर।
    - **पहली महिला प्राप्तकर्त्ता:** रेणु कोहली (एथलेटिक्स)।
- **मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार:**
    - खेलों में आजीवन योगदान के लिए 2002 में स्थापित।
    - **प्रथम प्राप्तकर्त्ता:**
        - शाहूराज बिराजदार (मुक्केबाजी)
        - अशोक दीवान (हॉकी)।

- **मौलाना अबुल कलाम आजाद (MAKA) ट्रॉफी:**
  - सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 1956-57 में स्थापित किया गया।
  - भारत के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी श्री अबुल कलाम आजाद के सम्मान में इसका नाम रखा गया।
  - **प्रथम प्राप्तकर्त्ता:** बॉम्बे विश्वविद्यालय।
- **राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार:** 2009 में स्थापित, विगत् तीन वर्षों में खेल के प्रचार और विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए संगठनों, कॉर्पोरेट्स और व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है
- **तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार:**
  - साहसिक खेलों में उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए 2004 में प्रारंभ किया गया।
  - भूमि, जल, वायु और आजीवन साहसिक श्रेणियों में योगदान को मान्यता प्रदान करता है।

शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) रिपोर्ट

शिक्षा मंत्रालय (MoE) की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) रिपोर्ट के अनुसार, विगत् वर्षों की तुलना में 2023-24 में छात्रों के कुल नामांकन में एक करोड़ से अधिक की गिरावट आई है।

परिचय

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DOSEL) ने संदर्भ वर्ष 2018-19 से "शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+)" विकसित की है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **नामांकन संख्या में कमी:** शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में कुल 24.8 करोड़ छात्रों ने नामांकन कराया। 2022-23 में, 2018-19 की तुलना में 6% की गिरावट आई।

कुल स्कूल नामांकन

शैक्षणिक वर्ष	नामांकन (करोड़ में)
2023-24	24.80
2022-23	25.18
2021-22	26.52
2020-21	26.44
2019-20	26.45
2018-19	26.03
2018-19 से 2021-22 तक औसत कुल नामांकन: 26.36 करोड़।	

- 2023-24 में प्राथमिक (कक्षा 1 से 5), उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) और माध्यमिक (कक्षा 9 और 10) स्तरों में कमी देखी गई है। इसके विपरीत, प्री-प्राइमरी और हायर सेकेंडरी (कक्षा 11 और 12) स्तरों पर 2023-24 में नामांकन में वृद्धि देखी गई है।
- **नामांकन में लिंग के आधार पर गिरावट:** 2023-24 में, 2018-19 की तुलना में बालकों के नामांकन में 4.87% की कमी आई। इसी अवधि में बालिकाओं के नामांकन में 4.48% की कमी आई।
- **राज्यवार गिरावट:** बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नामांकन में सबसे अधिक गिरावट देखी गई।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** केवल 57.2% स्कूलों में कार्यात्मक कंप्यूटर हैं, 53.9% में इंटरनेट है, और 52.3% में रैंप उपलब्ध हैं, जो पहुँच और तकनीकी तत्परता में महत्त्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करता है।

जसप्रीत बुमराह को ICC पुरुष खिलाड़ी, 2024 के रूप में नामित किया गया

जसप्रीत बुमराह और अमेलिया केर को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

खिलाड़ियों द्वारा जीते गए अन्य ICC पुरस्कारों की सूची

श्रेणी	विजेता	देश
पुरुष ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर	जसप्रीत बुमराह	भारत
पुरुष ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर	अजमतुल्लाह उमरजई	अफगानिस्तान
पुरुष ICC T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर	अर्शदीप सिंह	भारत
पुरुष ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर	कामिंडू मेंडिस	श्रीलंका
पुरुष ICC एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर	गेरहार्ड इरास्मस	नामीबिया
महिला ICC वनडे क्रिकेटर	स्मृति मंधाना	भारत
महिला ICC T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर	अमेलिया कर	न्यूजीलैंड
महिला ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर	एनेरी डर्कसेन	नीदरलैंड
महिला ICC एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर	ईशा ओज	संयुक्त अरब अमीरात
ICC अंपायर ऑफ द ईयर	रिचर्ड इलिंगवर्थ	इंग्लैंड

11 डेटा पुनर्कथन (Data Recap)

लोकपाल:

- लोकपाल एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई है।
- **संघटन:**
  - **अध्यक्ष:** पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI), सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या कोई व्यक्ति जो उच्च नैतिकता एवं विशेषज्ञता धारण करता हो।
  - **सदस्य:** अधिकतम 8 सदस्य, जिनमें:
    - कम से कम 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए।
    - 50% सदस्य सामाजिक रूप से वंचित वर्गों (SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक और महिलाएँ) से होने चाहिए।
- **नियुक्ति और कार्यकाल:**
  - **नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण:** भारत के राष्ट्रपति, जो चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति करते हैं।
  - **चयन समिति में शामिल सदस्य:** प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ
  - **कार्यकाल:** 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए।

भारतीय प्रवासी:

- मई 2024 तक, लगभग 35.42 मिलियन (3 करोड़ 54 लाख) भारतीय मूल के लोग भारत के बाहर रह रहे थे, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) बन गया।
- इसमें लगभग 15.85 मिलियन (1 करोड़ 58 लाख 50 हजार) अनिवासी भारतीय (NRIs) और 19.57 मिलियन (1 करोड़ 95 लाख 70 हजार) भारतीय मूल के लोग (PIOs) शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान (ILO रिपोर्ट)

- **वैश्विक श्रम शक्ति में योगदान (2022):** अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी विश्व की कुल श्रम शक्ति का 4.7% (167.7 मिलियन अर्थात् 16 करोड़ 77 लाख) थे। 2013 के बाद से प्रवासी श्रमिकों की संख्या 30 मिलियन (3 करोड़) बढ़ी है, जो श्रमिकों के बढ़ते वैश्विक प्रवासन (लेबर मोबिलिटी) को दर्शाता है।
- **रोजगार क्षेत्र:**
  - **सेवा क्षेत्र:** 68.4% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो गैर-प्रवासियों की तुलना में अधिक है।
    - **महिलाएँ:** 80.7% महिलाएँ घरेलू कार्य और देखभाल सेवाओं में लगी हुई हैं।
    - **पुरुष:** 60.8% पुरुष परिवहन, हॉस्पिटैलिटी (आतिथ्य सेवा) और IT सेवाओं में कार्यरत हैं।
  - **रोजगार में लैंगिक प्रतिनिधित्व:**
    - **पुरुष:** वैश्विक स्तर पर कुल पुरुष रोजगार का 4.7% प्रवासी पुरुषों का है, जो मुख्य रूप से निर्माण, परिवहन और वित्तीय सेवाओं में कार्यरत हैं।
    - **महिलाएँ:** वैश्विक स्तर पर कुल महिला रोजगार का 4.4% प्रवासी महिलाओं का है, जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और घरेलू कार्य में कार्यरत हैं।

वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024

- **महत्त्वपूर्ण संसाधन:** भूजल
  - 85% ग्रामीण पेयजल की जरूरतों को पूरा करता है।
  - 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
- **प्रदूषण और क्षेत्रीय भिन्नताएँ:**
  - **नाइट्रेट (20%)** – उर्वरकों के प्रवाह से उत्पन्न; राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में अधिक।
  - **फ्लोराइड (9.04%)** – राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पाया जाता है; स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न करता है।
  - **आर्सेनिक (3.55%)** – गंगा-ब्रह्मपुत्र के बाढ़ क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश आदि) में गंभीर रूप से मौजूद।
  - **यूरेनियम** – असुरक्षित नमूनों में राजस्थान (42%) और पंजाब (30%) में अधिक मात्रा में पाया जाता है।

राज्य लोक सेवा आयोग:

- **संविधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315-323 (भाग XIV) के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों (PSC) की संरचना, शक्तियाँ और कार्य निर्धारित किए गए हैं। ये आयोग केंद्रीय (संघ) और राज्य स्तर पर कार्य करते हैं।
- **नियुक्ति प्राधिकारी:** राज्यपाल द्वारा नियुक्ति (अनुच्छेद 316)।
- **कार्यकाल:** 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)।

ASER रिपोर्ट:

- **सीखने के परिणामों में सुधार:**
  - कक्षा 3 के छात्र जो कक्षा 2 की किताबें पढ़ सकते हैं, उनकी संख्या 16.3% (2022) से बढ़कर 23.4% हो गई।
  - **चुनौतियाँ बनी हुई हैं:**
    - **कक्षा 3:** दो-तिहाई छात्र घटाव से संबंधित प्रश्न हल नहीं कर सकते।
    - **कक्षा 5:** केवल 30.7% छात्र भाग से संबंधित प्रश्न हल कर सकते हैं।
    - **कक्षा 8:** 45.8% छात्र ही अंकगणित के प्रश्न हल कर सकते हैं।
- **नामांकन प्रवृत्तियाँ:**
  - **कुल स्कूल नामांकन (6-14 वर्ष):** 98.1%, जो लगभग महामारी से पहले के स्तर पर पहुँच गया है।
  - **सरकारी स्कूलों में नामांकन:** 2022 में 72.9% से घटकर 2024 में 66.8% हो गया, जो महामारी के दौरान बढ़ने के पश्चात् अब कम हो रहा है।
  - **कक्षा 1 में कम उम्र के बच्चों की संख्या:** घटकर 16.7% हो गई, जो अब तक का सबसे कम आँकडा है।
- **डिजिटल साक्षरता:**
  - ग्रामीण परिवारों में स्मार्टफोन की उपलब्धता: 2024 में 84% तक बढ़ी।
  - **किशोरों में स्मार्टफोन उपयोग:** 57% पठन कार्य के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। 76% सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं।

भारत में गरीबी दर में गिरावट (2011-12 से 2023-24): SBI रिपोर्ट

- **गरीबी में महत्त्वपूर्ण कमी:** कुल गरीबी 2011-12 में 22% से घटकर 2023-24 में 5% से कम हो गई।
- **ग्रामीण और शहरी गरीबी में गिरावट:**
  - **ग्रामीण गरीबी:** 2011-12 में 25.7% से घटकर 2023-24 में 4.86%।
  - **शहरी गरीबी:** 2022-23 में 4.6% से घटकर 2023-24 में 4.09%।

स्वयं परीक्षण (Test Yourself)

Objective Questions

Visit: www.nextias.com for monthly compilation of Current based MCQs

मुख्य परीक्षा प्रश्न

जीएस पेपर-I

1. कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला में किए गए नवाचारों का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से इसकी संरचनात्मक डिजाइन एवं कलात्मक जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

2. स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक योगदान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण में उनकी भूमिका और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

3. रानी वेलु नाच्चियार के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत के प्रतिरोध में योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी विरासत पर चर्चा कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

4. दक्कन ज्वालामुखीय गतिविधि का भारत के भूवैज्ञानिक विकास, सामूहिक विलुप्तियों और विगत् जलवायु परिवर्तनों में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

5. भारत में कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद हाथ से मैला ढोने की प्रथा के बने रहने का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, और पुनर्वास उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

6. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रवृत्तियों में वृद्धि के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों का मूल और गंतव्य देशों पर समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

जीएस पेपर-II

7. भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और नीतिगत नवाचार को आगे बढ़ाने में नीति आयोग की भूमिका की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

8. भारत की शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार से निपटने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोकपाल की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

9. सिंधु जल संधि के अंतर्गत प्रमुख विवादों की जाँच कीजिए, और उनके भारत-पाकिस्तान संबंधों पर प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

10. परिवर्तित होते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करने में भारतीय प्रवासी समुदाय की विकसित होती भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

11. भारत-इंडोनेशिया संबंधों की हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती भू-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच रणनीतिक महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

जीएस पेपर-III

12. वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के प्रमुख कारणों और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

13. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के बीच अंतर का विश्लेषण कीजिए, और भारत में मुद्रास्फीति मापन पर उनके प्रभावों का आकलन कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

14. भारत के रबर उद्योग में संरचनात्मक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसकी स्थिरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा एवं आत्मनिर्भरता के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों का मूल्यांकन कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

15. ग्रीन GDP की अवधारणा और भारत में सतत् आर्थिक विकास को मापने में इसकी प्रासंगिकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

16. भारत में भूजल गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन कीजिए, और इसके जनस्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

17. भारत में कीटनाशक विषाक्तता की समस्या का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने में मौजूदा नियमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

18. आपदा प्रबंधन, जलवायु पूर्वानुमान और विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

19. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के उद्देश्यों, संभावित लाभों और इससे जुड़े नैतिक मुद्दों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

20. वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रतिस्पर्धा का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तकनीकी संप्रभुता पर इसके प्रभाव एवं शासन में नैतिक चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**